परिणाम बजट

2016-2017

वित्त मंत्रालय

अर्थमूलं कार्यम्

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सारांश	(iii)-(xviii)
मांग सं. 29- आर्थिक कार्य विभाग	1-30
मांग सं. 30- वित्तीय सेवाएं विभाग	31-66
मांग सं. 34- व्यय विभाग	67-88
मांग सं. 37- राजस्व विभाग	89-114
मांग सं. 38- प्रत्यक्ष कर	115-139
मांग सं. 39- अप्रत्यक्ष कर	141-172
मांग सं. 40- विनिवेश विभाग	173-180

प्राक्कथन

''परिणाम बजट'' व्यय की योजना बनाकर, उपयुक्त लक्ष्य सुनिचित कर, प्रत्येक योजना की निहित क्षमता का आकलन करके ''परिव्यय'' को **''परिणाम''** में बदलने के सरकार के प्रयास की अभिव्यक्ति है। **''परिणाम बजट''** लोगों के प्रति सरकार के पारदर्शी और जवाबदेह होने की एक कोशिश है।

कार्यकारी सारांश के अतिरिक्त, परिणाम बजट 2016-17 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सात मांगों से संबंधित सात अलग-अलग खण्ड हैं, जिनके लिए परिणाम बजट तैयार किया जाना है। ये इस प्रकार हैः आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय, राजस्व, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और विनिवेश। प्रत्येक खण्ड में परिव्यय और परिणाम; सुधारात्मक उपाय; नीतिगत पहल और आरंभ किए गए कार्यक्रम; पिछले कार्य-निष्पादन की समीक्षा; पिछले तीन वर्षों की वित्तीय समीक्षा तथा सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा संबंधी विवरणों पर परिचर्चा की गई है।

कार्यकारी सारांश

वित्त मंत्रालय केंद्रीय सरकार के वित्त-साधनों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसका संबंध ऐसे आर्थिक और वित्तीय विषयों से है जिनका देश पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाता है, केंद्र सरकार के व्यय को विनियमित करता है तथा राज्यों को संसाधनों के अंतरण संबंधी मामलों पर कार्रवाई करता है। यह आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, व्यय के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करने, बजट के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ कार्य करता है। बहुपक्षीय एजेंसियों एवं विदेशी सरकारों के साथ इस मंत्रालय के कार्यनीतिक संबंध होते हैं। यह मंत्रालय निम्नलिखित 12 मांगों को प्रबन्धित करता हैः-

मांग संख्या	विभाग
29	आर्थिक कार्य विभाग
30	वित्तीय सेवाएं विभाग
31	विनियोग- ब्याज अदायगियां
32	राज्य सरकारों को अंतरण
33	विनियोग - ऋण की अदायगी
34	व्यय विभाग
35	पेंशन
36	भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
37	राजस्व विभाग
38	प्रत्यक्ष कर
39	अप्रत्यक्ष कर
40	विनिवेश विभाग

5 मांगें अर्थात्; 31- ब्याज अदायगियां, 32-राज्य सरकारों को अंतरण, 33- ऋण की अदायगी, 35-पेंशन, और 36- भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, विशेष रूप से परिणाम बजट के क्षेत्र से बाहर हैं। इस मंत्रालय के अधीन सभी 12 मांगों के लिए बजटीय प्रावधानों का सारांश इस कार्यकारी सारांश के अनुबंध में दिया गया है।

मंत्रालय के परिणाम बजट 2016-17 का संक्षिप्त सार इस प्रकार हैः-

मांग संख्या 29 - आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय सरकार का नोडल विभाग है। यह देश की आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम बनाता है जिनका आर्थिक प्रबंधन के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। यह विभाग वार्षिक केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा तैयार करता है। कुछ मुख्य कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख इस प्रकार हैः

- अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता देने की योजना में कुल परियोजना लागत के 20 प्रतिशत तक, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) की व्यवस्था का उल्लेख है। अब तक, 31,796.62 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत तथा 5283.55 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतर निधियन से 202 परियोजनाओं को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया गया है और 56 परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन दे दिया गया है। वीजीएफ योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रखे गए 912.50 करोड़ रु. के बजट प्रावधान में से 20 जनवरी, 2016 तक 672.51 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। प्रायोजक प्राधिकरण की जरूरतों के मूल्यांकन और अंतिम अनुमोदन दी गई परियोजनाओं की संख्या के आधार पर ब.अ. 2016-17 में 800 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की मांग की गई है।

  विभाग ने पीपीपी रियायतों के पंचाट पश्च संविदा प्रबंधन के लिए अनुदेश सामग्री भी तैयार की हैः ''*राजमार्ग, पत्तन और स्कूल*''। इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग इस समय मौजूदा एमसीए में अपेक्षित परिवर्तन/संशोधन की पहचान करने, एमसीए में यथापेक्षित नए खण्ड जोड़ने तथा विनियामक व्यवस्था की पहचान करने के कार्य में लगा है जो ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी होगी।

  अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी मॉडल पर पुनर्विचार करने और उसका पुनरूद्धार करने से संबंधित समिति जो 2014-15 की बजट घोषणा के अनुसरण में गठित की गई थी, ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने भी पुराने मुद्दों के समाधान, नीति, अभिशासन और संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण आदि की सिफारिश की है।

- ऋण श्रृंखलाएं (एलओसी) भारत की राजनयिक कार्यनीति का महत्वपूर्ण घटक हैं और ये सदभाव पैदा करने एवं दीर्घावधिक भागीदारियां निर्मित करने में बहुत उपयोगी हैं। यह योजना विकाशसील देशों के लिए भारत को उभरती आर्थिक शक्ति, निवेशकर्ता देश और भागीदार के रूप में

स्थापित करके विदेशों में भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज) जिसे आरंभ में भारत विकास उपक्रम (आईडीआई) कहा जाता था, वित्त वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में बनाई गई थी। भारत सरकार 2005-06 से आइडियाज के तहत विकासशील देशों को ऋण श्रृंखलाएं प्रदान करती आ रही है। आरंभ में यह योजना 2005-06 से 2009-10 तक पांच वर्ष के लिए चलाए जाने का प्रस्ताव था लेकिन इसे 2010 में बढ़ाकर, 2010-11 से 2014-15 तक कर दिया गया था। इस योजना को 2015 में दूसरी बार बढ़ाकर और 5 वर्ष अर्थात 2015-16 से 2019-20 तक लागू कर दिया गया है।

आइडिया स्कीम के तहत, विदेश मंत्रालय राजनयिक हितों को देखते हुए और विभिन्न विकासशील देशों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर विशिष्ट परियोजनाओं का चयन करता है। इन प्रस्तावों पर विदेश मंत्रालय और आर्थिक कार्य विभाग के अधिकारियों की एक स्थायी समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है। विदेश मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, विदेश मंत्रालय वित्त मंत्री के अनुमोदनार्थ आर्थिक कार्य विभाग को प्रस्ताव की सिफारिश करता है। इसके बाद आर्थिक कार्य विभाग ऋण श्रृंखला के अनुमोदन की सूचना देते हुए औपचारिक पत्र जारी करता है।

ऋण श्रृंखलाएं भारतीय एक्जिम बैंक के जरिए प्रचालित की जा रही हैं, जो बाजार से संसाधन जुटाता है और प्राप्त कर्ता सरकारों को रियायती दरों पर ऋण श्रृंखलाएं प्रदान करता है। भारत सरकार उधारदाता बैंक के पक्ष में गारंटी विलेख जारी करके ऋण श्रृंखलाओं को सहायता देती है ताकि उधारदाता बैंक को ब्याज और मूल राशि की अदायगी में उधारकर्ता सरकार द्वारा की जाने वाली अदायगी में किसी चूक से सुरक्षा दी जा सके। भारत सरकार उधारदाता बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आईईएस) भी देती है ताकि वह रियायती दरों पर उधार देने में समर्थ हो सके।

- **अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)**- भारत अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) का एक संस्थापक सदस्य है जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। भारत समय-समय पर बैंक की शेयर पूंजी में की गई वृद्धि में अभिदान करता रहा है। बैंक की अप्रैल, 2010 की बैठकों में, विकास समिति ने आईबीआरडी में विकासशील और परिवर्तनशील देशों (डीटीसी) की मत शक्ति में 3.13 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए मत सुधार का समर्थन किया और इसे 47.19 प्रतिशत पर ले आई। 2010 के इस सुधार में सामान्य पूंजी वृद्धि और चुनिंदा पूंजी वृद्धि शामिल है। सामान्य पूंजी वृद्धि के तहत भारत को 14,744 शेयर आबंटित किए गए हैं। भारत ने 2011-12 के दौरान 3212 शेयर, 2012-13 के दौरान 2883 शेयर और 2013-14 के दौरान 2883 शेयर का अभिदान पहले ही कर दिया है। भारत दो और वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 2883 शेयरों का अभिदान करेगा।

  इसी प्रकार, भारत को चुनिंदा पूंजी वृद्धि के तहत 9348 शेयरों का आबंटन किया गया है जिसमें से भारत ने 2011-12 के दौरान 2545 शेयर, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 2268 शेयर और वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 2268 शेयर का अभिदान पहले ही कर दिया है। भारत वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 2267 शेयरों का अभिदान करेगा। वित्त वर्ष 2015-16 में एससीआई शेयरों की कोई खरीद नहीं की गई।

  परिणाम: भारत और अन्य देशों द्वारा इन शेयरों का अभिदान पूर्ण होने के बाद, भारत 2.91 प्रतिशत की मत शक्ति के साथ आईबीआरडी में सातवां सबसे बड़ा शेयरधारक हो जाएगा। इस संशोधन से पहले भारत की मत शक्ति 2.77 प्रतिशत थी जिसके चलते शेयरधारकों में उसका दर्जा 11वां था।

- **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)** - भारत सरकार ने आईडीए में दाता बनने का निर्णय किया है। भारत आईडीए-17 के लिए अनुदान के रूप में 200.00 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करेगा। यह भुगतान सिर्फ प्रॉमिसरी नोट के सृजन के माध्यम से वित्त वर्ष 2014-15 से शुरू करके तीन वर्षों में किया जाएगा। पहले वर्ष के लिए 66.66 मिलियन अमरीकी डालर की राशि, दूसरे वर्ष 66.67 मिलियन अमरीकी डालर की राशि और अंतिम यानी वित्त वर्ष 2016-17 में 66.67 मिलियन अमरीकी डालर की राशि दी जाएगी। इसकी व्यवस्था संगत शीर्ष के अंतर्गत मांग संख्या 33 में की जाएगी। प्रॉमिसरी नोट्स को अगले 9 वर्षों में मानक नकदीकरण अनुसूची के अनुसार नौ किस्तों में आईडीए द्वारा भुनाया जाएगा।

  परिणाम: आईडीए को किए गए भुगतान से आईडीएदेशों में गरीबी कम करने के कार्यक्रमों में सहायता मिलेगी।

- **अफ्रीकी विकास बैंक की सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-VI)**

  भारत ने अफ्रीकी विकास बैंक की सामान्य पूंजी में 200 प्रतिशत वृद्धि (जीसीआई-VI) का समर्थन किया जिससे बैंक की पूंजी यूए 23,947 बिलियन यूए से बढ़कर 67.687 बिलियन यूए (यूए - लेखा की इकाई = एसडीआर) हो गई। परिणामस्वरूप, भारत को 9763 नए शेयर (586 प्रदत्त

और 9177 मांग शेयर) आबंटित किए गए हैं जिनका पूंजी मूल्य 97,630,000 यूए है। भारत को 732500 यूए (10,94,033 अमरीकी डालर) की आठ वार्षिक किस्तों का भुगतान करना है जिसमें से 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में पांच किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। 2015-16 के दौरान, भारत को 1744 अतिरिक्त शेयरों का आबंटन किया गया और इन शेयरों को अर्जित करने के लिए 5.19 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया।

परिणामः अफ्रीकी विकास बैंक की छठी पूंजी वृद्धि में भारत के अभिदान की किस्तों का भुगतान भारत की अंतर्राष्ट्रीय देनरारी को पूरा करने के लिए और बैंक में भारत की मत शक्ति बनाए रखने के लिए किया गया।

- **अफ्रीकी विकास निधि (एडीएफ)**

एडीएफ में भारत की मत शक्ति 0.177 प्रतिशत है (30 सितम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार)। एडीएफ -13 में भारत के अंशदान के संबंध में वचनबद्ध कुल 104.58 करोड़ रू. की राशि में से, 68.33 करोड़ रू. की राशि के प्रामिसरी नोट एडीएफ के पक्ष में जारी किए गए हैं। भारत के अंशदान की तीसरी और चौथी किस्त 2015-16 में अदा की जाएगी। यह एडीएफ-13 के भारत की नगदीकरण अनुसूची के अनुसार भुनाई जाएगी। 2016-17 से आगे, एडीएफ के लिए बजट प्रावधान मुख्य शीर्ष 3466 में किया जाएगा।

परिणामः एडीएफ को किया जाने वाला भुगतान एडीएफ की परियोजना और कार्यक्रमों के जरिए अफ्रीकी देशों में गरीबी कम करने में सहायता करना है।

- **मुख्य शीर्ष-2416 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)**

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की तेरहवीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। 176 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और ये तीन सूचियों में समूहबद्ध हैंः सूची-कः विकसित देश, सूची-खः तेल उत्पादक देश और सूची-गः विकासशील देश। भारत आईएफएडी का एक संस्थापक सदस्य है और सूची-ग में शामिल है।

भारत ने आज तक आईएफएडी के संसाधनों में 134.00 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है। भारत ने आईएफएडी की 10वीं पुनःपूर्ति (2016-18 के दौरान) में 37 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का अंशदान करने का वचन दिया है। भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य भी है। भारत दिसम्बर, 2016 के अंत तक 10वीं पुनःपूर्ति चक्र के लिए पहली किस्त के तौर पर 13 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का अंशदान करेगा।

वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला अधिकारिता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में 875.71 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ भारत में 27 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इनमें से 18 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इस समय 400.84 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता से नौ आईएफएडी सहायता प्राप्त परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही हैं। जुलाई, 2015 के दौरान आर्थिक कार्य विभाग ने आईएफएडी को लगभग 21 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता के लिए ''तमिलनाडु के तटीय ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पोषणीय आजीविका कार्यक्रम'' नामक परियोजना की अतिरिक्त सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे आईएफएडी के बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 2015 में मंजूरी दे दी गई है।

वर्ष 2013 से, भारत को आईएफएडी ऋण 1.25 प्रतिशत की नियत ब्याज दर जमा 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष के सेवा प्रभार की दर पर मुहैया कराए जा रहे हैं। इसमें पांच वर्ष की छूट अवधि सहित 25 वर्ष की परिपक्वता अवधि शामिल है। तथापि, वे परियोजनाएं जो 2013 में आईएफएडी द्वारा दिए जाने वाले नई मिश्रित शर्त वाले ऋण की शुरूआत से पहले हस्ताक्षरित किए गए थे, उनमें आईएफएडी ऋण 40 वर्ष की अवधि में अदा किए जाने होते हैं जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल हैं। इसमें कोई ब्याज प्रभार नहीं है, लेकिन बकाया ऋण राशि पर एक प्रतिशत की तीन चौथाई हिस्से की दर (0.75 प्रतिशत) पर सेवा प्रभार लगाया जाता है।

परिणामः आईएफएडी एक विशिष्ट एजेंसी है जो गरीबी और भूख का मुकाबला करने के लिए ग्रामीण निर्धनों को समर्थ बनाने के कार्य में लगी है। आईएफएडी की नीतियां और कार्यक्रम एक ऐसे समय पर बहुत प्रासंगिक हो गए हैं जब निर्धनता उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय समाज की एक बड़ी चिंता बना हुआ है। भारत का सहयोग इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। भारत गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आईएफएडी की विशेषज्ञता और डोमेन ज्ञान तथा संसाधनों का उपयोग भी कर रहा है।

- **मुख्य शीर्ष - 3475 - टीका एवं प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन (जीएवीआई-गवी)**

जीवन रक्षक टीकों की प्राप्ति में व्याप्त पारंपरिक अन्तराल को कम करने एवं शिशु मृत्यु-दर को कम करने के लिए वर्ष 2000 में गवी गठबंधन (पूर्ववर्ती टीका एवं प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक संधि) की स्थापना की गई। गवी का मिशन

है, गरीब देशों के लोगों की प्रतिरक्षण तक पहुँच में वृद्धि करके बच्चों का जीवन बचाना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। एक अनुमान के मुताबिक, गवी ने वर्ष 2015 तक लगभग 12 बिलियन अमरीकी डॉलर के अंशदान के साथ 500 मिलियन अतिरिक्त बच्चों के प्रतिरक्षण में और लगभग सात मिलियन संभावित मृत्यु की रोकथाम में अपना योगदान दिया है।

भारत सिर्फ प्राप्त कर्ता ही नहीं है, अपितु गवी गठबंधन का अंशदाता भी है। भारत ने गवी गठबंधन को वर्ष 2013-14 से लेकर 2016-17 के लिए प्रतिवर्ष 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के अंशदान का वचन दिया है। इस उद्देश्य से जनवरी, 2014 में भारत सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग और गवी गठबंधन के बीच एक ''अंशदान करार'' पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2014 के दौरान, वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए भारत के अंशदान की दो किस्तों के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष के हिसाब से गवी गठबंधन को भुगतान किया गया है। 2015-16 के लिए भारत के अंशदान की तीसरी किस्त नवंबर, 2015 में अदा की गई है।

परिणामः गवी एक सरकारी-निजी वैश्विक भागीदारी है, जो प्रतिरक्षण तक पहुँच बनाकर बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहा है।

एड्स, क्षयरोग एवं मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि (जीएफएटीएम)

एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि (वैश्विक निधि/जीएफएटीएम) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन संगठन है, जिसका लक्ष्य एचआईवी और एड्स, क्षयरोग एवं मलेरिया के इलाज एवं रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना और वितरण करना है। यह सरकारी-निजी भागीदारी वाला संगठन है जिसका सचिवालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन जनवरी, 2002 से कार्यशील है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2002 से जीएफएटीएम सहायता प्राप्त कार्यक्रमों ने 17 मिलियन जिंदगियां बचाई हैं। भारत में जीएफएटीएम सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 27 जनवरी, 2014 को भारत सरकार, जीएफएटीएम और आईबीआरडी (वैश्विक निधि के लिए न्यास निधि के न्यासी के रूप में) के बीच हुए ''मल्टी ईयर कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट'' के अनुसार भारत ने 2013-2016 के लिए जीएफएटीएम को 16.50 मिलियन अमरीकी डालर देने का वचन दिया है। भारत ने वर्ष 2013 के लिए (3 मिलियन अमरीकी डालर), 2014 और 2015 के लिए (प्रत्येक वर्ष के लिए 4.5 मिलियन अमरीकी डालर) अंशदान का पहले ही भुगतान कर दिया है।

तकनीकी सहयोग करार (टीसीए)

अफ्रीकी विकास बैंक की न्यास निधि में भारत के अंशदान का बैंक की वित्त पोषण परामर्श सेवाओं, प्रशिक्षण और अन्य तकनीकी आर्थिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मई, 2015 में टीसीए का 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया गया था और भारत के अंशदन को दोगुना अर्थात 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2015-16 के दौरान 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया जिसे करार के तहत प्रथम किश्त के रूप में जारी किया जाएगा।

परिणाम : विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एएफडीबी और एडीएफ को सहयोग करने के लिए भारत की अनुदान निधि का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुख्य शीर्ष 3466 - एशियाई विकास निधि-11, एडीबी के लिए अंशदान

एडीएफ की स्थापना 1973 में हुई थी और यह एडीबी की मौजूदा विशेष निधियों में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी निधि है। यह रियायती दर पर सहायता देने का बहुपक्षीय स्रोत है जो विशेष रूप से एशियाई और प्रशांत क्षेत्र की जरूरतों के लिए समर्पित है। एडीएफ एडीबी के ऐसे विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) को रियायती दर पर ऋण और अनुदान देने के लिए बनाया गया है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है और साख सीमित अथवा कम है। एडीएफ से सहायता प्राप्त कार्यकलापों से एशिया और प्रशांत क्षेत्र के गरीब देशों में गरीबी कम करने और जीवन शैली में सुधार को बढ़ावा मिलता है। एडीएफ एडीबी और उसके सदस्य देशों के बीच की एक साझेदारी है। मुख्य रूप से एडीबी सदस्यों के अंशदान से वित्त पोषित एडीएफ इस क्षेत्र के सर्वाधिक गरीब देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग करता है। अब तक, एडीबी के 33 सदस्य सीधे एडीएफ में अंशदान करते हैं। सितम्बर, 2014 से भारत एडीएफ का 34वां दाता सदस्य बन गया है। एडीबी में भारत का महत्व है। एशिया का उभरता हुआ राष्ट्र होने के नाते हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम एडीबी से संबंधित नीतिगत मामलों में अपनी बात को मजबूती से रखते रहें। एडीएफ का अंशदाता बनने से भारत न केवल एडीबी के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि एडीएफ से कर्ज लेने वाले देशों में भी उसका महत्व है।

एडीएफ देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए और एडीएफ देशों को कारगर और दक्ष तरीके से विकास संबंधी सहायता देने की एडीबी की क्षमता को देखते हुए, भारत ने उचित अनुमोदन से एडीएफ का अंशदाता बनने का निर्णय लिया है और प्रोमिसरी नोट की तीन किस्तों में 30 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है जिसका 16 किस्तों में नकदीकरण किया जाएगा। 1 अक्तूबर एवं 15 दिसम्बर, 2014 को प्रत्येक 2.7 मिलियन अमरीकी डॉलर की दो नकद किश्तों के साथ 2014-15 में 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के प्रामिसरी नोट की पहली किश्त का भुगतान किया गया है। 2015-16 हेतु की गई व्यवस्था के अनुसार, पहली जुलाई 2015 को 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के प्रामिसरी नोट की दूसरी किश्त का भुगतान किया गया था। इसके बाद भी, 2015 की स्वीकृत नकदी अनुसूची के अनुसार, अगस्त और दिसम्बर 2015 में दो किश्तों में कुल 5100,000 डॉलर का निष्पादन किया गया था।

परिणाम: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। भारत अन्य दाताओं के संघ में शामिल हो गया है जो एडीबी की नीतियों को प्रभावित करते हैं और जिसका एक बड़े उधारकर्ता देश के रूप में भारत पर प्रभाव पड़ता है। यह भारत को, इस क्षेत्र में अन्य देशों में एडीएफ निधि प्रवाह को प्रभावित करने के लिए वार्ताकारी प्रक्रिया का हिस्सा बनने में समर्थ बनाता है। भारत, एक एडीएफ दाता की हैसियत से, विशिष्ट देश अथवा देशों को सीधे एडीएफ अंशदान दे सकता है। इस एडीएफ अंशदान को कई देशों में द्विपक्षीय सहायता के लिए किए जा रहे हमारे प्रयासों को तीव्र करने में उपयोग में लाया जा सकता है। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक तरीके से इस क्षेत्र में एडीबी और इसके भागीदारों के साथ जुड़ने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

- **विश्व बैंक की बहुपक्षीय ऋण संबंधी राहत की पहल**

एमडीआरआई संकल्प के अंतर्गत भारत की वचनबद्धता 85,962,777 भारतीय रुपये है जिनका भुगतान तीन समान किश्तों में किया जाएगा (प्रत्येक किश्त 28,654,259 भारतीय रुपये)। जनवरी 2007 में पहली किश्त का भुगतान किया गया था और 2015-16 में दूसरी किश्त का भुगतान किया जाएगा। अंतिम किश्त का भुगतान 2026 में देय है।

परिणाम: विश्व बैंक के एमडीआरआई में भुगतान करने से आईडीए के पास उपलब्ध निधियों का विस्तार होगा जिसका फायदा सभी आईडीए देशों को मिलेगा।

एडीएफ की बहुपक्षीय ऋण राहत की पहल

2006-2054 तक की लंबी अवधि के दौरान, एमडीआरआई को भारत की प्रतिबद्धता 14,4186 मिलियन यू.ए. (1,011,071,238,40) का भुगतान करने की है जिसके लिए 2006-07 से 2014-15 के दौरान 13,04,22,962 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया है। 2015-16 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 2.57 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था है।

परिणाम: एडीएफ के एमडीआरआई को किए गए भुगतान से अफ्रीका में अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देशों (एचआईपीसी) के ऋण में राहत देने के कार्य से भारत की वचनबद्धता पूरी होगी।

- **साउथ-साउथ फेसिलिटी (अनुभव तथा एक्सचेंज)**

भारत 500,000 अमरीकी डॉलर का अंशदान करके जनवरी 2010 में एसएसएफ (साउथ-साउथ फेसिलिटी) का दाता/सदस्य बना। 2013-14 में प्रत्येक 1.365 करोड़ रुपये की दो समान किश्तों में कुल 2.73 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अंशदान भी किया गया। भारत साउथ-साउथ फेसिलिटी की प्रतिपूर्ति के लिए वित्त वर्ष 2015-16 में एक बार फिर से 500,000 अमरीकी डॉलर का अंशदान करेगा।

परिणाम: 30 अक्तूबर, 2014 की स्थिति के अनुसार, साउथ-साउथ फेसिलिटी एक्सचेंज ने भारत को ज्ञान प्रदाता और प्राप्त कर्ता दोनों के रूप में शामिल किया है जिससे भारत ज्ञान प्रदाता और प्राप्त कर्ता दोनों के संदर्भ में 10 शीर्षस्थ देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है।

- **मुख्य शीर्ष 3605-वैश्विक पर्यावरण फेसिलिटी (जीईएफ)**

जीईएफ सहमत वैश्विक पर्यावरण लाभों को प्राप्त करने के लिए सहमत वृद्धिशील उपायों की लागतों को पूरा करने के लिए नए एवं अतिरिक्त अनुदान तथा रियायती शर्तों पर वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। जीईएफ अपने पांच मुख्य क्षेत्रों: जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि अपरदन, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, रसायन एवं अपशिष्ट पदार्थों के संदर्भ में पात्र देशों को अनुदान प्रदान करता है। यह जैव विविधता से संबंधित अभिसमय (सीबीडी), संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन विषयक ढांचा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी), स्थायी जैविक प्रदूषकों (पीओपी) के संबंध में स्टॉकहोम अभिसमय, मरूभवन पर नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीसीडी), पारद के संबंध में मिनिमार्ट अभिसमय के लिए भी वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है तथा परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था वाले देशों

में ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के संबंध में मॉन्ट्रियल प्रोटोकाल के निष्पादन में प्रोटोकोल के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है।

भारत जीईएफ प्रक्रियाओं में आरंभ से ही सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। यह जीईएफ न्यास निधि का एक दाता रहा है। जीईएफ न्यास निधि की प्रतिपूर्ति हर चार वर्ष में ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है जिसमें जीईएफ न्यास निधि में अंशदान की इच्छा रखने वाले देश परस्पर चर्चा करके किए जाने वाले नीतिगत सुधारों, संसाधनों की प्रोग्रामिंग के संबंध में सहमत होते हैं और साथ ही संसाधनों के संबंध में अपनी वचनबद्धता व्यक्त करते हैं। जीईएफ न्यास निधि के प्रतिपूर्ति का पांचवां चक्र 30 जून, 2014 को पूरा हुआ तथा जीईएफ-6 (जीईएफ न्यास निधि के संसाधनों का छठी प्रतिपूर्ति) से जीईएफ के 1 जुलाई, 2014 से लेकर 30 जून, 2018 तक चार वर्षों के दौरान के प्रचालनों एवं क्रियाकलापों को वित्त पोषण प्राप्त होगा। न्यास निधि के संसाधनों की छठी प्रतिपूर्ति से संबंधित दूसरी किश्त के भुगतान के लिए 2015-16 में 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि का भुगतान किया गया है।

परिणामः भारत स्वयं एक बड़ा लाभ प्राप्त कर्ता देश है जिससे देश का महत्वपूर्ण हित-साधन होता है। जीईएफ की सदस्य ता पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण के प्रति भारत की वचनबद्धता दर्शाती है। इसके अलावा, यह इस क्षेत्र में अनेक परियोजनाओं का वित्त पोषण करके भारत के महत्वपूर्ण हितों को भी साधता है।

मांग संख्या 30 - वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग सरकारी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, कृषि ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा पेंशन सुधार से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। मुख्य कार्यकलापों को संक्षेप में नीचे दिया गया हैः

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक वार्षिक जीवन बीमा योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीकरणीय है, इसमें किसी भी कारण से मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए का कवरेज दिया गया है और 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्तियों (जीवन का कवर 55 वर्ष की आयु तक है), जिनके पास एक बैंक खाता हो और जो इस योजना से जुड़ने और अपने खाते से ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देते हैं, के लिए उपलब्ध है। 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत पात्रता के सत्यापन के अध्यधीन बैंक द्वारा सूचित समग्र नामांकन 2.92 करोड़ है। 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 11,680 दावे दर्ज किए गए जिनमें से 9,306 के संबंध में संवितरण कर दिया गया है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक वार्षिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीकरणीय है, यह 18 से 70 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्तियों, जिनके पास एक बैंक खाता हो और जो इस योजना से जुड़ने और अपने खाते से ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देते हैं, को किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु/अपंगता का कवरेज प्रदान करती है। 31 दिसम्बर, 2015 तक पीएमएसबीवाई के अंतर्गत बैंक द्वारा सूचित समग्र नामांकन 9.28 करोड़ से अधिक है, ये नामांकन पात्रता के सत्यापन के अध्यधीन हैं। 31 दिसम्बर, 2015 स्थिति के अनुसार, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दर्ज 2221 दावों में से 1209 दावों के संबंध में संवितरण कर दिया गया है।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक निर्धारित लाभ पेंशन योजना है, जिसे जून, 2015 में आरंभ किया गया था, 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार इसमें लगभग 18 लाख अभिदाता हैं और इस योजना का कुल कार्पस 262 करोड़ रुपए है। 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार 351 बैंकों को एपीवाई सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है, इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक और डाक विभाग शामिल हैं।
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) 55 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसे दिनांक 14.07.2003 को आरंभ किया गया था और दिनांक 08.07.2004 को बंद कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत पेंशन भोगी को निवेश पर 9% प्रतिवर्ष का प्रभावी प्रतिफल प्राप्त होता है। पेंशन भोगियों को प्रदत्त 9% के प्रभावी प्रतिफल तथा एलआईसी द्वारा अर्जित प्रतिफल के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एलआईसी को सब्सिडी के रुप में की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान वीपीबीवाई के अंतर्गत 111.24 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी और बजट अनुमान 2015-16 में 101.79 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ दिनांक 28.08.2014 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत बैंक खाते खोले गए तथा खाताधारकों को लाभ प्रदान किया गया। इस योजना के अंतर्गत एक लाभ यह है कि बीमित व्यक्ति, जो दिनांक 15.08.2014 से दिनांक 31.01.2015 के बीच अपना बैंक खाता खोलते हैं, के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है (निर्धारित पात्रता मानदंड के अध्यधीन)।

- आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा था। एलआईसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, एएबीवाई के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान 4.32 करोड़ जीवन को कवर किया गया है।

- किसानों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज सहायता- सरकार ब्याज सहायता योजना के जरिए किसानों को ऋण की ब्याज दर पर सहायता देती है ताकि 3 लाख रुपए तक का लघु अवधि फसल ऋण किसानों को 7% प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध हो। वर्ष 2015-16 के दौरान 13000 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 31 दिसम्बर, 2105 तक 12405.16 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

- सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनरूद्धार के लिए "इंद्रधनुष" योजना की घोषणा की है और इसके एक भाग के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएसबी बासेल-III के अनुरूप बने रहे एक पूंजीकरण कार्यक्रम की भी घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2015-2019 के बीच लगभग 70000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने हैं। प्रयुक्त मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सभी बैंकों का सीईटी-1 7.5 प्रतिशत पर बना रहे। इसके अलावा, बड़े बैंकों को बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं में सहायता के लिए संवृद्धि पूंजी भी दी गयी थी। पीएसबी के तुलन-पत्र को ठीक करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) कार्य के पश्चात् संख्याओं की पुनः जांच की जा रही है और "इंद्रधनुष 2.0" के भाग के रूप में पूंजीकरण के संशोधित कार्यक्रम जारी किए जाएंगे।

- भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के निर्गम अधिकार, 2008 में अभिदान के प्रति मोचनीय एसएलआर विपणनीय प्रतिभूति निर्गम के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2023-24 अर्थात 16 वर्षों के लिए इस निधि में 625 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अंतरण किया जाना है। तद्नुसार, बजट अनुमान 2016-17 में 625 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ)- एसएएसएफ ने गैर-ब्याज वाले भारत सरकार के आईडीबीआई विशेष प्रतिभूति 2004 में 9000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एसएएसएफ ने आईडीबीआई को 9000 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूति अंतरित की है और बदले में आईडीबीआई ने 9000 करोड़ रुपए के मूल्य का एनपीए एसएएसएफ को अंतरित किया है। मार्च, 2014 तक एसएएसएफ ने आईडीबीआई बैंक लि. से अर्जित एनपीए से की गई वसूली में से 4,414 करोड़ रुपए की राशि विप्रेषित कर दी है। यह अनुमान है कि एसएएसएफ वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि विप्रेषित करेगा।

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण - (9% की न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा को पूरा करने के लिए नाबार्ड की अनुशंसा पर) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सहित 39 आरआरबी को 1100 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार के भाग के प्रति दिनांक 31.03.2014 तक 1086.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पूर्व में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रयोग उस आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण उपलब्ध कराने के लिए किया जाना प्रस्तावित है जो 9% के न्यूनतम सीआरएआर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। बजट अनुमान 2015-16 में 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है। इनमें से मणिपुर ग्रामीण बैंक को पुनर्पूंजीकरण सहायता के रूप में 3.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त 140 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

- भारत सरकार ने निर्धारित लाभ की मौजूदा पेंशन प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आरंभ की है, जो सरकार में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार इस मॉडल के अंतर्गत 2142 कार्पोरेट तथा 4.42 लाख कर्मचारियों को नामांकित किया गया है। एनपीएस कार्पोरेट क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत एयूएम 8088.84 करोड़ रुपए है।

मांग संख्या 34 - व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार की समग्र सार्वजनिक व्यय-प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखता है। इसके प्रमुख कार्यों में प्रमुख स्कीमों और परियोजनाओं (योजना एवं गैर-योजना दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को केन्द्रीय बजट संसाधनों का पर्याप्त अंतरण तथा वित्त एवं केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है। व्यय विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित परिणाम बजट का संकलन करता है। विभाग के प्रमुख कार्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- योजना पक्ष की स्कीमों के लिए निधियां, योजना आयोग अब नीति आयोग/संबंधित नोडल मंत्रालय की सिफारिश पर जारी की जाती हैं। व्यय विभाग की मांग संख्या 32 (पहले मांग संख्या 37) में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु बजट प्राक्कलन 2015-16 में 36,000.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में से दिनांक 23.12.2015 तक 13,525.19 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके थे। विभिन्न कार्यक्रम लागू करने के लिए मांग सं. 32 (पहले मांग सं. 37) से सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता और विशेष केन्द्रीय सहायता, विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विशिष्ट स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए वर्ष 2015-16 में राजस्व खंड के तहत 4.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इस प्रावधान में से 3.00 करोड़ रुपए, केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के 120 अधिकारियों को स्नातकोत्तर व्यावसायिक प्रबंधन डिप्लोमा (पी.जी.डी.बी.एम.) - वित्त के आधारभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए हैं। वर्ष 2015-16 में विभिन्न केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा 73 उम्मीदवार प्रायोजित किए गए थे। राजस्व खंड के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से स्नातकोत्तर वित्तीय विपणन कार्यक्रम में केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 20 अधिकारियों को एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए है।
- लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, पूर्व में केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली, के लिए 2015-16 में तकनीकी पूरक मांग के दूसरे बैच के माध्यम से राजस्व खण्ड के तहत 37.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एक वेब आधारित अनुप्रयोग है जिसका लक्ष्य भारत सरकार के लिए लोक निधि-प्रबंधन हेतु एक उपयुक्त ऑन-लाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली और निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करना है। लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली नीति आयोग (योजना आयोग) की एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में शुरू की गई थी और अब सितम्बर, 2015 में व्यय विभाग के तहत हस्तांतरित कर दी गई है तथा महालेखानियंत्रक द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 4 राज्यों में 4 महत्वपूर्ण स्कीमों में सफल प्रायोगिक संचालन के बाद मंत्रिमंडल ने जनवरी, 2013 में लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने के लिए अनुमोदन दिया है। लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जनवरी, 2013 से शुरू किया गया था। 2015-16 में गैर-योजना भुगतान भी लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग कर रहे 94 भुगतान और लेखा कार्यालयों में शुरू हो गया है। इस प्रकार लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली भारत सरकार के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली मानी जा रही है।

मांग संख्या 37 - राजस्व विभाग

- मांग सं0 37 - राजस्व विभाग के अंतर्गत मुख्य व्यय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को क्षतिपूर्ति के लिए है जिसके लिए 10469.47 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। मूल्य वर्धित कर (वैट) संबंधी व्यय हेतु 2016-17 में 0.01 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य संबंधी व्यय के लिए 315.65 करोड़ रू0 का बजट रखा गया है। परिणामी बजट में शामिल किया गया अन्य गैर योजना व्यय मूल्यवर्धित कर (वैट) और माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीन) हेतु विशेष प्रायोजन वाहक को कार्यान्वित करने के संबंध में है।
- सरकार ने माल एवं सेवा कर नेटवर्क को सुचारू रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करने के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहक (एसपीवी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह केन्द्र और राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं प्रदान करेगा। एसपीवी को एक धारा 25 कंपनी के रूप में स्थापित किया जा चुका है। जीएसटीएनः एसपीवी हेतु वर्ष 2016-17 में 696.69 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

- गाजीपुर और नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य निर्यात के लिए कच्ची अफीम का प्रसंस्करण, अफीम क्षारोद का निर्माण और अन्य संबंधित कार्य करते हैं। उन्होंने 2014-15 में 208.80करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 287.82 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली की है। 2015-16 में 198.99 करोड़ रूपये (अनंतिम) के संशोधित अनुमान की तुलना में उन्होंने 312.70 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली की है।
- सरकार ने नई दिल्ली में 485.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्व भवन के निर्माण हेतु अनुमोदन दे दिया है। इस उद्देश्य के लिए 2016-17 में 50 करोड़ रुपए का एक प्रावधान रखा गया है।
- प्रशासनिक एवं समन्वय यूनिटों द्वारा परिणामी बजट से संबंधित अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की एक प्रणाली प्रारंभ की गई है। परिणामी बजट के तहत व्यय की प्रवृत्ति एवं प्रगति की मासिक एवं त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है। प्रमुख परियोजना मदों के संबंध में कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मानिटरिंग/कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के विशाल कम्प्यूटरीकरण उद्यम हेतु समन्वित प्रयासों तथा तेजी से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के श्रेष्ठ विशेषज्ञ भी सदस्य हैं।

अनुदान संख्या 38 - प्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) सर्वोच्च संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीडीटी की सहायता कई निदेशालयों द्वारा की जाती है व इन्हें प्रत्येक को विशिष्ट कार्य सुपुर्द किया जाता है जो इसके संबद्ध कार्यालय के रूप में काम करते हैं। विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं तथा पूरे देश में कर दाता सेवाएं प्रदान करते हैं जबकि आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन पर रोक लगाने एवं बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से जांच मशीनरी का पर्यवेक्षण करते हैं। अपीली मशीनरी भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) शामिल होते हैं जो सहायता करने वाले अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का निर्धारण करने संबंधी अर्द्ध न्यायिक कार्य करते हैं। मुख्य गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संशोधित अनुमानों 2015-16 में प्रदान 505.00 करोड़ रुपए के परिव्यय के सामने, 415.44 करोड़ रुपए 2015-16 के दौरान (दिसम्बर, 2015 तक) व्यय किए गए हैं।

- सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बजट अनुमान 2016-17 में 536.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसे अन्य बातों के साथ निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों/ योजनाओं पर खर्च किया जाना है :
  - आयकर विभाग में व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के चरण-।।। के लिए संदर्शी योजना
    - प्रणाली एकीकरण
    - अखिल भारतीय कर नेटवर्क
    - डाटा केंद्र हायर करना
    - 2003 से 2009 की अवधि के बकाया पैन फार्म का भौतिक भंडारण
    - 2003 से 2009 की अवधि के बकाया पैन फार्म की स्कैनिंग
  - कर सूचना नेटवर्क (टिन)
  - करदाता सेवाएं
  - आयकर संपर्क केन्द्र
  - आईटीआर की ई-फाइलिंग
  - करों का ई-पेमेंट
  - प्रतिदायों की ऑनलाइन ट्रैकिंग
  - प्रतिदाय बैंकर
  - केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग प्रकोष्ठ (सीपीसी) टीडीएस (कागज आधारित एवं ई-फाइल्ड दोनों)
  - डाटा वेयरहाउस एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एंड बी) समाधान
  - अनुपालना प्रबंधन (सीपीसी)
- विभिन्न स्थानों पर कार्यालय आवास की खरीद/निर्माण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में पूंजी खंड के अंतर्गत 148.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें सिविल लाइन, नागपुर में नए आयकर भवन एवं आवासीय क्वार्टर के निर्माण के लिए भूमि का क्रय और प्रताप नगर, उदयपुर में आवासीय क्वार्टरों, कार्यालय बिल्डिंग एमएसटीयू बिल्डिंग और अतिथि गृह इत्यादि के लिए भूमि का क्रय शामिल हैं।
- आवासीय बिल्डिंगों के निर्माण के लिए, 52.00 करोड़ रुपए के परिव्यय को बजट अनुमान 2016-17 में पूंजी खंड के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसमें हडपसर, पुणे में कम्युनिटी हाल, अतिथि गृह इत्यादि के साथ 40 फ्लैटों का निर्माण और तिरुपति, हैदाराबाद में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण शामिल हैं।
- विभाग द्वारा शुरू की गई पहलें तथा किए गए उपाय कर कानूनों एवं प्रक्रियाओं के सरलीकरण, करदाताओं को बेहतर सुविधा तथा करदाताओं एवं अधिकारियों के बीच ह्यूमन इंटरफेस न्यूनतम करने पर केन्द्रित हैं। अन्य बातों के साथ इनमें आयकर विवरणियां ऑनलाइन तैयार करने एवं दाखिल

करने की ऑन लाइन सुविधा, विवरणियों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग, प्रतिदाय बैंकर योजना जिसमें ईसीएस के माध्यम से करदाता के खाते में प्रतिदाय का सीधे क्रेडिट शामिल है, करों का ई-भुगतान, प्रतिदाय की आनलाइन ट्रैकिंग, कर विवरणी तैयारकर्ता योजना (टीआरपीएस), एकल खिड़की करदाता सेवा के लिए 60 आयकर सेवा केन्द्रों की स्थापना, आयकर संपर्क केन्द्र (काल सेंटर) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, हाल ही में नए सिरे से लिखे नागरिक चार्टर के आधार पर सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता के लिए सेवोत्तम योजना भी शुरू की गई है।

- इस अनुदान के अंतर्गत 2014-15 में वास्तविक व्यय 4328.97 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों के सामने 4163.12 करोड़ रुपए था जो कि 99.53 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2015-16 में, 31 दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक व्यय 4752.00 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों के सामने 3574.90 करोड़ रुपए था जोकि संशोधित अनुमान के 75.23 प्रतिशत उपयोग को दर्शाता है ।

मांग संख्या 39 - अप्रत्यक्ष कर

यह मांग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सेवा कर के उदग्रहण और संग्रहण, तस्करी तथा कर अपवंचन रोकने से संबंधित है। मुख्य क्रियाकलापों का नीचे उल्लेख किया गया है:-

- सी.बी.ई.सी. की, सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना समेकन परियोजना की 598.97 करोड़ रूपए की संशोधित लागत को 2007 में सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें सात घटक शामिल हैं जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क जो सभी कार्यालयों, बन्दरगाहों, हवाईअड्डों, कन्टेनर डिपो इत्यादि को जोड़ता है, डेटा वेयर हाऊस का गठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का आटोमेशन, प्रणाली एकीकरण, आयात की सुलभ निकासी के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली। परियोजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के ठेके, खुली संविदा के माध्यम से चुनिंदा वेन्डर को दिए गए। आई.टी. समेकन के अन्तर्गत सभी परियोजनाएं कार्यान्वित कर दी गई हैं तथा रख-रखाव के चरण में हैं। लगभग 170 करोड़ रू0 की कुल लागत की संवर्धित आईटी अवसंरचना और तकनीकी सहयोग के साथ परियोजना को 2016 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2016 के बाद वेन (डब्ल्यूएएन) तथा डाटा सेंटर को छोड़कर, विभिन्न आईटी घटकों के रख-रखाव तथा समर्थन के लिए ओपन टेंडर प्रोसेस को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।
- सभी प्रमुख सीमाशुल्क पत्तनों/हवाई अड्डों पर जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) प्रचालनरत है जो भारत के 95% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कवर करते हैं। आर एम एस का नया उन्नत रुपांतरण 89 अवस्थानों पर कार्यरत है। आर.एम.एस. निर्यात माड्यूल 89 स्थानों पर प्रचलन में है।
- कार्गो क्लीयरेंस हेतु 7 और कंटेनर स्कैनर (3 मोबाईल गामा रे स्कैनर और 4 फिक्स्ड एक्स-रे स्कैनर) प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है। मोबाईल और फिक्स्ड स्कैनरों को वर्ष 2015-16 में लगा दिए जाने की संभावना है। जल क्षेत्र में तस्करी रोधी संचालनों को सुदृढ़ करने के लिए 109 समुद्री जलयान भी प्राप्त किये जा चुके हैं। वर्ष 2016-17 के लिए कुल 70.00 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं के तहत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 में क्रमशः 27.42 करोड़ रू., 99.88 करोड़ रू., 78.64 करोड़ रु., 33.20 करोड़ रूपये, 46.52 करोड़ रूपये, 5.45 करोड़ रु, 14.80 करोड़ रू. तथा 18.29 करोड़ रु खर्च किए गए हैं। 2015-16 के दौरान, दिसम्बर, 2015 मे 16.76 करोड़ रू खर्च किए गए हैं।
- उत्पाद शुल्क, आय कर/कारपोरेट कर और सेवा कर का भुगतान करने वाले बड़े कर दाताओं के लिए बंगलौर, चेन्नई, मुम्बई और दिल्ली में सिंगल विंडो सेवा की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति अथवा कम्पनी जो पिछले किसी भी वर्ष के दौरान 10 करोड़ रू. से अधिक आय कर/कारपोरेट कर अथवा 5 करोड़ रू. उत्पाद शुल्क अथवा 5 करोड़ रू. सेवा कर का भुगतान कर चुका है, संबंधित बड़ी करदाता यूनिट को संबंधित बड़े करदाता के रूप में कार्य करने के विकल्प का चयन कर सकता है।
- राजस्वं का संग्रह करने, संगठनात्मिक दक्षता, आधारभूत संरचना तथा साधन में वृद्धि करने हेतु बेहतर प्रयासों में प्रोत्सा.हन के लिए संवृद्धकारी राजस्व का 1% उपयोग करने के लिए योजना बनाने हेतु राजस्वग उत्पादन करने वाले विभागों को अनुमति देते हुए व्यय प्रबंधन पर व्यय विभाग के दिशा निर्देशों/अनुदेशों के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने विभिन्न उद्देश्यों जैसे केन्द्रीय उत्पााद शुल्क तथा सीमा शुल्कर रेजों, में आधारभूत संरचना के क्षमता निर्माण/सुधार, संगठनात्मक क्षमता तथा बाहरी निवारक क्रियाविधियों आदि में वृद्धि के लिए वाहनों को किराए पर देने के लिए दिनांक 31.03.2015 को 224.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी का आबंटन किया है।

मांग संख्या 40 - विनिवेश विभाग

<u>अधिदेश</u>

विनिवेश विभाग मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की शेयरधारिता का विनिवेश करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उद्यमों में बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के जरिए केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामलों पर कार्रवाई करता है।

कार्यपद्धति

मौजूदा नीति में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में जन-स्वामित्व को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है, ताकि जनता उनकी संपत्ति और समृद्धि में हिस्सेदारी कर सके और इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी इक्विटी 51% से कम न होने पाए तथा प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास बना रहे।

2. विनिवेश संबंधी मौजूदा नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईस में अल्पांश हिस्सेदारी (केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की 49% इक्विटी का विनिवेश) की बिक्री के मामले में, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईस) का प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास रहेगा ;

(ii) इक्विटी संरचना, वित्तीय शक्ति, निधियों की आवश्यकता, संचालन का क्षेत्र आदि ऐसे घटक होते हैं, जो विनिवेश के एकसमान प्रतिमान की अनुमति नहीं देते; अतः विनिवेश पर गुणों तथा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा ;

(iii) नागरिकों का अधिकार है कि वे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों के हिस्से का मालिक बने; जिसके परिणामस्वरूप खुदरा शेयरधारिता में वृद्धि होनी चाहिए ;

(iv) सूचीबद्ध लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (जो अनिवार्य न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता, जो अब संशोधित करके 25% कर दी गई है, की शर्त पूरा नहीं करते) को सरकार द्वारा शेयरों की बिक्री या सीपीएसई द्वारा शेयरों के नए निर्गम या दोनों के संयोजन से इस शर्त का अनुपालक बनाया जाएगा।

विनिवेश और सूचीकरण के लाभ

3. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभप्रद उद्यमों के शेयरों के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण में अंतर्निहित लाभ होते हैं क्योंकि इससे बहुस्तरीय निगरानी तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे निगमित नियंत्रण में वृद्धि होने के साथ-साथ सीपीएसईस को पूंजी बाजार के माध्यम से संसाधनों तक पहुंच बनाने में निजी कंपनियों के समान मंच उपलब्ध होता है। इस प्रक्रिया से सूचीबद्ध सीपीएसईस में शेयरधारक मूल्य में वृद्धि होती है।

(क) सूचीबद्ध कंपनियां प्रकटीकरण के उच्च स्तर का अनुपालन करने के लिए कंपनी कानून/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अधिदेशित होती हैं। इससे बेहतर पारदर्शिता और विश्वसनीयता आएगी।

(ख) स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने से प्रबंधकीय जिम्मेवारी, सक्षमताओं और कार्यनिष्पादन में वृद्धि होती है।

(ग) निवेशक केन्द्रित अनुसंधान से जोखिमों के नियमित आधार पर तृतीय पक्ष पेशेवर मूल्यांकन के साथ-साथ प्रबंधन के लिए भावी संभावनाएं उपलब्ध होती हैं जिससे उसे उद्योग के साथ अपने व्यावसायिक मॉडल के लिए मानक निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

(घ) दैनिक खरीद-फरोख्त की मात्रा और मूल्य प्रबंधन के लिए एक बैरोमीटर का काम करते हैं और ये प्रबंधकीय निर्णयों के साथ-साथ कार्य स्थल की घटनाओं के प्रभाव के संबंध में जानकारी के एक समवर्ती स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक संवीक्षा के उच्चतर स्तरों से व्यवसाय के नैतिक आचरण को बढ़ावा मिलता है और निगमित संस्कृति में सुधार होता है।

(ड.) निवेशकों (शेयरधारकों) की प्रत्याशाओं से प्रबंधन पर फलदायी प्रभाव पड़ेगा, जिससे प्रबंधन उद्यम के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करने के लिए और दक्षतापूर्वक कार्य करेगा।

(च) यह पाया गया है कि अनिवार्य न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईस का स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण करने से उद्यम और सरकार की अवशिष्ट शेयरधारिता के साथ-साथ सूचीकरण के पश्चात जनता द्वारा धारित शेयरधारिता के मूल्य में सार्थक रूप से वृद्धि होती है।

(छ) सूचीकरण से सीपीएसईस के जन-स्वामित्व को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे सीपीएसईस की समृद्धि में भागीदारी और हिस्सेदारी को प्रोत्साहन मिलता है।

(ज) स्टॉक एक्सचेंजों में सीपीएसईस के सूचीकरण की प्रक्रिया से पूंजी बाजार के विकास और गहनता तथा इक्विटी संस्कृति के विस्तार में सुविधा होती है।

(झ) सरकार के लिए बजटीय संसाधन जुटाना।

विनिवेश से प्राप्त निधियों का उपयोग

4. जनवरी, 2005 में सरकार ने एक "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) का गठन करने का निर्णय लिया, जिसमें लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईस में सरकार की अल्पांश शेयरधारिता की बिक्री से प्राप्त धनराशि जमा कराई जानी थी। जनवरी-फरवरी, 2013 में इसके पुनर्गठन के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वित्त वर्ष 2013-14 से विनिवेश से प्राप्त धनराशि एनआईएफ के अधीन मौजूदा 'लोक लेखा' में जमा कराई जाएगी और यह राशि तब तक वहीं रहेगी, जब तक इसे अनुमोदित उद्देश्य हेतु निकाला या निवेशित न किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया था कि एनआईएफ का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा :-

- सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा राइट्स बेसिस पर जारी किए जा रहे शेयरों का पूर्वक्रय करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार के 51 प्रतिशत स्वामित्व में कोई कमी न आए।

- सेबी (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 के अनुसार प्रवर्तकों को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का अधिमानी आबंटन ताकि उन सभी मामलों में, जहां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उद्यम अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नई इक्विटी जुटाने का इच्छुक हो, वहां सरकारी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम न होने पाए।
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों का पुनः पूंजीकरण।
- सरकार द्वारा आरआरबी/आईआईएफसीएल/नाबार्ड/एक्जिम बैंक में निवेश।
- विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं में इक्विटी लगाना।
- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि0 और यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 में निवेश।
- भारतीय रेलवे में पूंजीगत व्यय के लिए निवेश।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान रेल मंत्रालय के पूंजीगत व्यय को पूरा करने और सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीस) के पुनःपूंजीकरण के लिए 29,438.42 करोड़ रुपये की धनराशि एनआईएफ में अंतरित की गई थी।

बजटीय लक्ष्य और उपलब्धि

5. वर्ष 2014-15 के लिए सीपीएसईस विनिवेश का लक्ष्य 43,425 करोड़ रुपए था। इस लक्ष्य के विरूद्ध सरकार ने 24,349 करोड़ रुपये (कर्मचारी ओएफएस के जरिए 72 करोड़ रुपये सहित) की धनराशि जुटाई थी।

6. वर्ष 2015-16 के दौरान विनिवेश के लिए बजट अनुमान 69,500 करोड़ रुपये है। इसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से 41,000 करोड़ रू. और "सामरिक विनिवेश" से 28,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस लक्ष्य के विरूद्ध सरकार ने (दिसंबर, 2015 के अंत तक) 04 सीपीएसईस अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी), विद्युत वित्त निगम (पीएफसी), ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीसीआईएल) और भारतीय तेल निगम (आईओसी) के निर्गमों के माध्यम से 12,701 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई है।

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का सारांश

(करोड़ रुपए)

विवरण	वास्तविक 2014-15			बजट अनुमान 2015-16			संशोधित अनुमान 2015-16			बजट अनुमान 2016-17		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 29 आर्थिक कार्य विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**9243.97**	**6028.01**	**15271.98**	**9598.20**	**8176.68**	**17774.88**	**5615.20**	**6167.63**	**11782.83**	**4550.00**	**7785.39**	**12335.39**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	9243.97	6028.01	15271.98	9598.20	8176.68	17774.88	5615.20	6167.63	11782.83	4550.00	7785.39	12335.39
जोड़ - पूंजी भाग	**365.00**	**9678.49**	**10043.49**	**512.50**	**5289.19**	**5801.69**	**1044.50**	**60840.78**	**61885.28**	**250.00**	**8220.70**	**8470.70**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	365.00	9678.49	10043.49	512.50	5289.19	5801.69	1044.50	60840.78	61885.28	250.00	8220.70	8470.70
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**9608.97**	**15706.50**	**25315.47**	**10110.70**	**13465.87**	**23576.57**	**6659.70**	**67008.41**	**73668.11**	**4800.00**	**16006.09**	**20806.09**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	9608.97	15706.50	25315.47	10110.70	13465.87	23576.57	6659.70	67008.41	73668.11	4800.00	16006.09	20806.09
मांग संख्या 30 वित्तीय सेवाएं विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**250.00**	**7660.33**	**7910.33**	**250.00**	**15061.80**	**15311.80**	**713.00**	**14932.21**	**15645.21**	**2785.00**	**1350.52**	**4135.52**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	250.00	7660.33	7910.33	250.00	15061.80	15311.80	713.00	14932.21	15645.21	2785.00	1350.52	4135.52
जोड़ - पूंजी भाग	**0503.30**	**566.26**	**15218.25**	**17495.00**	**...**	**17495.00**	**28405.00**	**161.04**	**28566.04**	**29620.00**	**...**	**29620.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	0503.30	566.26	11069.56	17495.00	...	17495.00	28405.00	161.04	28566.04	29620.00	...	29620.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**10753.30**	**8226.59**	**23128.58**	**17745.00**	**15061.80**	**32806.80**	**29118.00**	**15093.25**	**44211.25**	**32405.00**	**1350.52**	**33755.52**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	0753.30	8226.59	18979.89	17745.00	15061.80	32806.80	29118.00	15093.25	44211.25	32405.00	1350.52	33755.52
विनियोग संख्या 31 ब्याज संदाय												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**425098.26**	**425098.26**	**...**	**476089.17**	**476089.17**	**...**	**457440.42**	**457440.42**	**...**	**507669.95**	**507669.95**
भारित	...	*425098.26*	*425098.26*	...	*476089.17*	*476089.17*	...	*457440.42*	*457440.42*	...	*507669.95*	*507669.95*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	**425098.26**	**425098.26**	**...**	**476089.17**	**476089.17**	**...**	**457440.42**	**457440.42**	**...**	**507669.95**	**507669.95**
भारित	...	*425098.26*	*425098.26*	...	*476089.17*	*476089.17*	...	*457440.42*	*457440.42*	...	*507669.95*	*507669.95*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

विवरण	वास्तविक 2014-15			बजट अनुमान 2015-16			संशोधित अनुमान 2015-16			बजट अनुमान 2016-17		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 32												
राज्य सरकारों को अंतरण												
जोड़ - राजस्व भाग	**54071.52**	**69060.07**	**123131.59**	**23500.00**	**100569.52**	**124069.52**	**15950.00**	**105537.52**	**121487.52**	**12350.00**	**113546.36**	**125896.36**
भारित	...	*61813.32*	*61813.32*	...	*88864.52*	*88864.52*	...	*87414.52*	*87414.52*	...	*100646.36*	*100646.36*
स्वीकृत	54071.52	7246.75	61318.27	23500.00	11705.00	35205.00	15950.00	18123.00	34073.00	12350.00	12900.00	25250.00
जोड़ - पूंजी भाग	**11897.32**	**...**	**11897.32**	**12500.00**	**100.00**	**12600.00**	**12500.00**	**100.00**	**12600.00**	**12500.00**	**100.00**	**12600.00**
भारित	*11897.32*	...	*11897.32*	*12500.00*	*100.00*	*12600.00*	*12500.00*	*100.00*	*12600.00*	*12500.00*	*100.00*	*12600.00*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**65968.84**	**69060.07**	**135028.91**	**36000.00**	**100669.52**	**136669.52**	**28450.00**	**105637.52**	**134087.52**	**24850.00**	**113646.36**	**138496.36**
भारित	*11897.32*	*61813.32*	*73710.64*	*12500.00*	*88964.52*	*101464.52*	*12500.00*	*87514.52*	*100014.52*	*12500.00*	*100746.36*	*113246.36*
स्वीकृत	54071.52	7246.75	61318.27	23500.00	11705.00	35205.00	15950.00	18123.00	34073.00	12350.00	12900.00	25250.00
विनियोग संख्या 33												
ऋण की वापसी अदायगी												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**3707699.65**	**3707699.65**	**...**	**4233227.78**	**4233227.78**	**...**	**3539458.57**	**3539458.57**	**...**	**4406431.08**	**4406431.08**
भारित	...	*3707699.65*	*3707699.65*	...	*4233227.78*	*4233227.78*	...	*3539458.57*	*3539458.57*	...	*4406431.08*	*4406431.08*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	**3707699.65**	**3707699.65**	**...**	**4233227.78**	**4233227.78**	**...**	**3539458.57**	**3539458.57**	**...**	**4406431.08**	**4406431.08**
भारित	...	*3707699.65*	*3707699.65*	...	*4233227.78*	*4233227.78*	...	*3539458.57*	*3539458.57*	...	*4406431.08*	*4406431.08*
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 34												
व्यय विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**3.50**	**139.22**	**142.72**	**4.00**	**152.84**	**156.84**	**44.30**	**151.73**	**196.03**	**60.00**	**166.65**	**226.65**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	3.50	139.22	142.72	4.00	152.84	156.84	44.30	151.73	196.03	60.00	166.65	226.65
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**3.50**	**139.22**	**142.72**	**4.00**	**152.84**	**156.84**	**44.30**	**151.73**	**196.03**	**60.00**	**166.65**	**226.65**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	3.50	139.22	142.72	4.00	152.84	156.84	44.30	151.73	196.03	60.00	166.65	226.65

विवरण	वास्तविक 2014-15			बजट अनुमान 2015-16			संशोधित अनुमान 2015-16			बजट अनुमान 2016-17		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 35												
पेंशन												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**25297.72**	**25297.72**	**...**	**27285.00**	**27285.00**	**...**	**27785.00**	**27785.00**	**...**	**32070.00**	**32070.00**
भारित	...	*127.09*	*127.09*	...	*140.00*	*140.00*	...	*140.00*	*140.00*	...	*160.00*	*160.00*
स्वीकृत	...	25170.63	25170.63	...	27145.00	27145.00	...	27645.00	27645.00	...	31910.00	31910.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	**25297.72**	**25297.72**	**...**	**27285.00**	**27285.00**	**...**	**27785.00**	**27785.00**	**...**	**32070.00**	**32070.00**
भारित	...	*127.09*	*127.09*	...	*140.00*	*140.00*	...	*140.00*	*140.00*	...	*160.00*	*160.00*
स्वीकृत	...	25170.63	25170.63	...	27145.00	27145.00	...	27645.00	27645.00	...	31910.00	31910.00
मांग संख्या 36												
भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**3215.36**	**3215.36**	**...**	**3662.39**	**3662.39**	**...**	**3416.09**	**3416.09**	**...**	**3922.77**	**3922.77**
भारित	...	*102.56*	*102.56*	...	*117.05*	*117.05*	...	*114.72*	*114.72*	...	*129.63*	*129.63*
स्वीकृत	...	3112.80	3112.80	...	3545.34	3545.34	...	3301.37	3301.37	...	3793.14	3793.14
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**6.20**	**6.20**	**...**	**15.00**	**15.00**	**...**	**7.50**	**7.50**	**...**	**11.50**	**11.50**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	6.20	6.20	...	15.00	15.00	...	7.50	7.50	...	11.50	11.50
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	**3221.56**	**3221.56**	**...**	**3677.39**	**3677.39**	**...**	**3423.59**	**3423.59**	**...**	**3934.27**	**3934.27**
भारित	...	*102.56*	*102.56*	...	*117.05*	*117.05*	...	*114.72*	*114.72*	...	*129.63*	*129.63*
स्वीकृत	...	3119.00	3119.00	...	3560.34	3560.34	...	3308.87	3308.87	...	3804.64	3804.64
मांग संख्या 37												
राजस्व विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**11332.52**	**11332.52**	**...**	**16081.69**	**16081.69**	**...**	**17072.25**	**17072.25**	**...**	**11869.01**	**11869.01**
भारित	...	...	...	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*
स्वीकृत	...	11332.52	11332.52	...	16081.67	16081.67	...	17072.23	17072.23	...	11868.99	11868.99
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**0.21**	**0.21**	**...**	**106.00**	**106.00**	**...**	**10.00**	**10.00**	**...**	**56.00**	**56.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	0.21	0.21	...	106.00	106.00	...	10.00	10.00	...	56.00	56.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	**11332.73**	**11332.73**	**...**	**16187.69**	**16187.69**	**...**	**17082.25**	**17082.25**	**...**	**11925.01**	**11925.01**
भारित	...	...	...	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*
स्वीकृत	...	11332.73	11332.73	...	16187.67	16187.67	...	17082.23	17082.23	...	11924.99	11924.99

विवरण	वास्तविक 2014-15			बजट अनुमान 2015-16			संशोधित अनुमान 2015-16			बजट अनुमान 2016-17		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 38												
प्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**4093.25**	**4093.25**	**...**	**4832.36**	**4832.36**	**...**	**4610.00**	**4610.00**	**...**	**5187.00**	**5187.00**
भारित	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
स्वीकृत	...	4093.25	4093.25	...	4832.36	4832.36	...	4610.00	4610.00	...	5187.00	5187.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**69.87**	**69.87**	**...**	**576.20**	**576.20**	**...**	**142.00**	**142.00**	**...**	**202.00**	**202.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	69.87	69.87	...	576.20	576.20	...	142.00	142.00	...	202.00	202.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	**4163.12**	**4163.12**	**...**	**5408.56**	**5408.56**	**...**	**4752.00**	**4752.00**	**...**	**5389.00**	**5389.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...		...	...	...	...
स्वीकृत	...	4163.12	4163.12	...	5408.56	5408.56	...	4752.00	4752.00	...	5389.00	5389.00
मांग संख्या 39												
अप्रत्यक्ष कर												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**4164.24**	**4164.24**	**...**	**5001.49**	**5001.49**	**...**	**4471.70**	**4471.70**	**...**	**5140.50**	**5140.50**
भारित	...	...	...	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*
स्वीकृत	...	4164.24	4164.24	...	5000.99	5000.99	...	4471.20	4471.20	...	5140.00	5140.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**128.80**	**128.80**	**...**	**663.61**	**663.61**	**...**	**128.80**	**128.80**	**...**	**200.00**	**200.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	128.80	128.80	...	663.61	663.61	...	128.80	128.80	...	200.00	200.00
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	**4293.04**	**4293.04**	**...**	**5665.10**	**5665.10**	**...**	**4600.50**	**4600.50**	**...**	**5340.50**	**5340.50**
भारित	...	...	...	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*
स्वीकृत	...	4293.04	4293.04	...	5664.60	5664.60	...	4600.00	4600.00	...	5340.00	5340.00
मांग संख्या 40												
विनिवेश विभाग												
जोड़ - राजस्व भाग	**...**	**22.35**	**22.35**	**...**	**44.00**	**44.00**	**...**	**35.00**	**35.00**	**...**	**40.00**	**40.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	22.35	22.35	...	44.00	44.00	...	35.00	35.00	...	40.00	40.00
जोड़ - पूंजी भाग	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ (राजस्व और पूंजी)	**...**	**22.35**	**22.35**	**...**	**44.00**	**44.00**	**...**	**35.00**	**35.00**	**...**	**40.00**	**40.00**
भारित	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	...	22.35	22.35	...	44.00	44.00	...	35.00	35.00	...	40.00	40.00

आर्थिक कार्य विभाग

प्रस्तावना

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार और मॉनीटर करता है। इनका आर्थिक प्रबन्धन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। इस विभाग की एक प्रमुख जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय बजट (रेल बजट को छोड़कर) और आर्थिक समीक्षा को तैयार करना है। अन्य मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

- बृहत आर्थिक नीतियों को तैयार और मॉनीटर करना जिनके अंतर्गत शामिल हैं - राजकोषीय नीति और लोक वित्त, मुद्रास्फीति, लोक ऋण प्रबंधन और पूंजी बाजार एवं स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यकरण से संबंधित विषय; तथा बाजार उधारों और लघु बचतों के जरिए आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए अर्थोपाय;
- बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता और सार्वभौम विदेशी उधारों, विदेशी निवेशों के जरिए विदेशी संसाधनों की मॉनीटरिंग एवं उन्हें जुटाना तथा भुगतान संतुलन सहित विदेशी मुद्रा संसाधनों की मॉनीटरिंग करना;
- विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोटों एवं सिक्कों, डाक-लेखन सामग्री, डाक टिकटों आदि का उत्पादन करना; और
- भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अधिकारियों का संवर्ग प्रबन्धन, करियर प्लानिंग और प्रशिक्षण।

इस मांग में, बजट का अधिकांश हिस्सा लाभांश राहत के लिए रेलवे को सब्सिडी, स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर रेलवे को हुई क्षतियों की प्रतिपूर्ति, रेलवे सुरक्षा कार्यों के लिए अंशदान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष/एशियाई विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं को अभिदान, भारत सरकार के लिए एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता, अन्य विकासशील देशों को रियायती ऋण श्रृंखलाएं, एनसीईएफ और भारतीय रिजर्व बैंक को की गई सिक्कों की आपूर्ति की लागत देने के लिए है। इसके अलावा, किए जाने वाले व्यय में इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई); प्रतिभूति अपील अधिकरण (एसएटी); वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) तथा अंतरराष्ट्रीय निकायों को दिया जाने वाला भारत सरकार का अंशदान विषयक व्यय सम्मिलित है। अतः बहुत कम ऐसे क्रियाकलाप और परिव्यय हैं, जिन्हें मूर्त, निर्धारित करने योग्य/मापीय शब्दों में वर्णित किया जा सके। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ''परिव्यय'' और ''परिणाम'' के रूप में दर्शित करते हुए आयोजना और आयोजना-भिन्न कार्यकलापों का वर्णन निम्नलिखित विवरणों में दिया गया है:

परिव्यय और परिणाम का विवरण 2016-17

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक उपलब्धियां	लक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) ब.बाह्य संसा.				
1.	**मुख्य शीर्ष 3605 - भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता**	**भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीएएस)**- ऋण श्रृंखलाएं (एलओसी) भारत की राजनयिक कार्यनीति का महत्वपूर्ण घटक हैं और ये सद्भाव पैदा करने एवं दीर्घावधिक भागीदारियां निर्मित करने में बहुत उपयोगी हैं। यह योजना विकासशील देशों के लिए भारत को उभरती आर्थिक शक्ति, निवेशकर्ता देश और भागीदार के रूप में स्थापित करके विदेशों में भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।	572.00	...	...	भारत सरकार उधारदाता बैंक के पक्ष में गारंटी विलेख जारी करके ऋण श्रृंखलाओं को सहायता देती है ताकि उधारदाता बैंक को ब्याज और मूल राशि की अदायगी में उधारकर्ता सरकार द्वारा की जाने वाली अदायगी में किसी चूक से सुरक्षा दी जा सके। भारत सरकार उधारदाता बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आईईएस) भी देती है ताकि वह रियायती दरों पर उधार देने में समर्थ हो सके।	ऋण श्रृंखलाएं (एलओसी) भारत की राजनयिक कार्यनीति का महत्वपूर्ण घटक हैं और ये सद्भाव पैदा करने एवं दीर्घावधिक भागीदारियां निर्मित करने में बहुत उपयोगी हैं। यह योजना विकासशील देशों के लिए भारत को उभरती आर्थिक शक्ति, निवेशकर्ता देश और भागीदार के रूप में स्थापित करके विदेशों में भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।	इस प्रावधान का उपयोग 31 मार्च, 2017 तक किया जाना है।	यदि प्राप्त कर्त्ता देश अदायगी नहीं करता है, भारत सरकार एग्जिम बैंक को राशि की अदायगी करेगी क्योंकि भारत सरकार की गारंटी एग्जिम बैंक को ऋण श्रृंखलाओं के संबंध में दी गई है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) आयोजना-भिन्न	4(ii) आयोजना	4(iii) ब.बाह्य संसा.				
1.	**मुख्य शीर्ष 3605 - भारतीय कंपनियों को ब्याज समकरण सहायता**	एक्जिम बैंक को किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कंपनी को रियायती वित्त साधन की पेशकश करने में समर्थ बनाना, यदि निवासी भारतीय नागरिक के स्वामित्वाधीन और घरेलू उत्पादन कर रही कोई भारतीय कंपनी ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा निविदत्त किसी परियोजना के निष्पादन हेतु संविदा प्राप्त करने में सफल हो जाती है और परियोजना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है।	500.00	...	...	भेल को बंगलादेश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित मैत्री विद्युत परियोजना के लिए एल1 के रूप में घोषित कर दिया गया है। इस योजना से धनराशि की पहली किस्त का भुगतान 2016-17 से शुरू होगा जो कम से कम 100.00 भारतीय करोड़ रुपए तक का होगा।	इस योजना की दो वर्ष के बाद समीक्षा की जाएगी और उपयोगी पाए जाने पर ही जारी रखी जाएगी। इसलिए कोई भी भावी अनुमान इस समीक्षा के बाद ही प्रासंगिक होंगे।	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में बनी समिति इस परियोजना के सामरिक महत्व के संबंध में निर्णय लेगी। समिति द्वारा हरी झण्डी दिखाए जाने के बाद ही एक्जिम बैंक उन भारतीय कंपनियों को इस योजना के तहत रियायती वित्त पोषण प्रदान करने की पेशकश करेगा जो विदेशों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बोली प्राप्त करने में सफल होती हैं।	
2.	**मुख्य शीर्ष 5466 - एआईआईबी के पूंजी अभिदान की किस्त के भुगतान हेतु भारत का अंशदान**	24 जून, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी कि भारत एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के अनुच्छेद करार पर हस्ताक्षर कर सकता है और यह भी कि भारत इस बैंक के पूंजी स्टाक में 8.37 बिलियन अमरीकी डालर का पूंजी अंशदान कर सकता है। इस राशि का 20 प्रतिशत अमरीकी डालर में अथवा किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में 5 बराबर किस्तों (334.69 मिलियन अमरीकी डालर प्रत्येक) में नकद में किया जाना है।	2220.00	...	...	पूंजी अंशदान की पहली किस्त (334.69 मिलियन अमरीकी डालर) का भुगतान 24 जनवरी, 2016 पहले किया है ताकि बीओडी/बीओजी की बैठक में मताधिकार प्राप्त किया जा सके। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एआईआईबी के अनुच्छेद करार का अनुसमर्थन करने के संबंध में भारत के प्रस्ताव और इसका वित्त पोषक सदस्य होने का अनुमोदन कर दिया है।	एआईआईबी को भारत के पूंजी अंशदान की शेष किस्तें (334.69 मिलियन अमरीकी डालर प्रत्येक) 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में अदा की जानी होगी।	पहली किस्त के भुगतान के बाद दूसरी किस्त का भुगतान इस करार के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के बाद किया जाना होगा। अगली तीन किस्तों के लिए भुगतान पिछली किस्त के देय होने की तारीख से एक वर्ष बाद किया जाना होगा।	

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) **आयोजना-भिन्न**	**4**(ii) **आयोजना**	**4**(iii) **ब.बाह्य संसा.**				
3.	**मुख्य शीर्ष 5466** -ब्रिक्स, एनडीबी के लिए पूंजी अभिदान की किस्त का भुगतान करने हेतु भारत का अंशदान	ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) जुलाई 2015 के प्रारम्भ में, भारत सहित, सभी ब्रिक्स देशों द्वारा अंतर सरकारी करार (आईजीए) के अनुसमर्थन के बाद स्थापित हुआ। बैंक के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 9 के अनुसार, बैंक की प्रदत्त पूंजी स्टॉक के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किस्त आईजीए के प्रवृत्त होने के 6 माह के भीतर डालर के रूप में भारत द्वारा अदा की जानी होगी।	1652.00	...	...	भारत को पहली किस्त अनुसमर्थन के बाद छह माह में अदा करनी होगी।	एनडीबी के लिए भारत के पूंजी अंशदानों की शेष किस्तें 2016-17, 2017-18 और 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में अदा की जाएंगी।	पहली किस्त की अदायगी के बाद, दूसरी किस्त करार के प्रवृत्त के 18 माह बाद अदा की जानी होगी। उत्तरवर्ती तीन किस्तों के लिए, भुगतान उस तारीख से, जब से पूर्ववर्ती किस्त देय हुई है, एक वर्ष में देय होगी।	

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

आधारभूत ढांचा विकास हेतु सहायता (आयोजना)

अवसंरचना परियोजनाओं की एक विशेषता यह है कि परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न सकारात्मक परिणाम केवल परियोजना राजस्व से ही हासिल नहीं किए जा सकते। इसलिए, परियोजना आर्थिक रूप से आवश्यक परंतु वाणिज्यिक रूप से अव्यावहारिक हो सकती है। ऐसी परियोजनाएं, जो आंशिक रूप से व्यवहार्य या अव्यवहार्य हैं, को अनुदान के माध्यम से वित्तीय तौर पर आकर्षक बनाया जा सकता है। सरकार ने अवसंरचना में ऐसी परियोजना के लिए *अर्थक्षमता अंतराल निधियन* व्यवस्था तैयार की है। अब तक, 202 परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया जा चुका है तथा 56 परियोजनाएं, जिनकी कुल परियोजना लागत (टीपीसी) रू.31,796.62 करोड़ है, को रू. 5283.55 करोड़ की वीजीएफ सहायता के लिए अंतिम अनुमोदन दे दिया गया है। रू. 1043.50 करोड़ के संशोधित अनुमान के बजट प्रावधान में से, वीजीएफ स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 में (20 जनवरी 2016 तक) 672.51 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की जा चुकी है। प्रायोजक प्राधिकरण की आवश्यकताओं एवं पहले से अंतिम अनुमोदन प्राप्त अनेक योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर ब.अ. 2016-17 में 800.00 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान मांगा गया है।

पीपीपी रियायतों के संविदा-पश्च प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन सामग्रीः *"राजमार्ग, पत्तन और स्कूल"*

आर्थिक कार्य विभाग ने राजमार्गों, बंदरगाहों और स्कूल संबंधी क्षेत्रों के लिए संविदा किए जाने के बाद मार्गदर्शन के लिए प्रबंधन सामग्री तैयार की है, जिसमें दिशानिर्देश, मैनुअल और ऑनलाइन टूलकिट शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए संविदा पश्चात प्रबंधन के मूल सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें रियायत अनुबंधों में शामिल संविदागत दायित्वों के आधार पर तैयार किए गए मैनुअलों में क्षेत्र विशेष के अनुकूल बनाया गया है। एक सहक्रियात्मक वेब- आधारित टूलकिट के जरिए इन्हें और सुगम बनाया गया है। इस टूलकिट को आर्थिक कार्य विभाग के पीपीपी प्रकोष्ठ की वेबसाइट अर्थात pppindia.com के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। इन्हें परियोजना प्रबंधन करने में परियोजना प्राधिकारियों को व्यावहारिक प्रयोग आधारित सहायता देने के लिए तैयार किया गया है। आशा है कि यह टूलकिट पीपीपी परियोजनाओं के संविदा-पश्चात प्रबंधन के लिए सभी परियोजना अधिकारियों के लिए एकल स्रोत आधार के रूप में विकसित हो पाएगी।

पीपीपी संविदाओं के पुनः निर्धारण के लिए फ्रेमवर्क विकसित करना

भारत सरकार की अनेक नीतियों एवं संस्थागत पहलों के कारण भारत विश्व में अग्रणी सरकारी निजी भागीदारी बाजार के रूप में उभरा है। भारत ने केंद्रीय सरकार के स्तर पर पीपीपी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए मजबूत ढांचा भी विकसित किया है।

आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने पीपीपी करार के पुनः निर्धारण करने या उसके संशोधन, विशेष कर राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख पत्तन सुविधाओं (पुनः निर्धारण रिपोर्ट) के संबंध में फ्रेमवर्क तैयार किया है। फ्रेमवर्क ऐसे अनेक मुद्दों की पहचान एवं वर्गीकरण करता है जिन पर पीपीपी रियायतों के पुनः निर्धारण के लिए विचार किया जा सकता है तथा पुनः निर्धारण के लिए विभिन्न विकल्प एवं संस्तुतियां (ट्रीगर्स) करता है।

पुनः निर्धारण रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर, आर्थिक कार्य विभाग इस समय मौजूदा एमसीए में अपेक्षित संशोधनों/आशोधनों की पहचान करने, जिन्हें एमसीए में शामिल किए जाने वाले नए खंडों की पहचान करने के लिए किया जाना है, के साथ-साथ विनियामक एवं नीतिगत व्यवस्था, जो कि उक्त संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होंगी, के लिए कार्य कर रहा है।

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी पर पुनः विचार और पुनरूद्धार संबंधी समितिः- केन्द्रीय बजट 2015-16 में, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि अवसंरचना विकास की पीपीपी प्रक्रिया पर पुनर्विचार और पुनरूद्धार किया जाना है। इस घोषणा के अनुसरण में, अवसंरचना विकास के पीपीपी मॉडल पर पुनर्विचार और पुनरूद्धार संबंधी समिति गठित की गई थी जिसके डॉ. अध्यक्ष विजय केलकर थे। समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, पीपीपी रूपरेखा के अंतर्गत अवसंरचना विकास की उपलब्धियों पर विचार किया गया है तथा अवसंरचना सेवा प्रदान करने में पीपीपी मार्ग को बेहतर ढंग से अपनाने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। समिति ने पुराने मुद्दों के समाधान, नीति अभिशासन तथा संस्थागत क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण, आदि की भी सिफारिश की है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वेबसाइट (http//finmin.nic.in/reports/Report/RevisitingRevitalisingPPPModel.pdf) पर उपलब्ध है।

अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग- भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता

"भारतीय विकास तथा आर्थिक सहायता योजना" आईडियाज के अधीन रियायती ऋण श्रृंखलाओं के विस्तार का परिचालन भारतीय एक्जिम बैंक के माध्यम से होता है। इस योजना के तहत, भारत सरकार एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता प्रदान करती है (अर्थात एक्जिम बैंक की ब्याज दर तथा रियायती ब्याज दर में मौजूद अंतर जिस पर ऋण श्रृंखला (एलओसी) प्रदान की जाती है। अधिकांश मामलों में, भारत सरकार एक्जिम बैंक को मूलधन के भुगतान तथा ब्याज अदायगी की गारंटी भी देती है। एक्जिम बैंक को वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 में 1 अप्रैल, 2015 से 23 दिसंबर, 2015 तक की अवधि के दौरान 193,93,00,857/- रु. की राशि ब्याज समकरण सहायता के रूप में प्रदान की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 02.12.2014 से 23.12.2015 की अवधि के बीच, भारत सरकार के इस विभाग द्वारा एक्जिम बैंक को निम्नलिखित ब्याज समकरण सहायता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई हैः-

क्रम सं.	उधारकर्ता	एलओसी की राशि (यूएस मिलियन डॉलर में)
1.	तंजानिया सरकार[*]	92.18
2.	बेलारूस सरकार[*]	100.00
3.	आसियान सदस्य देश[*]	1000.00
4.	जॉर्डन सरकार[*]	100.00
5.	मंगोलिया सरकार[*]	1000.00

[*] **सिद्धांततः अनुमोदन**

उपर्युक्त सभी ऋण श्रृंखलाओं को परिचालित करने के लिए एक्जिम बैंक अगली आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

टीका एवं प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक गठबंधन (जीएवीआई-गवी)

जीवन रक्षक टीकों की प्राप्ति में व्याप्त पारंपरिक अन्तराल को कम करने एवं शिशु मृत्यु-दर को कम करने के लिए वर्ष 2000 में गवी गठबंधन

(पूर्ववर्ती टीका एवं प्रतिरक्षण के लिए वैश्विक संधि) की स्थापना की गई। गवी का मिशन है, गरीब देशों के लोगों की प्रतिरक्षण तक पहुँच में वृद्धि करके बच्चों का जीवन बचाना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। एक अनुमान के मुताबिक, गवी ने वर्ष 2015 तक लगभग 12 बिलियन अमरीकी डॉलर के अंशदान के साथ 500 मिलियन अतिरिक्त बच्चों के प्रतिरक्षण में और लगभग सात मिलियन संभावित मृत्यु के रोकथाम में अपना योगदान दिया है।

भारत सिर्फ प्राप्त कर्ता ही नहीं है, अपितु गवी गठबंधन का अंशदाता भी है। भारत ने गवी गठबंधन को वर्ष 2013-14 से लेकर 2016-17 के लिए प्रतिवर्ष 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के अंशदान का वचन दिया है। इस उद्देश्य से जनवरी, 2014 में भारत सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग और गवी गठबंधन के बीच एक ''अंशदान करार'' पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2014 के दौरान, वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए भारत के अंशदान की दो किस्तों के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष के हिसाब से गवी गठबंधन को भुगतान किया गया है। 2015-16 के लिए भारत के अंशदान की तीसरी किस्त नवंबर, 2015 में अदा की गई है।

एड्स, क्षयरोग एवं मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि (जीएफएटीएम)

एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक निधि (वैश्विक निधि/जीएफएटीएम) एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन संगठन है, जिसका लक्ष्य एचआईवी और एड्स, क्षयरोग एवं मलेरिया के इलाज एवं रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना और वितरण करना है। यह सरकारी-निजी भागीदारी वाला संगठन है जिसका सचिवालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन जनवरी, 2002 से कार्यशील है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2002 से जीएफएटीएम सहायता प्राप्त कार्यक्रमों ने 17 मिलियन जिंदगियां बचाई हैं। भारत में जीएफएटीएम सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

27 जनवरी, 2014 को भारत सरकार, जीएफएटीएम और आईबीआरडी (वैश्विक निधि के लिए न्यास निधि के न्यासी के रूप में) के बीच हुए ''मल्टी ईयर कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट'' के अनुसार भारत ने 2013-2016 के लिए जीएफएटीएम को 16.50 मिलियन अमरीकी डालर देने का वचन दिया है। भारत ने वर्ष 2013 के लिए (3 मिलियन अमरीकी डालर), 2014 और 2015 के लिए (प्रत्येक वर्ष के लिए 4.5 मिलियन अमरीकी डालर) अंशदान का पहले ही भुगतान कर दिया है।

परिव्यय 2014-15 के अनुसार परिणाम की प्राप्तिथिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (₹ करोड़)		प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च, 2015 तक की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों हेतु रेलवे सुरक्षा निर्माण के लिए अंशदान। (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानव-तैनात व्यस्त रेलवे क्रासिंग्स पर ऊपर के और नीचे के पुलों के निर्माण तथा मानव-रहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेल सुरक्षा कार्यों में वित्त पोषण हेतु किया जाएगा ताकि सुरक्षित और सुचारु यातायात सुनिश्चित किया जा सके।	1496.00 (आयोजना)	1496.00 (आयोजना)	- 931 स्थानों (संशोधित लक्ष्य 730) पर व्यक्तियों की तैनाती। - मानव तैनाती वाले सभी गेटों (198) पर टेलीफोन लगाया जाना। - 225 अवस्थितियों की तुलना में 213 पर इंटरलॉकिंग। - सीमित ऊचाई वाले 650 सबवे का निर्माण (संशोधित लक्ष्य 650)। सड़क के उपर के/नीचे के 128 पुलों का निर्माण (संशोधित लक्ष्य 177)।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए, गेटेड / लिफ्टिंग बैरियर्स का निर्माण किया जाना है और ड्यूटी हट्स/ गेट लॉजों का निर्माण गेटकीपरों के लिए किया जाना है। योग्य/ उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन किया जाना है और उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - इस प्रक्रिया में सड़क पर वाहनों की अबाध आवाजाही के लिए षट्कोणीय ब्लाक, सही ढाल, समतल सड़कों और किनारों का स्तरोन्नयन और रख-रखाव शामिल है। - स्टेशन से लेवल क्रॉसिंग स्थान के बीच केबल बिछाना और उपस्करों की व्यवस्था करना। - लागत विभाजन आधार पर व्यस्त लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर सड़क उपरिसेतुओं / सड़क अधोसेतुओं की व्यवस्था की जाती है। 1 लाख से अधिक की क्षमता की ट्रेन	सड़क के ऊपर/नीचे पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है और कभी-कभी संविदा संबंधी समस्या / भूमि की अनुपलब्धता, सड़क यातायात को मोड़ने, लेवल क्रॉसिंग गेटों के स्थानांतरण में विलंब, राज्य सरकार के पास निधि के संकट, दो एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे रोड ओवर ब्रिज के ब्रिज भाग और अप्रोच भाग के कारण, रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हो जाता है।	1496.00 करोड़ रुपए के संपूर्ण परिव्यय की राशि जारी की जा चुकी है। निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल हुई हैं: - 931 स्थानों पर व्यक्तियों की तैनाती। - 213 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - 198 स्थानों पर टेलीफोन। - 650 सबवे का निर्माण कार्य पूरा हुआ। - सड़क के ऊपर/ नीचे 128 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किया गया सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						व्हीकल यूनिटों वाले आरओबी/आरयूबी का प्रस्ताव उपक्रमों वाले राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा अर्थात आरओबी पूर्ण करने के बाद लेबल क्रॉसिंग के समापन जैसी सहमति के साथ समान लागत विभाजन करने, विलंगम मुक्त भूमि की व्यवस्था आदि के पश्चात 50:50 के लागत विभाजन आधार पर प्रायोजित किया जाता है।		
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण का प्रावधान करके अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	670.00 (आयोजना)	520.00 (आयोजना)	इस स्कीम के अंतर्गत 80,894.57 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 16,005.37 करोड़ रुपए की वीजीएफ सहायता से आज की तारीख तक 159 प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। तथापि, इन प्रस्तावों की वीजीएफ की वास्तविक राशि नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी।	'सिद्धांततः' अनुमोदित और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है। सामान्यतः किसी प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया और वित्तीय समापन में 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना निर्माण कार्य शुरू होने के बाद, निधि का संवितरण किया जाता है, और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए निजी पक्षकार अपने इक्विटी शेयर का निवेश करता है।	प्रायोजन प्राधिकारी द्वारा मांगी गयी आवश्यकता तथा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए संवितरित की जाने वाली वीजीएफ की शेष राशि के आधार पर, ब.अनु. 2014-15 में 678.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसे संशो. अनु. 2014-15 में 520.00 करोड़ रुपए रखा गया। मार्च, 2015 तक 21 सड़क परियोजनाओं के लिए 365.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
3.	**भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता**	इसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक हितों को विदेशों में बढ़ावा देना और दीर्घावाधिक स्थायी आर्थिक संबंध विकसित करना है। इस स्कीम में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार समर्थित ऋण श्रृंखला हेतु भारतीय निर्यात-आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था है।	450.00	450.00	अंगोला, बुर्किना फासो, कम्बोडिया, चाड, कांगो, कोट डी आइवर, जीबूती आदि जैसे देशों के साथ भारतीय निर्यातों में वृद्धि, नीतिगत एवं आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए प्रदत्त भारत सरकार समर्थित एक्जिम बैंक क्रेडिट श्रृंखलाओं के संबंध में भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2015 तक किया जाना था।	यदि प्राप्तकर्त्ता देश द्वारा अदायगी में चूक हो जाती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को इस राशि की वापसी करेगी क्योंकि ऋण श्रृंखलाओं के लिए एक्जिम बैंक को भारत सरकार की प्रतिगारंटी दी हुई है।	वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज समकरण सहायता के तौर पर 402.59 करोड़ रुपए की राशि भारतीय निर्यात आयात बैंक को दे दी गई है।

विगत कार्य-निष्पादन की समीक्षा
परिव्यय 2015-16 के अनुसार परिणाम की प्राप्तिथिति

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (₹ करोड़)			प्रमात्रात्मक प्रदाय/वास्तविक उपलब्धियां	प्रक्रियाएं/ समय-सीमा	जोखिम कारक	31 दिसंबर, 2015 तक की स्थिति
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
1.	**मुख्य शीर्ष 3054 - मोटर स्पिरिट तथा हाई-स्पीड डीजल पर अतिरिक्त उद्ग्रहणों के लिए रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (आयोजना)**	इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम के अंतर्गत धनराशि का प्रयोग मानवरहित रेलवे क्रासिंग्स पर रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों और रेलवे उपरि-सेतुओं/अधोसेतुओं के निर्माण के वित्त पोषण हेतु किया जाता है ताकि यातायात के लिए सहज और सुरक्षित मार्ग मुहैया कराया जा सके।	1645.60 (आयोजना)	2507.60 (आयोजना)	...	- 600 स्थानों पर व्यक्तियों की तैनाती। - 175 स्थानों पर इंटरलॉकिंग। - तैनाती वाले सभी गेटों पर टेलीफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। - पुल/सबवे के तहत 529 सड़कों का निर्माण 130 सड़कों पर ऊपरि सेतु का निर्माण।	- मानवरहित लेवल क्रॉसिंग के संचालन के लिए फाटकों/ उठाए जाने वाले अवरोधों का, और गेटकीपरों के लिए ड्यूटी कुटीरों/ फाटकों लॉजों का निर्माण किया जाना है। योग्य/ उपयुक्त इच्छुक चौकीदारों का चयन करके उन्हें फाटकों पर तैनात किया जाना है। - स्टेशन से लेवल क्रॉसिंग स्थल के बीच केबल बिछाना। - लागत विभाजन आधार पर व्यस्त लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर सड़क उपरिसेतुओं/सड़क अधोसेतुओं की व्यवस्था की जाती है। 1 लाख से अधिक की क्षमता की ट्रेन व्हीकल यूनिटों वाले आरओबी/आरयूबी का प्रस्ताव उपक्रमों वाले राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा अर्थात आरओबी पूर्ण करने के बाद लेबल क्रॉसिंग के समापन जैसी सहमति के साथ समान लागत विभाजन करने, विलंगम मुक्त भूमि की व्यवस्था आदि के पश्चात 50:50 के लागत विभाजन आधार पर प्रायोजित किया जाता है।	सड़क के ऊपर/नीचे के पुलों का निर्माण करना रेलवे तथा राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों का संयुक्त कार्य है और कभी-कभी संविदा संबंधी समस्या/ भूमि की अनुपलब्धता, सड़क यातायात को मोड़ने, लेवल क्रॉसिंग गेटों के स्थानांतरण में विलंब, राज्य सरकार के पास निधि के संकट, दो एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे रोड ओवर ब्रिज के ब्रिज भाग और अप्रोच भाग के कारण, रोड ओवर ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलंब हो जाता है।	दिसंबर, 2015 तक 822.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.	4(iii) ब.बाह्य संसाधन				
2.	**मुख्य शीर्ष 5475 - अवसंरचना विकास के लिए सहायता, अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) (आयोजना)**	व्यवहार्यता अंतराल वित्त-पोषण का प्रावधान (वीजीएफ) का प्रावधान करके, अवसंरचना क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।	412.50 (आयोजना)	1043.50 (आयोजना)	...	31,796.62 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत और 5283.55 करोड़ रुपए की वीजीएफ सहायता के लिए अब तक, 202 प्रस्ताव सिद्धांततः अनुमोदित किए गए और 56 परियोजनाओं को अंतिम अनुमोदन दिया गया।	सरकारी निजी भागीदारी के जरिए अवसंरचना विकास। सिद्धांततः अनुमोदन और अंतिम संवितरण के बीच समयांतर होता है और सामान्यतः किसी प्रस्ताव में सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के पश्चात, बोली की प्रक्रिया से वित्तीय समापन तक 12 से 18 माह का समय लगता है।	परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो जाने, तथा प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए चयनित निजी पक्षकार के अपने इक्विटी शेयर का निवेश कर दिए जाने के बाद, संवितरण होता है।	ब.अनु. 2015-16 में 412.50 करोड़ रुपए का प्रावधान, प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा की गई मांग संवितरित किए जाने हेतु शेष वीजीएफ के आधार पर और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए किया गया था । इस प्रावधान को संशो. अनु. 2015-16 स्तर पर बढ़ाकर 1043.50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिसंबर, 2015 तक, 336.72 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।
3.	**भारतीय निर्यात आयात बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आयोजना-भिन्न)**	भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज)। ऋण श्रृंखलाएं (एलओसी) भारत की राजनयिक कार्यनीति का महत्वपूर्ण घटक हैं और ये सदभाव पैदा करने एवं दीर्घावधिक भागीदारियां निर्मित करने में बहुत उपयोगी हैं। यह योजना विकाशसील देशों के लिए भारत को उभरती आर्थिक शक्ति, निवेशकर्ता देश और भागीदार के रूप में स्थापित करके विदेशों में भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।	582.00	515.00	...	भारत सरकार उधारदाता बैंक के पक्ष में गारंटी विलेख जारी करके ऋण श्रृंखलाओं को सहायता देती है ताकि उधारदाता बैंक को ब्याज और मूल राशि की अदायगी में उधारकर्ता सरकार द्वारा की जाने वाली अदायगी में किसी चूक से सुरक्षा दी जा सके। भारत सरकार उधारदाता बैंक को ब्याज समकरण सहायता (आईईएस) भी देती है ताकि वह रियायती दरों पर उधार देने में समर्थ हो सके।	इन निधियों का उपयोग 31 मार्च, 2016 तक किया जाना है।	यदि उधारकर्ता देश द्वारा अदायगी में चूक होती है तो भारत सरकार एक्जिम बैंक को भुगतान करेगी क्योंकि भारत सरकार द्वारा उधारदाता बैंक को ऋण श्रृंखलाओं के लिए गारंटी दी गई है।	वर्ष 2015-16 के दौरान 31 दिसंबर, 2015 तक, ब्याज समकरण सहायता के तौर पर 241.95 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भारत के एक्जिम बैंक को किया गया है।

अनुदान सं.29 - आर्थिक कार्य विभाग के तहत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़)

क्र.सं.	योजना	2014-2015			2015-16			2016-17
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	दिसम्बर 2015 तक* वास्तविक	ब.अनु.
1.	अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी), व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) का प्रावधान (मु.शीर्ष 5475/3475) - आयोजना	670.00	520.00	365.00	412.50	912.50	336.72	800.00
2.	मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर अतिरिक्त लेवी के प्रति रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अंशदान (मु.शीर्ष 3054) - आयोजना	1496.00	1496.00	1496.00	1645.60	2507.60	1644.00	0.00
3.	भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता -(मु.शीर्ष 3605) आयोजना-भिन्न	450.00	450.00	402.59	582.00	515.00	241.95	572.00
4.	अन्य देशों के साथ तकनीकी आर्थिक सहयोग - कोलम्बो योजना के तहत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता (मु.शीर्ष 3605) - आयोजना-भिन्न	0.50	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	जोड़	**2616.50**	**2466.01**	**2263.59**	**2640.11**	**3935.10**	**2222.67**	**1372.01**

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की स्थिति की तुलना में हुआ वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

मांग सं. 29 - आर्थिक कार्य विभाग

सकल (₹ करोड़)

विवरण	मुख्य शीर्ष	2013-14 ब.अनु.	2013-14 सं.अनु.	2013-14 वास्तविक	2014-15 ब.अनु.	2014-15 सं.अनु.	2014-15 वास्तविक	2015-16 ब.अनु.	2015-16 सं.अनु.	2015-16 वास्तविक (दिसंबर, 2015 तक)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भाग क - आयोजना-भिन्न विवरण										
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	**2052**	**98.26**	**120.65**	**105.24**	**140.22**	**126.74**	**104.63**	**162.45**	**151.69**	**86.87**
मुद्रा, सिक्का एवं टकसाल	**2046**	**0.00**	**0.00**	**0.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
राष्ट्रीय बचत संस्थान	2047	13.40	12.12	10.76	14.55	18.73	14.89	15.82	14.29	8.67
अनिवार्य जमा (आयकर दाता योजना, 1974) के अंतर्गत जमा राशियों पर ब्याज	2047	0.05	0.02	0.02	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.00
अन्य व्यय	2047	0.23	0.25	0.24	0.35	0.34	0.29	0.34	0.35	0.08
जोड़	**2047**	**13.68**	**12.40**	**11.02**	**14.95**	**19.12**	**15.19**	**16.21**	**14.69**	**8.75**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
14वां वित्त आयोग	2070	15.24	13.61	13.30	15.55	13.38	12.56	0.00	0.00	0.00
वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी)	2070	0.12	0.10	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य व्यय (प्रति. अपील. अधि. और एनएसडीए)	2070	4.78	4.26	4.50	24.12	23.61	11.82	7.00	8.40	3.72
जोड़	**2070**	**20.14**	**17.97**	**17.99**	**39.67**	**36.99**	**24.38**	**7.00**	**8.40**	**3.72**
विविध सामान्य सेवाएं										
गारंटी मोचन निधि	2075	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	300.00	300.00	100.00
अन्य कार्यक्रम	2075	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.11	0.08
जोड़	**2075**	**300.01**	**300.00**	**300.00**	**300.01**	**100.01**	**100.00**	**300.01**	**300.11**	**100.08**
सामान्य शिक्षा										
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235	0.05	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
संरक्षित बचत स्कीम (अन्य प्रभार)	2235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	48.05	0.00
जोड़	**2235**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.02**	**0.02**	**0.00**	**1000.02**	**48.07**	**0.00**
अंतराष्ट्रीय कृषि विकास निधि(आईएफएडी)	2416	55.00	62.00	61.90	62.00	62.00	63.35	67.00	86.00	86.32
जोड़	**2416**	**55.00**	**62.00**	**61.90**	**62.00**	**62.00**	**63.35**	**67.00**	**86.00**	**86.32**
अन्य परिवहन सेवाएं										
लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को सब्सिडी	3075	2746.00	3530.00	3370.56	4059.30	4002.13	4024.46	4728.71	3720.97	3153.00
स्ट्रेटजिक रेलवे लाइनों के संचालन पर हानियां	3075	660.00	640.00	640.00	640.00	656.90	656.90	664.82	638.81	221.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जोड़	**3075**	**3406.00**	**4170.00**	**4010.56**	**4699.30**	**4659.03**	**4681.36**	**5393.53**	**4359.78**	**3374.00**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत कार्यक्रम के संबंध में अंशदान की अदायगी	3466	0.00	1.28	1.28	2.43	2.43	2.43	2.57	2.57	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय निर्धारण प्रभार	3466	0.39	0.18	0.18	0.39	0.25	0.25	0.39	0.61	0.61
विश्व बैंक पीपीए	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.26	0.00
साउथ एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि(एसईईटीफ)	3466	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00
एशियाई विकास निधि में अंशदान	3466	0.00	0.00	0.00	94.50	91.42	91.42	48.00	48.09	48.09
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) में अंशदान	3466	0.00	0.00	0.00	0.00	433.29	417.97	419.96	446.69	0.00
जोड़	**3466**	**3.12**	**4.19**	**4.19**	**97.32**	**527.39**	**512.07**	**470.92**	**537.47**	**48.70**
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
वायदा बाजार आयोग	3475	0.00	0.00	0.00	10.23	7.96	7.07	44.43	10.92	7.55
अंतरराष्ट्रीय सहयोग	3475	11.23	37.23	36.73	45.18	45.03	44.04	55.03	56.58	35.47
अन्य प्रशासनिक प्रभार/आई ई एस/टोक्यो, बीजिंग और वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास	3475	20.99	19.09	18.13	26.40	25.55	20.86	27.10	24.48	14.70
अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान	3475	2.35	16.78	14.84	6.42	6.53	5.33	4.16	3.67	1.23
यूएन एजेंसियों में गैर भारतीय कार्मिकों पर सीमाशुल्क और आयात शुल्क	3475	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
अनिवासी भारतीय बांड योजना के अंतर्गत मुद्रा हानि	3475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता	3475	416.50	416.50	407.66	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेशेल्स गणराज्य को दिए गए बकाया ऋणों और उन पर ब्याज को माफ करना	3475	1.52	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़	**3475**	**452.62**	**490.80**	**478.54**	**538.26**	**85.09**	**77.30**	**130.74**	**95.67**	**58.95**
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग										
यूएनडीपी को अंशदान	3605	23.73	28.67	28.72	28.68	28.38	28.04	28.38	29.27	28.30
अन्य देशों के साथ सहयोग	3605	0.56	0.58	0.83	0.60	450.10	402.68	582.11	515.10	242.04
वैश्विक पर्यारण सुविधा(जीईएफ)	3605	12.50	14.18	14.09	14.20	18.28	19.01	18.29	20.00	19.92
प्रगतिशील एशियाः भविष्य के लिए निवेश से संबंधित उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी पर व्यय	3605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	0.00
एशियाई विकास बैंक की 46वीं वार्षिक आम बैठक	3605	15.00	14.17	14.04	0.04	0.04	0.00	0.02	0.01	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जोड़	**3605**	**51.79**	**57.60**	**57.68**	**43.52**	**496.80**	**449.73**	**628.80**	**565.75**	**290.26**
मुद्रा, सिक्का एवं टकसालों का पूंजी परिव्यय एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद										
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	**4046**	**1645.00**	**2000.00**	**1934.17**	**2000.00**	**2000.00**	**1905.99**	**2500.00**	**2500.00**	**1178.86**
बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद	4058	0.00	0.00	0.00	6.00	9.90	9.64	0.01	0.00	0.00
बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद	4075	6.00	6.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं में निवेश										
नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)	5465	500.00	250.00	250.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय आर्थिक नीति संस्थान (एनआईईपी)	5465	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि लि.	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि न्यासी लि.	5465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
जोड़	**5465**	**500.00**	**250.00**	**250.00**	**0.06**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.04**	**0.00**
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश										
आईबीआरडी को अभिदान	5466	203.20	231.15	231.23	231.10	231.10	230.33	129.37	155.18	0.00
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	3.00	0.00
एशियाई विकास बैंक को अभिदान	5466	245.00	350.00	279.23	283.96	262.70	262.70	0.04	2237.00	0.00
अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान	5466	0.01	1.32	1.34	1.32	69.56	66.99	34.80	0.00	0.00
अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण सहायता का भुगतान	5466	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5466	6.20	7.12	6.82	7.12	6.89	6.71	6.89	12.51	12.46
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (प्रतिभूतियों में)	5466	42000.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	52920.00	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान (नकद में)	5466	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
मूल्य अनुरक्षण दायित्व (एमओवी)	5466	0.01	192.79	192.79	500.00	4618.79	4618.79	0.01	0.01	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के लिए भारत का अंशदान	5466	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
चुनिंदा पूंजी वृद्धि(एससीआई) के संबंध में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के लिए अदायगी	5466	118.00	139.83	132.65	0.01	0.59	0.58	0.00	0.00	0.00
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) में नए विकास बैंक को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	930.00	1000.00	992.52
जोड़	**5466**	**56574.58**	**922.21**	**844.06**	**1123.53**	**5289.64**	**5186.10**	**1101.13**	**56702.70**	**1004.98**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं										
पर पूंजी परिव्यय										
सामाजिक एवं अवसंरचना विकास पूंजी										
निधि में अंतरण	5475	7000.00	0.00	0.00	577.91	8.80	0.00	0.01	0.00	0.00
पीपीपी के मुख्य क्रियाकलाप	5475	1.30	0.32	0.02	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत अवसंरचना परियोजना विकास										
निधि(आईआईपीडीएफ)	5475	4.00	0.50	0.00	4.00	2.00	0.04	2.00	2.00	0.00
जोड़	**5475**	**7005.30**	**0.82**	**0.02**	**583.56**	**10.80**	**0.04**	**2.01**	**2.00**	**0.00**
नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय										
मुद्रा कोष को अन्य आर्थिक सेवा ऋणों के										
लिए ऋण	**7475**	**0.01**	**1830.00**	**1486.05**	**915.00**	**2972.08**	**2427.59**	**1486.04**	**1486.04**	**692.60**
जोड़	**7475**	**0.01**	**1830.00**	**1486.05**	**915.00**	**2972.08**	**2427.59**	**1486.04**	**1486.04**	**692.60**
	7610#	**225.00**	**200.00**	**164.81**	**200.00**	**200.00**	**149.13**	**200.00**	**150.00**	**87.41**
जोड़ आयोजना-भिन्न		**70356.56**	**10444.64**	**9731.35**	**10763.42**	**16595.66**	**15706.50**	**13465.87**	**67008.41**	**7021.50**
# 2016-17 से आ.का. विभाग में शामिल										
(विलय) किया गया					**भाग ख - आयोजना मद**					
असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु राष्ट्रीय										
सामाजिक सुरक्षा निधि	2235	609.55	200.00	200.00	607.00	107.00	107.00	607.00	0.00	0.00
महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निधि	2235	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा	2810	1650.00	1650.00	1650.00	4700.00	4700.00	4700.00	4700.00	100.00	2174.00
सड़क एवं पुल	3054	2204.90	2204.90	2204.90	2992.00	2992.00	2992.00	3291.20	5015.20	1644.00
राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक										
पुरस्कार योजना	3465	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00
वायदा बाजार आयोग	3475	0.00	0.00	0.00	50.00	32.76	9.97	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक										
पुरस्कार योजना	3465	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि										
(एनआईआईएफ)	3465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
एसआईडीएफ के लिए पहल	5475	0.00	0.00	0.00	473.00	3.00	0.00	20.00	0.00	0.00
3पी इंडिया (पीपीपीपी क्रियान्वयन)	5475	0.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	80.00	1.00	0.00
अवसंरचना विकास के लिए सहायता -										
वीजीएफ	5475	678.00	678.00	450.00	670.00	520.00	365.00	412.50	1043.50	336.72
कुल आयोजना		**5142.45**	**6732.90**	**6504.90**	**11427.00**	**9839.76**	**9608.97**	**10110.70**	**6659.70**	**4154.72**
कुल जोड़		**75499.01**	**17177.54**	**16236.25**	**22190.42**	**26435.42**	**25315.47**	**23576.57**	**73668.11**	**11176.22**

** अनंतिम*

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में हुआ मद शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(सकल) (करोड़ रुपए)

विवरण		2013-14			2014-15			2015-16		वास्तविक (दिसंबर, 2015 तक)
		ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	वास्तविक	ब.अनु.	सं.अनु.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व भाग										
01	वेतन	71.53	71.53	67.81	86.27	86.27	81.41	93.31	81.41	63.66
02	मजदूरी	0.45	0.46	0.41	0.26	0.13	0.12	0.12	0.12	0.08
03	समयोपरि भत्ता	0.18	0.08	0.07	0.22	0.12	0.09	0.11	0.08	0.02
06	चिकित्सा उपचार	1.38	1.24	1.23	2.10	1.71	1.00	1.83	1.62	0.95
11	घरेलू यात्रा व्यय	2.54	2.32	2.47	4.50	4.13	3.43	4.22	3.32	2.01
12	विदेशी यात्रा व्यय	6.95	6.10	6.38	12.46	9.75	5.47	10.15	7.80	3.49
13	कार्यालय व्यय	10.49	10.74	18.93	24.28	18.85	14.21	20.16	19.21	11.08
14	किराया, दर एवं कर	11.79	8.05	7.90	19.64	13.54	7.49	17.75	5.56	2.61
16	प्रकाशन	5.27	4.97	4.39	5.85	5.34	4.32	6.12	6.01	3.38
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	19.44	17.82	17.04	5.58	4.75	3.51	4.53	4.70	2.10
21	पूर्ति एवं सामग्री	0.85	0.70	0.85	1.05	1.02	0.76	1.00	0.64	0.07
26	विज्ञापन एवं प्रचार	0.55	0.41	0.38	4.82	10.72	8.74	0.65	4.71	0.80
27	लघु निर्माण कार्य	1.76	1.91	1.57	2.17	1.87	1.10	2.17	1.87	0.02
28	प्रोफेशनल सेवाएं	7.81	33.60	20.87	39.42	29.59	16.76	58.44	43.53	12.44
31	सामान्य सहायता-अनुदान	0.85	15.14	13.34	21.67	21.58	9.99	2.91	1.67	0.39
32	अंशदान	105.95	146.92	146.51	683.16	1116.49	1101.79	639.90	729.14	218.26
33	सब्सिडी	3822.50	4586.50	4418.22	5149.30	5109.03	5083.95	5973.53	4874.78	3615.95
35	पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान	0.01	0.14	0.00	0.48	1.46	0.46	0.55	0.52	0.48
36	सहायता - अनुदान ''वेतन''	1.51	1.51	1.51	3.30	2.38	2.12	1.76	1.76	0.59

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	गुप्त सुरक्षा व्यय	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
42	एकमुश्त	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.10	0.08
44	मुद्रा घट-बढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	ब्याज	0.09	0.02	0.02	0.08	0.09	0.01	0.09	0.09	0.00
50	अन्य प्रभार	19.46	17.29	11.03	1522.49	1521.50	1516.44	2671.30	2578.75	835.61
51	मोटर वाहन	0.12	0.09	0.08	0.20	0.10	0.09	0.20	0.20	0.15
52	मशीनरी एवं उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	बृहद कार्य	1102.45	1102.45	1102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	अंतर-खाता अंतरण	3662.00	4252.45	4252.45	8103.00	7403.00	7403.00	8252.60	3407.60	3096.00
64	बट्टे खाते डालना/हानियां	1.52	1.18	1.18	0.05	0.01	0.00	0.01	0.05	0.01
50	सूचना प्रौद्योगिकी-अन्य प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	सूचना प्रौद्योगिकी-कार्यालय व्यय	7.68	6.90	5.43	26.85	16.45	5.72	10.35	7.57	5.42
28	सूचना प्रौद्योगिकी-कार्यालय व्यय	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.10	0.01	0.00
	जोड़ राजस्व भाग	**8865.12**	**10290.51**	**10102.52**	**15719.27**	**15379.95**	**15271.98**	**17774.88**	**11782.83**	**7875.65**
पूंजी भाग										
32	अंशदान	500.00	250.00	1250.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
42	एकमुश्त प्रावधान	678.00	678.00	450.00	670.00	520.00	365.00	412.50	1043.50	336.72
50	अन्य प्रभार	5.30	0.82	0.02	505.65	2.00	0.04	2.00	2.00	0.00
52	मशीनरी और उपकरण	6.00	6.00	4.63	6.00	9.90	9.64	0.01	0.00	0.00
54	निवेश	56574.57	1922.21	844.06	1123.53	5289.64	5186.10	1101.12	56702.74	1004.98
55	ऋण एवं अग्रिम	225.01	2030.00	1650.85	1115.00	3172.08	2576.72	1686.04	1636.04	780.01
60	अन्य पूंजी व्यय	1645.01	2000.00	1934.17	2000.01	2050.00	1905.99	2580.01	2501.00	1178.86
63	अंतर-खाता अंतरण	7000.00	0.00	0.00	1050.91	11.80	0.00	20.01	0.00	0.00
	जोड़-पूंजी भाग	**66633.89**	**6887.03**	**6133.73**	**6471.15**	**11055.47**	**10043.49**	**5801.69**	**61885.28**	**3300.57**
	कुल जोड़	***75499.01***	***17177.54***	***16236.25***	***22190.42***	***26435.42***	***25315.47***	***23576.57***	***73668.11***	***11176.22***

** अनंतिम*

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान किए गए व्यय का विश्लेषण

आयोजना-भिन्न

मुख्य शीर्ष 2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय एवं जी-20 सचिवालय के व्यय के लिए रखा गया है। 2014-15 के संशोधित अनुमानों में मुख्यतः व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत कटौती कर दी गई है क्योंकि द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करार के संबंध में संभावित व्यय के मुताबित बिलों की प्राप्ति नहीं हुई। मामले का प्रतिवाद मैसर्स कर्टिस, मैलेट प्रीवोस्ट एलएलपी द्वारा किया जा रहा है। मॉडल बीआईपीए पाठ तैयार किया जा रहा था, इसलिए विदेशों के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी गई थी। इसीलिए पीएसएस और एफटीए में बचत हुई। एफटीए के तहत हुआ कम व्यय किफायती उपायों के कारण हुआ। 'अन्य प्रशासनिक व्यय ' के अंतर्गत हुआ कम व्यय दिल्ली आर्थिक समागम 2014 के प्रायोजन के कारण हुआ। चिकित्सा और वेतन शीर्ष में कम बिल प्राप्त हुए। रखरखाव के तहत हुई बचत सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मार्च, 2015 में निधियों के अभ्यर्पण के कारण हुई। 2013-14 में वास्तविक व्यय 105.24 करोड़ रू. और 2014-15 में 104.63 करोड़ रू. रहा। 2015-16 में 162.45 करोड़ रू. का बजट प्रावधान संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 151.69 करोड़ रू. कर दिया गया जिसकी वजह किफायत बरतने के अनुदेश थे। दिसम्बर, 2015 तक इस शीर्ष के अंतर्गत 86.87 करोड़ रू. का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान राष्ट्रीय बचत संस्थान और इसके तहत क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के व्यय के लिए है। इसमें अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) योजना, 1974 के अधीन जमाराशियों पर ब्याज, आईएमएफ रेजीडेंट आफिस की किराया लागत और अंतरराष्ट्रीय बचत बैंक संस्थाओं में भारत के अंशदान के संबंध में प्रावधान भी शामिल है। 2014-15 के लिए किया गया 14.95 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, मुख्य तया वेतनों तथा किसान विकास पत्र को फिर से शुरू करने से संबंधित विज्ञापन और प्रचार के कारण, संशो. अनु. अवस्था पर बढ़ाकर 19.12 करोड़ रुपए कर दिया गया। 16.21 करोड़ रू. का बजट अनुमान संशोधित अनुमान में घटाकर 14.69 करोड़ रू. कर दिया गया। दिसंबर, 2015 तक 8.75 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान, 14वें वित्त आयोग, प्रतिभूति अपील अधिकरण के व्यय के लिए है। 2013-14 में 17.99 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ। आर्थिक कार्य विभाग में राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी की स्थापना हो के कारण, ब.अनु. 2013-14 की तुलना में, ब.अनु. 2014-15 में प्रावधान काफी बढ़ाया गया था। प्रतिभूति अपील अधिकरण के लिए 7.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान (2015-16) को संशो. अनु. स्तर पर बढ़ाकर 8.40 करोड़ रुपए कर दिया गया। ऐसा किराया, दर और करों के कारण किया गया। दिसंबर, 2015 तक 3.72 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 2075 - विविध सामान्य सेवाएं

इस शीर्ष में प्रावधान कालातीत मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज अदायगियों तथा सरकारी लेखाओं में जमा की गई दावा न की गयी प्रतिभूतियों के बारे में भुगतान के लिए है। 300.00 करोड़ रुपए का प्रावधान गारंटी मोचन निधि के अंतरण के लिए रखा जा रहा है। 2013-14 ब.अ. में रखे गए 300.00 करोड़ रुपए के प्रावधान का पूरा उपयोग कर लिया गया है। 2014-15 में, 300.00 करोड़ रुपए का बजट अनु. घटाकर 100.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 100.00 करोड़ रू. की राशि गारंटी मोचन निधि को अंतरित कर दी गई है। 2015-16 के दौरान, 300.00 करोड़ रू. का बजट अनुमान संशोधित अनुमान के स्तर पर रखा गया है। दिसंबर, 2015 तक 100.00 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है।

मुख्य-शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

यह प्रावधान संरक्षित बचत योजनाओं के लिए किया गया है। तथापि, 2013-14 के लिए रखे गए 0.05 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले कोई भी व्यय नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 में 0.02 करोड़ रू. के बजट प्रावधान में से कोई व्यय नहीं हुआ है। 2015-16 के दौरान 1000.02 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है जिसमें से सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क (1000.00 करोड़ रू.) और संरक्षित बचत योजनाओं (0.02 करोड़ रू.) के लिए व्यवस्था है। इस प्रावधान को संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 48.07 करोड रू. कर दिया गया था। दिसम्बर, 2015 तक इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

मुख्य-शीर्ष 2416 - कृषि वित्तीय संस्थाएं (आईएफडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी): अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी के रूप में 1977 में की गयी थी। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि के 172 सदस्य हैं और इन्हें तीन सूचियों में विभक्त किया गया है। ये हैं - सूची-कः विकसित देश, सूची-खः तेल उत्पादक देश और सूची-गः विकासशील देश। भारत इस निधि के संस्थापक देशों में है और सूची-ग में आता है।

भारत ने इस निधि के संसाधनों में अब तक 124.00 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान दिया है। भारत ने 9वें आपूरण के लिए सूची-ग-II के अंतर्गत आने वाले देशों में सबसे बड़ा दाता होने के कारण 30 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान देने की प्रतिबद्धता की है। 9वें आपूरण-चक्र के लिए तीसरी व अंतिम किस्त के रूप में 10 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान दिसंबर, 2014 में कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि के 10वें आपूरण (2016-18) के लिए विचार-विमर्श दिसंबर, 2014 में पूरा हो गया है। तीन वर्षों की अवधि में 37 मिलियन अमरीकी डालर के अंशदान से, भारत ने सूची-ग-II में शामिल देशों के समूह में अपना सर्वोच्च स्थान बनाए रखा है।

2014 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की सहायता से चलायी जाने वाली परियोजना, मेघालय आजीविका और बाजार सुविधा परियोजना (मेघा-एलएएमपी)) के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की राशि के करार पर, 09.12.2014 को हस्ताक्षर किए गए। 1979 से, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि ने लगभग 875.71 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता सहित कृषि, ग्रामीण विकास, जन जातीय विकास, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंध और ग्रामीण वित्तीय सेक्टर में 27 परियोजनाओं में सहायता दी है। इनमें से, 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। इस समय, 431 मिलियन अमरीकी डालर की कुल सहायता से दस परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि से प्राप्त होने वाले ऋण 40 वर्षों की अवधि में अदा किए जाने होते हैं जिनमें दस वर्ष का ग्रेस पीरियड भी होता है तथा कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है। तथापि, बकाया ऋणों पर एक प्रतिशत के तीन-चौथाई (0.75 प्रतिशत) की सालाना दर पर सेवा प्रभार उद्गृहीत किया जाता है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की शासी परिषद द्वारा 2013 में (36वीं बैठक में) एक नई मिश्रित अवधि अनुमोदित की गयी। इस मिश्रित अवधि में, ऋण सालाना 1.25 की नियत ब्याज दर और

0.75 प्रतिशत के सेवा प्रभार पर, प्रदान किए जाते हैं। ऋण चुकता करने की अवधि, 5 वर्ष के ग्रेस पीरियड सहित, 25 वर्ष होती है।

मुद्रा दर में घट-बढ़ हो जाने के कारण, 2013-14 में किया गया 55.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान बढ़ाकर 62.00 करोड़ रुपए कर दिया गया था। 2014-15 के लिए बजट अनुमान 62.00 करोड़ रुपए रखा गया था। तथापि, मुद्रा विनिमय दर घट-बढ़ हो जाने के कारण वास्तविक व्यय 63.35 करोड़ रुपए हुआ है। मुद्रा दर संबंधी घट-बढ़ के कारण 67.00 करोड़ रू. का बजट अनुमान बढ़ाकर 86.00 करोड़ रू. कर दिया गया।

मुख्य शीर्ष 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं (रेलवे को लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सब्सिडी)

लाभांश राहत और अन्य रियायत के लिए रेलवे को दी जाने वाली सब्सिडी, सामान्य राजस्वों से रेलवे में निवेशित संपूर्ण पूंजी (लाभांश रहित पूंजी को छोड़कर) पर, रेल मंत्रालय द्वारा सामान्य राजस्वों में अदा किए जाने वाले लाभांश पर आधारित होती है। लाभांश राहत और अन्य रियायतों के संबंध में प्रदत्त सब्सिडी चल रहे पूंजीगत कार्य पर भी निर्भर करती है। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण (स्ट्रेटेजिक) लाइनों के संचालन पर होने वाली हानियों की भरपाई ऐसी लाइनों के संचालन पर रेलवे के कार्यशील व्ययों पर निर्भर करती है। इस प्रकार, हुए वास्तविक व्यय और किए गए प्रावधान के बीच अंतर होता है। लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के संबंध में तथा महत्वपूर्ण रेल लाइनों के संचालन पर हुई हानियों की क्षतिपूर्ति के संबंध में रेलवे को सब्सिडी के लिए, 2013-14 के दौरान रखा गया 3406.00 करोड़ रुपए का ब.अ. पूरक अनुदान-मागों के जरिए बढ़ाकर 4170.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि, 2013-14 के दौरान, 4010.56 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। 2014-15 के दौरान 4699.30 करोड़ रू. के बजट प्रावधान में से 4681.36 करोड़ रू. का व्यय हुआ है। 2015-16 के दौरान, मुख्य शीर्ष 3075- अन्य परिवहन सेवाएं के अंतर्गत 5393.53 करोड़ रू. का बजट प्रावधान रखा गया है और दिसम्बर, 2015 तक 3374.00 करोड़ रू. की राशि संवितरित की गई है।

मुख्य शीर्ष 3466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं

यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय वार्षिक निर्धारण प्रभारों, विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण और दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में अंशदान के लिए है। दक्षिण-दक्षिण एक्सपीरियंस विनिमय न्यास निधि में अंशदान के लिए, 2013-14 में बजट अनु. स्तर पर 2.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और पूरा उपयोग किया गया था। 2014-15 के दौरान, 97.32 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्य तया एशियाई विकास निधि को अंशदान के कारण किया गया था। इसे अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को किए जाने वाले अंशदान के कारण संशो. अनु. स्तर पर बढ़ाकर 527.39 करोड़ रुपए कर दिया गया था। 31 मार्च, 2015 तक 512.07 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 2015-16 के दौरान, इस लेखा शीर्ष के तहत 470.92 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और दिसम्बर, 2015 तक 48.70 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

इस शीर्ष के अधीन, तकनीकी सहायता के लिए राष्ट्रमंडल निधि, और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, वाशिंगटन, टोकियो और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास के आर्थिक स्कन्ध, भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण, एशियाई विकास बैंक में भारत न्यास निधि और अन्य संस्थाओं को सहायता-अनुदान का प्रावधान आता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए रखा गया 452.62 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशोधित अनु. स्तर पर बढ़ाकर 490.80 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तथापि, 31 मार्च, 2014 तक 478.54 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। 2014-15 के दौरान, 538.26 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता का प्रावधान मुख्य शीर्ष 3475 से हटाकर मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहायता में अंतरित हो जाने से, संशो. अनु. स्तर पर घटाकर 85.09 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2014-15 के दौरान, 77.30 करोड़ रू. का व्यय हुआ। 2015-16 के दौरान, 130.74 करोड़ रू. का बजट अनुमान घटाकर 95.67 करोड़ रू. कर दिया गया है। तथापि, दिसम्बर, 2015 तक हुआ व्यय 58.95 करोड़ रू. रहा है।

मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग

इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), कोलम्बो योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता और विकास सहायता के लिए अंशदान शामिल है। 2013-14 के दौरान, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए रखा गया 51.79 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशो. अनु. स्तर पर बढ़ाकर 57.60 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2013-14 में 57.68 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। वर्ष 2014-15 के दौरान किया गया 43.52 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान संशो.अनु. स्तर पर बढ़ाकर 496.80 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता के लिए लेखा शीर्ष के मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं से मुख्य शीर्ष 3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहायता में अंतरित होने जाने के कारण किया गया है ताकि गलत वर्गीकरण को ठीक किया जा सके। 2014-15 के दौरान 449.73 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 2015-16 के दौरान, 628.80 करोड़ रुपए का बजट अनुमान घटाकर 565.75 करोड़ रुपए कर दिया गया है और दिसम्बर, 2015 तक 290.26 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4046 - करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल का पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद के लिए है। 2013-14 के दौरान बजट अनु. स्तर पर रखा गया 1645.00 करोड़ रुपए का प्रावधन संशो. स्तर पर बढ़ाकर 2000.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2013-14 के दौरान वास्तविक व्यय 1934.17 करोड़ रुपए हुआ। 2014-15 के दौरान, 2000.00 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले, 31 मार्च, 2014 तक 1905.99 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ है। 2015-16 के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 1178.86 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ। इस शीर्ष पर कोई नकद खर्च नहीं होता है क्योंकि सम्पूर्ण राशि सिक्कों के प्रचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण से वसूली के रूप में काट ली जाती है।

मुख्य शीर्ष 4075 - विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

परफेक्ट बाइंडिंग मशीन की खरीद के लिए ब.अनु. 2012-13 में 3.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसे सं.अनु. 2012-13 में बढ़ाकर 3.91 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2013-14 के दौरान, बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद हेतु बजट अनु. स्तर पर 6.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। परन्तु यह सारा प्रावधान, बजट प्रेस के लिए मशीनों की खरीद के संबंध में व्यय करने के लिए मुख्य शीर्ष 4075 से मुख्य शीर्ष 4058 में आबंटन अंतरित करने के कारण, अप्रयुक्त रहा। तथापि, मुख्य शीर्ष 4058 - स्टेशनरी व मुद्रण पर पूंजी परिव्यय के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 तक 4.63 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

मुख्य शीर्ष 4058 - लेखन-सामग्री व मुद्रण पर पूंजी परिव्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान, बजट प्रेस मशीनों की खरीद के लिए बजट अनुमान स्तर पर 6.00 करोड़ रुपए इस शीर्ष के अंतर्गत रखे गए थे। इसे नई खरीदी गई प्रिंटिंग मशीन के अंतिम भुगतान के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर बढ़ाकर 9.90 करोड़ रुपए कर दिया गया था। 31 मार्च, 2014 तक 9.64 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ है। 2015-16 के दौरान, 0.01 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर शून्य कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 5465 - सामान्य वित्तीय तथा व्यावसायिक संस्थाओं में निवेश

इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 2013-14 के प्रावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि तकनीकी सहायता की संग्रह-राशि में अतिरिक्त अंशदान प्रदान करने के लिए 500.00 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। तथापि, 2013-14 के दौरान 250.00 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ। वर्ष 2014-15 के दौरान, इस शीर्ष के अंतर्गत 0.05 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई थी परंतु 31 मार्च, 2014 तक, कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि एनएसडीसी/ एनएसडीए से संबंधित कार्य नए बने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। इसलिए वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इस प्रयोजनार्थ किसी आवश्यकता का प्रस्ताव नहीं किया गया। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि लि. तथा राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि न्यासी लि. के लिए संशोधित अनुमान स्तर पर 0.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 5466 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश

इसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी विकास निधि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अंशदान, वैल्यू बाध्यता पूरी करने और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों की बाबत भारत के अंशदान के लिए प्रावधान है। 2013-14 के दौरान, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेशों के अंतर्गत, बजट अनुमान स्तर पर, 56000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जिसे भारत के आईएमएफ कोटे की आवश्यकता न रहने के कारण संशो. अनु. स्तर पर घटाकर शून्य कर दिया गया था। 2014-15 के दौरान, बजट अनुमान स्तर पर रखा गया 500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान निधियों की आवश्यकता के कारण बढ़ाकर 4618.79 करोड़ रुपए किया गया तथा इस प्रयोजन के लिए 4118.80 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त हो गया है। इस मुख्य शीर्ष - 5466 के अंतर्गत किए गए 1123.53 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान और 5289.64 के सं.अ. के मुकाबले 31 मार्च, 2015 तक 5186.10 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 2015-16 के दौरान, 1101.13 करोड़ रुपए का बजट अनुमान सं.अ. स्तर पर बढ़ाकर 56702.70 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसकी वजह एशियाई अवसंरचना विकास बैंक (एआईआईबी) को किया जाने वाला अंशदान है।

विवरण इस प्रकार हैः

विवरण	मुख्यशीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक 12/2015 तक*
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466									
आईबीआरडी को अभिदान	5466	203.20	231.15	231.23	231.10	231.10	230.33	129.37	155.18	0.00
अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
एशियाई विकास बैंक और एआईआईबी को अभिदान	5466	245.00	350.00	279.23	283.96	262.70	262.70	0.04	2220.00	0.00
अफ्रीकी विकास निधि को अभिदान	5466	0.01	1.32	1.34	1.32	69.56	66.99	34.80	0.00	0.00
अफ्रीकी विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण सहायता का भुगतान	5466	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अफ्रीकी विकास बैंक को अभिदान	5466	6.20	7.12	6.82	7.12	6.89	6.71	6.89	12.51	12.46
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान(प्रतिभूतियों में)	5466	42000.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अभिदान(नकद)	5466	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्य अनुरक्षण दायित्व(एमओवी)	5466	0.01	192.79	192.79	500.00	4618.79	4618.79	0.01	0.01	0.00
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार संसाधनों के लिए भारत का अंशदान	5466	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
चुनिंदा पूंजी वृद्धि(एससीआई) के संबंध में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के लिए अदायगी	5466	118.00	139.83	132.65	0.01	0.59	0.58	0.00	0.00	0.00
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को अभिदान	5466	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	930.00	1000.00	992.52
जोड़	**5466**	**56574.58**	**922.21**	**844.06**	**1123.53**	**5289.64**	**5186.10**	**1101.13**	**3390.71**	**1004.98**

*** अनंतिम**

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह यह प्रावधान इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) के लिए तथा सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के मुख्य कार्यकलापों के लिए है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए 4.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया था और इसमें से 32,885 रुपए की राशि संवितरित की गई है। वित्त वर्ष 2014-15 में 4.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। चूंकि संवितरण के लिए कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए इसमें से 31 मार्च, 2014 तक 4.28 लाख रुपए की राशि संवितरित की गई है। आईआईपीडीएफ सहायता के लिए अनुमोदन प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए, 2015-16 के लिए बजट अनुमान स्तर पर 2.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। चूंकि वित्त वर्ष 2013-14 में कोई भुगतान नहीं किया गया, इसलिए इस वर्ष 1.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट से 98,11,945/- रुपए की राशि अभ्यर्पित की गयी है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य कार्यकलापों के अंतर्गत, 1.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है। तथापि, इस शीर्ष के तहत कोई राशि खर्च नहीं की गयी क्योंकि निधियां बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्त की गईं। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए इस प्रयोजनार्थ किसी प्रावधान का प्रस्ताव नहीं किया गया है। 2013-14 के दौरान, अनेक नए और अभिनव विचारों को अर्थक्षम परियोजनाओं/ स्कीमों में बदलने के लिए 7000.00 करोड़ रुपए की एकमुश्त व्यवस्था की गयी थी। तथापि, प्रक्रियात्मक विलंब और सहायता की कमी के कारण, अभिनव विचारों को पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम समय पर, अर्थक्षम स्कीमों/परियोजनाओं में नहीं बदला जा सका, इसलिए सारी राशि अभ्यर्पित कर दी गयी। 2014-15 के दौरान 10.80 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान में से 0.04 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। 2015-16 के दौरान इस लेखा शीर्ष में 2.01 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है लेकिन दिसम्बर, 2015 तक कोई व्यय नहीं किया गया है।

मुख्य शीर्ष 7475 - अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण

वर्ष 2012-13 के दौरान, इस नई व्यवस्था के लिए पूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से 11,294.60 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक लेन-देन 914.63 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2013-14 के दौरान, इस नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान करने के लिए पूरक अनुदान-मागों के माध्यम से संशो. अनुमान 2013-14 में 1830.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत 1486.05 करोड़ की राशि के संव्यवहार किए गए। 2014-15 के दौरान, 915.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान संशो. अनु. स्तर पर पूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से बढ़ाकर 2972.08 करोड़ रुपए कर दिया गया। तथापि, 31 मार्च, 2015 तक 2427.59 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। 2015-16 के दौरान, 1486.04 करोड़ रुपए का बजट अनुमान रखा गया और दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक व्यय 692.60 करोड़ रुपए रहा।

आयोजना

मुख्य शीर्ष 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसरण में, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, ब.अनु. 2010-11 में 1000.00 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन से राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित की गई। वर्ष 2013-14 के दौरान, 609.55 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले केवल 200.00 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गयी है। वर्ष 2014-15 के दौरान, बजट अनुमान स्तर पर किया गया 607.00 करोड़ रुपए का प्रावधान संशोधित स्तर पर घटाकर 107.00 करोड़ रुपए कर दिया गया और 107.00 करोड़ रुपए इस निधि को अंतरित कर दिए गए हैं। 2015-16 के दौरान 607.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर शून्य कर दिया गया है।

मुख्य शीर्ष 2810 - नई और नवीकरणीय ऊर्जा

स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान संबंधी विभिन्न नई परियोजनाओं, जो अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी, के वित्त पोषण के लिए व्यय की पूर्ति के लिए भारत के लोक लेखा में बनाए रखी जाने वाली 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' में प्रारंभिक अंतरण के लिए 2011-12 की पहली पूरक अनुदान-मांगों के माध्यम से 1066.46 करोड़ रुपए का प्रावधान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2012-13 के लिए 1,500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा 2013-14 के लिए 1650.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था और यह संपूर्ण प्रावधान ''राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि'' में अंतरित कर दिया गया। 2014-15 के दौरान, बजट अनुमान स्तर पर इस प्रयोजनार्थ 4700.00 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है और संपूर्ण प्रावधान राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि को अंतरित कर दिया गया। 2015-16 के दौरान, 4700.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान सं. अ. के स्तर पर घटाकर 500.00 करोड़ रुपए कर दिया गया।

मुख्य शीर्ष 3054 - सड़क और पुल

यह प्रावधान रेल सुरक्षा कार्यों के लिए है। पेट्रोल और डीजल पर उद्ग्रहीत किया जा रहा उपकर, रेलवे ओवर/अंडर ब्रिजों एवं अन्य सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्तपोषण हेतु केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार आवंटित किया जाता है। यह प्रावधान, केवल रेलवे से प्राप्त मांगों तथा उपकर संग्रहणों के उनके हिस्से के अनुसार ही किया जाता है। अंतरखाता अंतरण के रूप में, समतुल्य राशि केंद्रीय सड़क प्रारक्षित निधि में अंतरित की जाती है। ब.अनु. 2012-13 के लिए सकल प्रावधान 2204.90 करोड़ रुपए था और उसका पूर्णतया उपयोग कर लिया गया। 2013-14 के दौरान रखे गए 2204.90 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का पूरा उपयोग मार्च, 2014 तक कर लिया गया है। 2014-15 के दौरान 2992.00 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में से 31 मार्च, 2015 तक 2992.00 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। 2015-16 के दौरान 3291.20 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ाकर 5015.20 करोड़ रुपए कर दिया गया है और दिसम्बर, 2015 तक इस लेखा शीर्ष में 1644.00 करोड़ रुपए का व्यय दर्ज किया गया है।

मुख्य शीर्ष 3465 - सामान्य आर्थिक एवं व्यावसायिक संस्थाएं

स्टार स्कीम

एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और पुरस्कार योजना (मानक प्रशिक्षण आकलन एवं पुरस्कार) के क्रियान्वयन का संचालन भी कर रहा है। स्टार योजना में एक मौद्रिक पुरस्कार की परिकल्पना है जिससे मूलतः उन व्यक्तियों की वित्तीय मदद होगी जो नया कौशल प्राप्त करना चाहते हैं या अपना कौशल उन्नत करना चाहते हैं। स्टार योजना, 1000.00 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय से, 16 अगस्त, 2013 को शुरू की गई थी तथा इस योजना के क्रियान्वयन के पहले वर्ष में एक मिलियन युवाओं को व्यावसायिक कौशल मिलने की आशा थी। एनएसडीसी इस योजना की निर्दिष्ट क्रियान्वयन एजेंसी है और यह अनेक सेक्टर स्किल परिषदों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और आकलन एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रही है। 1000.00 करोड़ रुपए की राशि एनएसडीसी को अंतरित कर दी गयी है। वर्ष 2014-15 के दौरान, इस प्रयोजनार्थ 435.00 करोड़ की व्यवस्था की गई थी। तथापि, 31 मार्च, 2014 तक 435.00 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। एनएसडीए से संबंधित कार्य को वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कौशल विकास और

उद्यमिता मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है और मांग संख्या-34 - आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत 2015-16 के बजट अनुमान में एनएसडीए के लिए कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) की संचित निधि के लिए 2015-16 के दौरान संशोधित अनुमान के स्तर पर 500.00 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

मुख्य शीर्ष 5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान अवंसरचना विकास - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) की सहायता के लिए है। 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर, 2012) के दौरान, 492 किमी. लम्बी 12 सड़क परिवहन परियोजनाओं और 110 किमी. लंबी विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के लिए 378.04 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी। वीजीएफ योजना के अंतर्गत, 678.00 करोड़ की अनुमोदित राशि में से, 2013-14 के दौरान (अप्रैल-मार्च, 2013) 21 सड़क परियोजनाओं के लिए 450.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी। 2014-15 के दौरान (अप्रैल-मार्च, 2014) 08 सड़क परियोजनाओं और एक विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के लिए 365.00 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी है। 2015-16 के दौरान, 412.50 करोड़ रुपए का बजट अनुमान संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़ाकर 1043.50 करोड़ रुपए कर दिया गया और दिसम्बर, 2015 तक अवसंरचना विकास हेतु सहायता के लिए इस लेखा शीर्ष में 336.72 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

2015-16 में आर्थिक कार्य विभाग के मद शीर्षवार मुख्य संघटक

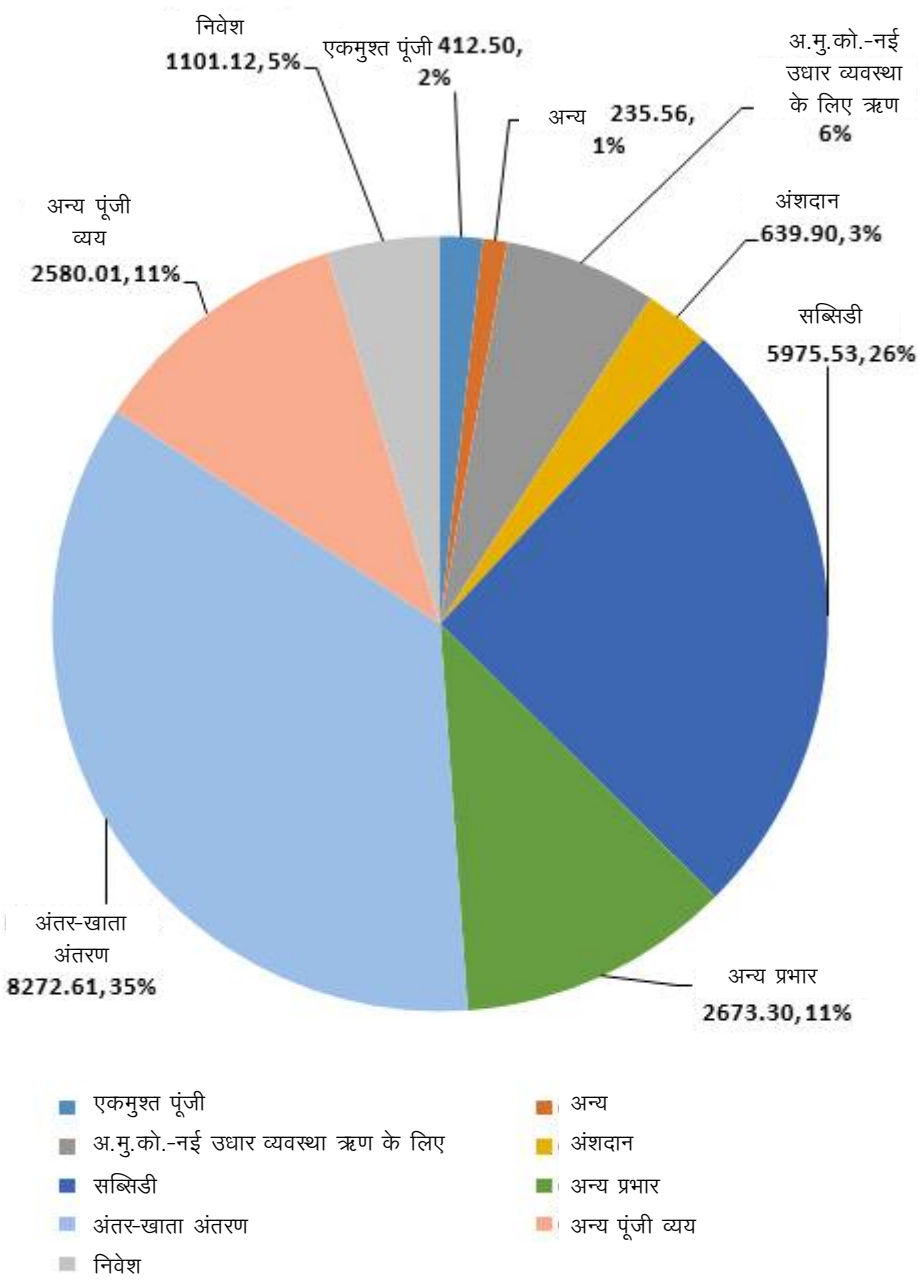

- निवेश - यह अंश, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं - एशियाई विकास बैंक को अभिदान (0.04 करोड़ रुपए) आईबीआरडी को अभिदान - सामान्य/ चयनात्मक पूंजीगत वृद्धि (129.37 करोड़ रुपए) के भुगतान, अफ्रीकी विकास निधि एवं बैंक के एमडीआरआई का भुगतान (41.69 करोड़ रुपए) के भुगतान; आईएमएफ द्व एमओवी बाध्यता और आईएमएफ को अभिदान (0.02 करोड़) ब्रिक्स - एनडीबी के लिए अभिदान (930.00 करोड़ रुपए) (कुल 1101.12 करोड़ रुपए) है।
- सब्सिडी - सब्सिडी का मुख्य अंश, लाभांश राहत एवं अन्य रियायतों के लिए रेलवे को तथा एक्जिम बैंक को ब्याज समकरण सहायता (582.00 करोड़ रुपए) के लिए जाता है (कुल 5975.53 करोड़ रुपए)।
- अन्य कार्यों के लिए प्रावधान - यह रेलवे उपरि/अधोसेतुओं और अन्य रेलवे सुरक्षा कार्यों के निर्माण में वित्त पोषण के लिए है (1645.00 करोड़ रुपए) (कुल 2673.50 करोड़ रुपए)।
- अंतर-खाता अंतरण - यह केन्द्रीय सड़क निधि, असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा निधि, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि और गारंटी मोचन निधि में निधियों के अंतरण के लिए है (कुल 8272.61 करोड़ रुपए)।
- अन्य पूंजी व्यय - यह एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद और पीपीपीपी क्रियान्वयन के लिए है (कुल 2580.01 करोड़ रुपए)।
- विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों और संगठनों को अंशदान (कुल 639.90 करोड़ रुपए)।
- अन्य - इसमें वेतन एवं अन्य स्थापन व्यय (कुल 235.56 करोड़ रुपए) और नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अं.मु.को. को दिए जाने वाले ऋण 1486.04 करोड़ रुपए (कुल 1721.60 करोड़ रुपए)।
- एकमुश्त पूंजी, व्यवहार्यता अंतराल निधियन के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र के विकास में सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए है (कुल 412.50 करोड़ रुपए)।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अभ्यर्पण और बचत संबंधी विवरण

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, मूल अनुदान 21990.42 करोड़ रुपए था। इसे, 6682.96 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान प्राप्त करके, बढ़ाकर 28673.38 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसमें से, वास्तविक व्यय 25166.34 करोड़ रुपए हुआ, फलस्वरूप निवल बचत 3507.04 करोड़ रुपए की हुई।

3507.04 करोड़ रुपए की बचत, विभिन्न अनुदान उप-मदों के अंतर्गत 3936.86 करोड़ रुपए की कुल बचतों और 429.82 करोड़ रुपए के कुल आधिक्य का निवल प्रभाव था।

मुख्य बचतों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

(i) **संसाधनों के किफायती प्रयोग के कारण सामान्य बचत**

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	उप-मद/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्ति/कारण
1.	आर्थिक कार्य विभाग (सचिवालय)	29.84	बचत, द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण करार (बीआईपीए) के संबंध में अपेक्षित व्यय के अनुसार बिलों की प्राप्ति न होने के कारण थी। मामले का प्रतिवाद मैसर्स कर्टिस, मैलेट प्रीवोस्ट एलएलपी द्वारा किया जा रहा है। मॉडल बीआईपीए पाठ तैयार किया जा रहा था तथा इसलिए, विदेशों के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोकी गई थी।
2.	जी-20 सचिवालय	2.13	बचत, अधिकारियों के दौरा कार्यक्रमों को अंतिम रूप न देने तथा किराया इनवायस का निपटान न किए जाने के कारण थी तथा पीएसएस के अंतर्गत यूएनडीपी ओर एनआईपीएफपी को भुगतान नहीं किया जा सका। जबकि आईटी शीर्ष के अंतर्गतः- यह पहले प्रस्तावित किया गया था कि ब्लूमबर्ग आईडी का भुगतान जी-20 भारत सचिवालय द्वारा किया जाएगा, किंतु ये भुगतान आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसके मुख्य बजट में से किए गए हैं।
3.	राष्ट्रीय बचत संस्थान	4.51	बचत, आईसीसीडब्ल्यू ट्रस्ट, दिल्ली को बकाया कराये का भुगतान न किए जाने, पट्टा विलेख का नवीकरण न होने तथा लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत प्रक्रियाधीन लंबित स्वीकृति यों के कारण थी।
4.	चौदहवां वित्त आयोग	2.98	इस शीर्ष के अंतर्गत बचत मुख्य तः 14वें वित्त आयोग के बंद होने के कारण वेतन हेतु कमतर निधियों की जरूरत तथा किफायत के उपायों के कारण है।
5.	राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी	11.02	बचत, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी द्वारा कम निधियों की जरूरत के कारण थी क्योंकि राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी से संबंधित कार्य वित्त वर्ष 2014-15 के मध्य में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है।
6.	गारंटी मोचन निधि	200.00	बचत, गारंटी मोचन निधि को अंतरण के लिए कम निधियों की जरूरत के कारण थी।
7.	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	500.00	बचत, वर्ष 2014-15 के दौरान निधि में से व्यय की जरूरत न होने के कारण तथा निधि में शेष राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए थी।
8.	रेलवे को लाभांश राहत के लिए सब्सिडी	34.84	यह बचत लाभांश राहत हेतु रेलवे को सब्सिडी के लिए कमतर निधियों की जरूरत के कारण हुई। इसकी वजह अपेक्षा से कम निर्माण कार्य था जो सामान्य राजस्व से सब्सिडी का पात्र होता है।
9.	भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण	3.84	बचत मुख्यतः (i) सिविल सर्विसेज कॉलेज, सिंगापुर, इंटरनेशनल कॉम्पोनेंट ऑफ मिड करियर ट्रेनिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुद्रा दर अंतर के कारण अनुमानित आंकड़ों की तुलना में कम बिल प्राप्त होने (ii) बर्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय संयोजन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के कुछ कार्यक्रमों और ड्यूक द्वारा आयोजित दो कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम में अधिकारी नामित नहीं करने (iii) पर्याप्त नामांकन न मिलने के कारण कुछ कार्यक्रमों को हटाने (iv) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से अंतिम पूर्व-प्राप्ति बिल प्रत्याशा से कम

		आने और (v) कुछ विभागों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग से दावे वसूल नहीं करने के कारण हुई है।
10. भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से सिक्कों की खरीद	94.01	भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड से मार्च, 2015 के अंतिम सप्ताह से संबंधित बिल न भेजे जाने के कारण बचत हुई।

(ii) **परियोजनाओं/योजनाओं का क्रियान्वयन न किए जाने/क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण हुई बचत**

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्ति/कारण
1.	ब्रिक्स-न्यू डेवलपमेंट बैंक	100.00	ब्रिक्स, एनडीबी के लिए तकनीकी सचिवालय की स्थापना और अध्यक्ष की और नियुक्ति में विलंब के कारण 100.00 करोड़ रूपए की राशि उपयोग नहीं की जा सकी।
2.	भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि	3.96	अवसंरचना परियोजनाओं को विलंब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण बचत हुई।
3.	अवसंरचना के लिए सहायता-अर्थक्षमता अंतराल निधियन	305.00	विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रायोजक प्राधिकारियों से कम दावे मिलने की वजह से बचत हुई।
4.	पीपीपीपी कार्यान्वयन (3पी इंडिया)	500.00	बजट घोषणा 2014-15 के अंतर्गत, बजट अनुमान स्तर पर 500.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। पर्याप्त अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद, एक मंत्रिमंडलीय टिप्पणी को अंतिम रूप दिया गया था और उसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया था। टिप्पणी पर अभी तक मंत्रिमंडल द्वारा विचार नहीं किया गया है और इसलिए वर्ष 2014-15 में राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।
5.	सामाजिक एवं अवसंरचना विकास के लिए वित्त पोषण पहल हेतु एकमुश्त प्रावधान	1050.91	अनेक नए एवं अभिनव विचारों को क्षम परियोजनाओं/स्कीमों में बदलने के क्रियान्वयन में सहूलियत के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया था। तथापि, प्रक्रियात्मक विलंबों एवं सहायता की कमी के चलते, पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम समय में, अभिनव विचारों को क्षम स्कीमों/परियोजनाओं में परिवर्तित नहीं किया जा सका।
6.	नई उधार व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए ऋण	544.50	लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आरबीआई द्वारा प्रस्तुत की गयी मांग और अनुमानों के आधार पर थे। तथापि, भारत में इस निधि द्वारा वास्तविक मांग और आहरण अपेक्षाकृत कम रहे जिसके कारण बचत हुई।

(iii) **पुरानी/समाप्त परियोजना/योजना के कारण अथवा परियोजना/योजना के पूर्ण होने के कारण अभ्यर्पण/बचत** - शून्य

नोटः *वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचतों, निधियों के कम प्रयोग/उपयोग न करने, और अभ्यर्पण के कारण अलग-अलग हुई बचतों के संबंध में, बजट प्रभाग के तारीख 23 मार्च, 2012 के का.ज्ञा. सं. 7(1)-बी(एसी)/2011 के अनुपालन में, यह अनुबंध शामिल किया जाता है।*

भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

अनुबंध-क

1.1 भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएम सीआईएल)

- भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड 13 जनवरी, 2006 को निगमित किया गया था। इसका मुख्यालय 16वां तल, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में स्थित है। इसे 06 फरवरी, 2006 से काम करने की स्वीकृति दी गई थी।

- इस निगम ने वित्त वर्ष 2006-07 से 2014-15 की अवधि के लेखा संकलन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों तथा भारत सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर नियत किए गए लेखा मानकों एवं अन्य लागू विधियों के अनुसार किया गया है। वाणिज्यिक तर्ज पर तैयार किए गए इन लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गयी है और कंपनी की सालाना आम बैठकों में इनको विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, निगम का 6973 करोड़ रुपए का आस्ति आधार है और 2472 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि और अधिशेष है। कंपनी की कुल बिक्री 2013-14 के 3798 करोड़ रुपए से बढ़कर 2014-15 में 4408 करोड़ रुपए हो गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वास्तविक बिक्री और कुल राजस्व में वृद्धि होने के बावजूद, कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान 352 करोड़ रुपए का निवल घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष 215 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया गया था। ऐसा 2008-09 से 2012-13 तक सिक्कों के संबंध में मूल्य समायोजन और 2006-07 से 2013-14 तक डाक मदों के आस्थगित भुगतान के कारण हुआ जिसका निवल प्रभाव 710 करोड़ रुपए का रहा। मूल्य समायोजन का कारण 2008-09 से 2010-11 के दौरान, इन वर्षों के संबंध में वार्षिक रिपोर्टें तैयार करने और संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद लगाई गई पूंजी पर लागत जमा 10 प्रतिशत मार्क से लागत जमा उपयुक्त प्रतिलाभ के कारण तथा 2008-09 से 2011-12 तक लगाई गई पूंजी पर अपर्याप्त प्रतिलाभ प्राप्त होने के कारण भी था। उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न एजेंसियों के साथ पंजीकरण संबंधी अन्य सांविधिक आवश्यकताएं भी पूरी की गई हैं। देय करों का भुगतान, उनके देय होने पर यथासमय किया गया है।

- एसपीएमसीआईएल बदले कारोबार माहौल के साथ बराबर रफ्तार से चल रहा है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के बाद, सभी अनिवार्य शर्तों आदि और नए अधिनियम के बनने से कंपनी पर अधिरोपित विधिक बाध्यताओं का अनुपालन करने का प्रयास कर रहा है तथा नए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के अपने वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दे रहा है। ये उपबंध प्रकटीकरण एवं अनुपालन शर्तों के बारे में ज्यादा कड़े और कठोर हैं।

- मुद्रा के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियों के स्वदेशीकरण पर सरकार द्वारा दिए जा रहे जोर को देखते हुए कंपनी ने मई 2015 में होशंगाबाद में 6000 मी. टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक नई पेपर लाईन आरंभ की है। मैसूर में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम परियोजना 12000 मी.टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ शुरू की गई है ताकि दो अत्याधुनिक पेपर लाइनें स्थापित की जा सकें जो अंतिम चरण पर हैं और उत्पादन परीक्षण चल रहे हैं।

- वर्ष 2014-15 के दौरान, एसपीएमसीआईएल बैंक नोटों, सिक्कों, प्रतिभूति उत्पादों (पासपोर्ट, नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर, डाक उत्पाद और अन्य प्रतिभूति उत्पाद) के उत्पादन और कच्ची सामग्री (प्रतिभूति इंक, प्रतिभूति कागज) के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करते समय कंपनी ने प्रतिव्यक्ति उत्पादकता भी काफी बढ़ायी है।

- एसपीएमसीआईएल ने 8358 मिलियन बैंक नोट नगों का उत्पादन किया तथा भारतीय रिजर्व बैंक को 8143 मिलियन बैंक नोट नगों की आपूर्ति की। प्रति व्यक्ति बैंक नोटों का उत्पादन बढ़कर 2.12 मिलियन नग हो गया है जबकि पिछले वर्ष यह 2.01 मिलियन नग था।

- निगम ने 7929 मिलियन नग परिचालन सिक्कों का उत्पादन किया। यह पिछले वर्ष उत्पादित किए गए 7650 मिलियन नग परिचालन सिक्कों से 3.65 प्रतिशत अधिक है। प्रति व्यक्ति परिचालन सिक्कों का उत्पादन भी बढ़कर 2.47 मिलियन नग हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 2.12 मिलियन नग था।

- एसपीएमसीआईएल ने 2014-15 में देवास स्थित अपनी इंक फैक्ट्री में 525 मीट्रिक टन प्रतिभूति इंक का उत्पादन किया। 2013-14 में 604 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। यह पिछले वर्ष के उत्पादन से 13.08 प्रतिशत कम है जिसकी वजह इंक फैक्टरी के फेज-रूरू आधुनिकीकरण का कार्यान्वयन है। होशंगाबाद स्थित प्रतिभूति कागज कारखाने ने 3266 मीट्रिक टन प्रतिभूति कागज का उत्पादन किया और देवास, नासिक एवं हैदराबाद स्थित मुद्रणालयों को इसकी आपूर्ति की।

- इस निगम की नौ यूनिटें प्रतिभूति कागज के उत्पादन, करेंसी एवं प्रतिभूति दस्तावेजों के मुद्रण और सिक्कों, मेडलों आदि का निर्माण कार्य करती हैं। मौजूदा वर्ष में निर्मित मुख्य उत्पादों का ब्यौरा इस प्रकार हैः

01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान उत्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	उत्पाद	उत्पादन (मिलियन नग) (असंपरीक्षित)
1	बैंक नोट	5472
2	सिक्के	6537
3	पोस्ट कार्ड	85
4	लिफाफे	34
5	अंतर्देशीय पत्र कार्ड	28
6	डाक टिकट और भारतीय पोस्टल आर्डर	48
7	चिपकने वाले स्टाम्प	10
8	नॉन जुडिशियल एवं संबद्ध स्टाम्प	240
9	बचत लिखत	39
10	एमआईसीआर चेक	40
11	विविध प्रतिभूति फॉर्म व न्यायालय शुल्क स्टाम्प्स	87
12	पासपोर्ट एवं संबद्ध पुस्तिकाएं	11
13	स्टीकर्स/लेबल/पहचान-पत्र/मोहरें	688
	जोड़	**13317**

01 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान मुख्य उत्पादों की बिक्री का ब्यौरा

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद	बिक्री (करोड़ रुपए) (असंपरीक्षित)
1.	बैंक नोट	1005
2.	सिक्के	1469
3.	अन्य प्रतिभूति उत्पाद	729
4.	विविध	2
	जोड़	**3204**

कंपनी ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल), मैसूर के साथ एक संयुक्त उद्यम लगाने का करार करके भारत में करेंसी पेपर के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम भी उठाया है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1570 करोड़ रुपए है और इसे मार्च, 2016 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इस परियोजना के क्रियान्वित हो जाने पर, कंपनी करेंसी पेपर की अपनी अधिकांश जरूरतों को स्वदेश में ही पूरा करेगी तथा करेंसी पेपर के आयात में काफी कमी हो जाएगी।

वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रतिभूति कागज, प्रतिभूति मुद्रण, बैंक नोट मुद्रण, और सिक्का धातु-कर्म के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण एवं सामाजिक विकास, वर्षा जल को काम में लेने, स्वच्छता, नवीकरणीय ऊर्जा, सड़कों, जल-पूर्ति तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कार्मिकों के कौशल विकास के क्षेत्र में शुरू की गई अभिनव सीएसआर परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

सिक्कों के लिए मांगपत्र आरबीआई द्वारा दिया जाता है तथा मूल्य निर्धारण वित्त मंत्रालय करता है। बैंक नोटों के लिए मांग-पत्र आरबीआई देता है। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल के बीच सामान्यतया 60:40 के अनुपात में उत्पादन प्लानिंग बैठक में बांट दिया जाता है। डाक सामग्री के लिए मांग-पत्र डाक विभाग उपलब्ध कराता है जो आम तौर पर समय पर नहीं होता और यह मूल्य एसपीएमसीआईएल द्वारा डाक प्राधिकारियोंको सूचित किए जाते हैं जो एसपीएमसीआईएल को पूरी तरह अदा नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि डाक मदों की कीमतों को लेकर कुछ अंतर हैं।

सितंबर, 2014 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014-15 से 2018-19 तक सिक्कों के मांगपत्र में पर्याप्त वृद्धि की है। इसके मुताबिक, 2014-15 में लगभग 13.45 बिलियन नगों से बढ़कर 2018-19 में ये 16.10 बिलियन नग से अधिक हो जाएंगे। यह, पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए लगभग 6.8 बिलियन नगों के औसत उत्पादन के दुगुने से भी अधिक है। एसपीएमसीआईएल ने विद्यमान भूमि और भवनों का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा टकसालों में क्षमता बढ़ाने की व्यवहार्यता सिद्ध करने का अध्ययन कराया था जिसके द्वारा परियोजना क्रियान्वयन में आने वाली लागत और लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। परियोजना संबंधी अनुमान तैयार कर लिए गए हैं और निर्णय हेतु एसपीएमसीआईएल बोर्ड के विचाराधीन है।

इसी प्रकार, सितंबर, 2014 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए बैंक नोटों का मांग-पत्र दिया है। यह 40 से 50 प्रतिशत अधिक है। इससे, देवास स्थित बैंक नोट प्रेस और नासिक स्थित करेंसी नोट प्रेस में पुरानी प्रिंटिंग मशीनों को बदलने और अतिरिक्त क्षमता के सृजन दोनों में निवेश की आवश्यकता होगी। बोर्ड ने प्रिंटिंग लाइनों को बदलने की स्वीकृति पहले ही दे दी थी तथा बीएनपी, देवास और सीएनपी, नासिक के लिए दो नई प्रिंटिंग लाइनों के लिए बोर्ड द्वारा दिसंबर, 2015 में अनुमोदन दे दिया गया है।

यात्रा दस्तावेजों के मामले में, विदेश मंत्रालय ने अगले पाँच वर्षों की अवधि का मांगपत्र भी सितंबर, 2014 में पहले ही दे दिया है। इसमें मांग पिछले वर्ष की मांग के मुकाबले बढ़कर तीन गुने से भी अधिक है। एसपीएमसीआईएल की क्षमता लगभग 1.50 करोड़ पासपोर्ट प्रतिवर्ष मुद्रित करने की है। यह निगम आगामी महीनों में अतिरिक्त क्षमता के विस्तार प्रस्ताव को निश्चित करेगा। इसी प्रकार, डाक विभाग ने भी अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए मांग अनुमान सितंबर, 2014 में दे दिया है। यह पिछले वर्ष के मांगपत्र से काफी अधिक है। एसपीएमसीआईएल डाक मशीनरी के लिए भी निवेश निश्चित कर रहा है।

पिछले वर्ष के दौरान, नॉन-जुडिशियल स्टांप पेपरों के मांगपत्रों में काफी गिरावट हुई है और कुछेक राज्यों द्वारा ई-स्टांपिंग अपनाने के कारण यह रूझान जारी है। एसपीएमसीआईएल अन्य उत्पादों में विविधता लाकर राज्यों से नॉन-जुडिशियल स्टांप पेपरों की गिरती मांग की चुनौती का सामना करने की तैयारी कर रहा है।

सिक्कों, बैंक नोटों और डाक उत्पादों पर आने वाली लागत का निर्धारण

सिक्कों, बैंक नोटों और डाक स्टांपों एवं स्टेशनरी की लागत-निर्धारण में होने वाले विलंब से एसपीएमसीआईएल की लाभप्रदता प्रभावित हो रही है। यह कंपनी के पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय विवरणों से स्पष्ट होता है जिनमें कंपनी की लाभप्रदता में गिरावट का रूझान दिखाई दे रहा है।

आधुनिकीकरण/स्वदेशीकरण

कंपनी ने आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण की रफ्तार को जारी रखते हुए, निम्नानुसार विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए हैः

करेंसी नोट प्रेस (सीएनपी), नासिक और बैंक नोट प्रेस, देवास दोनों में बैंक नोट प्रिंटिंग को प्रतिस्थापन आधार पर लगाने की मंजूरी एसपीएमसीआईएल द्वारा दे दी गई है और अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित सिक्कों की अधिक मांग को पूरा करने के लिए, 32 क्वाइनिंग प्रेसों और फिनिशिंग लाइनों के साथ टकसालों के आधुनिकीकरण को बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई और अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। सीएनपी, नासिक में सुपर न्युमरोटा मशीन पर दो इलेक्ट्रॉनिक नंबरिंग कंट्रोल (ईएनसी) सिस्टम संस्थापित किए गए हैं जिससे अपव्यय में कमी हुई है। सीएनपी, नासिक ने आईएसओ मानकों के अनुरूप बैंक नोटों की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्पेक्ट्रो डेनसिटो मीटर की खरीद की है। सीएनपी, नासिक में बैंक नोटों की जीवन अवधि का अनुमान लगाने के लिए बैंक नोट सिमुलेशन परीक्षण उपकरण संस्थापित किया गया है। देश में ही विकसित ग्रैवी मीट्रिक फिलिंग मशीन बैंक नोट प्रेस, देवास में संस्थापित और चालू की गई है। बीएनपी, देवास में दो विस्को मीटर और एक टैक-ओ स्कोप संस्थापित और चालू किया गया है। भारत सरकार टकसाल (आईजीएम), नोएडा ने डाई की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए, सिक्कों के परिचालन हेतु डाई की पीवीडी कोटिंग के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाई है। आईजीएम, नोएडा ने सफलतापूर्वक टी.सी. कॉलर शुरू किए हैं जिनसे सिक्कों के दांते बनाने में सुधार हुआ है और कॉलर की जीवन अवधि लगभग दोगुना हो गई है। आईजीएम, हैदराबाद और आईजीएम, कोलकाता में पॉलिशिंग लाइनें संस्थापित और चालू की गई हैं जो मौजूदा मशीनों में तीन रसायनों की तुलना में एक ही रसायन के साथ पिकल और पॉलिश कर सकती हैं। एसपीएमसीआईएल के सभी यूनिटों में ईआरपी-एसएपी कार्यान्वित कर दिया गया है।

आज की तारीख तक क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची **अनुबंध** '**ख**' में दी गई है।

अनुबंध-ख

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

वर्ष 2016-17 में क्रियान्वित की जा रही/की जाने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा

(₹करोड़)

क्र. सं.	परियोजना का स्वीकृत लागत	स्वीकृत लागत	पूरा होने की नियत तारीख	वर्ष के शुरु होने तक कुल संचयी व्यय	2016-17 के दौरान आयोजनागत कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	उत्पादन/ परिणाम	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5	6	7	8
(क) कागज कारखाना/मुद्रणालय								
1	बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन मशीन (बीएनपी)	200	31.03.2018	0	-	31.03.2018		
2	बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन मशीन (सीएनपी)	200	31.03.2018	0	-	31.03.2018		
3	सीटीआईपी (कम्प्यूटर टू इंटेग्लियो प्लेट मेकिंग) (सीएनपी)	20	31.03.2017	0	20	31.03.2017		
4	पुराने 1 ईएनसी और 2 सीआरएन सिस्टम को बदलना (सीएनपी)	17	31.03.2017	0	17	31.03.2017		
5	ऑफसेट मशीन के लिए ऑन लाइन निरीक्षण प्रणाली (सीएनपी के लिए 7 और बीएनपी के लिए 3)	20	31.03.2017	0	20	31.03.2017		
6			31.03.2017			31.03.2017		
मुद्रणालयों और कागज कारखाना का कुल पूंजी व्यय (क)		**456**		-	**56**			
ख) टकसालें								
1	टकसाल विस्तार योजना	350	31.03.2018	0	40	31.03.2018		
टकसालों का कुल पूंजी व्यय (ख)		**350**		-	**40**			
कुल जोड़ (क+ख)		**806**		-	**96**			

अनुबंध - ग

मुख्य शीर्ष 4046 - करेंसी, सिक्का और टकसाल पर पूंजी परिव्यय

यह प्रावधान भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) से सिक्कों की खरीद के लिए है। एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद के लिए 2014-15 का बजट अनुमान 2000 करोड़ रुपए था। 2014-15 का संशोधित अनुमान एसपीएमसीआईएल द्वारा आरबीआई को सिक्कों की आपूर्ति करने के लिए 2000 करोड़ रुपए था। इसमें से 1905.9918 करोड़ रुपए का कुल व्यय हुआ। 94,00,82,000 रुपए की बचत हुई। यह बचत मार्च 2015 के अंतिम सप्ताह से संबंधित एसपीएमसीआईएल से देर से बिल प्राप्त होने के कारण हुई। एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरीद के लिए 2015-16 का बजट अनुमान 2500 करोड़ रुपए है। इसमें से, भुगतान के लिए 1178,85,71,429 रुपए की राशि जारी कर दी गई है। अक्तूबर और नवंबर, 2015 के महीनों के लिए भुगतान हेतु 327,37,47,622 रुपए की कुल राशि को मंजूरी दे दी गई है। सिक्कों की खरीद हेतु भुगतान के लिए एसपीएमसीआईएल से दिसंबर, 2015 के लिए 147,79,79,4335 रुपए की राशि का बिल प्राप्त हो चुका है। इस शीर्ष के अंतर्गत कोई नकद खर्च नहीं होगा क्योंकि संपूर्ण राशि सिक्कों के परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त क्रेडिट से वसूली के रूप में काट ली जाती है।

वित्तीय सेवाएं विभाग

प्रस्तावना

वित्तीय सेवाएं विभाग मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यों सहित उनसे संबंधित नीतिगत मामलों, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, चिट फंड/निधि कंपनियों के संबंध में मुख्य परामर्शदात्री समूहों के गठन सहित चिटफंड/निधि कंपनियों पर मुख्य परामर्शी ग्रुप के गठन, केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री की स्थापना, खाता खोलने के फार्मों के मानकीकरण, वित्तीय समावेशन, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन एवं केवाईसी दिशानिर्देशों, राज्य सरकार के राजकोषों के स्वचलन, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) और कार्यपालक निदेशकों (ईडी) की नियुक्ति, विधायी मामलों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंध, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), कृषि वित्त निगम, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), ग्रामीण/कृषि ऋण, बीमा क्षेत्र से संबंधित मामले और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के कार्यनिष्पादन, विभिन्न बीमा अधिनियमों का संचालन, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सहित पेंशन सुधार से संबंधित नीतिगत मामलों, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित विधायी प्रस्ताव और प्रशासनिक मामलों आदि के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनाएं

जन धन से जन सुरक्षा

सरकार ने विशेष रूप से गरीबों तथा वंचितों पर केंद्रित सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने के लिए बजट भाषण के जरिए बीमा तथा पेंशन क्षेत्र से संबंधित तीन महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, नामतः **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई)** की घोषणा की थी। माननीय प्रधानमंत्री ने 9 मई, 2015 को कोलकाता में राष्ट्रीय स्तर पर पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई का शुभारंभ किया था।

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीकरणीय है, इसमें किसी भी कारण से मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए का कवरेज दिया गया है और 18 से 50 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्तियों (जीवन का कवर 55 वर्ष की आयु तक है), जिनके पास एक बैंक खाता हो और जो इस योजना से जुड़ने और अपने खाते से ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देते हैं, के लिए उपलब्ध है। इसमें आईटी पद्धति में कार्यान्वयन सहित बैंक खाता संबद्ध सुविधाजनक नामांकन शामिल है और प्रीमियम का भुगतान अभिदाता के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए होता है। इस योजना का कार्यान्वयन गरीबों तथा वंचितों के हित में किफायती तथा उन पर लक्षित है और यह योजना देश में जीवन बीमा के कम विस्तार की समस्या का समाधान करेगी।

विशेषताएं:

- आईटी पद्धति में कार्यान्वयन सहित बैंक खाता संबद्ध सुविधाजनक नामांकन।
- प्रीमियम का भुगतान ऑटो-डेबिट के जरिए।
- किसी भी कारण से मृत्यु के लिए 2 लाख रुपए का सावधि जीवन बीमा कवर, जो प्रतिवर्ष केवल किसी बैंक खाते के जरिए नवीकरणीय है।
- 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के बैंक खाताधारक नामांकन के पात्र हैं।
- प्रीमियम भुगतान के जारी रहने की शर्त पर 55 वर्ष की आयु तक कवर।
- वार्षिक प्रीमियम 330 रुपए।
- कवर की अवधि 1 जून से 31 मई।
- आरंभिक नामांकन अवधि दिनांक 31.05.2015 तकः इसे बढ़ाकर 31.05.2016 कर दिया गया।
- बैंकों तथा जीवन बीमा कंपनियों के बीच समझौते के जरिए संचालित; बैंक मुख्य केंद्र तथा मास्टर पॉलिसीधारक।
- कोई व्यक्ति जो इस योजना को किसी समय परित्याग कर देता है वह वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके तथा अपने अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करके भविष्य में इससे फिर से जुड़ सकता है।

कार्यान्वयन की स्थिति

- बैंकों द्वारा सूचित किए गए अनुसार 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत पात्रता सत्यापन के अध्यधीन समग्र नामांकन 2.92 करोड़ से अधिक है।
- 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 11,680 दावे दर्ज किए गए जिनमें से 9,306 के संबंध में संवितरण कर दिया गया है।

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एक वार्षिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीकरणीय है, यह 18 से 70 वर्ष के आयु समूह वाले व्यक्तियों, जिनके पास एक बैंक खाता हो और जो इस योजना से जुड़ने और अपने खाते से ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देते हैं, को किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु/अपंगता का कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु तथा स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज उपलब्ध है तथा स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का कवरेज है। इसमें आईटी पद्धति में कार्यान्वयन सहित बैंक खाता संबद्ध सुविधाजनक नामांकन शामिल है और प्रीमियम का भुगतान अभिदाता के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए होता है। इस योजना का कार्यान्वयन गरीबों तथा वंचितों के हित में किफायती तथा उन पर लक्षित है और यह योजना देश में दुर्घटना बीमा के कम विस्तार की समस्या का समाधान करेगी।

विशेषताएं:

- केवल खाते के जरिए दुर्घटना मृत्यु/स्थायी विकलांगता के लिए वार्षिक नवीकरणीय बीमा कवर।
- मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए देय है तथा स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए देय है।
- 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के बैंक खाताधारक नामांकन के पात्र हैं।
- वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए।
- कवर की अवधि 1 जून से 31 मई।
- आरंभिक नामांकन अवधि दिनांक 31.05.2015 से 30.11.2015 तक; अब इसे 30.11.2015 से बढ़ा दिया गया है।
- बैंकों तथा साधारण बीमा कंपनियों के बीच समझौते के जरिए संचालित; बैंक मुख्य केंद्र तथा मास्टर पॉलिसीधारक।
- कोई व्यक्ति जो इस योजना को किसी समय परित्याग कर देता है वह शर्तों के अधीन वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य में इससे जुड़ सकता है।

कार्यान्वयन की स्थिति

- बैंकों द्वारा सूचित किए गए अनुसार 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पात्रता सत्यापन के अध्यधीन समग्र नामांकन 9.28 करोड़ से अधिक है।
- 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 2221 दावे दर्ज किए गए जिनमें से 1209 के संबंध में संवितरण कर दिया गया है।

3. अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक निर्धारित लाभ पेंशन योजना है, जिसे जून, 2015 में आरंभ किया गया था, 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार इसमें लगभग कुल 18 लाख अभिदाता हैं और इस योजना का कुल कार्पस 262 करोड़ रुपए है। 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार 351 बैंकों को एपीवाई सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है, इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी वाणिज्यिक बैंक और डाक विभाग शामिल हैं।

नियोक्ता/ क्षेत्र	अभिदाताओं की सं.	कार्पस (करोड़ रु. में)	प्रबंधनाधीन आस्ति (एयूएम) (करोड़ रु. में)
अटल पेंशन योजना	*18,13,547*	*260*	*262*

असंगठित क्षेत्र में अधिकांश लोगों में वित्तीय शिक्षा/जागरूकता की कमी तथा यह तथ्य कि पेंशन निधि में अंशदान एक दीर्घावधिक प्रतिबद्धता है, योजना की मूल विशेषताओं को समझने में लोगों को समय लगता है और तत्पश्चात् ही वे इसमें शामिल होते हैं।

4. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई)

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) 55 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसे दिनांक 14.07.2003 को आरंभ किया गया था और दिनांक 08.07.2004 को बंद कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत पेंशन भोगी को निवेश पर 9% प्रतिवर्ष का प्रभावी प्रतिफल प्राप्त होता है। पेंशन भोगियों को प्रदत्त 9% के प्रभावी प्रतिफल तथा एलआईसी द्वारा अर्जित प्रतिफल के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एलआईसी को सब्सिडी के रूप में जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान वीपीबीवाई के अंतर्गत 111.24 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी और बजट अनुमान 2015-16 में 101.79 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए।

5. पुनरुज्जीवित - वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) - 2014

60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) 2014 को पुनर्जीवित किया, इसका शुभारंभ माननीय वित्त मंत्री द्वारा 14 अगस्त, 2014 को किया गया था। वीपीबीवाई 2014 योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मुख्यतः वीपीबीवाई 2003 योजना के अनुरूप ही किया जाता है। अभिदाता एकमुश्त आरंभिक राशि का भुगतान करके आरंभिक अभिदान पर 9% प्रतिवर्ष के प्रतिफल की गारंटीयुक्त दर पर मासिक/तिमाही/छमाही या वार्षिक आधार पर देय पेंशन प्राप्त करता है। इस योजना को 15 अगस्त, 2014 से 14 अगस्त, 2015 तक के लिए खोला गया था। एलआईसी के अनुसार, इस योजना में कुल 3,23,128 पॉलिसियां ली गयी, जिनकी कार्पस राशि 9073.20 करोड़ रुपए है।

6. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ दिनांक 28.08.2014 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत बैंक खाते खोले गए तथा खाताधारकों को लाभ प्रदान किया गया। इस योजना के अंतर्गत एक लाभ यह है कि बीमित व्यक्ति, जो दिनांक 15.08.2014 से दिनांक 31.01.2015 के बीच अपना बैंक खाता खोलते हैं, के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है (निर्धारित पात्रता मानदंड के अध्यधीन)। योजना के अंतर्गत 30000 रुपए का जीवन बीमा कवर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पीएमजेडीवाई के अंतर्गत उनका नामांकन निर्धारित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। परिकल्पित अपवर्जन के जरिए इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जो इस प्रकार की बीमा प्रत्यक्ष रूप से नहीं खरीद सकते। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जीवन कवर के लिए प्रीमियम के अभिदान का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह योजना देश में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

7. आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)

सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना अर्थात् आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) की निगरानी इस विभाग द्वारा तथा इसका कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा था। एलआईसी से प्राप्त सूचना के अनुसार, एएबीवाई के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान 4.32 करोड़ जीवन को कवर किया गया है। एएबीवाई योजना को दिनांक 10.07.2015 से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है। एएबीवाई की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

'आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई)' के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग वाले उन लोगों को जीवन तथा विकलांगता का कवर उपलब्ध करवाया जाता है, जो 47 पहचान किए गए व्यवसाय/पेशा समूहों के तहत आते हैं। वह सदस्य पात्रता समूह के अंतर्गत परिवार का मुखिया हो अथवा परिवार का अर्जक सदस्य हो। इसके अलावा, एएबीवाई योजना का लाभ सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के हिताधिकारियों को भी उपलब्ध कराया गया है, बशर्ते कि वे एएबीवाई योजना के अंतर्गत पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

इस योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000 रुपए, दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 75,000 रुपए, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी विकलांगता (एक आंख या एक हाथ/पैर की क्षति) के मामले में 37,500 रुपए तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता (दोनों आंख या दोनों हाथ/पैर या एक आंख और एक हाथ/पैर की क्षति) के मामले में 75,000 रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया जाता है, जिसमें लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा 100 रुपए प्रतिमाह की छात्रवृत्ति अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी वार्षिक प्रीमियम 200 रुपए है, जिसमें से 50% का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा सृजित तथा एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के मामले में शेष 50% प्रीमियम का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अन्य समूहों के मामले में, जैसा भी मामला हो, यह अंशदान राज्य सरकार/नोडल एजेंसी/लोगों द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था/पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकते हैं। तथापि, 'ग्रामीण भूमिहीन परिवारों' की श्रेणी के मामले में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र नोडल एजेंसी होंगे।

8. किसानों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने हेतु ब्याज सहायता (आईएस)

सरकार ब्याज सहायता योजना के माध्यम से किसानों को दिए गए ऋणों पर ब्याज दर में सब्सिडी देती है ताकि किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सके। यह योजना वर्ष 2006-07 से कार्यान्वित की जा रही है और इसे वर्ष-दर-वर्ष जारी रखा जा रहा है। सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जाता है तथा वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। आईएस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के अलावा 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता ऐसे किसानों को उपलब्ध करायी जाती है, जो अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं एवं किसान क्रेडिट कार्ड

रखने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को फसल की कटाई के पश्चात् माल गोदामों में अपनी उपज रखने के लिए परक्राम्य गोदाम रसीदों की एवज में छः महीनों के लिए लघु अवधि फसल ऋण की दर पर ही किसानों को ऋण दिया जाता है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 से पुनर्संरचित राशि पर प्रथम वर्ष के लिए बैंकों को 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाती है और इन पुनर्संरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर प्रभारित होता है।

योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान 5400 करोड़ रुपए एवं वर्ष 2013-14 के दौरान 6,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2014-15 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी थी। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 के दौरान 31 दिसम्बर, 2015 तक वर्ष 2015-16 के 13,000 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में 12,405.16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

9. वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की पूंजी आवश्यकता

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनरूद्धार के लिए "इंद्रधनुष" योजना की घोषणा की है और इसके एक भाग के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएसबी बासेल-III के अनुरूप बने रहे एक पूंजीकरण कार्यक्रम की भी घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2015-2019 के बीच लगभग 70,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने हैं। प्रयुक्त मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सभी बैंकों का सीईटी-1 7.5 प्रतिशत पर बना रहे। इसके अलावा, बड़े बैंकों को बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं में सहायता के लिए वृद्धिशील पूंजी भी दी गयी थी। पीएसबी के तुलन-पत्र को ठीक करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) कार्य के पश्चात् संख्याओं की पुनः जांच की जा रही है और "इंद्रधनुष 2.0" के भाग के रूप में पूंजीकरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

10. भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर के निर्गम अधिकार, 2008 में अभिदान के प्रति मोचनीय एसएलआर विपणनीय प्रतिभूति निर्गम के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान

भारतीय स्टेट बैंक के अधिकार निर्गम-2008 में सरकार द्वारा लगभग 10,000 करोड़ रुपए के अभिदान का अनुमोदन करते समय मंत्रिमंडल ने नियत तारीख को एसबीआई के अधिकार निर्गम में अभिदान के प्रति एसबीआई को जारी सरकारी प्रतिभूति- 2024 के मोचन हेतु "प्रतिभूति मोचन निधि"सृजित करने का भी अनुमोदन किया था। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2023-24 अर्थात् 16 वर्षों के लिए इस निधि में 625 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अंतरण किया जाना है। तद्नुसार, बजट अनुमान 2016-17 में 625 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

11. दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ); आईडीबीआई बैंक लि. को निधियों का अंतरण तथा साथ ही बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियों का मोचन

आईडीबीआई बैंक लि. (पूर्ववर्ती आईडीबीआई लि.) की दबावग्रस्त आस्ति की समस्या का समाधान करने के लिए आईडीबीआई की अशोध्य आस्तियों का ध्यान रखने हेतु भारत सरकार ने दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) नामक विशेष प्रयोजन पद्धति तैयार की है। एसएएसएफ ने गैर-ब्याज वाले भारत सरकार के 20 वर्ष की आईडीबीआई विशेष प्रतिभूति 2004 में 9000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एसएएसएफ ने आईडीबीआई को 9000 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूति अंतरित की है और बदले में आईडीबीआई ने 9000 करोड़ रुपए के मूल्य का एनपीए एसएएसएफ को अंतरित किया है। मार्च, 2014 तक एसएएसएफ ने आईडीबीआई बैंक लि. से अर्जित एनपीए से की गई वसूली में से 4,414 करोड़ रुपए की राशि विप्रेषित कर दी है। यह अनुमान है कि एसएएसएफ वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 150 करोड़ रुपए की राशि विप्रेषित करेगा। अतः बजट प्रभाग से संशोधित अनुमान में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान की मांग वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाही के दौरान की गई वसूली के आधार पर अनुदान हेतु अनुपूरक मांग के जरिए की जाती है।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को कम से कम 9% पर लाने के लिए डॉ. के. सी. चक्रवर्ती समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, 21 राज्यों में 40 आरआरबी को 2,200 करोड़ रुपए तक की पुनर्पूंजीकरण सहायता की सिफारिश की थी, जिसका वहन भागीदारों द्वारा आरआरबी में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में किया जाना है, अर्थात केन्द्र सरकार द्वारा 50%, राज्य सरकार द्वारा 15% तथा संबंधित प्रायोजक बैंकों द्वारा 35% का वहन किया जाएगा। केन्द्र सरकार का भाग 1,100 करोड़ रुपए बैठता है। मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के पश्चात पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया वर्ष 2010-11 में आरंभ की गई थी जिसे वर्ष 2011-12 तक पूरा किया जाना था। मंत्रिमण्डल के निर्णय में अपेक्षित है कि संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक द्वारा अपना भाग जारी किए जाने पर भारत सरकार अपना भाग जारी करें।

(9% की न्यूनतम सीआरएआर अपेक्षा को पूरा करने के लिए नाबार्ड की अनुशंसा पर) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक सहित 39 आरआरबी को 1100 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार के भाग के प्रति दिनांक 31.03.2014 तक 1086.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2013-14 के पश्चात् अगले तीन वर्ष अर्थात्, वर्ष 2016-17 तक ऐसे आरआरबी जो 9% की न्यूनतम सीआरएआर बनाए रखने में सक्षम नहीं है, के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। पूर्व में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रयोग उस आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण उपलब्ध कराने के लिए किया जाना प्रस्तावित है जो 9% के न्यूनतम सीआरएआर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है।

बजट अनुमान 2015-16 में 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है। इनमें से मणिपुर ग्रामीण बैंक को पुनर्पूंजीकरण सहायता के रूप में 3.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान 140 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

13. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

भारत सरकार ने निर्धारित लाभ की मौजूदा पेंशन प्रणाली के स्थान पर 1 जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आरंभ की है, जो सरकार में भर्ती होने वाले सभी नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। व्यक्तिगत विकल्प के आधार पर इसकी परिकल्पना कम लागत वाली तथा कुशल पेंशन प्रणाली के रूप में की गई है, जो सुदृढ़ विनियम द्वारा समर्थित है। पूर्णतः "निर्धारित अंशदान" तथा किसी निर्धारित लाभ घटक के बिना प्रतिफल पूर्णतः बाजार संबद्ध होगा। एनपीएस में विभिन्न निवेश विकल्प उपलब्ध हैं और लोगों को निर्धारित विनियामकीय सीमाओं के अध्यधीन एक निवेश विकल्प से दूसरे निवेश विकल्प अथवा एक निधि प्रबंधक से दूसरे निधि प्रबंधक में जाने का विकल्प उपलब्ध है।

सभी नागरिकों को एनपीएस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उपस्थिति केन्द्र (पीओपी) के रूप में 64 संस्थागत कंपनियों, जो पेंशन खाता खोलने तथा संग्रहण केंद्र के रूप में कार्य करेंगी, एक केंद्रीयकृत अभिलेख अभिरक्षण एजेंसी (सीआरए), निवेशकों की पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु 8 पेंश्न निधि प्रबंधक सहित एनपीएस मध्यवर्तियों की नियुक्ति शामिल है। पीएफआरडीए ने सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो एनपीएस अभिदाताओं को इष्टतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करती है, के अनुरूप पीएफएम सहित एनपीएस मध्यवर्तियों के चयन हेतु पारदर्शी, गैर-विवेकाधीन, प्रतिस्पर्धात्मक नीलामी प्रक्रिया को अपनाया है।

संगठित कंपनियों को अपने मौजूदा तथा नए कर्मचारियों को एनपीएस संरचना में शामिल करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मूल एनपीएस मॉडल के विशेष रूप से निर्मित प्रारूप, जो "एनपीएस-कार्पोरेट क्षेत्र मॉडल" के रूप में जाना जाता है, को दिसम्बर, 2011 से आरंभ किया गया है। 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, इस मॉडल के अंतर्गत 2142 कार्पोरेट तथा 4.42 लाख कर्मचारियों को इसमें नामांकित किया गया है। एनपीएस कार्पोरेट क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत एयूएम 8088.84 करोड़ रुपए है (यद्यपि, डीवीसी को एनपीएस में राज्य सरकार के रूप में पंजीकृत किया गया है, परंतु इसे कार्पोरेट माना जाता है)।

परिव्यय और परिणाम का विवरण 2016-17

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17 (रूपए करोड़ में)			मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	परिकल्पित परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर*				
1.	**मुख्य शीर्ष 2235 -अटल पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान**	i. एपीवाई योजना के अंतर्गत कवरेज को लगभग 12 लाख अभिदाताओं तक बढ़ाना	-	120.00	-	एपीवाई अंशदान तथा इसकी अवधि के आधार पर निर्धारित पेंशन प्रदान करती है।	स्वावलम्बन योजना के अतंर्गत पूर्व के अनुभव के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार के सह-अंशदान के लिए 15 लाख पात्र अभिदाताओं में से 12 लाख अभिदाता 15 लाख अभिदाताओं के आधार पर भारत सरकार के सह-अंशदान के लिए पात्र होंगे और एपीवाई के अंतर्गत ऑटो डेबिट सुविधा की विशेषता लगभग 80% खातों में होगी जो स्वावलम्बन योजना से 10% अधिक है।	मार्च, 2017	योजना के अंतर्गत संभावित परिणाम बाजार की परिस्थितियों, आय की स्थिति, संभावित अभिदाताओं की वित्तीय जानकारी तथा पीओपी के कार्यनिष्पादन के अध्यधीन है।
		ii. योजना के अंतर्गत एग्रीगेटर को प्रोत्साहित करने हेतु भुगतान के लिए पीएफआरडीए को निधियन सहायता	-	72.00	-				
		iii. अटल पेंशन योजना के अतंर्गत संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों के लिए	-	8.00					
2.	**मुख्य शीर्ष 2235 स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान**	i. स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत कवरेज को 19 लाख अभिदाताओं तक बढ़ाना	190.00	-	-	इस योजना का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को एनपीएस के अंतर्गत नामांकन करवाने तथा अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत के लिए प्रोत्साहित करना है।	स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत 19 लाख अभिदाताओं को नामांकित करना।	मार्च, 2017	संभावित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, निम्न विरामी आय तथा वित्त संबंधी जानकारी के कम होने, एग्रीगेटर तथा पीओपी के कार्यनिष्पादन के अध्यधीन है।
		ii. स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों के लिए	19.00	-	-				

* सीईबीआर - अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय स्रोत अर्थात उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य कंपनियों द्वारा प्रतिबद्ध व्यय।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
3.	मुख्य शीर्ष 2235 - वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में जीवन बीमा निगम को भुगतान।वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई), 2003, 55 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने इस योजना में अभिदान किया हो, के लिए सरकारी सहायता प्राप्त योजना है। इस योजना को जुलाई, 2003 में आरंभ किया गया था और दिनांक 09.07.2004 से बंद कर दिया गया है।60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार ने वीपीबीवाई को वर्ष 2014 में पुनः आरंभ किया। इस योजना को दिनांक 15.08.2014 से 14.08.2015 तक खोला गया था।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब्सिडी प्राप्त पेंशन योजना	171.90	-	-	योजना के अंतर्गत पेंशनभोगी 9% प्रतिवर्ष का प्रभावी लाभ प्राप्त करते हैं।	लगभग 3 लाख वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने योजना के चालू रहने के दौरान नामांकन करवाया था, को वीपीबीवाई 2003 योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। वीपीबीवाई 2014 के अंतर्गत पॉलिसियों की संख्या 3.23 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं।	एक वर्ष	योजना के अंतर्गत अभिदाताओं को 9% प्रतिवर्ष की दर से गारंटीयुक्त प्रतिफल प्रदान किया जाता है। एलआईसी द्वारा निधि पर सृजित प्रतिफल की तुलना में गारंटीयुक्त प्रतिफल के अंतर की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा योजना में सब्सिडी का भुगतान करके की जाती है।
4.	प्रधानमंत्री जन-धन योजना (30,000/- रुपए का जीवन कवर)	इस योजना में दिनांक 15.08.2014 से 31.01.2015 के बीच बैंक खाता खोलने वाले लोगों को निर्धारित पात्रता शर्तों के अध्यधीन 30,000/- रुपए का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।	100.00	-	-	पीएमजेडीवाई योजना के शुभारंभ के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी, 2015 से पहले रूपे डेबिट कार्ड के साथ बैंक खाता खोलने वाले अभिदाताओं के लिए 30,000/- रु. के जीवन बीमा कवर की घोषणा की थी।	दिनांक 15.08.2014 से 31.01.2015 के बीच बैंक खाता खोलने वाले लोगों को (निर्धारित पात्रता शर्तों के अध्यधीन) 30,000/- रुपए का जीवन बीमा कवर।	-	इस योजना के लिए एलआईसी द्वारा अनुरक्षित निधि की पूर्ति सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाना अपेक्षित है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
5.	मुख्य शीर्ष 2885 - आईसीआईसीआई बैंक को विदेशी सहायता संघटक के लिए अनुदान	भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को क्रेडिटअनस्टाल्ट फर वायडरोफवा (केएफडब्ल्यू) द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है। केएफडब्ल्यू द्वारा आईसीआई सीआई बैंक को देय ब्याज का एक भाग भारत सरकार के पास प्रत्येक छमाही अर्थात् 30 जून और 31 दिसम्बर को जमा करना होगा। भारत सरकार और केएफडब्ल्यू के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत सरकार के पास जमा ब्याज को "ब्याज विभेदक निधि" के रूप में जाना जाएगा और इसे आईसीआईसीआई बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा।	0.01	-	-	-	यह योजना के अनुसार आईसीआईसीआई बैंक द्वारा की गई मांग पर आधारित है, जो सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा (सीएएए) द्वारा पुष्टि के अध्यधीन है।	-	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है क्योंकि यह सीएएए कार्यालय द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति है।
6.	मुख्य शीर्ष 3465 - प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर-2008 के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गयी एसएलआर विपणन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	-	-	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम 2008 में नियत तिथि को अंशदान के लिए जारी की गयी सरकारी प्रतिभूतियां - 2024 के मोचन के लिए सरकार द्वारा सृजित प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान है।	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर-2008 के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गयी एसएलआर विपणन प्रतिभूति का मोचन वर्ष 2024 में किया जाना है। इन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए सृजित इस निधि में सरकार द्वारा 625 करोड़ रुपए का अंशदान किया जाना है।	-	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है क्योंकि यह प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला अंशदान है।

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
7.	मुख्य शीर्ष 4416 - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	आरआरबी के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी को 9% पर लाना	-	140.00	-	ऐसे आरआरबी, जो अपनी पूंजी को जोखिम भारित आस्ति अनुपात के 9% पर बनाए रखने में सक्षम नहीं है, का पुनर्पूंजीकरण करना।	आरआरबी की वित्तीय स्थिति में सुधार ताकि उसकी हानि में कमी आए और उनकी उधार क्षमता में वृद्धि हो।	सरकार ने वर्ष 2013-14 के पश्चात् तीन वर्षों तक अर्थात् वर्ष 2016-17 तक ऐसे आरआरबी जो न्यूनतम 9% सीआरएआर बनाए रखने में सक्षम नहीं है, के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिमंडल द्वारा पूर्व में अनुमोदित 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्ति राशि का प्रयोग ऐसे किसी आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा जो न्यूनतम 9% सीआरएआर बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं।	यह सरकार का निवेश है। इसमें कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है।
8.	मुख्य शीर्ष 4416 - नाबार्ड की शेयर पूंजी में अभिदान करना।	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार को बढ़ाना।	-	500.00	-	दिनांक 31.12.2015 तक जारी नहीं।मामला प्रक्रियाधीन है।	इससे नाबार्ड की उधार लेने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्य करने वाले बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि होगी।	कार्यान्वयन की अवधि एक वर्ष है।	इस पूंजी निवेश से नाबार्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक कार्य-कलाप कर रहे बैंकों की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने अपनी उधार क्षमता में वृद्धि करने, के लिए मदद मिलेगी। कोई भी जोखिम कारक शामिल नहीं है।
9.	मुख्य शीर्ष 4885 - भारतीय निर्यात - आयात बैंक	एक्जिम बैंक के इक्विटी आधार को सुदृढ़ करना	-	500	-	वर्ष 2016-17 के दौरान निर्यात ऋण व्यवस्था के अंतर्गत बैंक के संवितरण को 413 मिलियन यूएसडी तक बढ़ाना	भारत के परियोजना निर्यात का संवर्द्धन	एक वर्ष	ऋण जोखिम, नगदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा विदेश मुद्रा परिवर्तन दर

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
						(वर्ष 2015-16 के दौरान 375 मिलियन यूएसडी के संभावित संवितरण की तुलना में 10% की वृद्धि)।			
10.	मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए "इन्द्रधनुष" योजना की घोषणा की थी और इसके एक भाग के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए पीएसबी बासेल-III के अनुरूप बना रहे एक पूंजीकरण कार्यक्रम की भी घोषणा की गयी थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2015-19 के बीच लगभग 70,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जाने हैं। प्रयुक्त मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए था कि सभी बैंकों का सीईटी-I 7.5% पर बना रहे। इसके अलावा, बड़े बैंकों को बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं में सहायता के लिए वृद्धिशील पूंजी भी दी गयी थी। पीएसबी के तुलन-पत्र को ठीक करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) कार्य के पश्चात् संख्याओं की पुनः जांच की जा रही है और "इन्द्रधनुष 2.0" के भाग के रूप में पूंजीकरण का संशोधित कार्यक्रम जारी किए जाएंगे।	-	25000	-	सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अपने टियर-I सीआरएआर को सुविधाजनक स्थिति में रखने के लिए तथा बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदंडों को लागू करने के लिए।	यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी लक्षित वृद्धि प्राप्त करने तथा बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदंडों के अनुरूप बने रहने के साथ ही अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।	-	यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों को देश की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक तथा प्रभावी रूप से कार्रवाई करने तथा उनके सीआरएआर को बासेल-III मानदंड के संदर्भ में सुविधाजनक स्तर पर बनाए रखने में उन्हें सहायता करने हेतु सरकार के द्वारा निवेश है।
						अल्प आय वाले उधारकर्ताओं को			

1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीईबीआर				
11.	मुख्य शीर्ष 6885 - आईडीए 5283 - आईएन अल्प आय आवास वित्त परियोजना	अल्प आय परिवारों को अपनी रिहायशों के क्रय, निर्माण अथवा उन्नयन के लिए सम्पोषणीय आवास वित्त तक पहुंच प्रदान करना।	-	200.00	-	अल्प आय उधारकर्ताओं को आवास वित्त प्रदान करने के राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रयासों को सरकार के माध्यम से एनएचबी को रियायती आईडीए निधियों का प्रवाह सहायता प्रदान करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक इस परियोजना के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के ऋण पोर्टफोलियो के बदले प्राथमिक उधारदात्री संस्थाओं (पीएलआई) का बड़े पैमाने पर पुनर्वित्त पोषण करेगी।इससे ईडब्ल्यूएस/एलआईजी खंड में उधारकर्ताओं, खासकर आय क्षेत्र के अनौपचारिक स्रोत और/या संपत्ति पर अनौपचारिक टाइटल राइट रखने वाले, को आवास वित्त की उपलब्धता में सुधार होगा।	निधियां एनएचबी को अल्प आय वर्ग के लोगों के लिए एक दीर्घावधिक आवास वित्त बाजार को व्यापक बनाने और विकसित करने में मदद करेंगी	परियोजना को 5 वर्ष की अवधि (2013 -2018) के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है।	इसमें जोखिम यह है कि राष्ट्रीय आवास बैंक का अनौपचारिक क्षेत्र आय वाले परिवारों के लिए आवास वित्त बढ़ाने के प्रयास में बाधा आ सकती है यदि इन परिवारों के लिए पहचान उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा समानान्तर प्रयास में रुकावट आती है।पर्याप्त बाजार अवसंरचना के बिना मांग की सहायता से अति ऋणग्रस्तता की स्थिति पैदा हो सकती है।परियोजना जोखिम में वृद्धि होती है क्योंकि एनएचबी प्राथमिक उधारदाताओं को उधार देता है जो अपेक्षाकृत गरीब परिवारों (ईडब्ल्यूएस और एलआईजी) को जाता है। प्राथमिक उधारकर्ताओं (आय आवास कागजी प्रमाण-पत्रों, कर भुगतान, इत्यादि की कमी) के क्रम में अनौपचारिकता और वित्तपोषण के लिए संपत्ति के संपार्श्विक (अधिसूचित या नियमित झुग्गी-झोपड़ियों) के क्रम में अनौपचारिकता की मात्रा अधिक है।

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

1. ई-डीआरटी परियोजना

ई-अभिशासन कार्यकलापः ऋण वसूली अधिकरण एवं ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के कार्यकलापों को जन-साधारण के लिए पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई-डीआरटी परियोजना शुरू की गई थी। वर्तमान में ई-डीआरटी परियोजना प्रगति पर है और शीघ्र ही इसके पूरा होने की संभावना है।

ई-डीआरटी परियोजना के कई पहलु हैं जिसमें डीआरटी पोर्टल, पुराने रिकार्डों की स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण तथा ई-फाइलिंग प्रक्रिया शामिल है। जन साधारण की सुविधा के लिए वाद सूचियों, निर्णयों, दैनिक आदेशों को डीआरटी पोर्टल में प्रतिदिन अपलोड एवं अद्यतन करने हेतु ऋण वसूली अधिकरण एवं ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण को सक्षम बनाने के लिए डीआरटी पोर्टल (www.drt.gov.in) में प्रावधान किया गया है। यह पोर्टल जन साधारण को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीडीबीएफआई अधिनियम) के प्रावधानों तथा ऋण वसूली अधिकरण एवं ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण से संबंधित विभिन्न नियमों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए भी समर्थ बनाएगा।

पुराने रिकॉर्डों की स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण पहले से ही चल रहा है। वर्तमान में ऋण वसूली अधिकरण एवं ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में ई-फाइलिंग प्रक्रिया विचाराधीन है।

2. परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015

29 दिसंबर, 2015 को परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 को सरकारी राजपत्र में अधिनियमित एवं अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन अधिनियम, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) की धारा 138 के तहत किए गए अपराध के संबंध में मामला दायर करने हेतु अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने पर केंद्रित है। संशोधित अधिनियम केवल उसी न्यायालय में मामला दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराती है जिसकी स्थानीय अधिकारिता क्षेत्र के तहत आदाता की बैंक शाखा स्थित है, जहां आदाता ने अपने खाते के माध्यम से भुगतान हेतु चेक प्रस्तुत किया है, इसमें धारक चेक के मामले शामिल नहीं हैं, जिसे अदाकर्ता बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जाता है और उस मामले में उक्त शाखा के स्थानीय न्यायालय को इस की अधिकारिता प्राप्त है। संशोधन अधिनियम, एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत किसी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु नई योजना के लिए पूर्वव्यापी वैधीकरण प्रदान करता है। संशोधन अधिनियम एक ही चैक जारीकर्त्ता के विरुद्ध मामलों के केंद्रीकरण का अधिदेश भी देता है।

अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित मामलों का स्पष्टीकरण इक्विटी के दृष्टिकोण से वांछनीय हो सकता है क्योंकि यह शिकायतकर्ता के हित में होगा और इससे निष्पक्ष जांच भी सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, चेक अनादरण से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अधिकारिता क्षेत्र के मामले की स्पष्टता वित्तीय लिखत के रूप में चेक की विश्वसनीयता को बढ़ाएगी। आशा है कि यह सामान्यतः व्यापार एवं वाणिज्य के लिए सहायक होगा और बैंकों सहित उधारदात्री संस्थाओं को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करना जारी रखने की अनुमति देगा क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 के प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से ऋण चूक से संबंधित चेक अनादरण मामलों को संचालित करने की प्रक्रिया को सरल एवं कार्यक्षम बनाया गया है।

3. पेंशन सुधार

इस पृष्ठभूमि की तुलना में कि कुल श्रमिकों का सिर्फ 12-13% ही किसी औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया गया था, देश में सुदृढ़ तथा धारणीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत में पेंशन क्षेत्र में सुधार आरंभ किये गये। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 01 जनवरी, 2004 से आरंभ की गई है। इसे निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर सरकारी सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। सुदृढ़ विनियमन समर्थित व्यक्तिगत विकल्प पर आधारित किफायती तथा कुशल पेंशन प्रणाली के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है। पूर्णतः "निर्धारित अंशदान" उत्पाद के रूप में बिना किसी निर्धारित लाभ घटक के प्रतिलाभ पूर्णतः बाजार से संबद्ध होंगे। कुछेक विनियामकीय प्रतिबंधों के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लोगों को विभिन्न निवेश विकल्पों तथा एक निवेश से दूसरे निवेश या एक निधि प्रबंधक से दूसरे प्रबंधक में परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध कराती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्षेत्र

सभी नागरिकों के लिए एनपीएस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उपस्थिति केंद्र (पीओपी) के रूप में 61 संस्थागत कंपनियों सहित एनपीएस मध्यवर्तियों, जो पेंशन खाता खोलने तथा संग्रह केंद्रों, जो एक केंद्रीयकृत रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी (सीआरए) के रूप में कार्य करेंगी, तथा निवेशकों के पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए 8 पेंशन निधि प्रबंधकों की नियुक्ति शामिल है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप एनपीएस मध्यवर्तियों के चयन की प्रक्रिया के लिए पारदर्शी, गैर-विवेकाधीन, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनायी गयी है, जिससे इष्टतम लागत पर एनपीएस के अंशदाताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित होती है।

संगठित कंपनियों को अपने मौजूदा तथा नए कर्मचारियों को एनपीएस संरचना में ले जाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोर एनपीएस के विशेष रूप से तैयार किए गए मॉडल, जिसे "एनपीएस-कॉर्पोरेट" क्षेत्र मॉडल के रूप में जाना जाता है, को दिसंबर, 2011 से आरंभ किया गया है। 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार, 2142 कॉर्पोरेट्स तथा 4.42 लाख कर्मचारियों को इस मॉडल के अंतर्गत नामांकित किया गया है। एनपीएस कॉर्पोरेट क्षेत्र मॉडल के अंतर्गत एयूएम 8088.84 करोड़ रुपए है। (एनपीएस में राज्य सरकार के रूप में पंजीकृत डीवीसी को कॉर्पोरेट के रूप में माना गया है)।

एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष में इसमें कई परिवर्तन किए गए हैः

i. **एनपीएस खाते की परिपक्वता पर अंशदाताओं को वार्षिकी योजना का प्रस्ताव देने के लिए सात वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध किया गया हैः**

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. भारतीय स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
3. आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

4. बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

5. स्टार यूनियन दा-इची इंश्योरेंस कंपनी लि.

6. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

7. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

ii. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास संबंधी दिशानिर्देश-अभिदाता द्वारा संचित पेंशन धन के संपूर्ण आहरण का विकल्प-**

एनपीएस लाइट-स्वावलंबन योजना के अभिदाताओं को छोड़कर अभिदाताओं को समस्त संचित पेंशन निधि आहरित करने का विकल्प देने का निर्णय इस शर्त के अध्यधीन लिया गया है कि:

अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन सरकारी कर्मचारी अभिदाताओं के लिए अधिवर्षिता के समय या सर्व नागरिक मॉडल (ऑल सिटीजन मॉडल) और कॉर्पोरेट मॉडल के अंतर्गत आने वाले अभिदाताओं के लिए 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने पर 2,00,000/- रुपए के बराबर या उससे कम है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने वर्ष 2010-11 के बजट में "स्वावलंबन योजना" की घोषणा की थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं परिचालन लागत को कम करने के लिए भारत सरकार सभी पात्र एनपीएस स्वावलंबन खातों में 1000/- रूपये प्रतिवर्ष अपना अंशदान करती है जहां पर अभिदाताओं का अपना अंशदान प्रतिवर्ष 1000/- रूपये से 12000/- रूपये के बीच है।

iii. **60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में पंजीकरण-**

पीएफआरडीए ने प्रवेश के समय आयु पर ध्यान दिए बिना सरकार के उपस्थिति रजिस्टर में विद्यमान सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों (केंद्र और राज्य) को इस शर्त के अध्यधीन एनपीएस में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है कि एनपीएस खाते में अंशदान की कुल अवधि 42 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसे अभिदाताओं के एनपीएस आवेदनों को 60 वर्ष से नीचे की आयु के सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस रजिस्ट्रेशन के लिए अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुरूप सरकारी विभाग के उपयुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का दायित्व अभिदाता पंजीकरण फॉर्म जमा करने वाले विभाग का होगा कि कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के योग्य है और कि ऐसे कर्मचारी के लिए समस्त सेवा अवधि के दौरान 42 वर्ष से अधिक के एनपीएस अभिदान का भुगतान नहीं किया गया है। संसद द्वारा पारित पीएफआरडीए अधिनियम, 01 फरवरी 2014 से प्रभावी हो गया है और जैसा अधिनियम के तहत दिया गया है, प्राधिकरण के द्वारा विनियमों को तैयार किया जा रहा है और इसे चरणों में अधिसूचित किया जा रहा है।

iv. **पीआरएएन की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)- एनपीएस लाइट/एनपीएस स्वावलंबन- सर्व नागरिक मॉडल और अन्य क्षेत्र-**

सर्व नागरिक मॉडल में शामिल होने के इच्छुक एनपीएस लाइट/स्वावलंबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अभिदाता सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत अब एनपीएस नियमित प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। ऐसा एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के उन अभिदाताओं की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है, जो एनपीएस लाइट प्लेटफॉर्म में शामिल हुए लेकिन विभिन्न कारणों से एनपीएस नियमित मॉडल से अलग होकर अंतर मंच अंतरण प्रक्रिया के माध्यम से एनपीएस लाइट/स्वावलंबन से एनपीएस के सर्व नागरिक मॉडल में अपने पीआरएएन को स्थानांतरित करना चाहा।

v. **अटल पेंशन योजना का प्रचार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:**

- बकाया राशि पर अतिदेय ब्याज का प्रभार लगाने को सरलीकृत करना।
- मौसमी आय अर्जकों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की प्रणाली को मासिक से मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक में परिवर्तित कर दिया गया है।
- 24 माह के पश्चात खाते को बंद करने के खंड का विलोपन और खाते में मूल-राशि उपलब्ध होने तक खाते को जारी रखना।

इस योजना के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए, पीएफआरडीए ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में सामयिक विज्ञापन।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बैंक शाखा अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना। कुल 1443 प्रशिक्षण पूरे हो गए हैं जिनमें 72483 बैंक तथा डीपीओ अधिकारियों को शामिल किया गया है।
- टाउन हाल बैठकों, एसएलबीसी बैठकों में भाग लेना।
- राज्य सरकारों के साथ बैठकों का आयोजन करना।
- मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार।
- मुख्य सचिव, केरल सरकार।
- मुख्य मंत्री, गुजरात सरकार।
- मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार।
- मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार।
- मनरेगा कार्यकर्ताओं, एसएचजी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि जैसे असंगठित कार्य बल को एपीवाई के तहत लाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंजायती राज, स्वास्थ्य आदि के सचिव के साथ बैठक।

विगत कार्यनिष्पादन की समीक्षा

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की गई थी और 01 जनवरी, 2004 से सरकार में भर्ती किए गए सभी नए कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। 27 राज्यों ने एनपीएस को अधिसूचित किया गया है और इसमें शामिल हो गए हैं। इनमें से 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए एनपीएस न्यास और सीआरए के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के 44.42 लाख कर्मचारी पहले से ही एनपीएस में शामिल हैं। दिनांक 31-12-2015 की स्थिति के अनुसार, एनपीएस-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) 96,664.42 करोड़ रु. है। असंगठित क्षेत्र के लोगों तक एनपीएस का लाभ पहुंचाने के लिए बजट भाषण 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में सरकार द्वारा स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। यह योजना 61 एग्रीगेटरों (दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के माध्यम से परिचालित होती है। वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 3,01,922 अभिदाताओं, 2011-12 के दौरान 6,43,979 अभिदाताओं को नामांकित किया गया है, वर्ष 2012-13 में स्वावलंबन के लिए पात्र 11,01,079 अभिदाता और वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 15,90,610 अभिदाता भारत सरकार की ओर से 1000/- रूपये का स्वावलंबन लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित सभी नागरिकों के लिए 66 उपस्थिति केंद्रों (पीओपी) के लगभग 55350 सेवा प्रदाता शाखाओं के माध्यम से एनपीएस उपलब्ध था (दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार)।

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों के त्वरित न्याय निर्णयन एवं त्वरित वसूली और उससे जुड़े मामलों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन केंद्र सरकार ने देश भर में 33 ऋण वसूली अधिकरणों और 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों की स्थापना की है। सरकार ने मौजूदा डीआरटी में लंबित मामलों को कम करने के लिए बेंगलुरू, चंडीगढ़, देहरादून, एर्नाकुलम, हैदराबाद और सिलीगुड़ी में 6 नए डीआरटी को स्थापित किए जाने को अनुमोदित कर दिया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम, 2002 को अधिनियमित करते हुए डीआरटी की भूमिका को विस्तृत किया गया है जो असंतुष्ट व्यक्तियों को डीआरटी के समक्ष अपील दायर करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त दोनों अधिनियमों के तहत वसूली प्रक्रियाओं के संबंध में बैंकों द्वारा सामना की जा रही कुछेक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए 04 जनवरी, 2013 को प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2002 को अधिनियमित कर दिया गया।

डीआरटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, उनके द्वारा दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि के दौरान कुल 19595 मामले (मूल आवेदन) जिनमें लगभग 40,004.05 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, का निपटान किया गया था।

वर्ष 2014-15 के परिव्यय के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2014-2015 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समय-सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	मुख्य शीर्ष 2235 - स्वावलंबन योजना	i. स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत कवरेज को 17.5 लाख अभिदाताओं तक बढ़ाना	175.00	175.00	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 17.5 लाख अभिदाताओं को पंजीकृत करना	मार्च, 2015	संभावित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार परिस्थितियों, निम्न विरामी आय तथा वित्त संबंधी जानकारी के कम होने, एग्रीगेटर तथा पीओपी के कार्यनिष्पादन के अध्यधीन है।	योजना के अंतर्गत कुल 13,30,853 अभिदाता पात्र थे।
		ii. स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों के लिए।	20.00	20.00				
2.	मुख्य शीर्ष 2235 - नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करना।	वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब्सिडी प्राप्त पेंशन योजना	111.49	111.24	योजना के अंतर्गत लाभार्थी 9% प्रति वर्ष का प्रभावी लाभ प्राप्त करते हैं।	योजना को वर्ष 2004 से बंद कर दिया गया है। तथापि, दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, कुल 3,05,632 वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने योजना के चालू रहने के दौरान नामांकन करवाया था, को 9% प्रतिवर्ष का सुनिश्चित प्रतिफल प्रदान किया जा रहा है।	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	कुल 2,94,740 लाभार्थी जिन्होंने योजना के चालू रहने के दौरान अपना नामांकन करवाया था, को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
3.	मुख्य शीर्ष 2235 - प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन कवर	इस योजना में दिनांक 28.08.2014 से 31.01.2015 के बीच बैंक खाता खोलने वाले लोगों को निर्धारित पात्रता शर्तों के अध्यधीन 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है।	-	100.00	विनिर्दिष्ट तिथियों के बीच खाता खोलने वाले सभी पीएमजेडीवाई खाता धारक (निर्धारित पात्रता शर्तों के अध्यधीन)।	पीएमजेडीवाई योजना के शुभारंभ के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी, 2015 से पहले रूपे डेबिट कार्ड के साथ बैंक खाता खोलने वाले अभिदाताओं के लिए 30,000/- रु. के जीवन बीमा कवर की घोषणा की थी।	इस योजना के लिए एलआईसी द्वारा अनुरक्षित निधि की पूर्ति सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाना अपेक्षित है।	18.08.2014 से 14.08.2015 तक की एक वर्ष की अवधि में कवर किए गए 60 लाख नए जीवनों का प्रीमियम प्रति सदस्य प्रति वर्ष 90/- रुपए था।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
4.	मुख्य शीर्ष 2235 - आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निधि में सरकार का अंशदान	यह योजना गरीबी रेखा से नीचे तथा मामूली रूप से ऊपर के लोगों के जीवन तथा अपंगता को कवर करती है।	0.01	0.01	इस योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रीमियम 200 रुपए है, जिसमें से 50 प्रतिशत अंशदान सरकार द्वारा सृजित एलआईसी द्वारा अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि से दिया जाता है। "ग्रामीण भूमिहीन परिवारों" के मामले में शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा तथा अन्य समूहों के मामले में राज्य सरकार/नोडल एजेन्सी/ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय मंत्रालय के विभाग/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/ अन्य संस्थागत व्यवस्था/पंजीकृत एनजीओ योजना के अंतर्गत नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर सकते हैं। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार एएबीवाई के अंतर्गत 4,32,08,152 जीवनों को कवर किया गया है।	इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के लाभार्थियों सहित 18 से 59 वर्ष के आयु-समूह के ऐसे व्यक्तियों को बीमा कवर दिया जाता है जो पहचान किए गए 47 पेशागत/ व्यवसायिक समूहों के सदस्य हैं।	इस योजना के अंतर्गत सरकार को समय-समय पर 'सामाजिक सुरक्षा निधि' में प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित है।	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, एएबीवाई के अंतर्गत कुल 4,32,08,152 जीवनों को कवर किया गया है।
5.	मुख्य शीर्ष 2235 - आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत 'छात्रवृत्ति निधि' में सरकार का अंशदान	इस योजना में सदस्य के 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रति छात्र प्रति माह 100 रूपये की दर से छमाही आधार पर छात्रवृत्ति का अतिरिक्त लाभ दिया जाता है।	149.99	174.99	लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रति छात्र प्रति माह 100 रूपये की दर से छमाही आधार पर छात्रवृत्ति का निःशुल्क अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान एएबीवाई के अंतर्गत 276 करोड़ रुपए की कुल 30,41,921 छात्रवृत्ति संवितरित की गयी।	लाभार्थियों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रति छात्र प्रति माह 100 रूपये की दर से छमाही आधार पर छात्रवृत्ति का निःशुल्क अतिरिक्त लाभ दिया जाता है।	इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सरकार को समय-समय पर 'छात्रवृत्ति निधि' में प्रतिपूर्ति करना अपेक्षित है।	वर्ष 2014-15 के दौरान एएबीवाई के अंतर्गत 276.00 करोड़ रुपए की कुल 30,41,921 छात्रवृत्ति संवितरित की गयी।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
6.	मुख्य शीर्ष 2885 - आईसीआईसीआई बैंक को विदेशी सहायता संघटक के लिए अनुदान	भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को क्रेडिटअनस्टाल्ट फर वायडरोफवा (केएफडब्ल्यू) द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया गया है। के एफडब्ल्यू द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को देय ब्याज का एक भाग भारत सरकार के पास प्रत्येक छमाही अर्थात् 30 जून और 31 दिसम्बर को जमा करना होगा। भारत सरकार और केएफडब्ल्यू के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत सरकार के पास जमा ब्याज को "ब्याज विभेदक निधि" के रूप में जाना जाएगा और इसे आईसीआईसीआई बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा।	46.02	46.02	द्वपिक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान के प्रयोजन से वर्ष 2014-15 के बजट (गैर-योजना) में 46.02 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।	-	कोई जोखिम घटक शामिल नहीं है क्योंकि यह सीएएए कार्यालय द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यय के प्रति प्रतिपूर्ति है।	पूरी निधियां समय पर जारी की गई।
7.	मुख्य शीर्ष 2885 - आईडीबीआई बैंक लि. की पुरर्संरचना देयता - ब्याज सब्सिडी दावा	आईडीबीआई की अशोध्य आस्तियों के संबंध में कार्रवाई करने हेतु आस्ति स्थिरीकरण निधि का सृजन किया गया है।	0.00	250.00	एसएएसएफ ने आईडीबीआई बैंक लि. से अर्जित एनपीए से 250 करोड़ रूपये की राशि की वसूली का अनुमान लगाया था। तदनुसार संशोधित अनुमान, 2014-15 में 250 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था।	-	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है क्योंकि आईडीबीआई बैंक को विप्रेषण एसएएसएफ द्वारा की गई वसूली से किया जाएगा।	अंततः एसएएसएफ द्वारा केवल 105 करोड़ रूपये की वसूली की गई और 105 करोड़ रूपये का विमोचन किया गया।
8.	मुख्य शीर्ष 3465 - प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर, 2008 के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गयी एसएएलआर विपणन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना। पीएसबी को अपने टीयर द्व I में	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम 2008 में नियत तिथि को अंशदान के लिए जारी की गयी सरकारी प्रतिभूतियां - 2024 के मोचन के लिए सरकार द्वारा सृजित प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान है।	-	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है। क्योंकि यह प्रयोजन के लिए पहले से गठित प्रतिभूति मोचन निधि में किया जाने वाला अंशदान है।	सम्पूर्ण निधियां समय पर जारी की गईं।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
9.	मुख्य शीर्ष 5465- सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	वृद्धि करने के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध कराना ताकि वे अपने टीयर-I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रख सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदंड को पूरा करने के साथ-साथ अपनी अनुषंगियों और सहयोगियों के जरिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सक्रिय पीएसबी की सहायता कर सकें।	11,200	6990.00	सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार अपने टियर-I सीआरएआर को सुविधाजनक स्थिति में रखने के लिए तथा बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदंडों को लागू करने के लिए।	-	यह सरकारी क्षेत्र के बैंकों को देश की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं के प्रति सकारात्मक तथा प्रभावी रूप से कार्रवाई करने में उन्हें सक्षम बनाने हेतु सरकार के द्वारा निवेश है।	9 पीएसबी में 6,990 करोड़ रूपये की राशि का निवेश किया गया। यह बैंकों को हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र की बढ़ती ऋण आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करने तथा सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में मदद करेगा।
10.	मुख्य शीर्ष 6416 - लाइसेंस रहित डीसीसीबी के पुनरुज्जीवन हेतु योजना	चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश में 16, जम्मू और कश्मीर में 3, महाराष्ट्र में 3 तथा पश्चिम बंगाल में 1 लाइसेंस रहित जिला सहकारी बैंकों के पुनरुज्जीवन हेतु योजना कार्यान्वित करना।	-	673.29	तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 3 तथा पश्चिम बंगाल में 1 लाइसेंस रहित जिला सहकारी बैंकों के पुनरुज्जीवन हेतु 562.07 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।	-	कोई जोखिम कारक शामिल नहीं है।	यह इन सहकारी बैंकों को पुनरुज्जीवित करने में सहायता प्रदान करेगा, जिससे जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा होगी और किसानों की ऋण आवश्यकताएं पूरी होंगी।

परिव्यय तथा परिणाम का विवरण 2015-16

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2015-2016 परिव्यय (रूपए करोड़ में)		मात्रात्मक प्रदाय/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समय-सीमा	जोखिम कारक	31 दिस. 2015 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
1.	**मुख्य शीर्ष 2235- स्वावलंबन योजना।**	i. 28 लाख अभिदाताओं के लिए स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कवरेज प्रदान करना।	500.00	280.00	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 28 लाख अभिदाताओं को नामांकित करना।	मार्च, 2016	संभावित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार की स्थितियों, रूक-रूक कर होने वाली कम आय और अल्प वित्तीय ज्ञान, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्य-निष्पादन के अध्यधीन हैं।	31 दिसम्बर, 2105 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 2,43,552 अभिदाता पात्र थे।
		ii. स्वावलंबन योजना के अंतर्गत संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए।	81.90	28.00				
2.	**मुख्य शीर्ष 2235- अटल पेंशन योजना।**	i. लगभग 15 लाख अभिदाताओं को एपीवाई योजना के अंतर्गत कवरेज प्रदान करना।	-	173.00	एपीवाई योजना के अंतर्गत 18 लाख अभिदाताओं को नामांकित करना।	मार्च, 2016	संभावित परिणाम अनौपचारिक श्रम बाजार की स्थितियों, रूक-रूक कर होने वाली कम आय और अल्प वित्तीय ज्ञान, एग्रीगेटरों और पीओपी के कार्य-निष्पादन के अध्यधीन हैं।	31 दिसम्बर, 2105 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 18,13,547 अभिदाता पात्र थे।
		ii. स्वावलंबन योजना के अंतर्गत संवर्द्धनात्मक एवं विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए।	-	23.00				
3.	**मुख्य शीर्ष "2235" - वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान**	वरिष्ठ नागरिकों के लिए सब्सिडीकृत पेंशन योजना।	101.79	101.79	दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 2,94,740 हिताधिकारियों को 9% वार्षिक के सुनिश्चित लाभ पर वार्षिकी उपलब्ध कराई गई है।	वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) 2003 उन व्यक्तियों के लिए सरकार समर्थित योजना है, जो 55 वर्ष और उससे अधिक हैं तथा जिन्होंने इस योजना के लिए अभिदान किया था। यह योजना जुलाई, 2003 से जुलाई, 2004 तक खुली थी। 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार ने 2014 में वीपीबीवाई को पुनरूज्जीवित किया था।	कोई जोखिम नहीं।	वीपीबीवाई, 2003 के लिए दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कुल 2,94,740 हिताधिकारियों और वीपीबीवाई, 2014 में कुल 3,23,128 हिताधिकारियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, जिन्होंने इस योजना के चालू रहने के दौरान अपना नामांकन कराया था।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
						इस योजना को दिनांक 15.08.2014 से दिनांक 14.08.2015 के लिए खोला गया था। दोनों योजनाओं को बंद किया जा चुका है। तथापि, उन वरिष्ठ नागरिकों को 9% प्रति वर्ष का सुनिश्चित प्रति लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिन्होंने इस योजना के चालू रहने के दौरान अपना नामांकन कराया था।		
4.	**मुख्य शीर्ष "2235" - प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत जीवन सुरक्षा (कवर)**	यह योजना उन लोगों को 30,000 रुपए का जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है, जिन्होंने कतिपय विनिर्दिष्ट अपात्र श्रेणी के अध्यधीन दिनांक 28.08.2014 से 31.01.2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोला है।	100.00	10.00	विनिर्दिष्ट तारीखों के बीच (कतिपय पात्रता शर्तों के अध्यधीन) खाता खोलने वाले सभी पीएमजेडीवाई खाताधारक।	प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सभी खाताधारकों को 30,000 रुपए की जीवन सुरक्षा, जिन्होंने (कतिपय विनिर्दिष्ट अपात्र श्रेणी के अध्यधीन) दिनांक 28.08.2014 से 31.01.2015 के बीच बैंक खाता खोला है।	कोई जोखिम नहीं।	इस योजना के अंतर्गत 4.77 करोड़ रुपए की राशि के कुल 1593 दावों का निपटान किया गया है।
5.	**मुख्य शीर्ष "2235" - आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निधि में सरकार का अंशदान**	यह योजना गरीबी रेखा से नीचे और आंशिक रूप से ऊपर रहने वाले व्यक्तियों को जीवन और दिव्यांगता सुरक्षा उपलब्ध कराती है।	0.01	0.01	इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम 200 रुपए प्रति हिताधिकारी है जिसका 50% केंद्र सरकार द्वारा सृजित सामाजिक सुरक्षा निधि से दिया जाता है और जिसका रख-रखाब एलआईसी द्वारा किया जाता है। 'ग्रामीण भूमिहीन परिवारों' के मामले में शेष 50% प्रीमियम का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है तथा अन्य समूहों के लिए इसका	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) के हिताधिकारियों के साथ-साथ 18 से 59 के बीच के आयु समूह के व्यक्तियों जो पहचान किए गए 47 व्यवसायिक समूहों के सदस्य है, को इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर प्रदान किया जाता है।	सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर इस योजना के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की प्रतिपूर्ति करे।	दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कुल 5,34,53,756 जीवनों को एएबीवाई के अंतर्गत कवर किया गया था।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
					अंशदान राज्य सरकार/नोडल एजेंसी/व्यक्ति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रालय के विभागों/ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, कोई अन्य संस्थागत व्यवस्था और पंजीकृत एनजीओ इस योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर सकते हैं। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कुल 4,32,08,152 जीवनों को एएबीवाई के अंतर्गत कवर किया गया है।			
6.	**मुख्य शीर्ष 2235 - आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) के अंतर्गत 'छात्रवृत्ति निधि' में सरकार का अंशदान**	यह योजना उन मामलों में अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है, जहां प्रति छात्र 100 रूपया प्रति माह की छात्रवृत्ति छमाही आधार पर दी जाती है जो प्रति सदस्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों के लिए है।	437.50	437.50	प्रति माह प्रति बच्चा 100 रूपये की राशि हिताधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति का मुफ्त अतिरिक्त लाभ छमाही आधार पर भुगतेय है, जो प्रति सदस्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों के लिए है। वर्ष 2014-15 के दौरान एएबीवाई के अंतर्गत 276.00 करोड़ रुपए की कुल 30,41,921 छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।	प्रति माह प्रति बच्चा 100 रूपये की राशि हिताधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति का मुफ्त अतिरिक्त लाभ छमाही आधार पर भुगतेय है, जो प्रति सदस्य 9वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों के लिए है।	सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति निधि की प्रतिपूर्ति करे।	वर्ष 2014-15 के दौरान एएबीवाई के अंतर्गत 276.0 करोड़ रुपए की कुल 30,41,921 छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। तथापि, दिनांक 10.07.2015 से एएबीवाई को श्रम और रोजगार मंत्रालय को हंस्तातरित कर दिया गया है।
7.	**मुख्य शीर्ष 2416 - दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) के पुनरूद्धार के लिए अनुदान सहायता**	देश में दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) का पुनरूद्धार।	0.01	-	-	दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे (एलटीसीसीएस) के पुनरूद्धार लिए पुनरूद्धार सहायता प्रदान करना।	अनिश्चित शेयरधारक स्वामित्व और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधानों की कमी आदि के कारण पैकेज को	यह देश में सहकारी ऋण ढांचे के लिए प्रस्तावित सब्सिडी है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
							क्रियान्वित नहीं करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, एक टोकन प्रावधान किया गया है।	
8.	**मुख्य शीर्ष 2416- किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता**	अल्पावधि उत्पादन ऋण पर किसानों को ब्याज राहत।	13,000	13,000	-	दिनांक 31.12.2015 को 12,405.16 करोड़ रुपए जारी किए गए। 3 लाख रुपए तक की राशि पर किसानों को 7% की ब्याज दर से अल्पावधि उत्पादन ऋण प्रदान करना। 3% की अतिरिक्त सहायता उन किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी जो समय पर अपने फसल ऋण की अदायगी करते हैं।	अल्पावधि ऋण पर अति-आवश्यक ब्याज राहत से किसानों को लाभ होगा।	क्रियान्वयन की अवधि को वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाता है।
9.	**मुख्य शीर्ष 2885- आईडीबीआई बैंक लि. की देयता का पुनर्गठन - ब्याज सहायता दावा**	आईडीबीआई की अशोध्य आस्तियों की देखभाल के लिए दबावग्रस्त आस्ति निधि गठित की गई है।	-	150.00	-	वित्तीय वर्ष की प्रथम दो तिमाही के दौरान एसएएसएफ द्वारा की गई वसूली के आधार पर अनुमान दिए जाते हैं।		कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक को विप्रेषण एसएएसएफ द्वारा की गई वास्तविक वसूलियों में से की जाती है।
10.	**मुख्य शीर्ष 2885 - आईसीअईसीआई बैंक को विदेशी सहायता संघटक के लिए अनुदान**	जर्मनी और भारत के बीच द्विपक्षयी ऋण समझौता के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को क्रेडिटॉनस्टाल्ट फर विडेराफबाऊ (केएफडब्ल्यू) द्वारा ऋण सीमा मंजूर की गई है। आईसीआई सीआई बैंक द्वारा केएफडब्ल्यू को देय ब्याज का एक भाग भारत सरकार के पास प्रत्येक छमाही अर्थात् 30 जून और 31 दिसम्बर को जमा करना होगा। भारत सरकार और केएफडब्ल्यू के बीच हुए समझौते के अनुसार भारत	-	37.73	द्विपक्षीय ऋण समझौता के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान के उद्देश्य से अनुपूरक अनुदान मांग 2015-16 (गैर-योजना) में 37.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।	-	कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि यह सीएए के कार्यालय द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यय के बदले प्रतिपूर्ति है।	निधियों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि समय पर इस कार्य को पूरा किया जा सके।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
		सरकार के पास जमा ब्याज को "ब्याज विभेदक निधि" के रूप में जाना जाएगा और इसे आईसीआईसीआई बैंक को उपलब्ध कराया जाएगा।						
11.	**मुख्य शीर्ष 2885- 1% ब्याज सहायता योजना**	यह प्रावधान उन प्राथमिक उधारदात्री संस्थाओं से प्राप्त लंबित दावों के निपटान के लिए है, जो नोडल एजेंसी, अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से 15 लाख रुपए के आवास ऋण पर 1% ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत सब्सिडी के पात्र हैं।	-	85.00	-	-	-	यह योजना 1 अक्टूबर, 2009 से 31 मार्च, 2013 तक प्रभावी थी।
12.	**मुख्य शीर्ष 3465 - प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान**	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर, 2008 के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गई एसएलआर विपणन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए प्रतिभूति मोचन निधि में योगदान करना।	625.00	625.00	यह भारतीय स्टेट बैंक को उसके अधिकार निर्गम 2008 में नियत तिथि को अंशदान के लिए जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियां-2024 के मोचन के लिए सरकार द्वारा सृजित प्रतिभूति मोचन निधि में अंशदान है।	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयर, 2008 के अधिकार निर्गम में अंशदान के लिए जारी की गयी एसएलआर विपणन प्रतिभूति का मोचन वर्ष 2024 में किया जाना है। इन प्रतिभूतियों के मोचन के लिए सृजित इस निधि में सरकार द्वारा 625 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान किया जाना है।		समय पर समस्त राशि जारी की जा चुकी है।
13.	**मुख्य शीर्ष 4416 - नाबार्ड की शेयर पूंजी में अंशदान**	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पूंजी आधार का विस्तार।	300.00	300.00	-	दिनांक 31.12.2015 को कोई निर्गम नहीं। यह मामाला प्रक्रियाधीन है।	यह बैंक की बढ़ती पुनर्वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों को शुरू करने के उद्देश्य से नाबार्ड की उधार लेने की क्षमता में वृद्धि करेगा।	क्रियान्वयन की अवधि एक वर्ष है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) बजट अनुमान	4(ii) संशोधित अनुमान				
14.	**मुख्य शीर्ष 5465 - सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण**	अपनी टियर-1 सीआरएआर को बढ़ाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी सहायता उपलब्ध कराना ताकि वे अपने टियर-1 सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे अपने अनुषंगियों और सहयोगियों के माध्यम से किए जा रहे अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालनों के लिए बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों का अनुपालन कर सकें और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सक्रिय बैंकों की सहायता कर सकें।	7940.00	25000	दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने टियर-1 सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में समर्थ हों तथा बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदण्डों का अनुपालन कर सकें।	यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने लक्षित वृद्धि प्राप्त करने और बासेल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता के विनियामकीय मानदण्डों का अनुपालन करने और साथ ही अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ बनाता है।	-	अक्टूर-दिसम्बर, 2015 की अविध के दौरान 13 पीएसबी में 19,950.00 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
15.	**मुख्य शीर्ष 6416 - लाईसेंस रहित डीसीसीबी के पुनरूज्जीवन की योजना**	जम्मू और कश्मीर राज्य में लाइसेंस रहित जिला मध्यमवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनरूद्धार की योजना का क्रियान्वयन।	-	111.22	-	दिनांक 31.12.2015 को 111.20 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य में 3 सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार के लिए ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना परिचालन जारी रखने के लिए आरबीआई से लाईसेंस प्राप्त करने हेतु पात्र हो सकें और आरबीआई द्वारा निर्धारित सीआरएआर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इन डीसीसीबी को समर्थ बनाना।	यह इन सहकारी बैंकों के पुनरूद्धार में सहायक होगा जिसके परिणामस्वरूप ये जमाकर्ताओं के हितों को पूरा कर पाएंगे और किसानों के हितों की रक्षा कर पाएंगे।	जम्मू और कश्मीर राज्य को आगे जारी करने के लिए नाबार्ड को ब्याज रहित ऋण के रूप में निधियां जारी कर दी गई हैं, जो इस योजना को अभिशासित करने वाले समझौता ज्ञापन में निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने पर अनुदान में परिवर्तित की जाएंगी।

वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ तथा अदा किए गए लाभांश का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	बैंक/बीमा कंपनी का नाम	31.03.2015 के अनुसार कुल चुकता पूंजी	31.03.2015 के अनुसार चुकता पूंजी में सरकार का अंश	2014-15 में करोपरान्त लाभ	2014-15 में अदा किया गया लाभांश	2015-16 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान	2015-16 में लाभांश की अदायगी हेतु संशोधित अनुमान	2016-17 में लाभांश की अदायगी हेतु बजट अनुमान
1	इलाहाबाद बैंक	571.38	347.57	620.90	56.65	183.00	...	...
2	आन्ध्रा बैंक	602.85	367.85	638.44	73.57	140.00	20.87	41.73
3	बैंक आफ बड़ौदा	442.30	254.46	3398.44	407.13	437.00	...	501.54
4	बैंक आफ इंडिया	665.65	428.37	1708.92	214.19	498.00	...	...
5	बैंक आफ महाराष्ट्र	1063.18	848.37	450.69	67.87	155.00	...	77.64
6	केनरा बैंक	475.20	332.20	2702.62	348.81	463.00	133.26	145.85
7	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1658.27	1350.83	606.45	67.54	349.00	...	...
8	कार्पोरेशन बैंक	167.54	106.11	584.26	74.27	175.00	...	67.00
9	देना बैंक	561.15	335.30	265.48	30.17	99.00	...	13.00
10	इंडियन बैंक	480.29	394.34	1005.17	165.62	192.00	...	165.66
11	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1235.35	911.71	-454.33	...	295.00	...	...
12	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	299.85	177.30	497.08	58.51	188.00	...	69.84
13	पंजाब नैशनल बैंक	370.91	222.01	3061.58	366.32	94.00	...	...
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	400.41	318.82	121.35	19.13	472.00	31.85	39.81
15	सिंडिकेट बैंक	662.06	458.39	1522.93	215.45	184.00	...	115.00
16	यूको बैंक	1075.59	783.33	1137.79	156.67	194.00	...	...
17	यूनियन बैंक आफ इंडिया	635.78	384.44	1781.64	230.65	297.00	27	122.00
18	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	839.52	688.43	255.99	...	116.00	...	...
19	विजया बैंक	859.12	636.25	439.41	95.44	108.00	...	...
20	भारतीय स्टेट बैंक	746.57	437.46	13101.57	1566.28	1847.00	1019.57	1143.42
21	आईडीबीआई बैंक लि.	1603.96	1227.02	873.39	92.03	444.00	...	175.00
22	भारतीय महिला बैंक	1000.00	1000.00	19.79	...	...	...	...
23	एक्जिम बैंक	5059.37	5059.37	725.87	433.00	160.00	160.00	160.00
24	आईआईएफसीएल	3900.00	3900.00	753.40	282.54	...	...	...
25	आईएफसीआई	...	...	...	...	92.30	138.51	138.51
26	आईडीएफसी	...	...	...	...	67.96	37.00	42.00
27	भारतीय जीवन बीमा निगम	100.00	100.00	...	1803.05	2021.74	1997.30	2215.67
28	भारतीय साधारण बीमा निगम	430.00	430.00	2693.72	540.00	580.00	870.00	900.00
29	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100.00	100.00	970.11	193.53	150.00	60.00	150.00
30	न्यू इंडिया इश्यूरेंस कंपनी लि.	200.00	200.00	1431.22	300.00	190.00	360.00	390.00
31	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.00	150.00	300.57	61.00	130.00	150.00	180.00
32	ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	200.00	200.00	392.10	110.00	111.00	90.00	120.00
	कुल	26556.30	21927.92	41109.47	8029.42	10433.00	5095.36	6973.67

वित्तीय सेवाएं विभाग मांग संख्या 35 के अन्तर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2014-15			2015-16			2016-17
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2015 तक)	बजट अनुमान
	गैर-योजना							
1	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (मुख्य शीर्ष-2235)	...	...	...	...	0.01	...	50.00
2	कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 -कृषि ऋण राहत निधि में अंतरण (मुख्य शीर्ष -2235)	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
3	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को ब्याज सब्सिडी (मुख्य शीर्ष -2235)	111.49	111.24	111.24	101.79	101.79	...	171.90
4.	**असंगठित क्षेत्र से लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन हेतु स्वावलंबन योजना**							
4.1	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं के लिए सरकार का सह-अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	175.00	175.00	175.00	500.00	280.00	81.29	190.00
4.2	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए संवर्धनात्मक और विकासात्मक गतिविधियों तथा अंशदान के लिए निधियन सहायता (मुख्य शीर्ष -2235)	20.00	20.00	20.00	81.90	28.00	4.35	19.00
5	प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत प्रीमियम अभिदान हेतु सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	...	100.00	1.00	100.00	10.00	...	100.00
6	आम आदमी बीमा योजना में सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	150.00	175.00	174.99	437.51	437.51	...	...
7	नाबार्ड उत्पादक संगठन विकास निधि में अनुदान सहायता (मुख्य शीर्ष -2416)	200.00	200.00	200.00	...	...	...	...
8	किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता (मुख्य शीर्ष -2416)	6000.00	9476.71	6000.00	13000.00	13000.00	12405.16	...
9	दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का पुनरुज्जीवन (मुख्य शीर्ष -2416)	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...
10	भारत-स्विस सहकारिता-vi नाबार्ड भारत-स्विस परियोजना समझौता के अंतर्गत दावों के निपटान हेतु नाबार्ड को अनुदान (मुख्य शीर्ष -2416)	...	...	...	...	5.39	...	0.88
11	आवास ऋण के लिए 1 प्रतिशत की सब्सिडी हेतु नोडल एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान (मुख्य शीर्ष - 2885)	50.00	50.00	50.00	0.01	85.00	...	...
12	विदेशी सहायता प्राप्त संघटक हेतु आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान (मुख्य शीर्ष -2885)	46.02	46.02	46.02	...	37.73	...	0.01
13	भारतीय रिजर्व बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के अभिदान हेतु प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण (मुख्य शीर्ष -3465)	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
14	गरीबों के मदद करने हेतु परामर्शदात्री समूह (सीजीएपी) में भारत की सदस्यता हेतु अंशदान (मुख्य शीर्ष -3475)	...	...	...	...	0.62	...	...
15	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच को सुधारने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता (मुख्य शीर्ष -6885)	0.01	60.00	4.19	...	49.82	...	...
16	गैर-लाइसेंसीकृत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनरुज्जीवन हेतु नाबार्ड को ऋण (मुख्य शीर्ष -6416)	...	673.29	562.07	...	111.22	111.20	...
	कुल गैर-योजना	**7377.54**	**11712.28**	**7969.51**	**14846.23**	**14772.08**	**13227.00**	**1156.79**

क्रम सं.	योजना/कार्यक्रम	2014-15 बजट अनुमान	2014-15 संशोधित अनुमान	2014-15 वास्तविक	2015-16 बजट अनुमान	2015-16 संशोधित अनुमान	2015-16 वास्तविक (दिसंबर 2015 तक)	2016-17 बजट अनुमान
	योजना							
17	आम आदमी बीमा योजना में सरकार का अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	...	...	...	...	...	...	450.00
18	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (मुख्य शीर्ष -2235)							
18.1	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत संवर्धन अभियान के लिए पीएफआरडीए को निधियन सहायता (मुख्य शीर्ष -2235)	...	...	...	...	5.00	...	8.00
18.2	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत एग्रीगेटर को प्रोत्साहन हेतु पीएफआरडीए को निधियन सहायता (मुख्य शीर्ष -2235)	...	...	...	...	18.00	...	72.00
18.3	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	...	...	...	...	150.00	...	120.00
19	महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के सृजन हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अनुदान सहायता (मुख्य शीर्ष -2416)	50.00	50.00	...	...	...	...	...
20	फैक्टरिंग हेतु ऋण गारंटी निधि की स्थापना के लिए एनसीजीटीसी को वित्तीय सहायता (मुख्य शीर्ष -2465)	50.00	250.00	250.00	250.00	40.00	...	135.00
21	कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता (मुख्य शीर्ष -3465)	500.00	...	...	...	...	...	...
22	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों को गारंटियां उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी निधि हेतु एनसीजीटीसी को सहायता (मुख्य शीर्ष -3465)	...	...	...	...	500.00	...	1500.00
23	स्टैण्ड-अप इंडिया गारंटी निधि की स्थापना हेतु एनसीजीटीसी को सहायता (मुख्य शीर्ष -3465)	...	...	...	...	...	...	500.00
24	भारत सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि के सृजन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता (मुख्य शीर्ष -3465)	50.00	50.00	...	...	...	...	...
25	भारतीय निर्यात आयात बैंक की शेयर पूंजी का अभिदान (मुख्य शीर्ष -4885)	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	500.00
26	नाबार्ड की शेयर पूंजी का अभिदान (मुख्य शीर्ष -4416)	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	...	500.00
27	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण हेतु अंशदान (मुख्य शीर्ष -4416)	50.00	50.00	...	15.00	15.00	3.50	140.00
28	भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता (मुख्य शीर्ष -4885)	600.00	600.00	600.00	...	...	...	...
29	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) का अभिदान (मुख्य शीर्ष -4885)	...	60.00	60.00	...	...	...	...
30	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण (मुख्य शीर्ष -5465)	11200.00	6990.00	6990.00	7940.00	25000.00	19950.00	25000.00
31	मुद्रा बैंक को इक्विटी पूंजी (मुख्य शीर्ष -5465)	...	...	...	...	100.00	...	900.00
32	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए भारत आकांक्षा निधि (आईएएफ) के लिए इक्विटी निधि (मुख्य शीर्ष -5465)	...	...	...	...	500.00	...	600.00
33	'भारत में अल्प-आय आवास वित्त' तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को विश्व बैंक सहायता (मुख्य शीर्ष -6885)	...	85.00	...	....	190.00	...	200.00
	कुल योजना	**14100.00**	**9735.00**	**9500.00**	**9805.00**	**28118.00**	**21253.50**	**30625.00**
	सकल योग	**21477.54**	**21447.28**	**17469.51**	**24651.23**	**42890.08**	**344805.00**	**31781.79**

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान में किए गए प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2015 तक)
	भाग क -गैर-योजना मदें										
1	**सचिवालय -सामान्य सेवाएं**	**2052**	**19.81**	**18.58**	**18.45**	**27.59**	**29.60**	**26.94**	**33.99**	**34.59**	**16.89**
	अन्य राजकोषीय सेवाएं										
2	अन्य व्यय (विशेष न्यायालय तथा अभिरक्षक का कार्यालय)	**2047**	**7.32**	**7.72**	**7.19**	**9.71**	**10.11**	**8.12**	**11.22**	**9.97**	**6.92**
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
3	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर)	**2070**	2.50	2.66	2.28	2.85	3.34	2.35	4.43	3.86	1.79
4	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)	**2070**	11.82	11.34	11.26	14.78	14.71	14.53	13.95	14.71	5.88
5	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	**2070**	67.50	52.18	52.25	77.00	75.55	67.06	102.28	77.03	55.75
6	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	**2070**	25.30	18.25	18.25	25.50	32.50	32.50	49.00	30.50	20.99
	कुल -अन्य प्रशासनिक सेवाएं		**107.12**	**84.43**	**84.04**	**120.13**	**126.10**	**116.44**	**169.66**	**126.10**	**84.41**
	सामान्य शिक्षा										
7	होनहार और जरुरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी	**2202**	**...**	2600.00	2600.00	...	...	**...**	...	...	...
	कुल साधारण शिक्षा		...	**2600.00**	**2600.00**	...	...	**...**	...	...	...
	अन्य साधारण आर्थिक सेवाएं										
8	अन्य व्यय (न्यायालय परिसमापक का कार्यालय, कोलकाता)	**3475**	0.47	0.40	0.38	1.13	0.42	0.58	0.70	0.51	0.37
9	गरीबों की सहायता के लिए परामर्श समूह में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान (सीजीएपी)	**3475**	...	...	...	...	...	...	...	0.62	...
	कुल -अन्य साधारण आर्थिक सेवाएं		**0.47**	**0.40**	**0.38**	**1.13**	**0.42**	**0.58**	**0.70**	**1.13**	**0.37**
10	नोडल एजेंसी यथा भारतीय आवास बैंक को सब्सिडी का भुगतान	**2885**	200.00	80.00	80.00	50.00	50.00	50.00	0.01	85.00	...
11	एसएएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	**2885**	...	300.00	250.00	...	250.00	105.00	...	150.00	...
12	विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	**2885**	0.01	0.01	...	46.02	46.02	46.02	...	37.73	...
	कुल -औद्योगिक वित्तीय संस्थान		**200.01**	**380.01**	**258.00**	**96.02**	**346.02**	**201.02**	**0.01**	**272.73**	...
	कृषि वित्तीय संस्थान										
13	किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता	**2416**	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	9476.71	6000.00	13000.00	13000.00	12405.16

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2015 तक)
14	दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) का पुनरुज्जीवन	**2416**	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...
15	नाबार्ड उत्पादक संघटन विकास निधि को अनुदान	**2416**	...	...	...	200.00	200.00	200.00	...	...	...
16	भारत-स्विस सहकारिता-vi नाबार्ड भारत-स्विस परियोजना समझौते के अंतर्गत दावों के निपटान हेतु नाबार्ड को अनुदान	**2416**	...	...	...	...	...	...	...	5.39	...
17	गैस-लाइसेंसीकृत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार के अंश के रूप में नाबार्ड को ऋण	**6416**	...	...	...	...	673.29	562.07	...	111.22	111.20
	कुल -कृषि वित्त संस्थान		**6000.01**	**6000.01**	**6000.00**	**6200.01**	**6873.30**	**6762.07**	**13000.01**	**13116.62**	**12516.36**
	साधारण वित्तीय तथा ट्रेडिंग संस्थान										
18	भारतीय स्टेट बैंक के इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू में अभिदान के बदले जारी की गई प्रतिभूतियों के प्रतिभूति मोचन निधि में अंतरण	**3465**	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
19	विश्व बैंक सहायता प्राप्त सूक्ष्म वित्त परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच में सुधार के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	**6885**	12.40	0.22	0.22	0.01	60.00	4.19	...	49.82	...
	कुल -साधारण वित्तीय एवं ट्रेडिंग संस्थान		**637.40**	**625.22**	**625.22**	**625.01**	**770.00**	**629.19**	**625.00**	**674.82**	**625.00**
	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
20	किसान ऋण राहत निधि में अंतरण	**2235**	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...
21	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	**2235**	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...
22	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु एलआईसी को ब्याज सब्सिडी	**2235**	134.23	115.81	115.81	111.49	111.24	111.24	101.79	101.79	...
23	असंगठित क्षेत्र से लोगों को नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने को स्वावलंबन योजना										
24.01	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान	**2235**	150.00	135.00	135.00	175.00	175.00	175.00	500.00	280.00	81.29
24.02	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक गतिविधियों के लिए और अंशदान हेतु निधियन सहायता	**2235**	20.00	20.00	17.90	20.00	20.00	20.00	81.90	28.00	4.35

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2015 तक)
25	आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और छात्रवृत्ति निधि में सरकार का अंशदान	**2235**	5.01	4.51	4.50	150.00	175.00	174.99	437.51	437.51	...
26	प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत प्रीमियम अभिदान के लिए एलआईसी को सरकार का अंशदान	**2235**	...	...	...	...	100.00	1.00	100.00	10.00	...
	कुल -सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**309.25**	**275.33**	**273.21**	**456.50**	**581.25**	**482.23**	**1221.21**	**857.31**	**85.64**
	कुल गैर-योजना		**7281.39**	**9991.70**	**9866.49**	**7536.10**	**8736.80**	**8226.59**	**15061.80**	**15093.27**	**13335.59**
	भाग ख -योजना मदें										
1	भारतीय निर्यात आयात बैंक की शेयर पूंजी के लिए अभिदान	**4885**	700.00	700.00	700.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
2	भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)	**4885**	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	...	...	...
3	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की शेयर पूंजी के लिए अभिदान		...	...	..	...	60.00	60.00	...	...	...
4	महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि के सृजन हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अनुदान सहायता	**2416**	100.00	100.00	84.18	50.00	50.00	...	...	...	...
5	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी को अभिदान	**4416**	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	...
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार का अंशदान	**4416**	88.00	88.00	82.78	50.00	50.00	...	15.00	15.00	3.50
7	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण	**5465**	14000.00	14000.00	14000.00	11200.00	6990.00	6990.00	7940.00	25000.00	19950.00
8	भारत सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि के सृजन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को वित्तीय सहायता	**3465**	100.00	200.00	200.00	50.00	50.00				
9	फैक्टरिंग हेतु ऋण गारंटी निधि की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय सहायता	**3465**	...	500.00	...	50.00	250.00	250.00	250.00	40.00	...
10	कौशल विका के लिए ऋण गारंटी निधि की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) को वित्तीय सहायता	**3465**	...	500.00	500.00	500.00	...	...	...	...	...
11	भारतीय महिला बैंक लि. को इक्विटी पूंजी	**5465**	...	1000.00	1000.00	...	...	...	...	...	...

क्रम सं.	मदों/योजनाओं का विवरण	मुख्य शीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2015 तक)
12	विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त अल्प-आय आवास वित्त पर सूक्ष्म वित्त परियोजना के अंतर्गत भारत में सूक्ष्म वित्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक सहायता	**6885**	...	...	...	...	85.00	...	...	190.00	...
13	**अटल पेंशन योजना (एपीवाई)**										
13.01	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत संवर्धन अभियान के लिए पीएफआरडीए को निधियन सहायता	**2235**	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...
13.02	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत एग्रीगेटर को प्रोत्साहन के लिए पीएफआरडीए को निधियन सहायता	**2235**	...	...	...	...	...	...	...	18.00	...
13.03	अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान (मुख्य शीर्ष -2235)	**2235**	...	...	...	...	...	...	...	150.00	...
14	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी उपलब्ध कराने के लिए ऋण गारंटी निधि के लिए एनसीजीटीसी को सहायता	**3465**	...	...	...	...	...	...	...	500.00	...
15	मुद्रा बैंक में इक्विटी पूंजी	**5465**	...	...	...	...	...	...	...	100.00	...
	कुल योजना		**16088.00**	**18188.00**	**17666.96**	**14100.00**	**9735.00**	**9500.00**	**9805.00**	**27618.00**	**21253.50**
	सकल योग		**23369.39**	**28179.70**	**27533.45**	**21636.10**	**18471.80**	**17726.59**	**24866.80**	**42711.27**	**34589.09**
	संशोधित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत			**97.70%**			**95.96%**			**80.98%**	

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान प्रावधानों की तुलना में प्रयोजन शीर्ष-वार वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2013-14			2014-15			2015-16		
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक (दिसंबर 2015 तक)
	राजस्व भाग									
1	वेतन	57.95	59.77	59.91	69.78	74.55	67.41	89.93	73.67	60.65
2	मजदूरी	0.63	0.63	0.58	0.53	0.35	0.30	0.32	0.33	0.20
3	समयोपरि भत्ते	0.09	0.07	0.05	0.09	0.07	0.05	0.08	0.06	0.03
4	चिकित्सा उपचार	1.00	0.86	0.84	1.19	1.46	1.16	1.20	1.33	0.78
5	घरेलू यात्रा व्यय	1.43	1.16	1.13	1.37	1.22	1.08	1.60	1.37	0.77
6	विदेशी यात्रा व्यय	0.40	0.20	0.15	0.30	0.27	0.25	0.30	0.15	0.05
7	कार्यालय व्यय	27.52	10.72	10.86	28.51	19.28	16.41	32.68	21.91	11.00
8	किराया, दरें और कर	17.21	15.33	14.73	26.65	30.10	28.34	35.00	38.00	12.77
9	प्रकाशन	0.29	0.24	0.21	0.27	0.27	0.19	0.27	0.18	0.11
10	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.28	0.21	0.24	0.30	0.27	0.20	0.30	0.45	0.18
11	विज्ञापन और प्रचार	0.36	0.20	0.10	0.35	0.22	0.20	0.32	0.08	0.02
12	छूटपुट कार्य	0.52	0.10	0.09	1.03	1.74	0.87	1.31	0.97	0.07
13	पेशेवर सेवाएं	1.27	1.16	1.07	1.56	3.51	2.55	2.56	1.66	0.57
14	सहायता अनुदान (सामान्य)	238.01	1331.26	813.33	933.52	639.02	539.02	365.90	657.12	19.85
15	अंशदान	155.01	139.51	139.50	325.00	450.00	350.99	1037.51	878.13	81.29
16	सब्सिडी	6334.24	8795.82	8795.81	6161.50	9637.96	6161.24	13101.81	13186.79	12405.16
17	सहायता अनुदान (वेतन)	7.30	7.00	7.00	8.00	9.50	9.50	15.00	7.50	5.49
18	एकमुश्त	0.47	0.40	0.38	1.13	0.42	0.58	0.70	0.51	0.37
19	विनिमय अंतर	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	ब्याज	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	अन्य प्रभार	...	300.00	250.00	...	250.00	105.00	...	150.00	...
22	कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी)	...	1.83	1.47	...	...	...	16.32	6.71	1.38
22	अंतर लेखा अंतरण	625.01	625.01	625.00	625.00	625.00	625.00	625.01	625.00	...
	कुल राजस्व भाग	**7468.99**	**11291.48**	**10722.45**	**8186.09**	**11745.22**	**7910.33**	**15328.12**	**15651.92**	**12600.74**
	पूंजी भाग									
23	निवेश	15888.00	16888.00	16882.78	13450.00	9300.00	9250.00	9555.00	27215.00	21253.50
24	ऋण	12.40	0.22	0.22	0.01	8.18	566.26	...	351.04	111.20
25	अंतर लेखा अंतरण	14000.00	...	...	11200.00	6990.00	1253.30	7940.00	1000.00	...
	कुल पूंजी भाग	**29900.40**	**16888.22**	**16883.00**	**24650.01**	**17108.29**	**11069.56**	**17495.00**	**28566.04**	**21364.70**
	समग्र योग (सकल)	**37369.39**	**28179.70**	**27605.45**	**32836.10**	**28853.51**	**18979.89**	**32823.12**	**44217.96**	**33965.44**

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय का विश्लेषण

वर्ष 2013-14 के दौरान बजट अनुमान में 37369.39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 7468.99 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 29900.40 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान में कम करके 28179.70 (राजस्व खंड 11,291.48 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया था तथा पूंजी खंड को घटाकर 16,888.22 करोड़ रुपए कर दिया गया था) कर दिया गया। वास्तविक व्यय 27605.45 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 10722.45 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 16,883.00 करोड़ रुपए)। वर्ष 2013-14 में भी 99% से अधिक निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा ओद्यौगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति अवंटित की गई थी।

वर्ष 2014-15 के दौरान बजट अनुमान में 32836.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 8,186.09 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 24,650.01 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान में कम करके 28,853.51 करोड़ रुपए (राजस्व खंड को बढ़ाकर 16,640.22 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड को कम करके 12,213.51 करोड़ रुपए) कर दिया गया। वास्तविक व्यय 27,605.45 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 5,309.49 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 2,200.00 करोड़ रुपए)। वर्ष 2014-15 में भी 99% से अधिक निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा औद्यौगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति अवंटित की गई थी।

वर्ष 2015-16 के दौरान बजट अनुमान में 32806.80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था (राजस्व खंड के अंतर्गत 15,311.80 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 17,495.00 करोड़ रुपए)। इसे संशोधित अनुमान में कम करके 44,211.25 करोड़ रुपए (राजस्व खंड को घटाककर 14,932.21 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड को बढ़ाकर 28,566.04 करोड़ रुपए) कर दिया गया। वास्तविक व्यय दिसंबर, 2015 तक 33,964.09 करोड़ रुपए था (राजस्व खंड के अंतर्गत 12,599.39 करोड़ रुपए तथा पूंजी खंड के अंतर्गत 21,364.70 करोड़ रुपए)। वर्ष 2015-16 में भी 99% से अधिक निधियां विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों तथा औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, कृषि वित्त संस्थाओं, सामान्य वित्तीय तथा व्यापार संस्थाओं एवं सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के संबंध में पूंजीकरण पहल के प्रति अवंटित की गई थी।

गत तीन वर्षों (2013-14 से 2015-16) के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में व्यय की समग्र प्रवृत्ति को निम्नलिखित बार चार्ट में दर्शाया गया है:

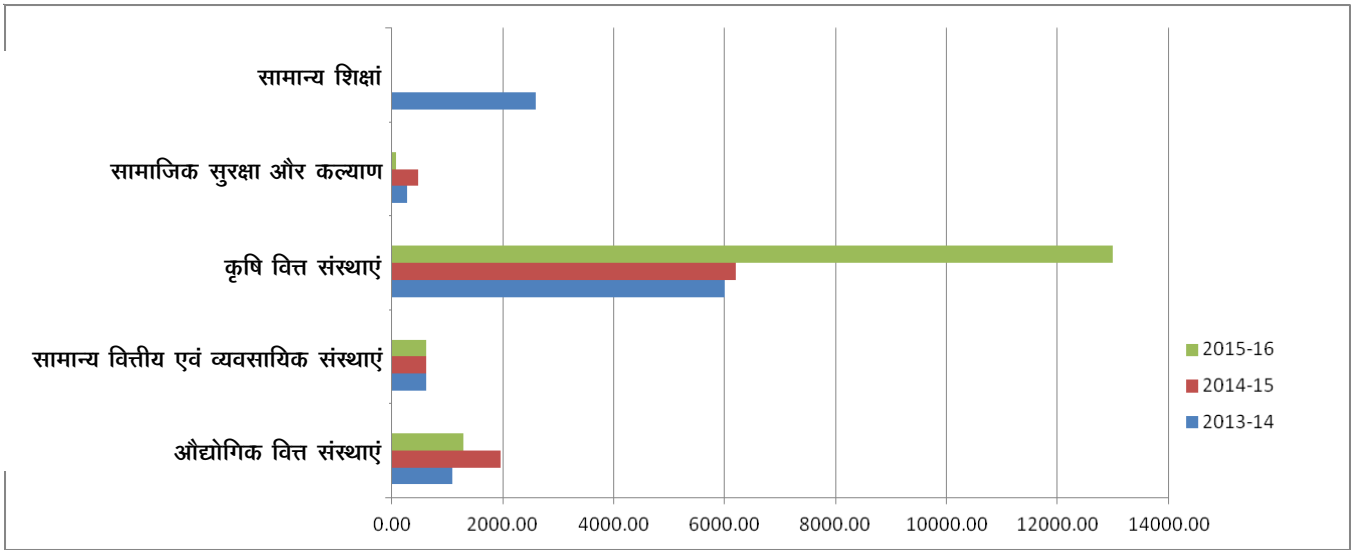

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अभ्यर्पण तथा बचत संबंधी विवरण

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, वास्तविक प्रावधान 32,836.10 करोड़ रुपए था (राजस्व के अंतर्गत 8,186.09 करोड़ रुपए तथा पूंजी भाग के अंतर्गत 24,650.01 करोड़ रुपए) था। 3,704.18 करोड़ रुपए का अनुपूरक अनुदान (राजस्व के अंतर्गत 3,559.16 करोड़ रुपए तथा पूंजी भाग के अंतर्गत 145.02 करोड़ रुपए) प्राप्त करके इस राशि को 36,540.28 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। इसके मुकाबले, 18,979.89 करोड़ रुपए का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप 17,560.39 करोड़ रुपए की निवल बचत हुई। प्रमुख बचतों का श्रेणीकरण (एक करोड़ से अधिक) नीचे दर्शाया गया है:-

(i) **सामान्य बचत: संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचत:**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
1.	सचिवालय सामान्य सेवाएं - वित्तीय सेवाएं विभाग	2.19	बचत 'वेतन', 'लघु निर्माण' '(रख-रखाव)', 'कार्यालय व्यय' (सूचना प्रौद्योगिकी)', 'पेशेवर सेवाएं', 'चिकित्सा उपचार', 'प्रकाशन', 'विज्ञापन और प्रसार' तथा 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत निधियों की कम वास्तविक आवश्यकता के कारण थी, जिनकी अग्रिम में प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी।
2	ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	5.53	बचत 'वेतन', 'चिकित्सा उपचार' तथा 'कार्यालय व्यय' के अंतर्गत निधियों की कम वास्तविक आवश्यकता के कारण थी। इन शीर्षों के अंतर्गत बचत वर्ष के दौरान छह नए डीआरटी की स्थापना में देरी होने के कारण थी, जिनकी अग्रिम प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी।
3	अभिरक्षक का कार्यालय	1.72	बचत', किराया, दरें एवं कर तथा 'पेशेवर सेवाएं' में निधियों की कम वास्तविक आवश्यकता के कारण थी। बचत कार्यालय परिसर के लिए लीज समझौते को अंतिम रूप न दिए जाने/नवीकरण तथा वकील से विधिक शुल्क बिलों की गैर-प्राप्ति के कारण है, जिनकी अग्रिम में प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी।

(ii) **कम उपयोग/अनुपयोग: परियोजनाओं/योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन/कार्यान्वयन में देरी के कारण हुई बचत:**

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
1	महिला स्व-सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	50.00	इस निधि का प्रबंधन नाबार्ड कर रहा है दिनांक 30.09.2014 की स्थिति के अनुसार इस योजना के लिए खर्च न की गई शेष राशि 143.05 करोड़ रुपए है। अतः 50.00 करोड़ रुपए के सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का निर्णय लिया गया।
2	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को भारत सूक्ष्म वित्त इक्विटी निधि के लिए वित्तीय सहायता	50.00	वर्ष 2011-12 से इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा सिडबी को जारी की गयी 300.00 करोड़ रुपए की राशि में से समेकित संवितरण 108.55 करोड़ रुपए है। चूंकि सिडबी के पास पर्याप्त शेष राशि उपलब्ध है, अतः 50 करोड़ रुपए के संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण का निर्णय लिया गया।
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूंजीकरण हेतु सरकार के भाग का अंशदान	50.00	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केन्द्र सरकार का भाग जारी करना संबंधित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंकों द्वारा समुचित भाग के जारी करने पर निर्भर था। चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों ने 2 आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण के अपने समानुपातिक भाग को जारी नहीं किया अतः पुनर्पूंजीकरण सहायता के केन्द्र सरकार के भाग को जारी नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप उक्त बचत हुई।
4	सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पुनर्पूंजीकरण	3,476.73	सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अपने टियर - I सीआरएआर को सहज स्तर पर बनाए रखने में सक्षम बनाने हेतु 9 पीएसबी में केवल 6990.00 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमोदन किया है। इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

5	राष्ट्रीय निवेश निधि (एमआईएफ) में अंतरण	9,946.70	वर्ष 2014-15 के दौरान कम विनिवेश प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार की विनिवेश प्राप्ति से एमआईएफ के जरिए पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान को संशोधित अनुमान की अवस्था में कम करके 1253.30 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।
6	भारत में निम्न आय आवास की उपलब्धता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक सहायता	85.00	यह प्रावधान निम्न आय आवास वित्त परियोजना (क्रेडिट सं. 5283-आईएन) के लिए भारत में सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु एनएचबी को विश्व बैंक सहायता के प्रति था। कुछेक प्रशासनिक कारणों से सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।
7	भारत में सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को विश्व बैंक सहायता	55.81	यह प्रावधान भारत में सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता में सुधार के लिए इंटरनैशनल डेवलपमेन्ट एसोसिएशन (आईडीए) से सिडबी को ऋण स्वीकृत करने के लिए किया गया है। यह बचत आईडीए से सीएएए के द्वारा अपेक्षित निधियां प्राप्त न होने के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।
8.	कौशल विकास हेतु ऋण गारंटी निधि स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी) को सहायता	123.73	बचत इस योजना को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को अंतरित करने के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।
9.	प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत प्रीमियम अभिदान	99.00	इस योजना को वर्ष 2014-15 के दौरान आरंभ किया गया था, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत जीवन कवर को चलाने के लिए निधियों की आवश्यकता के सटीक व्यासमापन का आकलन समुचित रूप से नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई।
10.	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन	21.00	बचत प्रतिभूति मोचन के लिए एसएएसएफ द्वारा निधियों की कम आवश्यकता के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।
11.	लाइसेंस रहित जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के पुनरुज्जीवन हेतु केन्द्र सरकार का भाग	111.22	जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार के साथ अपेक्षित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके। अतः जम्मू कश्मीर के लाईसेंस रहित डीसीसीबी के संबंध में केन्द्र सरकार के भाग को जारी नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप बचत हुई।

(iii) **अभ्यर्पणः अप्रचलित/समाप्त परियोजना/योजना अथवा परियोजना/योजना के पूरा हो जाने तथा निधियों की और आवश्यकता न होने के कारण बचतः**

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	अभ्युक्तियां/कारण
	---- **शून्य** ----		

नोटः *यह अनुबंध वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचत, निधियों का कम उपयोग/अनुपयोग तथा अभ्यर्पण के कारण हुई बचतों को अलग-अलग करने के बजट प्रभाग के दिनांक 23 मार्च, 2012 के का. ज्ञा. सं. 7(1)-बी (एसी)/2011 के अनुसरण में शामिल किया गया है जैसा कि स्थायी वित्त समिति की 33वीं रिपोर्ट में अपेक्षित था।*

सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

1. पेंशन क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की शुरुआत की गई है।

2. एनपीएस की संरचना पारदर्शी और वेब सक्षम है। यह अभिदाता को उनके निवेश और प्रतिफल की निगरानी करने की अनुमति देता है। बाद में अभिदाता न केवल अपने निवेश विकल्पों/पेंशन निधि प्रबंधकों को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं बल्कि अपनी पसंद के निधि प्रबंधक/निवेश विकल्प भी उन्हें उपलब्ध होते हैं। अंतरण की सुविधा इस प्रकार अभिकल्पित की गई है जिससे कि अभिदाता अपनी संपूर्ण बचत अवधि के दौरान एकल पेंशन खाता बनाये रख सकते हैं।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का गठन पेंशन क्षेत्र के विनियामकीय निकाय के रूप में किया गया था, यह संपूर्ण एनपीएस संरचना के संबंध में अभी तक की गई पहलों को समेकित करने तथा एनपीएस संवितरण नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने के कार्य में लगा है। एनपीएस को सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उपस्थिति केंद्रों (पीओपी) के रूप में ऐसी 64 संस्थागत कंपनियां गठित की जाएं, जो पेंशन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगी और वसूली केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगी, सहित एनपीएस मध्यवर्तियों की नियुक्ति को संबद्ध करना, निवेशकों की पेंशन संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए केन्द्रीकृत रिकॉर्ड कीपिंग और लेखा एजेंसी (सीआरए) तथा 8 पेंशन निधि प्रबंधकों को नियुक्त करना शामिल है। पीएफआरडीए ने सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप एनपीएस बिचौलियों के चयन के लिए पारदर्शी, गैर-विवेकाधीन, प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया अपनाई है, जिससे एनपीएस अभिदाताओं को इष्टतम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित हुआ।

4. आज की तारीख के अनुसार 27 राज्यों ने एनपीएस को अधिसूचित किया है तथा 26 राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए सीआरए एंड एनपीएस न्यास के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य राज्य एनपीएस आरंभ करने की तैयारी के अलग-अलग चरण में है। इसके अलावा, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के 44.42 लाख कर्मचारी एनपीएस में पहले से ही शामिल हैं। सरकारी क्षेत्र में एनपीएस के अंतर्गत दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार प्रबंधनाधीन आस्तियां 96,664.42 करोड़ रुपए है।

5. सभी नागरिकों के लिए, एनपीएस के अंतर्गत, अभिदाता को पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त किए गए 66 उपस्थिति केंद्र (पीओपी) की पंजीकृत शाखाओं (31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार 55,350 शाखाएं) में से किसी भी शाखा में एनपीएस खाता खोलने की सुविधा प्राप्त है।

6. यह महत्वपूर्ण है कि भारत में पेंशन सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। वित्तीय क्षेत्र में उतार-चढ़ाब के बावजूद निर्धारित अंशदान पेंशन योजनाओं और बाजार संबंधित निवेशों में पर्याप्त रूझान पैदा हुआ है। अपने दीर्घावधिक निवेश क्षेत्रों के साथ पेंशन निधियों में वित्तीय बाजारों के स्थिरीकरण हेतु बल प्रदान करने के लिए लाभ अन्तर्निहित होता है। यह महसूस किया गया है कि जैसे-जैसे भारत में पेंशन क्षेत्र बढ़ेगा, यह सामाजिक आर्थिक स्थिरता उपलब्ध कराने में अर्थव्यवस्था के दीर्घावधिक वित्तपोषण की आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड कृषि, लघु और कुटीर तथा ग्राम उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर एकीकृत ग्रामीण विकास को समुन्नत करता है तथा राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा कृषि विकास के लिए प्रदत्त ऋण का पुनर्वित्तीयन करता है तथा भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नाबार्ड द्वारा सहाकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, मौसमी कृषि कार्यों, फसलों का विपणन, कृषि निविष्टियों का विपणन एवं वितरण, उत्पादन, एकत्रीकरण, कुटीर, ग्राम और लघु पैमाने के औद्योगिक सहकारी समितियों की बाजार गतिविधियां, अलग-अलग बुनकर, मास्टर बुनकर, हैंडलूम बुनकर समूह, प्राथमिक तथा शीर्ष बुनकर समितियों तथा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम को प्रदत्त अल्पकालिक ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है। वाणिज्यिक बैंकों को भी राज्य हथकरघा विकास निगमों की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (दिनांक 23.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के दौरान संवितरित लघु अवधि फसल ऋण निम्नानुसार हैः

(करोड़ रु. में)

एजेंसी	2012-13	2013-14	2014-15		2015-16 (दिनांक 23.12.2015 की स्थिति के अनुसार)	
	अधि. बकाया	अधि. बकाया	संस्वीकृत	अधि. बकाया	संस्वीकृत	अधि. बकाया
सहकारी बैंक	44955.54	54266.38	60433.89	60146.04	53773.29	35757.40
आरआरबी	21139.55	26592.93	30186.00	30004.81	15053.00	12740.35
कुल	**66095.09**	**80859.31**	**90619.89**	**90150.85**	**68826.29**	**48497.75**

उन किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधिक परिवर्तन ऋण भी प्रदान किए जाते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण बैंकों को उत्पादन ऋण बकायों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

किसानों और उद्यमियों को उत्पादन और आय में वृद्धि करने वाले कृषि और गैर-कृषि कार्यकलापों में निवेश के उद्देश्य से वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी आदि को मध्यावधिक/दीर्घावधिक पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। वित्तपोषित निवेश में लघु सिंचाई, भूमि विकास, कृषि यंत्रीकरण, पौध-रोपण तथा बागवानी, भंडारण तथा बाजार परिसर, डेयरी, मुर्गीपालन, भेड़/बकरी/सुअर/मत्स्य पालन जैसी कृषि संबंधी गतिविधियां, ग्रामीण आवास, गैर-कृषि कार्यकलाप, स्व-सहायता समूह (एसएचजी) इत्यादि शामिल हैं। ये निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी संरचना को बढ़ावा देते हैं। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (दिनांक 25.12.2015 की स्थिति के अनुसार) के दौरान ऐसे उद्देश्यों के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया गया हैः-

(करोड़ रु. में)

एजेंसी	2012-13	2013-14	2014-15		2015-16 (25.12.2015 के अनुसार)	
	संवितरण	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण	लक्ष्य	संवितरण
वाणिज्यिक बैंक	8708.77	13254.62	9900.00	13675.20	20000.00	18633.54
आरआरबी	4753.66	4303.66	8000.00	10220.91	13699.00	9678.28
एससीबी	2071.06	1713.32	3500.00	3818.09	5000.00	4036.39
एससीएआरडीबी	1741.31	1814.95	2600.00	2923.97	3200.00	2286.87
अन्य	399.49	399.62	990.00	789.13	3100.00	2323.89
कुल	**17674.29**	**21486.17**	**24990.00**	**31427.30**	**44999.00**	**36958.97**

वर्ष 2014-15 के दौरान, 8,00,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल 8,45,328.23 करोड़ (अनंतिम) का कृषि ऋण संवितरित किया। वर्ष 2015-16 के दौरान 8,50,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 5,03,861.88 करोड़ (अनंतिम) का कृषि ऋण संवितरित किया।

ऋण वसूली अधिकरण

केंद्र सरकार ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों तथा इससे संबद्ध मामलों के त्वरित न्यायनिर्णय तथा शीघ्र वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अंतर्गत पूरे देश में 33 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) तथा 5 ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) की स्थापना की गई है। सरकार ने बेंगलूरू, चंडीगढ़, देहरादून, एर्नाकुलम, हैदराबाद और सिलिगुड़ी में मौजूदा डीआरटी में लंबित मामलों को कम करने के लिए छह नए डीआरटी स्थापित करने को अनुमोदित कर दिया है।

2. डीआरटी की भूमिका को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम, 2002, जिसमें पीडित पक्षकारों को डीआरटी के समक्ष अपील करने की व्यवस्था की गई है, को लागू करके डीआरटी की भूमिका को और बढ़ाया गया है।

3. उपर्युक्त दो अधिनियमों के अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया को संचालित करने में बैंकों द्वारा सामना की जा रही कुछेक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिभूति हित का प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 को 4 जनवरी, 2103 को अधिनियमित किया गया है।

4. डीआरटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2105 तक की अवधि के दौरान डीआरटी द्वारा 19,595 मामलों (मूल आवेदन) का निपटान किया गया, जिनमें 40,0004.05 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

व्यय विभाग

परिचय

संगठन और कार्य

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने के लिए नोडल विभाग है। इसके प्रमुख कार्यों में प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर योजना दोनों) का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को केन्द्रीय बजट संसाधनों का पर्याप्त अंतरण तथा वित्त और केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना शामिल है।

2. व्यय विभाग वित्त सलाहकारों के साथ अपने इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखता है। वित्त सलाहकार विभिन्न मंत्रालयों में एकीकृत वित्त प्रभागों के प्रमुख होते हैं और वित्तीय नियमावली एवं व्यय विभाग द्वारा अधिसूचित आदेशों के दायरे में प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिवों को समग्र वित्तीय प्रबंधन के संबंध में परामर्श देते हैं।

3. यह विभाग वेतन, पदों के सृजन और संवर्ग समीक्षा आदि जैसे मामलों में केन्द्र सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं का प्रबंध करता है। महालेखानियंत्रक और मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय व्यय विभाग के दो संबद्ध कार्यालय हैं। मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, केन्द्रीय मंत्रालयों को सार्वजनिक माल और सेवाओं की लागत एवं मूल्यों के निर्धारण में सहायता करता है। महालेखानियंत्रक मुख्यतः केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं और लेखा नियंत्रक तथा भुगतान और लेखा अधिकारियों के अपने संवर्ग के माध्यम से धनराशि जारी करने में मंत्रालय की सहायता करते हैं। भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा तथा भारतीय लागत लेखा सेवा से संबंधित सेवा मामले व्यय विभाग द्वारा देखे जाते हैं। व्यय विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में दो स्वायत्त संस्थान हैंः राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान तथा शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान।

4. व्यय विभाग अपना कार्य अपने स्थापना प्रभाग, प्रापण नीति प्रभाग, योजना वित्त-I एवं योजना वित्त-II प्रभाग, वित्त आयोग प्रभाग, स्टाफ निरीक्षण एकक, लागत लेखा शाखा, महालेखानियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से करता है।

5. व्यय विभाग रक्षा मंत्रालय तथा एनटीआरओ एवं एनआईए जैसी अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित अधिक मूल्य के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों तथा परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मामलों की भी जांच करता है। व्यय विभाग में हाल में एक लोक प्रापण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जो प्रापण नीति से संबंधित कार्य करता है।

6. व्यय विभाग, व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की व्यय की दृष्टि से जांच करता है।

7. व्यय विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से संबंधित परिणाम बजट का संकलन और प्रकाशन करता है।

प्रशासन प्रभाग

प्रशासन प्रभाग, विभाग का सचिवालयी कामकाज देखता है और इसमें वित्त मंत्री का कार्यालय, संवर्ग प्रशासन अनुभाग, लेखा एवं बजट, सामान्य तथा कार्मिक प्रशासन एवं राजभाषा अनुभाग शामिल हैं। यह व्यय विभाग से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए भी जिम्मेदार है।

संस्थापना प्रभाग

संस्थापना प्रभाग, संयुक्त सचिव (कार्मिक) के अधीन कार्य करता है और यह केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की वेतन संरचना तथा सेवा-शर्तों के निर्धारण, वेतन नीति के निर्धारण, वेतनमानों के उन्नयन, पदों के सृजन, वेतन निर्धारण के आधारभूत सिद्धांतों, मकान किराए भत्ते, यात्रा/दैनिक भत्ते, महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न अन्य प्रतिपूरक भत्तों, सामान्य वित्तीय नियमावली, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, मितव्ययिता अनुदेशों आदि मामलों से संबंधित कार्य देखता है।

केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

लोक प्रापण समिति की सिफारिशों के अनुसार, लोक प्रापण के संबंध में व्यापक सूचना तथा आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल की स्थापना की गई है और इसे www.eprocure.gov.in पर देखा जा सकता है। इस समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त/सांविधिक निकायों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पोर्टल पर निविदा पूछताछ, उनसे संबंधित शुद्धिपत्रों तथा सौंपी गई निविदाओं के विवरण का ई-प्रकाशन दिनांक 01.01.2012 से चरणबद्ध रूप में अनिवार्य बनाया गया है।

स्वच्छ भारत कोष

'स्वच्छ भारत कोष' की स्थापना, वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के माननीय प्रधानमंत्री के 15 अगस्त, 2014 के आह्वान के प्रत्युत्तर में कॉरपोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियां और व्यक्तियों एवं लोकोपकारियों से अंशदान प्राप्त करने के लिए की गई है।

राज्य वित्त प्रभाग

व्यय विभाग का राज्य वित्त (योजना) प्रभाग, राज्य सरकारों के वित्त संबंधी सभी मामले देखता है जिनमें वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और गैर-योजना निधियां जारी किया जाना शामिल है। यह प्रभाग राज्य सरकार की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी करता है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत ऋण सीमा का निर्धारण, ऋण के लिए अनुमति का जारी किया जाना, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों की अर्थोपाय स्थिति पर निगरानी रखा जाना आदि शामिल हैं। यह प्रभाग, वित्त मंत्रालय की मांग संख्या – 32 (पहले मांग सं. 37) का संचालन करता है जिसमें से योजना एवं गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

योजना वित्त-II प्रभाग

योजना वित्त-II प्रभाग मुख्यतः केन्द्रीय योजना से संबंधित मामलों से सरोकार रखता है और वित्त मंत्रालय में एक ऐसी खिड़की के रूप में कार्य करता है जहां परियोजना स्तर तथा क्षेत्रीय नीति स्तर, दोनों पर केन्द्र सरकार के विकास कार्यों के संपूर्ण परिदृश्य का सिंहावलोकन किया जाता है। बेहतर परियोजना निरूपण, परिणामों एवं सेवाओं पर विशेष बल, प्रभाव मूल्यांकन, परियोजनाकरण (मिशन दृष्टिकोण) एवं समाभिरूपता के माध्यम से विकास व्यय की गुणता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह प्रभाग सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्संरचना ब्यूरो की सिफारिशों पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय पुनर्संरचना से संबंधित कार्य भी करता है। यह प्रभाग, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता की कार्यविधि

तैयार करने, बजट तैयार करने के लिए आई एंड ईबीआर के सृजन की मात्रा के निर्धारण, उत्पादन में अधिकाधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु संयंत्रों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण को अंतिम रूप देने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। सूक्ष्म स्तर पर, योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम सब्सिडी और उनकी मात्रा के निर्धारण तथा हितधारकों को सहायता प्रदान करने से संबंधित मामले देखता है। सूक्ष्म स्तर पर यह प्रभाग संबंधित विभाग/ मंत्रालय के साथ प्रभावी लक्ष्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की भावी सब्सिडी नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

एकीकृत वित्त एकक

यह एकक, मांग संख्या 34 - व्यय विभाग (पहले मांग सं. 40) जिसमें सचिवालय सामान्य सेवाएं और अन्य प्रशासनिक सेवाएं शामिल हैं, के तहत तथा तीन अन्य मांगों नामतः मांग संख्या 32 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण (पहले मांग सं. 36), मांग संख्या 35 - पेंशन (पहले मांग सं. 41) जिसमें विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान शामिल है, तथा मांग संख्या 36 - भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (पहले मांग सं. 42) के संबंध में व्यय और बजट संबंधी प्रस्तावों पर कार्य करता है, बजट प्राक्कलनों पर संबंधित प्रभागों द्वारा सीधे कार्रवाई की जाती है। तथापि, समग्र निगरानी एकीकृत वित्त एकक द्वारा की जाती है। यह एकक, विभाग के खर्च पर निगरानी और नियंत्रण रखने तथा विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा अनुपालन हेतु मितव्ययिता अनुदेशों को लागू कराने के लिए भी जिम्मेदार है।

विविध प्रभाग

यह प्रभाग राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के संबद्ध वित्त के रूप में वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करता है।

वेतन अनुसंधान एकक

यह एकक मुख्यतः केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कर्मचारियों के वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों पर होने वाले वास्तविक व्यय तथा कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है।

कर्मचारी निरीक्षण एकक

प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप सरकारी संगठनों में स्टाफिंग में किफायत सुनिश्चित करने तथा निष्पादन मानदंड एवं कार्य मानक तैयार करने के उद्देश्य से कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन वर्ष 1964 में किया गया था। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगठन, कर्मचारी निरीक्षण एकक के दायरे में नहीं आते किंतु विभागाध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति जिसमें मुख्य सदस्य के रूप में कर्मचारी निरीक्षण एकक का एक प्रतिनिधि होता है, ऐसे संगठनों के स्टाफिंग अध्ययन करता है।

बदले हुए परिदृश्य में और सरकार द्वारा बेहतर शासन तथा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी को महत्व दिए जाने को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी निरीक्षण एकक की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है। संबंधित मंत्रालयों और स्वायत्त संगठनों को अपनी संगठनात्मक कार्यसाधकता में सुधार करने में तथा आदर्श संगठनात्मक संरचना सुझाने, प्रक्रियाओं का पुनः निर्माण, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और न्यूनतम व्यय के साथ अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को बाह्य स्रोत से कराने की संभावना तलाशने के अतिरिक्त, होने वाले विलंब को दूर करने में सहायता के लिए कर्मचारी निरीक्षण एकक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नए अधिदेश के अनुसार, कर्मचारी निरीक्षण एकक अब पांच अलग-अलग क्षेत्रों में अर्थात् संगठनात्मक प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिलीवरी प्रणाली, ग्राहक-उपभोक्ता संतुष्टि तथा कर्मचारियों के सरोकारों आदि में संगठनात्मक विश्लेषण अध्ययन भी करेगा।

लागत लेखा शाखा

उत्पादन लागत का सत्यापन करने और रक्षा-खरीद सहित सभी किस्म की सरकारी खरीद का उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करने और प्रशासित मूल्य तंत्र (ए.पी.एम.) के तहत पेट्रोलियम, इस्पात, कोयला, सीमेंट आदि जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अनेक उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित एक स्वतंत्र एजेंसी। यह विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को लागत, प्रबंधन तथा सरकार में वित्तीय लेखांकन में विशेषज्ञ सहायता भी प्रदान करती है।

महालेखानियंत्रक

महालेखानियंत्रक, भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। महालेखानियंत्रक, केन्द्र सरकार के शीर्ष लेखांकन प्राधिकारी हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लेखाओं के स्वरूप के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महालेखानियंत्रक, केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संबंधित सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों और लेखाओं के स्वरूप के निर्धारण, उनसे संबंधित नियम एवं मैनुअल तैयार करने और उनके पुनरीक्षण तथा संविधान के अनुच्छेद 283 के तहत एक समर्थ प्राप्ति और भुगतान प्रणाली की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। महालेखानियंत्रक, संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत संसद में प्रस्तुत किए जाने के लिए केन्द्र सरकार के वार्षिक विनियोजन लेखे (सिविल) और केन्द्रीय वित्त लेखे एवं संक्षेप में 'लेखे एक नजर में' तैयार करते हैं। महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्री के लिए प्रत्येक माह व्यय, राजस्व, ऋण और घाटे का समीक्षात्मक विश्लेषण तैयार करते हैं। महालेखानियंत्रक, सिविल मंत्रालयों में एक मजबूत और कारगर आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करते हैं। महालेखानियंत्रक, भारतीय सिविल लेखा सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी हैं और 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार इस संवर्ग में समूह-क के 248 अधिकारी हैं।

मॉनिटरिंग सेल

यह सेल, महालेखानियंत्रक के कार्यालय के अधीन कार्य करता है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.एंड ए.जी.) की रिपोर्टों में निहित विभिन्न पैराओं पर की गई सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों के समन्वय एवं संग्रहण और उनके प्रस्तुत किए जाने पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार है। यह लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की रिपोर्टों में शामिल पैराओं/ सिफारिशों के निपटान पर भी निगरानी रखता है।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

यह कार्यालय "केन्द्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों के लिए प्राधिकृत बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान स्कीम" का संचालन करता है। यह मुख्यतः पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करने और उसके लेखांकन; विशेष सील प्राधिकार (एस.एस.ए.) जारी करने तथा बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य लेखा नियंत्रक

मुख्य लेखा नियंत्रक, मंत्रालय के भुगतान और लेखांकन व्यवस्था के समग्र प्रभारी हैं। आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग और विनिवेश विभाग के पांच अनुदानों के लिए बजट से संबंधित कार्य, मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय के साथ एकीकृत हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय के इन पांचों विभागों के भुगतान, लेखांकन और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों पर निगरानी रखते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य, मुख्य लेखांकन प्राधिकारी (अर्थात् संबंधित विभाग के सचिव) और महालेखानियंत्रक को वित्तीय सूचना देना है। पांच विभागों के

मासिक लेखाओं और वार्षिक लेखाओं जिनमें वित्त मंत्रालय की 9 मांगें/ विनियोजन शामिल हैं, भारत सरकार के लेखाओं में समेकन हेतु महालेखा नियंत्रक के कार्यालय को भेजे जाते हैं। मुख्य लेखा नियंत्रक प्रत्येक विभाग के सचिव के सूचनार्थ आय और व्यय की मासिक एवं तिमाही समीक्षाएं तैयार करते हैं। सारांश विवरण भी मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। इसके अन्य कार्यों में नियंत्रक सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा के लिए सहायक स्टाफ प्रदान करना; अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों के तहत पेंशन प्राधिकार; श्रीलंका, सिंगापुर, यूनाइटिड किंगडम और म्यांमार की ओर से भारत में रह रहे विदेशी पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करना, दूसरे देशों को दिए गए ऋणों का लेखांकन और निगरानी रखना; नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा पैरा के निपटान पर निगरानी रखना; आर्थिक कार्य विभाग में 14, राजस्व विभाग में 2, व्यय विभाग और विनिवेश विभाग में एक-एक कोष के मामले में सीजीआई के लिए और उसकी ओर से भारत के लोक खाते में निधियों का अंतरण; भारत के लोक खाते में रखी गई धनराशि के संबंध में विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया का निरूपण तथा एसपीएमसीआईएल के आमेलित कर्मचारियों के संयुक्त पेंशन, यथानुपात पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान, 2006-पूर्व पेंशन मामलों के संशोधन इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटान शामिल है।

शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान

नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और कोलकाता, चेन्नै, नवी मुंबई और आइजोल स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, वित्तीय प्रबंधन एवं शासकीय लेखा और वित्त की विविध विधाओं में लेखा कर्मियों और सिविल मंत्रालयों/ विभागों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं। इसने वर्ष 1995 से दूसरे देशों के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन प्रकोष्ठ

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों पर कार्रवाई करने एवं उन्हें लागू करने के लिए माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 20 नवंबर, 2015 से एक वर्ष की अवधि के लिए 09 अधिकारियों एवं स्टाफ के साथ कार्यान्वयन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पूर्व में – केन्द्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली) जो वेब आधारित एप्लीकेशन है, वर्ष 2008 में योजना स्कीमों की निगरानी के लिए नीति आयोग की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। मंत्रिमंडल सचिवालय की सिफारिशों पर, 1 सितम्बर, 2015 से लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के तहत हस्तांतरित कर दी गई है। इस स्कीम का उद्देश्य, राजकोष तथा बैंक इंटरफेस के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर जारी धनराशि का पता लगाने और व्यय की वास्तविक समय पर सूचना देने के लिए एक ऑन लाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना एवं निर्णय सहायता प्रणाली की स्थापना करना है। इस एप्लीकेशन को कॉम्पेक्ट और ई-लेखा, सीजीए के कोर लेखांकन एप्लीकशन और ई-भुगतान गेटवे से जोड़ा गया है जिससे प्राप्तकर्ता एजेंसियों तथा लाभार्थियों को योजना धनराशि के प्रवाह में काफी दक्षता प्राप्त हुई है। इस प्रकार, पीएफएमएस स्कीम-वार, क्षेत्र-वार धनराशियों के भौगोलिक वितरण के संबंध में विभिन्न रिपोर्टें एक केन्द्रीय प्लेटफार्म पर उपलब्ध करा पाई है। यह प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय नेटवर्कों को आपस में जोड़ती है और ई-भुगतान तथा धनराशि के घटक-वार उपयोग पर निगरानी रखने की सुविधा प्रदान करके कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय पर सूचना प्रदान करती है। पीएफएमएस ने 94 बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, 09 निजी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के प्रमुख बैंकिंग समाधान के साथ एक इंटरफेस भी विकसित किया है जिसके द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों की बैंकों में जमा धनराशि तथा लेनदेनों का ब्यौरा वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होता है।

पीएफएमएस का उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाना और अंतिम स्तर तक धनराशि का पता लगाने की सुविधा प्रदान करना है जिससे बीच में होने वाले विलंब न्यूनतम हो जाएंगे और लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

परिव्यय और परिणाम 2016-17 का विवरण

क्र सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17 (करोड़ रुपए) 4(i) गैर योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीबीआर	परिमेय सेवाएं/वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय-सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
1.	**मुख्य शीर्ष 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	(i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसाइटी द्वारा लेखा और वित्त मामले देखने वाले अधिकारियों के लिए व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के मूलभूत तत्वों को शामिल करते हुए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम।	3.33	0.00	-	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 120 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में छह तिमाही कार्यक्रम हैं और प्रत्येक की अवधि 12 से 14 सप्ताह है। यह क्लासरूम शिक्षण और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्त प्रबंधन कौशल तथा वाणिज्यिक और शासकीय लेखांकन, सार्वजनिक वित्त, बजट प्रकिया, वित्तीय नीति निरूपण/ निर्णय लेने और परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। वर्ष 2015 में इस स्कीम के अंतर्गत 120 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।	दो वर्ष	राजस्व खंड के तहत 3.33 करोड़ रुपए जिसमें इस कार्यक्रम का शुल्क घटक शामिल होगा।
		(ii) केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के लिए वित्तीय बाजार में स्नात्कोत्तर कार्यक्रम।	0.95	0.00	-	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से केन्द्र/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के 20 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कार्यक्रम एक वर्ष का है। यह क्लासरूम शिक्षण और परियोजना कार्य का संयोजन है।	वित्तीय बाजारों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के क्षेत्र में जानकारी देगा। वर्ष 2015 में 20 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।	एक वर्ष	शुल्क घटक के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत 0.95 करोड़ रुपए।
		(iii) लोक प्रापण एवं एकीकृत वित्त प्रभाग पर एमडीपी	5.70	0.00	-	विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के 2000 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है।	लोक प्रापण प्रक्रिया में कार्यरत अधिकारियों को लोक प्रापण के सभी संगत नियमों, विनियमों एवं विधियों की विस्तृत जानकारी देगा।	एक सप्ताह	शुल्क घटक के लिए राजस्व खंड के अंतर्गत 5.70 करोड़ रुपए

परिव्यय और परिणाम 2016-17 का विवरण

क्र सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17 (करोड़ रुपए) 4(i) गैर योजना	4(ii) योजना	4(iii) सीबीआर	परिमेय सेवाएं/वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय-सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
2.	**एमएच-3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं** लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली/निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास	-	60.00	-	1) बैंक इंटरफेस	एक और गैर-सरकारी बैंक सहित लगभग 58 सहकारी बैंकों को इटंरफेस किया जाना है।	सर्वर से सर्वर एकीकरण और वेब सर्विस एप्लीकेशन के माध्यम से मानक एकीकरण विद्यमान है।	बैंकों और उनके तकनीकी विक्रेताओं की तत्परता
						2) पब्लिक डोमेन में सूचना का प्रसार।	जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराने के लिए नागरिक सूचना पोर्टल विकसित किया गया है। विशेष सूचना प्रकाशित करने के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा उपयुक्त प्राधिकारी उपलब्ध कराया जाना है। प्रभागों से अधिदेश।	निकासी पर आधारित परिवर्तन और अद्यतन	नियमावली/स्वीकृति के अनुसार संशोधन/ परिवर्तन, जो अधिदेश की प्राप्ति पर निर्भर है।
						3) पीएफएमएस के लिए विकसित वेब आधारित एप्लीकेशन की सुरक्षा जांच।	एप्लीकेशन सुरक्षा जांच वृद्धि के साथ नियमित रूप से की जाती है।	नियमित अद्यतन और जांच एनआईसी के साईबर सुरक्षा प्रभाग द्वारा की जाती है।	एनआईसी एसआई/निविदा प्रक्रिया से संसाधनों की उपलब्धता।
						4) डाटा भंडारगृह (डाटा वेअरहाउस) का सुदृढ़ीकरण।	डीसी और डीआर वातावरण का पुनर्मूल्यांकन पूरा हो चुका है और संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्राप्त किया जाना है।	सभी संहिता प्रावधानों का पालन करते हुए सितम्बर, 2016 तक पूरा किया जाना है।	स्वीकृति और अनुमोदन के आधार पर उपलब्ध होते ही व्यवसाय आसूचना उपलब्ध कराई जाएगी।
						5) एजी एवं राजकोष से जोड़ना	धनराशि के राज्य-वार संवितरण से संबंधित स्वीकृति आदेश और रिपोर्ट तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा लाभार्थी स्तर	शेष 21 राज्यों के लिए इंटरफेस का विकास किया जाएगा। वित्त मंत्रालय जिसमें यह	रिपोर्ट केवल उन स्कीमों के लिए उपलब्ध होगी जिनके लिए एसएफटीपी सर्वर पर राज्य सरकारों द्वारा आंकड़े साझा किए जाते हैं।

परिव्यय और परिणाम 2016-17 का विवरण

क्र सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17 (करोड़ रुपए) 4(i) गैर योजना 4(ii) योजना 4(iii) सीबीआर	परिमेय सेवाएं/वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय-सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
					पर व्यय का ब्यौरा राज्य राजकोषों के माध्यम से धनराशि के अंतरण के लिए एजी सहित सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध होगा।	कार्य अभी लंबित है, के लिए स्वीकृति ज्ञापन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इंटरफेस का विकास किया जाएगा। इस इंटरफेस एप्लीकेशन में परिवर्तन किए जा रहे हैं।	राज्य एसीएमयू मे इंटरफेस को विकसित करने की प्रक्रिया के प्रचार प्रसार के लिए केन्द्रीय दल की सहायता के लिए जनशक्ति नहीं है। कतिपय राज्यों में कोषागार कार्यों का केन्द्रीकरण नहीं किया गया है।
				6) पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (लाभार्थी के खाते में सीधा अंतरण)	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इस समय विभिन्न सामाजिक कल्याण स्कीमों और सरकार की छात्रवृत्ति स्कीमों और राज्य की ऐसी ही स्कीमों के लिए किया जा रहा है। सभी केन्द्रीय और राज्य स्कीमों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों को शामिल करने के लिए इसका आगे विस्तार किया जा रहा है।	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मानक प्रक्रिया के अनुसार एबीपीएस/ एनईएफटी/एनएसीएच के माध्यम से किया जा रहा है।	i) मेजबान मंत्रालयों/ विभागों/ एजेंसियों/ प्रणालियों की तत्परता। ii) भुगतान प्रणाली/बैंक में तकनीकी मामले चिंता का विषय है। iii) अस्वीकृत्ति के कारण सही तरीके से हल नहीं किए गए हैं और स्पष्ट कारण उपलब्ध नहीं है।
				7) आरबीआई प्रणाली के साथ एकीकरण	आईजीएए से संबंधित एकीकरण कार्यशील है। आईजीएए आईएएए/सीएएए के 100% समावेशन के लिए आगे विस्तार की योजना बनाई गई है।	वृद्धि और उन्नयन आवश्कयताओं पर आधारित है।	भारतीय रिजर्व बैंक के तकनीकी विक्रेता की सतत् उपलब्धता।
				8) एजेंसी पंजीकरण एवं कार्यान्वयन	पीएफएमएस पर अभी तक 17.86 एजेंसियों ने पंजीकरण करवाया है और 19.40 लाख बैंक खाते पंजीकृत किए गए हैं।	प्रयोक्ता आवश्यकता पर आधारित सतत् प्रक्रिया	संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता और प्रयोक्ता की तत्परता

*सीईबीआर/बजट से इतर पूरक संसाधन अर्थात् केन्द्र सरकार से भिन्न संस्थाओं द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रतिबद्ध व्यय।

सुधार उपाय और नीतिगत पहल

व्यय विभाग

व्यय विभाग ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार के और बेहतर सुशासन के उद्देश्य को बढ़ावा देने के कई उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख क्षेत्रों में 5 स्तरीय संस्थागत सुधार अर्थात् विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ई-गवर्नेंस शामिल हैं। इसकी प्रतिध्वनि बजट 2005-06 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति विवरण (एफ.पी.एस.एस.) में वित्त मंत्री द्वारा घोषित व्यय प्रबंधन संबंधी पहलों में देखी जा सकती थी तथा ये कार्ययोजना स्थापित करने के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए थे।

परिणाम बजट/कार्यनिष्पादन बजट के लिए दिशा-निर्देश

व्यय विभाग और योजना आयोग ने संयुक्त रूप से पहली बार वर्ष 2005-06 का परिणाम बजट तैयार किया था जिसे 25 अगस्त, 2005 को संसद में पेश किया गया था। तत्पश्चात् 'परिणाम बजट' और 'कार्य निष्पादन बजट' दस्तावेजों को एकल दस्तावेज में शामिल करने के लिए नए दिशा निर्देश (का.ज्ञा.सं. 2(1)/कार्मिक/संस्था समन्वय/ओ.बी./ 2005 दिनांक 12 दिसंबर, 2006) जारी किए गए थे। परिणाम बजट वर्ष 2005-06 से बजट प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुका है। इस संबंध में नवीनतम दिशा-निर्देश 29 जनवरी, 2015 को जारी किए गए थे।

व्यय को युक्तिसंगत बनाना

वित्त मंत्रालय, सरकार की प्रचालन संबंधी कुशलता को सीमित किए बगैर राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यय प्रबंधन, मितव्ययिता उपाय एवं व्यय को युक्तिसंगत बनाने' के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता है। इन निर्देशों का पिछला सेट 29 अक्तूबर, 2014 के का.ज्ञा.सं. 7(1)/ई कोऑर्ड/2014 के तहत जारी किया गया था। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-योजना व्यय (ब्याज के भुगतान, ऋण अदायगी, रक्षा पूंजी, वेतन, पेंशन और राज्यों के लिए वित्त आयोग के अनुदानों को छोड़कर) में 10% की कटौती, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों के आयोजनों, विदेश यात्रा पर पाबंदी, पदों के सृजन पर प्रतिबंध और राज्यों आदि को राजकोषीय अंतरण में अनुशासन बरतना तथा व्यय की संतुलित गति संबंधी निर्देश शामिल हैं। वित्त सलाहकारों से उम्मीद की जाती है कि वे विभिन्न व्यय प्रस्तावों को अपनी सहमति प्रदान करते समय उचित किफायत बरतेंगे।

राज्य वित्त प्रभाग

व्यय विभाग का राज्य वित्त (योजना वित्त-I) प्रभाग राज्य सरकारों के वित्त संबंधी सभी मामले देखता है जिनमें वित्त आयोगों की सिफारिशों पर राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता और गैर-योजना निधियां जारी किया जाना भी शामिल है। यह प्रभाग राज्य सरकार की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी करता है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत ऋण सीमा का निर्धारण, ऋण के लिए अनुमति का जारी किया जाना, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय कायम रखते हुए राज्यों की अर्थोपाय स्थिति पर निगरानी रखना, ऋण माफी (12वें और 13वें वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार) आदि शामिल हैं। यह प्रभाग, वित्त मंत्रालय की मांग संख्या – 32 (पहले मांग सं. 37) का संचालन करता है जिसमें से योजना एवं गैर-योजना, दोनों प्रयोजनों के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

I. राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के तहत अनुदान

वर्ष 2014-15 तक राज्यों की वार्षिक योजनाओं का वित्त पोषण राज्यों के अपने संसाधनों, राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई केन्द्रीय सहायता से किया जाता था। राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता एवं विशेष केन्द्रीय सहायता शामिल है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विशिष्ट स्कीमों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मांग सं. 32 (पहले मांग सं. 37) से भी प्रदान की जाती है। 01.04.2015 से, राज्यों के सभी असंबद्ध ब्लॉक अनुदान "करों के उच्चतर अंतरण" में शामिल किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों आदि के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जैसी स्कीमें बंद कर दी गई हैं, केवल ब्लॉक अनुदानों के तहत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (16,000 करोड़ रुपए का ब.प्रा.) के तहत ही सहायता जारी है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 में मांग सं.37 (वर्तमान मांग सं.32) में 20,000 करोड़ रुपए की नई बजट लाइन शुरू की गई है जो राज्यों को उनके विभिन्न सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक कारकों के कारण उनकी आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकता आधारित सहायता के लिए निश्चित की गई है, जिसके दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

योजना पक्ष की स्कीमों के लिए धनराशि विशेष सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के मामले में क्रमशः नीति आयोग/सीएएए का कार्यालय की सिफारिश पर जारी की जाती है। व्यय विभाग की मांग सं. 37 में ब.प्रा. 2015-16 में 36,000.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में से दिनांक 23.12.2015 तक 13,525.19 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

II. गैर योजना अनुदान

वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार, गैर-योजना अनुदानों के माध्यम से मांग सं. 32 (पहले मांग सं. 37) से राज्यों को सहायता दी जाती है। 14वें वित्त आयोग ने अपनी अधिनिर्णय अवधि 2015-20 के लिए निम्नलिखित अनुदानों की सिफारिश की है:

	(करोड़ रूपए)
अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	194821
स्थानीय निकाय	287436
आपदा प्रबंधन	55097

सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें, दिशा-निर्देशों के अनुसार 2015-20 की अधिनिर्णय अवधि में कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2015-16, 14वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि का प्रथम वर्ष है। इस वर्ष के दौरान, अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा, स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए सहायता अनुदान के रूप में अब तक (23.12.2015 तक) राज्यों को 62310.31 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह वर्ष 2015-16 के लिए 88864.52 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का 70.12% है। इसके अतिरिक्त, 5690 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में से 23.12.2015 तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 5632.64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

ऋण

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्यों की वार्षिक ऋण सीमा निर्धारित करने की कार्यविधि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तैयार की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित राजकोषीय सुधार विधि के अनुसार राज्यों के लिए ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है। निर्धारित राजकोषीय मानदंडों के अनुपालन से, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले ऋण के अनुपात को 24.9 प्रतिशत (2014-15 सं. प्रा.) तक लाने में मदद मिली है जबकि वर्ष 2014-15 के अंत तक इसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30.3 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य था।

राज्यों का राजकोषीय समेकन (2015-20)

तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा तैयार की है जिसमें राज्यों को अधिकतम, वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटा समाप्त करना होगा और राजकोषीय घाटे को अपने-अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाना होगा। आयोग ने इसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30.3 प्रतिशत का संयुक्त राज्य ऋण लक्ष्य प्राप्त करने की भी सिफारिश की थी। सभी राज्यों ने अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट

प्रबंधन अधिनियम बना लिए हैं। वर्ष 2014-15 (सं. प्रा.) के लिए कुल मिलाकर राज्यों की राजकोषीय स्थिति संक्षेप में इस प्रकार हैः-

i) कुल राजस्व घाटा जीएसडीपी का 0.2% है।

ii) कुल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.3% है।

iii) कुल ऋण जीएसडीपी का 24.9% है।

14वें वित्त आयोग ने अपनी अधिनिर्णय अवधि 2015-20 के लिए राज्यों को राजस्व संतुलन कायम रखने और अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% पर सीमित रखने के लिए एक राजकोषीय समेकन ग्लाइड पथ की भी सिफारिश की है। इसके अलावा, 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को अपने आईपी/टीआरआर अनुपात 10 प्रतिशत के अंदर कायम रखने, ऋण/जीएसडीपी अनुपात 25 प्रतिशत के अंदर रखने और राजस्व संतुलन में बने रहने के पात्रता मानदंड को पूरा करने पर उनके लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक की अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश की भी सिफारिश की है। इस अतिरिक्त गुंजाइश से राज्य राजकोषीय ग्लाइड पथ से विचलित हुए बगैर और अधिक पूंजीगत व्यय कर सकेंगे। राज्यों की समग्र राजकोषीय स्थिति जैसा की वर्ष 2015-16 (ब. प्रा.) से स्पष्ट होता है, इस प्रकार हैः-

i) कुल राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.3% है।

ii) कुल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.8% है।

iii) कुल ऋण जीएसडीपी का 24.4% है।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत

तेरहवें वित्त आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी सिफारिश की है कि राज्यों के लिए अपने विनिर्दिष्ट राजकोषीय लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए अपने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का अधिनियमन/संशोधन, ऋण राहत उपायों (एनएसएसएफ ऋणों की ब्याज दरों के पुनर्निर्धारण और वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों से लिए गए केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते डालना) और सभी राज्य विशिष्ट अनुदानों को जारी करने के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

तेरहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2006-07 तक अनुबंधित और राज्यों के राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधिनियमन/संशोधन के वर्ष के पहले के वर्ष के अंत तक बकाया राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के ऋणों पर ब्याज की दरें 9% की समान वार्षिक दर से पुनर्निर्धारित करने की भी सिफारिश की है। राज्यों के राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियमों में यथा-निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों का वर्ष 2012-13 से निरंतर अनुपालन किया जाना, एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक है। तदनुसार, एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज राहत पात्र राज्यों को दी जा रही है।

केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल एवं ई-प्रापण

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में ई-प्रापण को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है और सभी मंत्रालयों/विभागों को 10 लाख रुपए अथवा इससे अधिक अनुमानित मूल्य के सभी प्रापणों के लिए चरणबद्ध रूप में ई-प्रापण शुरू किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दस लाख रुपए की यह सीमा घटा कर 1.4.2015 से 5 लाख रुपए और 1.4.2016 से 2 लाख रुपए कर दी गई।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए अवसंरचना लक्ष्यों की समीक्षा के लिए बुलायी गयी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रमुख संविदा फर्मों का डाटा बेस तैयार किया गया है। यह डाटा बेस वेबसाइट www.eprocure.gov.in के होम पृष्ठ पर 'दस्तावेज' शीर्षक के तहत 'निविदादाताओं की क्षेत्रवार सूची' उप-शीर्षक के तहत रखा गया है।

3. यह अनिवार्य है कि लोक प्रापण प्रक्रिया में लगे कार्यपालकों/अधिकारियों को लोक प्रापण के सभी संगत नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी हो। इस प्रयोजनार्थ, संबंधित कार्यपालकों/अधिकारियों को लोक प्रापण के सभी संगत नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने और उनसे अवगत कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) के माध्यम से लोक प्रापण विषय पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। चालू वर्ष में एनआईएफएम में लगभग 2000 अधिकारियों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है।

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) स्कीम, मंत्रिमंडल द्वारा दिसम्बर, 2013 में पूरे भारत में लागू किए जाने के लिए अनुमोदित की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य, राजकोष तथा बैंक इंटरफेस के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर जारी धनराशि का पता लगाने और व्यय की वास्तविक समय पर सूचना देने के लिए एक ऑन लाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना एवं निर्णय सहायता प्रणाली की स्थापना करना है।

यह प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी वित्तीय नेटवर्कों को आपस में जोड़ती है और ई-भुगतान तथा धनराशि के घटक-वार उपयोग पर निगरानी रखने की सुविधा प्रदान करके कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय पर सूचना प्रदान करती है। पीएफएमएस ने 94 बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, 09 निजी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के प्रमुख बैंकिंग समाधान के साथ एक इंटरफेस भी विकसित किया है जिसके द्वारा सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों की बैंकों में जमा धनराशि तथा लेनदेनों का ब्यौरा वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होता है।

पीएफएमएस का उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर सरकार की कार्यप्रणाली में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाना और अंतिम स्तर तक धनराशि का पता लगाने की सुविधा प्रदान करना है जिससे बीच में होने वाले विलंब न्यूनतम हो जाएंगे और लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इससे सामाजिक क्षेत्र में सुधार आया है और अंतिम स्तर तक निगरानी रखना जो कि अभी तक संभव नहीं था, संभव हो सका है। इस प्रणाली में, विद्यमान धनराशि अंतरण प्रणाली में सुधार लाने की क्षमता है जिससे कार्यान्वयन एजेंसियों के पास न्यूनतम धनराशि रहे।

भारत सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों में पीएफएमएस शुरू कर दी गई है। योजना धनराशि, वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से जारी की जाती हैं जिसके लिए प्राप्तकर्ता एजेंसियों का पंजीकरण और उनके बैंक विवरण अनिवार्य हैं। इस एप्लीकेशन को कॉम्पेक्ट और ई-लेखा, सीजीए के कोर लेखांकन एप्लीकेशन और ई-भुगतान गेटवे से जोड़ा गया है जिससे प्राप्तकर्ता एजेंसियों तथा लाभार्थियों को योजना धनराशि के प्रवाह में काफी दक्षता प्राप्त हुई है। इस प्रकार, पीएफएमएस स्कीम-वार, क्षेत्र-वार धनराशि के भौगोलिक वितरण के संबंध में विभिन्न रिपोर्टें एक केन्द्रीय प्लेटफार्म पर उपलब्ध करा पाई है।

डीबीटी को पीएफएमएस के माध्यम से दिनांक 01.01.2013 से प्रारंभ किया गया था और अभी तक लगभग 6.50 करोड़ लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्रीय स्कीमों में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से 3633.00 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।

गैर-योजना व्यय को भी 62 मंत्रालयों में 94 भुगतान और लेखा कार्यालयों में 01 अक्तूबर, 2015 से पीएफएमएस के अंतर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, इस कार्यालय ने भारत सरकार के सभी गैर-कर आय के लेखांकन के लिए गैर-कर आय पोर्टल (एनटीआरपी) भी विकसित किया है।

परिव्यय 2014-15 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	2014-15 में परिव्यय (करोड़ रुपए) ब.प्रा	सं.प्रा	वास्तविक	परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रिया/ समयावधि	31 मार्च, 2015 को स्थिति
1	2	3	4			5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2070-** **अन्य प्रशासनिक सेवाएं** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी द्वारा लेखा और वित्त मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें एमबीए (वित्त) के मूलभूत तत्व शामिल हैं।	4.00 (योजना) (राजस्व 4.00 (पूंजी शून्य)	3.50 (योजना) (राजस्व 3.50 (पूंजी शून्य)	3.50 (योजना) (राजस्व 3.50 (पूंजी शून्य)	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 80 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	दो वर्ष	(i) राजस्व खंड के अंतर्गत एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 83 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया।

परिव्यय 2014-15 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम और उद्देश्य परिणाम	योजना परिव्यय 2014-15 (करोड़ रुपए) ब.प्रा	सं.प्रा.	वास्तविक	परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
1	2	3			4	5	6	7
2.	**मुख्य शीर्ष 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं** योजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएएंड पीएमएमएस)	369.57	80.00	64.49	1) सभी योजना स्कीमों के लिए सभी राज्यों में सीपीएसएमएस को पूरे भारत में लागू करना	1) राज्य से जिला स्तर तक कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर जारी धनराशि पर नियंत्रण और नजर रखना।	1)राज्य से केवल जिला स्तर तक कार्यान्वयन के प्रत्येक स्तर पर जारी धनराशि और व्यय पर नियंत्रण रखना। जिला स्तर तक जारी धनराशि और उनके उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरु होगी।	कोई विशेष अंतर नहीं
	केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली/निर्णय सहायता प्रणाली का विकास				2)बैंक इंटरफेस	2) सीपीएसएमएस-सीबीएस इंटरफेस से खाता संख्या का अलग-अलग प्रमाणीकरण करना और बैंक खातों में धनराशि तथा बैंकों द्वारा अपलोड किए जाने वाले दैनिक लेनदेन का ब्यौरा देख पाना आसान हो जाएगा।	2) इस समय, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, अनेक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और निजी क्षेत्र के कुछ प्रमुख बैंकों में यह इंटरफेस प्रयोग में है। 68 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 26 राष्ट्रीयकृत बैंकों और 7 निजी क्षेत्र के बैंकों को जोड़ा जा चुका है।	
					3) प्रत्येक योजना स्कीम के तहत बजट का राज्य-वार आबंटन	3) इससे यह प्रणाली प्रत्येक स्कीम के तहत प्रत्येक राज्य के लिए बजट के अपलोडेड योजना आबंटन की धनराशि 'से कम अथवा के बराबर' धनराशि जारी करने में सक्षम हो जाएगी।	3) इस प्रणाली में एक मॉड्यूल विकसित किया गया है और उसे चालू कर दिया गया है जिसमें मंत्रालय योजना स्कीमों के लिए बजट का राज्य-वार आबंटन सीपीएसएमएस पोर्टल पर अपलोड करते हैं।	

परिव्यय 2014-15 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम और उद्देश्य परिणाम	योजना परिव्यय 2014-15 (करोड़ रुपए) ब.प्रा	सं.प्रा.	वास्तविक	परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
1	2	3			4	5	6	7
					4) पब्लिक डोमेन में सूचना का प्रसार।	4) सकल बजट सहायता और व्यय का स्कीम-वार ब्यौरा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।	4) इस प्रणाली को पब्लिक डोमेन में रखने के लिए प्रोटोकोल को देखे जाने सहित एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी। नागरिक सूचना पोर्टल विकसित किया गया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।	
					5) सीपीएसएमएस के लिए विकसित वेब आधारित एप्लीकेशन की सुरक्षा जांच।	5) यह प्रचालन में प्रणाली की विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।	5) इस एप्लीकेशन की सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रणाली को पुनः तैयार करना।	
					6) डाटा भंडारगृह (डाटा वेअरहाउस) का सुदृढ़ीकरण।	6) यह समय पर भुगतान तंत्र के कार्यान्वयन और समावेशन के लिए एक सहायक तंत्र उपलब्ध कराएगा।	6) सीपीएसएमएस के लिए समर्पित डाटा केन्द्र की स्थापना के लिए यह डाटा वेअरहाउस आवश्यक है। संबंधित हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर की खरीद के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं।	
					7) राजकोष से जोड़ना	7) इसे राजकोषों से जोड़ने का कार्य चल रहा है और महाराष्ट्र तथा बिहार राज्यों में इसका परीक्षण चल रहा है। धनराशि के राज्य-वार संवितरण की सूचना राज्य सरकारों से साझा की जाएगी।	7) महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, मेघालय, ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में राजकोष इंटरफेस का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है और ऐसा ही सभी अन्य राज्यों में किया जाना है।	

परिव्यय 2014-15 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम और उद्देश्य परिणाम	योजना परिव्यय 2014-15 (करोड़ रुपए) ब.प्रा सं.प्रा. वास्तविक	परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	उपलब्धियां	अंतर के कारण
1	2	3	4	5	6	7
			8) सीपीएसएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (लाभार्थी के खाते में सीधा अंतरण)	8) एमजीएनआरईएस के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) बिहार में सफलतापूर्वक लागू की गई है जिसमें 40,000 लाभार्थी शामिल हैं। पीएफएमएस को एनपीसीआई से जोड़ा गया है और इससे पुदुच्चेरी में जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रथम 'आधार' आधारित भुगतान संभव हो पाया है।	8) एमजीएनआरईएस, एनआरएचएम और एनएसएपी छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि के सीधे अंतरण से सीपीएसएमएस के माध्यम से ई-भुगतान को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।	

परिव्यय 2015-16 के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	2015-16 में परिव्यय (करोड़ रुपए) ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक	परिमेय सेवाएं/ वास्तविक उत्पादन	प्रक्रिया/ समयावधि	31 दिसम्बर, 2015 को स्थिति
1	2	3	4			5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं।** राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने और संस्थान के अवसंरचनात्मक विकास के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम।	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी द्वारा लेखा और वित्त मामलों का कार्य देखने वाले अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें एमबीए (वित्त) के आधारभूत तत्वों को शामिल किया गया है और संस्थान की अवसंरचना में वृद्धि करना।	4.00 (योजना) (राजस्व 4.00 (पूंजी शून्य)	4.00 (योजना) (राजस्व 4.00 (पूंजी शून्य)	3.59 (योजना) (राजस्व 3.59 (पूंजी शून्य)	केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के 120 अधिकारियों को प्रशिक्षण। यह कार्यक्रम त्रैमासिक है और इसके प्रत्येक सत्र की अवधि 12-14 सप्ताह है। यह कक्षा शिक्षण और परियोजना कार्य का एक संयोजन है।	दो वर्ष	i) राजस्व खंड के अंतर्गत, एन.आई.एफ.एम., फरीदाबाद में 73 अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया।

राजस्व विभाग

परिचय

1. राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का दो सांविधिक बोर्डों, नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है । प्रत्येक बोर्ड का प्रमुख अध्यक्ष होता है जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होता है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण का कार्य किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लगाने व संग्रहण का कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है । ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे ।दोनों, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में छह सदस्य होते हैं। ये सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव भी होते हैं ।

2. राजस्व विभाग मुख्यतया निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है :-

- प्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- अप्रत्यक्ष कर लगाने और संग्रहण से जुड़े सभी मामले ।
- आर्थिक अपराधों की जॉच और आर्थिक कानून का प्रवर्तन ।
- अफीम की खेती, प्रसंस्करण, निर्यात और मूल्य-निर्धारण के लिए नीति तैयार करना ।
- स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग तथा उनके अवैध व्यापार का मुकाबला करना एवं रोकथाम करना ।
- फेमा का प्रवर्तन एवं कोफेपोसा के तहत नज़र बन्दी हेतु सिफारिश ।
- तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत सम्पत्ति को जब्त करने से संबंधित कार्य ।
- अन्तर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर कर लगाना ।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टाम्प शुल्क के भुगतान के संबंध में समेकन/कमी/छूट से संबंधित मामले ।
- स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम से जुड़ा शेष कार्य ।

3. राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है :-

- आयकर अधिनियम, 1961;
- धनकर अधिनियम, 1958;
- व्यय कर अधिनियम, 1987; *
- बेनामी कारोबार(प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
- अधिलाभ कर अधिनियम , 1963; *
- कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964; *
- अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974; *
- वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय VII (प्रतिभूति, कारोबार कर लगाने से संबंधित)
- वित्त अधिनियम, 2005 का अध्याय VII (बैंकिंग, रोकड़ कारोबार कर से संबंधित)
- वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V (सेवा कर से संबंधित)
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले
- औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955;
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
- स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
- तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सफेम) (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976;
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो)
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974;
- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999; और
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;

* इन अधिनियमों का प्रशासन केवल उस अवधि के दौरान हुए मामलों के लिए सीमित है, जब ये लागू थे ।

4. यह विभाग उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों पर प्रभागों एवं सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है जिनके कार्य निम्न प्रकार हैं :-

■ **केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :**

प्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

■ **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड**

अप्रत्यक्ष कर लगाने और वसूल करने से संबंधित सभी मामले

■ **राज्य कर स्कन्ध :**

बिक्री कर कानून (वैधीकरण) अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1989 आदि का प्रशासन।

■ **स्वापक नियंत्रण प्रभाग:**

अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन और निर्यात के लिए लाइसेंस नीति तैयार करना तथा अफीम एवं क्षारोध का मूल्य निर्धारण । प्रबंध समिति के कार्य का समन्वय करना और संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दे ।

■ **प्रबंध समिति :**

विभागीय उपक्रमों, नामतः सरकारी अफीम और क्षारोध कार्य नीमच (म0प्र0) और गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) का प्रशासन करता है जो निर्यात प्रयोजनों के लिए कच्ची अफीम का संसाधन और अफीम से क्षारोद निष्कर्षण का भी कार्य करते हैं, जिनका भेषज उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाता है ।

■ **प्रशासन प्रभाग:**

राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले । विभाग के भारतीय राजस्व सेवा (समूह-क), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और के०उ०शु०) (समूह-क) स्टाफ और अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों का रख-रखाव । समन्वय कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं अनुवाद संबंधी कार्य ।

■ **पुनरीक्षा आवेदन एकक:**

सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुकत (अपील) के आदेशों के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षा याचिकाओ और के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के समक्ष 11.10.1982 से पहले दाखिल मामलों से संबंधित कार्य ।

■ **एकीकृत वित्त एकक :**

राजस्व विभाग और सी०बी०डी०टी० एवं सी०बी०ई०सी० के तहत इसके संघटक एककों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना । व्यय और वित्तीय प्रस्तावों का कार्य करना । राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदानों के लिए व्यय बजट तैयार करना और जांच करना ।

■ **सक्षम प्राधिकारी:**

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के तहत सम्पत्ति के समपहरण और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय-5 क से संबंधित कार्य ।

■ **सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण:**

सफेम (एफ ओ पी) अधिनियम, 1976 और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, 1985 के अध्याय 5 क के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पारित सम्पत्तियों के समपहरण के आदेशों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल अपीलों का न्याय-निर्णयन ।

■ **सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण:**

कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्त (अपील) के आादेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई ।

■ **सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति:**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश करना।

■ **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण :**

आवेदक द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित लेन-देन के संबंध में अनिवासियों द्वारा दाखिल आवेदन में विनिर्दिष्ट कानून अथवा तथ्य के प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय देना ।

■ **सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग :**

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।

■ **समझौता आयोग (आयकर/धन कर):**

आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दाखिल आवेदनों का निपटान ।

■ **केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो:**

आसूचना एकत्रित करने की गतिविधियों, जांच-पड़ताल के प्रयासों और आर्थिक अपराधों की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियां द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन का समन्वय करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना ।

■ **प्रवर्तन निदेशालय:**

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबंदी के लिए मामलों की सिफारिश करना । विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनयम, 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मुख्यतः जांच और न्याय-निर्णयन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है । धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के संगत उपबंधों के तहत निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय को शक्तियां भी दी गई हैं ।

■ **वित्तीय आसूचना एकक:**

धन शोधन और संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के एकत्रण और आदान-प्रदान को समन्वित और सुदृढ़ करना । निदेशक, भारत-वित्त आसूचना एकक को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संगत उपबंधों के तहत शक्तियां दी गई हैं ।

■ **धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण**

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अथवा द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार शक्तियों व प्राधिकार का प्रयोग करना । प्राधिकरण को यह अधिकार है कि वह असंतुष्ट पक्षों को सुनने के बाद संपत्ति की अनंतिम कुर्की की पुष्टि करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियत अपराध अथवा धन शोधन अपराध के लिए चल रहे मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को बेचा न जा सके ।

■ **आयकर लोकपाल** :

करदाताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए सात शहरों में आयकर लोकपालों को तैनात किया गया है ।

■ **अप्रत्यक्ष कर लोकपाल** :

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के विरूद्ध लोक शिकायत से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए चार शहरों में अप्रत्यक्ष कर लोकपाल की नियुक्ति की गई है।

5. प्रत्यक्ष कर :

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक शीर्ष संस्था है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों अर्थात आयकर, धनकर, बैंककारी नकद संव्यवहार कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर, आदि के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा छः सदस्य हैं तथा यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है । दिल्ली में निम्नलिखित सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके काम काज में सहायता करते हैं :

(i) आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)
  (क) आयकर निदेशालय (जनसम्पर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
  (ख) आयकर निदेशालय (वसूली)
  (ग) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा परीक्षा)
(ii) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)
(iii) आयकर महानिदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान)
(iv) आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं)
(v) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
(vi) आयकर निदेशालय (कारोबार प्रक्रिया पुननिर्माण)
(vii) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)
(viii) आयकर महानिदेशालय (छूट)
(ix) आयकर महानिदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान एवं अन्तरण मूल्यनिर्धारण)

पूरे देश में तैनात विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष कर संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं तथा करदाता सेवाएं प्रदान करते हैं । आयकर महानिदेशक (जांच) कर अपवंचन को रोकने और बेहिसाबी धन का पता लगाने के लिए जांच तंत्र का पर्यवेक्षण करते हैं । मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक की सहायता आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक अपने-अपने क्षेत्राधिकार में करते हें । यहां प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) होते हैं जो कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान का कार्य करते हैं । प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियों की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार हैं ।

6. अप्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। यह बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के लिए 23 मुख्य आयुक्त के ज़ोन, सीमा शुल्क के लिए 11 मुख्य आयुक्त ज़ोन, 12 महानिदेशालय एवं 6 निदेशालय एवं एक सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण के लिए एक मुख्य विभागीय प्रतिनिधि व्यवस्था शामिल है, के माध्यम से अपने कार्यों का निवर्हन करता है। इसके प्रकार्यों में सीबीईसी को निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा सहायता की जाती है:-

(i) राजस्व आसूचना निदेशालय

(ii) संरक्षोपाय महानिदेशालय

(iii) केन्द्रीय उत्पाद आसूचना महानिदेशालय

(iv) निरीक्षण महानिदेशालय

(v) सतर्कता महानिदेशालय

(vi) सेवाकर महानिदेशालय

(vii) लेखापरीक्षा महानिदेशालय

(viii) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय

(ix) मूल्यांकन महानिदेशालय

(x) प्रणाली एवं डॉटा प्रबंधन महानिदेशालय

(xi) मानव संसाधन विकास महानिदेशालय

(xii) लॉजिस्टिक्स महानिदेशालय

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारियें की सहायता से विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण तथा किए गए व्यय के लेखांकन के लिए जिम्मेदार है ।

7. राजस्व विभाग में तीन अनुदान मांगे हैं:

मांग सं0 37 - राजस्व विभाग

मांग सं0 38- प्रत्यक्ष कर और

मांग सं0 39- अप्रत्यक्ष कर

परिव्यय को परिणामों में परिवर्तित करना

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2014-15		बजट अनुमान 2015-16		संशोधित अनुमान 2015-16		बजट अनुमान 2016-17		
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	कुल
कुल राजस्व भाग	-	**11332.52**	-	**16081.69**	-	**17072.25**		**11869.01**	**11869.01**
प्रभारित	-	0	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02
पारित	-	11332.52	-	16081.67	-	17072.23		11868.99	11868.99
कुल-पूंजी भाग	-		-	**106.00**	-	**10.00**	-	**56.00**	**56.00**
प्रभारित	-	0		-		-		-	-
पारित	-	0.21	-	106.00	-	10.00	-	56.00	56.00
कुल (राजस्व एवं पंजी)	-	**11332.73**	-	**16187.69**	-	**17082.25**		**11925.01**	**11925.01**
प्रभारित	-	0		0.02	-	0.02	-	0.02	0.02
पारित	-	11332.73	-	16187.67	-	17082.23		11924.99	11924.99

2016-17 हेतु परिव्यय एवं परिणाम का विवरण

क्रम सं0	स्कीम /कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2016-17 (करोड़ रूपये में)		प्रमात्रात्मक प्रदाय / वास्तविक उपादान	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणी / जोखिम अवयव
			गैर योजना	योजना				
			4		5	6	7	8
1	2	3	4(i)	4(ii)				
1.	**मुख्य शीर्ष -2052 मूल्य वर्धित कर (वैट) स्कीम** (वैट संबंधी व्यय के लिए बजट प्रावधान) का क्रियान्वयन	प्रशिक्षण कार्यक्रम माल और सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्वयन	1.00	...	जीएसटी का क्रियान्वयन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होने की आशा है और तदनुसार राज्यों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण/स्टेक धारकों के साथ परामर्श और जीएसटी के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	जीएसटी का प्रभावी/ निर्बाध क्रियान्वयन	नियमित प्रशिक्षण/स्टेक धारकों के साथ परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे	
2.	**मुख्य शीर्ष 2047-माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) हेतु विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी)** (यह बजट प्रावधान माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी एस टी एन) हेतु विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)	माल एवं सेवा कर नेटवर्क हेतु विशेष उद्देश्य वाहक	696.69	...	माल एवं सेवा कर के निर्बाध आरंभ हेतु सामर्थकारी वातावरण तैयार करना ।	माल एवं सेवा कर नेटवर्कः विशेष उद्देश्य वाहक केंद्र एवं राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करेगा ।	विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) एक गैर-सरकारी सेक्शन 25 कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है ।	
3.	**मुख्य शीर्ष - 3601/3602 राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को वैट संबंधी अन्य खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति** (यह बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कराधन अध्ययनों के लिए दो संस्थानों की स्थापना /उन्नयन प्रदान करने के लिए है)	राज्य वैट का सुचारु एवं प्रभावी कार्यान्वयन	0.01	...	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कराधान अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/उन्नयन		संस्थागत क्षमता निर्माण और लोक वित्त एवं नीति के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में क्षमता निर्माण और उन्नयन हेतु सहायता के एक भाग के रूप में कराधान अध्ययन केंद्र, केरल तथा सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, कोलकाता को 15 मार्च तक क्रमशः 14 करोड़ एवं 22 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं । जीआईएफटी, केरल ने जीआईएफटी के उन्नयन की लागत को संशोधित किया है और लागत वृद्धि और मूल्य सूचकांक इत्यादि के कारण 24.92 करोड़ रू0 के केंद्रीय	जीआईएफटी केरल को निर्माण लागत में वृद्धि होने के कारण अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
							भाग की मांग की है जिसमें मूल लागत के लिए 1.64 करोड़ रूपये का शेष केंद्रीय भाग भी शामिल है। प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।	
4.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर (के0बि0क0) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति**(यह बजट प्रावधान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है)	माल एवं सेवा कर(जी एस टी) के प्रारंभ को सुकर बनाने के लिए राज्यों/संघ शासित राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) की क्षतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	10469.47	...	—सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन। -केन्द्रीय बिक्री कर समाप्त करना।	केन्द्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध समापन का सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन ।	केन्द्रीय बिक्री कर को 1-4-2007 से तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना थी । केन्द्रीय बिक्री कर की दर को वर्ष 2007-08 में 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत और वर्ष 2008-09 में 2 प्रतिशत किया गया । सहमत फार्मूले के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति 2009-10 तक प्रदान की जानी थी । 2010-11 के लिए भी केंद्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति, वैट की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने से राज्यों को हुए राजस्व लाभ की राशि को घटाकर अदा कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, जीएसटी के कार्यान्वयन में विलंब को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति (2010-11 के लिए 100 प्रतिशत,2011-12 के लिए 75 प्रतिशत और 2012-13 के लिए 50 प्रतिशत) देने के लिए सहमति दे दी है। तदनुसार वर्ष 2010-11 के क्षतिपूर्ति दावों की अदायगी राज्यों को 2014-15 में कर दी गयी है। राज्यों ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के अपने अद्यतन दावों को भेज दिया है। वर्ष 2011-12 की एसएसटी क्षतिपूर्ति की प्रथम किस्त जारी कर दी गयी है	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
							और दूसरी किस्त भी चालू वित्त वर्ष में दौरान जारी कर दी जाएगी। वर्ष 20112-13 के दावों को वर्ष 2016-17 में निपटाया जाएगा जिसके लिए 10469.47 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है।	
5.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य**	गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाने दो विभागीय उपक्रम हैं जो राजस्व विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं । इनमें से प्रत्येक उपक्रम की दो अलग-अलग इकाइयां, अर्थात अफीम फैक्टरी एवं क्षारोध संयंत्र हैं । अफीम कारखाने अफीम की मांग को पूरा करने के कार्य में लगी हैं और खेती से प्राप्त कच्ची अफीम का एक बड़ा भाग निर्यात किया जाता है ।	315.65	...	327 मीट्रिक टन कच्चे अफीम की अधिप्राप्ति 20 मीट्रिक टन कोडीन फॉस्फेट का आयात, अफीम का निर्यात (170 मी0टन) तथा क्षारोद की बिक्री(74.10 मी0 टन)	312.70 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली	राजस्व वसूली की प्रगति की तुलना में व्यय की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जाएगी ।	राजस्व वसूली एवं उठाया गया व्यय अनेक कारणों जैसे कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय अफीम की मांग, विदेशी मुद्रा की दर में उतार चढ़ाव, क्षारोध का उत्पादन, अफीम की खरीद की मात्रा, कोडीन का आयात आदि पर निर्भर करता है।

सुधारात्मक उपाय एवं नीतिगत पहल

मूल्यवर्धिक कर (वैट) योजना का कार्यान्वयन

1. राज्य स्तर पर राज्य वैट को लागू करना हाल के समय का एक अत्यधिक उल्लेखनीय कर सुधार उपाय है । राज्य वैट को कार्यान्वित करने का निर्णय 18-6-2004 को हुई राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया था, जिसमें वैट को 1-4-2005 से लागू करने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति हुई थी । तदनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर, जहां राज्य कर/ वैट नहीं है सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट को लागू कर दिया गया है, तथा वैट लागू करने से हुई हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय वर्षों 2005-08 के लिए 19002.82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करना

यह राज्य वैट कार्यान्वयन का एक प्राकृतिक उप परिणाम है । केन्द्रीय बिक्री कर गैर छूट प्राप्त स्रोत-आधारित कर होने के कारण वैट के अनुरूप नहीं है तथा इसे चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाने की आवश्यकता है । केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना एक एकीकृत राष्ट्र स्तरीय माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को 01.04.2010 से लागू करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के स्तर पर राज्य सरकारों से चर्चा के दौरान राज्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति की जाए । केन्द्रीय बिक्री कर को 3 वर्षों अर्थात प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत घटाकर समाप्त करने के लिए राज्यों के साथ एक व्यापक सहमति हुई थी ताकि 31-3-2010 तक इसे समाप्त किया जा सके । इसी क्रम में केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया तथा 1-6-2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया था ।

केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति पैकेज देने पर भी पारस्परिक रूप से सहमति हुई थी। इस पैकेज के तहत राज्यों को राजस्व वृद्धि हेतु उपायों और बजटीय सहायता के संयोजन से क्षतिपूर्ति की गई है । राजस्व वृद्धि के उपायों के रूप में और इस प्रकार राज्यों को केंद्रीय बिक्री कर के राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए 01.04.2007 से सरकारी विभागों द्वारा फार्म 'डी' पर रियायती सीएसटी दर पर अंतर राज्यीय खरीद की सुविधा को वापिस ले लिया गया । इसके अतिरिक्त, राज्यों के लिए ऐसे प्रावधान बनाए गए जिससे कि वे राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय करों के किसी भी भाग को खोए बिना तंबाकू और तंबाकू के उत्पादों पर वैट लगाने के लिए सक्षम हो सकें । इसके बाद भी होने वाली उन्हें शेष हानि के लिए केंद्रीय सरकार ने संघ शासित क्षेत्रों को अब तक 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दावा वर्षों के लिए सीएसटी की दर घटाने से हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 32860.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की है । इसके अतिरिक्त, वर्षों 2007-10 से संबंधित बकायों के लिए हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश को 1940.51 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 2013-14 में जारी की गई है । सरकार राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश के अनुसार 2010-11, 2011-12 व 2012-13 की अवधि के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सीएसटी की क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए भी सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मार्च, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2010-11 के लिए 100 प्रतिशत सीएसटी प्रतिपूर्ति, वर्ष 2011-12 के लिए 75 प्रतिशत सीएसटी प्रतिपूर्ति और वर्ष 2012-13 के लिए 50 प्रतिशत सीएसटी प्रतिपूर्ति देने का निर्णय लिया जिसे 22 अगस्त, 2008 के दिशा-निर्देश के अनुसार क्रियान्वित किया जाना है।

तदनुसार, वर्ष 2010-11 के लिए शेष सीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में मार्च, 2015 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 10724.08 करोड़ रू0 की राशि जारी की गई है और इसलिए वर्ष 2010-11 के लिए सीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 17118.93 करोड़ रू0 की राशि (पहले जारी की गई 6393.94 करोड़ रू0 की राशि सहित) और वर्ष 2011-12 के लिए सीएसटी क्षतिपूर्ति की प्रथम किस्त के रूप में 7696.53 करोड़ रू0 की राशि अगस्त, 2015 में जारी की गई है। वर्ष 2011-12 के लिए सीएसटी क्षतिपूर्ति के शेष भुगतान के रूप में दूसरी किस्त मार्च, 2016 से पहले जारी किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने के लिए वर्ष 2016-17 के लिए 10469.47 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है।

माल एवं सेवा कर (जी एस टी)

एक राष्ट्रीय स्तर के माल एवं सेवा कर (जी एस टी) को लागू करने के प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में पहली बार प्रस्तुत किया था । तब से इस विषय पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति से विस्तार से विचार-विमर्श व बात-चीत की गई है । माल एवं सेवा कर को लागू करने के लिए 115वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2011 पहली बार लोक सभा में मार्च, 2011 में प्रस्तुत किया गया था । तथापि, पंद्रहवी लोक सभा भंग होने के साथ-साथ यह विधेयक भी समाप्त हो गया । इसके पश्चात केंद्र सरकार और राज्यों के बीच माल एवं सेवा कर प्रारंभ करने के संबंध में बकाया विवादास्पद मामलों के समाधान के लिए कई बैठकें हुई हैं । पिछली कुछ बैठकों में हुई व्यापक सहमति के अनुसार सरकार ने 19.12.2014 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 संसद में पुरःस्थापित किया है जिसे अप्रैल, 2015 में लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और यह विधेयक देश में माल एवं सेवा कर को 01 अप्रैल, 2016 से लागू कराने के लिए भारतीय संविधान में आवश्यक संशोधन करने के लिए राज्य सभा में लंबित है।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष उद्देश्य वाहक की स्थापना

माल एवं सेवा कर एक ऐसे गंतव्य आधारित उपभोग कर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है जिसमें कम से कम विकृतियां हैं। भारत में माल एवं सेवा कर लागू करने का प्रमुख उद्देश्य इसमें अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को शामिल करके कर आधार को बढ़ाना तथा छूटों में कमी लाना; प्रपाती और दोहरे कराधान को कम करना तथा माल एवं सेवाओं पर समग्र कर भार को कम करके बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करना है । प्रच्छन्न या अंतः स्थापित करों को हटाने से आयात की तुलना में तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर होगी । यह सुधार लाने से माल एवं सेवाओं के लिए एक आम राष्ट्रीय बाजार का विकास भी होगा ।

माल एवं सेवा कर की सफलता एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना पर भी निर्भर करेगी । माल एवं सेवा कर नेटवर्क के लिए सरकार ने एक विशेष उद्देश्य वाहक (एस पी वी) (जी एस टी एनः एस पी वी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है जिससे माल एवं सेवा कर को सुचारु रूप से लागू करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार हो सकेगा । जी एस टी एनः एस पी वी केंद्र तथा राज्यों सहित विभिन्न साझेदारों को सूचना प्रोद्योगिकी अवसंरचना एवं सेवाएं उपलब्ध कराएगा ।

जी एस टी एनः एस पी वी को धारा 25 (लाभ के लिए नहीं) गैर-सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है जिसका

रणनीतिक नियंत्रण सरकार के पास रहेगा । इसकी 10 करोड़ रुपए की ईक्विटी पूंजी होगी जिसमें केंद्र और राज्यों प्रत्येक की 24.5 प्रतिशत की बराबर साझेदारी होगी । गैर-सरकारी संस्थानों की 51 प्रतिशत ईक्विटी होगी । कोई भी अकेला संस्थान 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी धारित नहीं कर सकेगा ।

जी एस टी एनः एस पी वी का एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल होगा जो कर दाताओं तथा इसकी सेवाओं का लाभ उठाने वाले कर प्राधिकरणों पर उपभोक्ता प्रभार लगाएगा । यद्यपि एस पी वी की सेवाएं निकट भविष्य में जी एस टी के वास्तविक प्रारंभ के समय महत्वपूर्ण होगीं, यह भी आशा की जा रही है कि यह जी एस टी लागू करने से पहले केंद्र/राज्य कर प्रशासनों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करेगा ।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के उन्नयन हेतु सहायता

सरकार ने कराधान अध्ययन केन्द्र, तिरूवनंतपुरम के एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए तथा पूर्वी भारत में इसी प्रकार का एक नया क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया था ।

कराधान अध्ययन केन्द्र का गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान(जी आई एफ टी) के रूप में उन्नयन हेतु 33.13 करोड़ रूपये की कुल लागत का एक प्रस्ताव पहले ही सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है । राजस्व विभाग ने इसमें से 23.63 करोड़ रूपये तक का सहायता अनुदान प्रदान करने को अपनी सहमति दे दी है । केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा संस्थान को मदद के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 22 करोड़ रूपये की राशि 31 मार्च, 2015 तक जारी कर दी गई है । उपर्युक्त त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के पश्चात केरल सरकार ने 23.92 करोड़ रू0 के अतिरिक्त केंद्रीय भाग को जारी करने का अनुरोध किया जिसमें नई इमारत की निर्माण की अतिरिक्त लागत हेतु 1.64 करोड़ रू0 का मौजूदा केंद्रीय भाग का परियोजना लागत में वृद्धि के कारण मौजूदा शेष इमारत की अतिरिक्त लागत हेतु 9.40 करोड़ रुपए (लगभग) शामिल है। वित्त मंत्री ने संस्थान की नई इमारत की नींव 1 जनवरी, 2011 में रखी थी । जीआईएफटी की नई इमारत के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है तथा 18 अगस्त,2015 को इसका उद्घाटन किया गया है । अतिरिक्त निधि हेतु केरल सरकार के अनुरोध पर सरकार विचार कर रही है ।

सरकार द्वारा सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन केन्द्र (सी एस एस एस), कोलकाता को कार्पस सृजित करने तथा पहचान किए गए क्रियाकलापों को चलाने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है । इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार तथा निदेशक, सी एस एस एस, कोलकाता के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा पश्चिम बंगाल की सरकार को 14 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है ।

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाने

गाजीपुर(उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाने (जीओएडब्ल्यू) निर्यात के लिए कच्ची अफीम के संसाधन, अफीम क्षारोद के विनिर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यों को अपने गाजीपुर (उ0प्र0) व नीमच (म0प्र0) स्थित दोनों कारखानों के द्वारा पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं । सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाने (जीओएडब्ल्यू) द्वारा किये गये कुछ प्रमुख सुधार एवं पहल निम्न प्रकार से हैंः-

(क) अफीम पोस्त की अधिक पैदावार वाली किस्म के विकास व मौसम नियंत्रित कक्ष की स्थापना के लिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान में एक परियोजना आंरभ की जा रही है । इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि अफीम पोस्त की उन क़िस्मों को वाणिज्यिक तौर पर विकास एवं खेती की जाए जिनमें उच्च एल्कालायड की मात्रा हो ताकि एल्कालायड का उच्च मात्रा में उत्पादन हो सके । इससे राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होगी तथा आयात पर निर्भरता भी कम होगी । इससे अफीम खेतिहरों को अधिक आय होगी / इनके मुआवजे में वृद्धि होगी ।

परिणामी बजट की निगरानी व्यवस्था

परिणामी बजट के अंतर्गत प्रशासनिक एवं समन्वयकारी यूनिटों द्वारा अपनी-अपनी मदों के संबंध में मासिक रिपोर्ट देने की एक प्रणाली आरंभ की गई है । परिणामी बजट के अंतर्गत व्यय के रूझानों व प्रगति की मासिक व त्रैमासिक समीक्षा विभाग/मंत्रालय के स्तर पर की जाती है । प्रमुख परियोजना संबंधी मदों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना मॉनीटरिग / कार्यान्वयन समिति स्थापित की गई है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किये जा रहे व्यापक स्तर पर कम्प्यूटरीकरण के उद्यमों के संबंध में समन्वित प्रयासों एवं शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति भी कार्य कर रही है जिसमें निजी क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञ भी सदस्य हैं ।

2014-15 हेतु परिव्यय के परिणामों की स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 मार्च, 2015 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 2052 कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी आई एन एक्स एस वाई एस) की स्थापना।**	कर सूचना विनिमय प्रणाली के माध्यम से अन्तर राज्यीय संव्यवहारों का प्रभावी रूप से पता लगाना एवं अधिकार प्राप्त समिति का सुचारू रूप से कार्य करना तथा हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में वैट का कम्प्यूटरीकरण। राज्यों को (त्) वैट क्षतिपूर्ति और (त्त) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	8.00	6.34	- अन्तर राज्यीय संव्यवहारों की प्रभावी खोज के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली परियोजना का कार्यान्वयन।	हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर मूल्य वर्धित कर कम्प्यूटरीकरण : 40.49 करोड़ रुपए की कुल लागत की परियोजना को मंजूरी दी गई थी जिसमें केंद्रीय हिस्सा 25.33 करोड़ रुपए है । अधिकार प्राप्त समिति इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी।	अब तक 22.33 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । परियोजना संबंधी क्रियाकलापों की नियमित अंतराल में समीक्षा की जा रही है।
2.	**मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि तथा वैट संबंधी अन्य खर्चों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूर्ति**		1.01	4.00	सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में वैट कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करना और साथ ही राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य व्यय को पूरा करने के लिए ।	राज्य वैट प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए सहायता। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन	राज्य वैट प्रशासनों के आधुनिकीकरण हेतु वाणिज्यिक कराधान संबंधी मिशन मोड परियोजना (एम एम पी-सी टी) को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों को पहले ही 1133 करोड़ रूपये की समग्र लागत के साथ अनुमोदित कर दिया गया था, जिसमें से केन्द्रीय भाग तकरीबन 725 करोड़ रूपये था । केंद्रीय भाग के रूप में 622.22 करोड़ रूपये की राशि (2009-10 में 145 करोड़ रुपए, 2010-11 में 206.32 करोड़ रुपए, 2011-12 में 102.83 करोड़ रूपए, 2012-13 में 98.07 करोड़ रुपए और 2013-14 में 70 करोड़ रुपए) जारी की गई है । परियोजना 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई है और अब इसे राज्य सरकार द्वारा अपने ही स्त्रोतों से वित्त पोषित किया जाता है ।

1	2	3	4	5	6	7
						23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान (जी आई एफ टी) के कराधान अध्ययन केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और संस्थान को 22 करोड़ रुपए 4 किस्तों में (वर्ष 2014-15 में 4 करोड़ रुपए की राशि सहित) जारी की गई । सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी एस एस एस) कोलकाता को कार्पस निधि उपलब्ध कराने के एक और प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई थी । पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से 14 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी।
3.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति ।**	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	0.01	11000.00	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति करना।	सहमत फार्मूले के अनुसार सीएसटी की प्रतिपूर्ति वर्ष 2009-10 तक राज्यों को प्रदान किए जाने की जरूरत होगी। बाद में राज्यों के अनुरोध और जीएसटी पर बातचीत को जारी रखने के उद्देश्य से सरकार ईसी की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए राज्यों को सीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए सहमत हो गई थी।	वर्ष 2007-08 और 2009-10 के लिए सीएसटी प्रतिपूर्ति के बकायों के भुगतान हेतु मार्च, 2015 तक राज्य सरकारों को 32800.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । वर्ष 2010-11 के लिए सीएसटी की प्रतिपूर्ति के दावों को निपटाने के लिए 2014-15 में 10758.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी ।
4.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	267.52	301.99	अफ़ीम की अधिप्राप्ति (300 मीट्रिक टन) 20 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (214 मी0 टन) और क्षारोद की बिक्री (56.200 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 287.82 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई थी।	व्यय की तुलना में राजस्व की वसूली की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी।	पूर्वानुमानित मात्रा के मुकाबले 2014-15 में 255 मीट्रिक टन अफीम और 15.491 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई थी । 300 मीट्रिक टन निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले में 150.55 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई थी । 56.200 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 55.819 मीट्रिक टन क्षारोद की बिक्री हुई थी। पूर्व अनुमानित स्तर पर 255.38 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति के अनुमान के मुकाबले में 2014-15 में राजस्व प्राप्ति 287.82 करोड़ रूपये थी । मार्च, 2015 तक सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य पर व्यय 267.59 करोड़ रूपये था।

2015-16 के लिए परिव्ययो के संदर्भ में परिणाम की स्थिति

क्रम सं0	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 (करोड़ रूपये) ब.अ.	सं.अ.	प्रमात्रात्मक प्रदाय	प्रक्रियाएं/ समय	31 दिसंबर, 2015 की स्थिति (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7
1.	**मुख्य शीर्ष 3601/ 3602 वैट कार्यान्वयन और अन्य वैट संबंधी व्यय के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति**	राज्यों को (त्) वैट क्षतिपूर्ति और (त्त) अन्य वैट संबंधित व्ययों के लिए सहायता अनुदान	9.40	9.40	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वैट से संबंधित अन्य खर्च को पूरा करने के लिए ।	राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कराधान के अध्ययन के लिए दो संस्थानों की स्थापना/ उन्नयन करना	23.63 करोड़ रूपये की कुल लागत से गुलाटी वित्त एवं कराधान संस्थान(जी आई एफ टी) के अंदर कराधान अध्ययन केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है तथा संस्थान को चार किश्तों 4 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए और 4 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी कर दी गई है । निर्माण इत्यादि की लागत में वृद्धि के कारण संस्थान ने लगभग 23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग की है, जो सरकार के विचाराधीन है । सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र (सी एस एस एस) कोलकाता को कार्पस निधि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई थी । पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से संस्थान को 14 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई ।
2.	**मुख्य शीर्ष 3601/3602- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किए जाने के कारण होने वाली राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति ।**	केन्द्रीय बिक्री कर हेतु क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	15028.00	16315.25	केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति करना।	सहमत फार्मूले के अनुसार सीएसटी की प्रतिपूर्ति वर्ष 2009-10 तक राज्यों को प्रदान किए जाने की जरूरत होगी। बाद में राज्यों के अनुरोध और जीएसटी पर बातचीत को जारी रखने के उद्देश्य से सरकार ईसी की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए राज्यों को सीएसटी के भुगतान के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई थी ।	वर्ष 2010-11 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसटी प्रतिपूर्ति बाकाया पहले ही निपटाया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए सीएसटी प्रतिपूर्ति की प्रथम किस्त 7696.53 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई तथा दूसरी किस्त मार्च, 2015 से पहले जारी की जाएगी ।

1	2	3	4	5	6	7
3.	**मुख्य शीर्ष 2047 माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए विशेष प्रयोजन वाहक (व्हीकल)**	माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के लिए विशेष प्रयोजन वाहक की स्थापना	292.00	130.00	जीएसटी को निर्बाध लागू करने के लिए समर्थनकारी परिवेश का सृजन करने के लिए । जीएसटीएन : एसपीवी आईटी अवसंरचना और केंद्र तथा राज्यों सहित विभिन्न हितधारकों को सेवाएं प्रदान करेगा।	मंत्रिमंडल ने निगमन के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के लिए जीएसटीएन की प्रारंभिक स्थापना और कार्यकरण के लिए व्यय के प्रति 315 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुमोदित किया है।	जीएसटीएन को 31 मार्च, 2015 तक 23.78 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी । चालू वित्तीय वर्ष में 130 करोड़ रुपए की और राशि जारी की गई है ।
4.	**मुख्य शीर्ष 2875 सरकारी अफीम एवं क्षारोद फैक्टरी**	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए अफ़ीम एवं क्षारोद की मांग को पूरा करना।	350.17	268.53	अफ़ीम की अधिप्राप्ति (326 मीट्रिक टन) 20 मीट्रिक टन कोडीन फास्फेट की अधिप्राप्ति अफीम का निर्यात (316 मी0 टन) और क्षारोद की बिक्री (67.13 मीट्रिक टन) इसके परिणामस्वरूप 400.43 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति हुई थी।	व्यय की तुलना में राजस्व की वसूली की प्रगति की मासिक/ तिमाही रूप से समीक्षा की जानी थी।	पूर्वानुमानित मात्रा के मुकाबले दिसंबर, 2015 तक 302 मीट्रिक टन अफीम और 7.5 मीट्रिक टन कोडीन फोस्फेट की खरीद की गई थी । 326 मीट्रिक टन निर्यात के लक्ष्य के मुकाबले में 51.575 मीट्रिक टन अफीम निर्यात की गई थी । दिसंबर, 2015 तक 67.13 मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 47.794 मीट्रिक टन क्षारोद की बिक्री हुई थी । पूर्व अनुमानित स्तर पर 312.70 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्ति के अनुमान के मुकाबले में दिसंबर, 2015 तक राजस्व प्राप्ति 198.999 करोड़ रूपये थी । दिसंबर, 2015 तक सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य पर व्यय 148.52 (अनंतिम) करोड़ रूपये था ।

वित्तीय समीक्षा – बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

(रूपये करोड़ों में)

	मुख्य शीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	178.97	148.04	139.44	175.55	174.64	161.67	184.78	168.12	114.05
कुल	**2052**	**178.97**	**148.04**	**139.44**	**175.55**	**174.64**	**161.67**	**184.78**	**168.12**	**114.05**
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
प्रवर्तन निदेशालय	**2047**	**70.86**	**59.34**	**60.57**	**81.01**	**85.20**	**75.89**	**107.44**	**87.68**	**65.78**
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	10.03	8.38	8.16	10.99	8.39	8.18	11.67	11.21	5.74
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2047	1.01	1.17	1.07	1.17	1.17	0.10	1.17	1.99	0.98
अन्य व्यय (एटीएफपी/सीस्टैट)	2047	20.69	21.72	21.55	27.38	29.27	25.51	37.81	28.94	22.10
जीएसटीएनःएसपीवी	2047	100.00	58.84	2.78	100.00	100.00	19.26	292.00	130.00	130.00
कुल	**2047**	**202.59**	**149.45**	**94.13**	**220.55**	**224.03**	**128.94**	**450.09**	**259.82**	**224.60**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
स्वापक नियंत्रण	2070	39.35	37.08	32.51	40.66	40.82	39.25	43.86	41.11	28.72
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि	2070	2.74	6.13	5.69	6.10	6.11	4.16	6.12	7.56	2.64
नशीले पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय निधि का अंतरण	2070	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
कर प्रशासन सुधार आयोग	2070	0	2.58	0.61	5.16	3.11	1.55	0.18	0.05	0.04
विशेष जांच दल	2070	0	0	0	8.93	4.92	1.04	7.74	2.11	0.94
कुल	**2070**	**43.09**	**45.79**	**38.81**	**61.85**	**54.96**	**46.00**	**58.90**	**50.83**	**32.34**
अफीम और क्षारोद कारखाने										
राजस्व व्यय	**2875**	**259.59**	**341.71**	**319.33**	**266.92**	**301.38**	**266.98**	**349.57**	**267.66**	**148.01**

(रूपये करोड़ों में)

	मुख्य शीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम और क्षारोद कारखाने	2875	0.55	0.56	0.65	0.60	0.61	0.61	0.60	0.87	0.37
कुल	**2875**	**260.14**	**342.27**	**319.98**	**267.52**	**301.99**	**267.59**	**350.17**	**268.53**	**148.38**
आय पर कर संग्रहण एवं व्यय										
अन्य प्रभार	2020	0.40	0.30	0.24	0.40	0.30	0.24	0.35	0.30	0.17
कुल	**2020**	**0.40**	**0.30**	**0.24**	**0.40**	**0.30**	**0.24**	**0.35**	**0.30**	**0.17**
राज्यों को सहायता अनुदान (वैट)	3601	131.00	70.00	70.00	1.01	4.00	0.00	9.40	9.40	0.00
केन्द्र शासित राज्यों को सहायता अनुदान (वैट)	3602	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्यों को सहायता अनुदान (सीएसटी)	3601	9300.00	1940.51	1940.51	0.01	10758.43	10724.08	14929.00	14370.60	7696.53
केन्द्र शासित राज्यों को सहायता अनुदान (सीएसटी)	3602	1.00	4.00	4.00	0.00	241.57	4.00	99.00	1944.65	0.00
कुल		**9432.00**	**2014.51**	**2014.51**	**1.03**	**11004.00**	**10728.08**	**15037.40**	**16324.65**	**7696.53**
कुल (राजस्व भाग)		**10117.19**	**2700.36**	**2607.11**	**726.90**	**11759.92**	**11332.52**	**16081.69**	**17072.25**	**8216.07**
पूंजी भाग										
जीएसटीएन हेतु पूंजीगत परिव्ययः एसपीवी	**4047**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
जीओएडब्ल्यू पर पूंजीगत व्यय	4875	0.70	0.50	0.00	6.00	0.86	0.20	6.00	6.00	0.00
बने बनाए आवासों की खरीद, आवासीय भवन	4216	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.00	0.00
लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059	100.00	13.00	13.00	100.00	50.00	0.00	100.00	4.00	0.00
कुल (पूंजी भाग)		**100.71**	**13.51**	**13.01**	**106.01**	**50.87**	**0.21**	**106.00**	**10.00**	**0.00**
महायोग		10217.90	2713.87	2620.12	832.91	11810.79	11332.73	16187.69	17082.25	8216.07
घटा										
(i) राजस्व प्राप्तियां		347.73	316.47	347.55	338.97	287.82	208.80	400.43	312.70	0.00
(ii) वसूलियां		52.09	52.26	0.00	56.04	77.37	1.07	78.26	54.57	0.00
निवल		9818.08	2345.14	2272.57	437.90	11445.60	11122.86	15709.00	16714.98	8216.07

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 हेतु बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण - वस्तु शीर्षवार

(रूपये करोड़ो में)

शीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
राजस्व भाग									
वेतन	202.52	182.13	181.36	221.92	217.00	203.03	252.19	206.51	173.21
मजदूरी	1.12	0.40	0.13	0.98	0.08	0.06	0.07	0.06	0.03
समयोपरि भत्ता	1.67	1.40	1.29	1.53	2.28	2.10	1.81	1.64	1.13
पेंशन प्रभार	0.87	0.93	0.90	0.91	0.90	0.91	0.85	0.80	0.00
पुरस्कार	0.13	0.12	0.02	0.12	0.10	0.04	0.12	0.23	0.05
चिकित्सा उपचार	3.24	3.17	2.74	4.01	4.45	2.95	4.34	4.51	1.93
घरेलू यात्रा व्यय	8.67	8.19	7.69	11.43	12.29	10.36	13.22	11.76	5.59
विदेश यात्रा व्यय	6.27	5.19	4.11	6.41	5.69	3.57	5.92	7.37	4.05
कार्यालय व्यय	33.85	30.34	30.49	38.83	50.36	48.18	51.14	50.15	30.07
किराया, दर एवं कर	24.54	24.08	20.62	34.15	31.75	27.29	40.37	35.91	22.23
प्रकाशन	0.69	0.59	0.44	0.69	0.75	0.61	0.85	0.88	0.38
बैंक संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3.42	3.50	3.38	4.96	4.41	3.71	4.84	5.42	3.29
आपूर्ति और सामग्री (पारित)	157.28	208.70	170.64	152.95	159.27	140.04	204.99	145.41	112.00
आपूर्ति और सामग्री (प्रभारित)	0.00	26.50	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विज्ञापन एवं प्रचार	0.34	0.29	0.14	0.38	0.33	0.19	0.37	0.48	0.09
गौण निर्माण कार्य	1.63	1.25	1.18	1.61	1.67	1.26	2.18	3.74	0.79
पेशेवर सेवाएं	19.03	20.17	18.57	23.34	22.44	19.14	23.97	22.71	15.28
अन्य संविदागत सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामान्य सहायता अनुदान	9522.10	2076.30	2024.67	83.18	11084.49	10756.75	15091.93	16368.00	7707.49
पूंजीगत सम्पदा के सृजन हेतु अनुदान	30.00	7.04	0.00	30.00	30.00	0.63	242.00	90.93	120.00
वेतन सहायता अनुदान	8.19	6.54	8.16	8.99	6.39	6.38	9.56	9.34	4.78
अंतर्राष्ट्रीय योगदान	3.76	7.30	6.76	7.34	7.34	4.31	7.35	9.61	3.67

(रूपये करोड़ो में)

	2013-14			2014-15			2015-16		
	ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय**	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय (अनंतिम)**
गुप्त सेवा व्यय	4.30	2.26	2.27	2.16	2.19	2.18	2.90	2.91	2.37
पूंजी पर ब्याज	9.20	12.11	12.11	9.87	16.58	15.78	15.08	18.25	0.00
अन्य प्रभार									
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
पारित	1.06	1.01	0.91	1.42	1.35	0.84	2.36	2.11	0.58
मशीनरी एवं उपस्कर	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतर खाता अन्तरण	52.90	52.69	66.75	57.31	77.52	64.35	79.69	54.09	0.00
सूचना प्रौद्योगिकी	20.34	18.10	15.33	22.39	20.27	17.86	23.57	19.41	7.05
कुल-राजस्व भाग	**10117.19**	**2700.36**	**2607.11**	**726.90**	**11759.92**	**11332.52**	**16081.69**	**17072.25**	**8216.06**
प्रभारित	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
पारित	10117.17	2700.34	2607.11	726.88	11759.90	11332.52	16081.67	17072.23	8216.06
पूंजी भाग									
मशीनरी एवं उपस्कर	0.25	0.10	0.00	5.58	0.60	0.00	5.58	5.44	0.00
मुख्य कार्य	100.45	13.40	13.01	100.43	50.27	0.21	100.42	4.56	0.01
निवेश	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल-पूंजी भाग	**100.71**	**13.51**	**13.01**	**106.01**	**50.87**	**0.21**	**106**	**10.00**	**0.01**
महायोग	**10217.90**	**2713.87**	**2620.12**	**832.91**	**11810.79**	**11332.73**	**16187.69**	**17082.25**	**8216.07**
प्रभारित	0.02	0.02	26.45	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00
पारित	10217.88	2713.85	2593.67	832.89	11810.77	11332.73	16187.67	17082.23	8216.07

वित्तीय समीक्षा- बजट अनुमान/संशोधित अनुमान की तुलना में व्यय के समग्र रूझानों का विश्लेषण

राजस्व विभाग मांग सं0 37 : राजस्व विभाग के संबंध में तीन वर्षों में व्यय की स्थिति संक्षेप में निम्नानुसार हैः-

(रूपये करोड़ों में)

	2013-14			2014-15			2015-16		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय (अनंतिम)
वैट* - मुख्य शीर्ष 2052	15.80	6.18	6.13	0.03	6.34	6.34	0.01	0.50	0
वैट/सीएसटी** - 3601/3602	9432.00	2014.51	2014.51	1.03	11004.00	10728.08	15037.40	16324.65	7696.53
गैस-वैट/सीएसटी	770.10	693.18	599.48	831.85	800.45	598.31	1150.28	757.10	519.54
कुल	**10217.90**	**2713.87**	**2620.12**	**832.91**	**11810.79**	**11332.73**	**16187.69**	**17082.25**	**8216.07**
सीसीएफ (जीओएडब्ल्यू)									
2875	260.14	342.27	319.98	267.59	301.99	267.59	350.17	268.53	148.38
4875	0.70	0.50	0.00	6.00	0.86	0.20	6.00	6.00	0
अन्य*** द्व गैस-वैट/सीएसटी और गैस- जीओएडब्ल्यू	509.26	350.41	319.98	558.33	503.60	330.52	794.11	482.57	371.15
कुल - वेतन	**202.52**	**182.13**	**181.20**	**221.92**	**217.00**	**203.03**	**252.19**	**206.51**	**173.21**
गैर-वेतन	**10015.38**	**2531.74**	**2438.92**	**610.99**	**11593.79**	**11129.70**	**15935.50**	**16875.74**	**8042.86**

* यह बजट प्रावधान वैट और टीआईएनएसएक्सवाईएस परियोजना के कार्यान्वयन और इसकी स्थापना व्यय हेतु राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति को अनुदानों के लिए है।

** यह बजट प्रावधान वैट लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर की समाप्ति एवं वैट संबंधी व्यय के कारण राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है।

*** यह बजट प्रावधान केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो सहित राजस्व विभाग के विभिन्न संघटकों पर स्थापना संबंधी व्यय के लिए है ।

व्यय में रूझान

वेतन व्यय 2013-14 के मुकाबले 2014-15 में अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, वेतन वृद्धियों, नये पदों के सृजन आदि के कारण 12.05 प्रतिशत अधिक हुआ, जबकि गैर-वेतन व्यय इसी अवधि के दौरान मुख्य रूप से वर्ष 2010-11 के लिए राज्य सरकारों को 10724.08 करोड़ रुपए की सीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान के कारण 356.34 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2014-15 के दौरान, सीएसटी की क्षतिपूर्ति और वैट से संबंधित व्यय पर 10728.04 करोड़ रुपए का व्यय, व्यय का बड़ा हिस्सा अर्थात अनुदान संख्या 37 - राजस्व विभाग के तहत पूर्ववर्ती वर्ष में 76.88 प्रतिशत व्यय की तुलना में कुल व्यय का 94.66 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2014-15 में, बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय में 1260.62 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई थी, सीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए रखे गए 0.01 करोड़ रूपए की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सीएसटी दावों को निपटान के लिए वास्तव में 10724.08 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया। वर्ष 2015-16 में, बजट अनुमान में काफी वृद्धि हुई क्योंकि सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए भी राज्यों को सीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है।

अब तक, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 19002.82 करोड़ रुपए की कुल वैट क्षतिपूर्ति और 43,525.01 करोड़ रुपए राशि की सीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है।

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान समग्र वित्तीय निष्पादन नीचे दिए गए हैं :-

(रूपये करोड़ो में)

	2013-14			2014-15			2015-16		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम)
वैट योजना का कार्यान्वयन	0.19	0.18	0.13	0.03	0	0	0	0.50	0
कर सूचना विनिमय प्रणाली आदि की स्थापना	15.61	6.00	6.00	8.00	6.34	6.34	0.01	0	0
वैट लागू करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानियों और अन्य वैट संबंधी व्यय की क्षतिपूर्ति	132.00	74.00	74.00	1.02	4.00	4.00	9.40	9.40	0
सीएसटी को समाप्त करने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हुई राजस्व हानियों के लिए क्षतिपूर्ति	9300.00	1940.51	1940.51	0.01	11000.00	10724.08	15028.00	16315.25	7696.53
जीएसटीएनःएसपीवी	100.00	58.84	2.84	100.00	100.00	20.00	292.00	130.00	130.00
कुल	**9547.80**	**2079.53**	**2023.48**	**109.06**	**11110.34**	**10754.42**	**15329.41**	**16455.15**	**7826.53**

सरकारी अफीम एवं क्षारोद कार्य :

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में सकल व्यय और राजस्व प्राप्तियों पर वास्तविक व्यय की स्थिति निम्नानुसार हैः

(रूपये करोड़ो में)

	व्यय			प्राप्तियां		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक
2013-14	260.14	342.27	319.98	347.73	316.47	347.55
2014-15	267.52	301.99	267.59	338.97	287.82	208.80
2015-16	350.17	268.53	148.38 (दिसम्बर, 15 तक)	400.43	312.70	198.99 (दिसम्बर, 15 तक)

वर्ष 2014-15 में, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखानों पर खर्च कुल व्यय का 2.36 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 में संशोधित अनुमानों के चरण में वृद्धि उत्तर प्रदेश सरकार को क्रय कर के भुगतान और कोडीन फॉस्फेट के आयात के कारण थी। संशोधित अनुमानों के चरण में वर्ष 2014-15 के लिए 287.82 करोड़ रूपए की अनुमानित राजस्व प्राप्ति की तुलना में 208.80 करोड़ रूपए का राजस्व एकत्रित किया गया था। राजस्व प्राप्तियों के चालू वित्त वर्ष 2015-16 में लगभग 312.70 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

वर्ष 2013-14 , 2014-15 और 2015-16 के दौरान किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय का विवरण

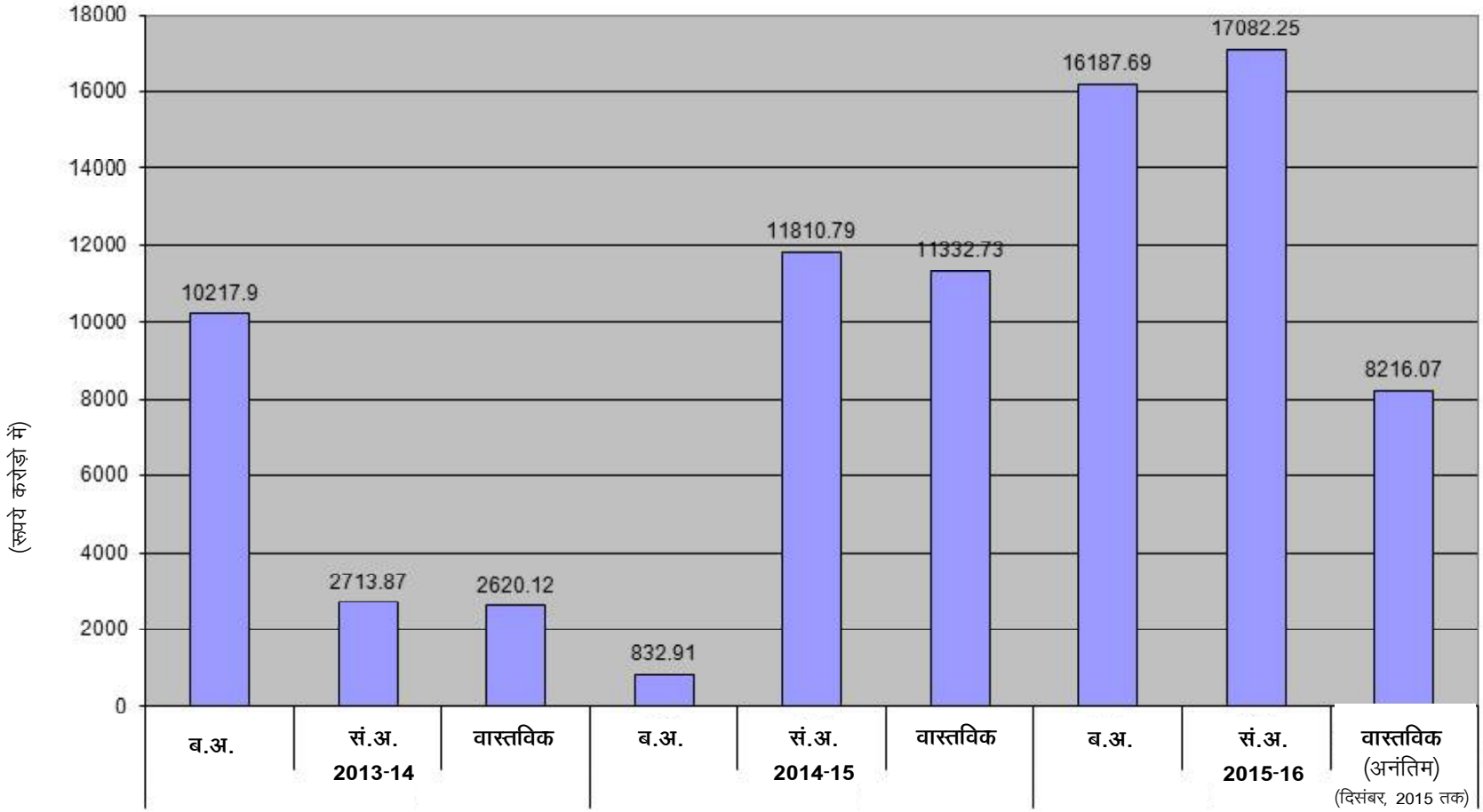

वास्तविक आंकड़े 2014-15 (रुपए करोड़ में)

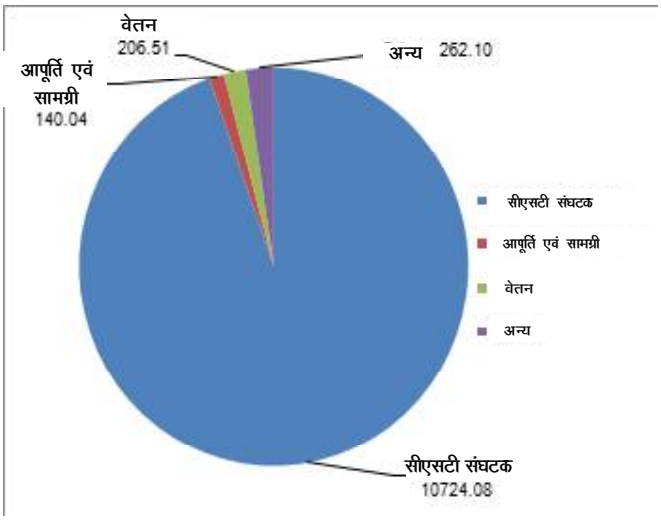

संशोधित अनुमान 2015-16 (रुपए करोड़ में)

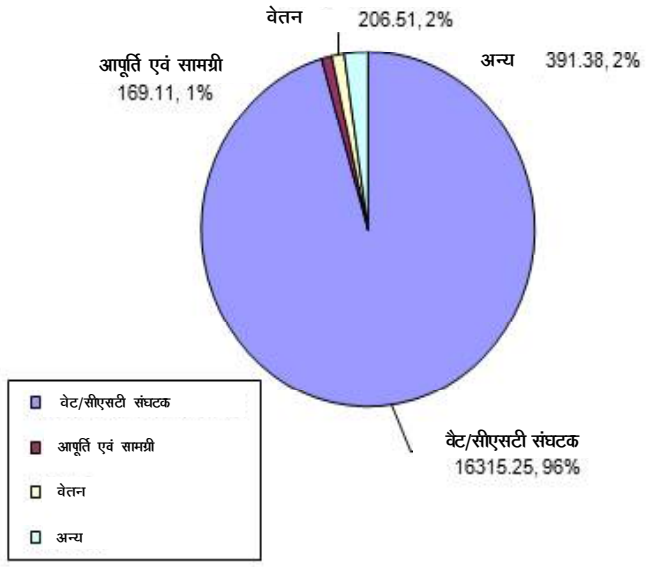

वर्ष 2014-15 में अनुदान के तहत वास्तविक व्यय 11332.73 करोड रुपए है। सीएसटी लागू करने के कारण हुई हानि के कारण राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति और वैट से संबंधित व्यय 10724.08 करोड़ रुपए है जो व्यय का 94.63 प्रतिशत है। आपूर्तियों और सामग्रियों पर 140.04 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था जो कुल व्यय का 1.24 प्रतिशत है। यह व्यय मुख्य रूप से अफीम की खरीद और कोडीन फॉस्फेट के आयात के कारण हुआ। वेतन पर खर्च कुल व्यय का 1.82 प्रतिशत था जबकि अन्य मदों पर होने वाला खर्च कुल व्यय का 2.29 प्रतिशत था।

संशोधित अनुमान 2015-16, 17082.25 करोड़ रुपए है, जिसमें से केन्द्रीय बिक्री कर क्षतिपूर्ति और वैट संबंधी प्रावधान को 16315.25 करोड़ रुपए रखा गया है जो कुल बजट का 95.50 प्रतिशत है। अगला मुख्य संघटक 206.51 करोड़ रुपए की राशि के साथ वेतन है जो कुल बजट का 1.21 प्रतिशत है। 169.11 करोड़ रुपए की राशि के साथ आपूर्तियां एवं सामग्रियां कुल बजट का 0.99 प्रतिशत है और अन्य मदों पर व्यय कुल बजट का 2.29 प्रतिशत है।

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सांविधिक और स्वायतशासी निकायों के कामकाज की समीक्षा

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, कई प्रमुख राज्य सरकारों, विशिष्ट विद्याविदों एवं स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों की संयुक्त पहल से वर्ष 1976 में एक स्वतंत्र और गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह एक स्वतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठन है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर समष्टि-अर्थशास्त्र, राजकोषीय नीति और अंतर-सरकारी वित्त में अनुसंधान, परामर्शी और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करती है। संस्थान की परिकल्पना "स्थिर और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देना" है।

वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न स्रोतों से राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अनुदान/आय और किए गए व्यय के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

क्रम सं0	निधि का स्रोत	अनुदान/आय (रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
1.	वित्त मंत्रालय	7.86	7.86
2.	अन्य स्रोत	10.08	9.08
3.	**कुल**	**17.94**	**16.94**

वर्ष 2009-10 से वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अनुदान का ब्यौरा -

	(रुपए करोड़ में)
2009-10	10.17
2010-11	7.10
2011-12	7.66
2012-13	18.65*
2013-14	9.83
2014-15	10.79
2015-16 के लिए संशोधित अनुमान	11.21
2016-17 के लिए बजट अनुमान	11.69

* दस करोड़ रू0 का कार्पस अनुदान सहित

अनुदान के संघटक और उसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

(क) संस्थान ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 2 मई, 2012 को एक नया समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।

(ख) समझौता ज्ञापन के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी वेतन संशोधन या महंगाई भत्ते की किश्त के अवमुक्त किए जाने के फलस्वरूप संस्थान के मूल स्टाफ के वेतन में संशोधन या अन्य किसी भत्ते या वाहन भत्ते या महंगाई भत्ते, मकान किराया जैसे वेतन भत्ते पर होने वाले 90 प्रतिशत व्यय को पूरा करने के लिए वेतन अनुदान प्रदान किया जाता है। इस आवर्ती अनुदान से पूरा होने वाले वेतन का 90 प्रतिशत परिकलन वेतन एवं भत्ते के कुल व्यय पर निर्भर करेगा, जिसकी अनुलग्नक I से IV में यथा इंगित मूल स्टाफ से संबद्ध वेतनमान के मध्य बिन्दु पर गणना की जाएगी और यह संस्थान की भिन्न प्रायोजित परियोजनाओं के कार्य प्रभारित मूल स्टाफ के वेतन व भत्तों का बिना हवाला देते हुए किया जाएगा ।

(ग) वित्त वर्ष के अंत में, वास्तविक वेतन व्यय के 90 प्रतिशत से अधिक के वेतन अनुदान की किसी अतिशयता/कमी को आगामी वित्तीय वर्षों की अनुदान में समायोजित किया जा सकता है।

(घ) जो संस्थान के गैर-वेतन व्यय पूरा को करने के लिए पैरा 3 (क) में यथा आकलित किए गए वेतन अनुदान के 20 प्रतिशत के बराबर मूल अनुदान है।

(ड.) वित्त मंत्रालय से प्रतिवर्ष 20.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से 9 जून, 2005 से संस्थान में एक कर अनुसंधान एकक (टी आर सी) स्थापित किया गया है ।

संस्थान में कुछ पूर्ण/चल रहे अध्ययन / आधार पत्र इस प्रकार हैं-

पूर्ण किए गए अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम(2014-15)

1. दक्षिण एशिया में कर नीति और उद्यम विकास।
2. यूआईडीएआई अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं के मूल्य-निर्धारण पर एनआईपीएफपी-यूआईडीएआई अध्ययन।
3. यूआईडीएआई की परामर्शी परियोजनाः सतत नामांकन, अद्यतन और यूआईडीएआई द्वारा पेश की जा रही/पेश की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए व्यवसाय योजना के विभिन्न नमूनों का विकास।
4. जी-20 देशों में बहुपक्षीय अवसंरचना निवेश के लिए वित्तपोषण।
5. चौदहवें वित्त आयुक्त के लिए समष्टि-आर्थिक नीति अनुकरण।
6. 12वीं योजना अवधि के लिए मध्यावधि मूल्यांकन।
7. एफआरबीएम अधिनियम - 2012-13 के लिए ओडिशा सरकार की अनुपालन की समीक्षा।
8. पांच उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में अंतर-सरकारी आर्थिक प्रबंध।
9. प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उच्च अनखर्ची शेष और निधि प्रवाह तंत्र को समझना।

जारी अध्ययन/अनुसंधान कार्यक्रम (2014-15)

1. एशिया के कर-दाताओं के आधार का विस्तार करने के लिए एक विश्लेषणात्मक नमूने के विकास पर अध्ययन।

2. वर्ष 2013-14 के लिए जीएसटी हेतु आरएनआर का आकलन।
3. चौथा एनआईपीएफपी-डीईए अनुसंधान कार्यक्रम।
4. व्यवसाय चक्रों पर अनुसंधान।
5. भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी उधारीः विकास और समष्टि-आर्थिक स्थिरता के लिए आशय।
6. भारत में इमदादों का स्तर और संरचनाः 1987-88 से 2011-12 तक।
7. समष्टि-आर्थिक नीति अनुकरण नमूना।
8. सेवा सुपुर्दगी के रूप में शासनः भारतीय राज्यों का कार्य-निष्पादन।
9. मध्य प्रदेश के लिए एमडीजी रिपोर्ट।
10. वर्ष 2015-16 के लिए गोवा की मध्यावधि राजकोषीय नीति।
11. एफआरबीएम अधिनियम, 2012-13 के लिए सिक्किम सरकार की अनुपालन की समीक्षा।
12. एफआरबीएम अधिनियम के तहत सिक्किम की मध्यावधि राजकोषीय नीति, 2015-16
13. भारतीय राज्यों में शासन की गुणवत्ता क्या है? और क्या यह मायने रखती है।
14. बिहार राज्य वित्त प्रबंधों पर अध्ययनः कर तार्किकता और राजस्व के नियोजन के लिए नीतिगत विकल्प।
15. क्या नए सृजित भारतीय राज्यों ने संयुक्त विकास को बढ़ावा दिया है? झारखंड और छत्तीसगढ़ की तुलना।
16. नए सृजित भारतीय राज्यों - झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनन पर राजकोषीय अनुसंधान।
17. हवाईअड्डा क्षेत्र के जोखिमों के आकलन से संबंधित कार्य प्रदान करना और इक्विटी की वापसी (आरओई) की उचित दर का आकलन।
18. प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उच्च अनखर्ची शेष और निधि प्रवाह तंत्र को समझना।
19. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के लिए विभागीय प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम में अनुसंधान और क्षमता विकास को सुदृढ़ करना।
20. भारत में खनन क्षेत्र के लिए समष्टि-आर्थिक नीति।
21. एशिया-पैसिफिक में लैंगिक आय-व्यय लेखा पर 25 देशों का अध्ययन।
22. 5वीं एनआईपीएफपी डीईए कार्यक्रम पर अध्ययन।
23. एसएचए 2011 के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखों के लिए लोक व्यय के वर्गीकरण को अद्यतन करना।
24. गोवा के लिए 2015-16 हेतु मध्यावधि राजकोषीय नीति तैयार करना।
25. व्यय प्रबंधन समिति।
26. सिक्किम एफआरबीएम अधिनियम, 2010
27. यूनिसेफः मध्य प्रदेश में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में शासन और लोक वित्त मार्गावरोधों को समझना।
28. सिक्किम की एफआरबीएम अधिनियम, 2012-13 के अनुपालन की समीक्षा।
29. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए अध्ययन।
30. संस्तुत 10 वर्षों की भावी योजना और लोक वित्त प्रबंधन में सहवर्ती वस्तु के लिए आसाम वित्त प्रबंध का अध्ययन।
31. बिल और मेलिंडा गेट्स संस्था - स्वास्थ्य और इसके वित्तपोषण पर अनुसंधान तथा नीतियों में सुधार हेतु अनुदान करार।
32. 2013-14 के लिए राजस्व तटस्थ दर का आकलन।
33. दक्षिण एशिया - आईसीएसएसआर की वित्तीय जांच।
34. डब्ल्यूडीआरए रुपांतरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
35. प्रकटन वित्तीय विकल्पों को कैसे प्रभावित करता है? पर अध्ययन, भारत में जीवन बीमा के मामले।

आधार पत्र श्रृंखला

1. भारत में पहाड़ी राज्यों के लिए विकासात्मक असमर्थता सूचकांक (संख्या 134, अप्रैल, 2014)।
2. शीर्ष में अवसरः विकासशील एशिया में राजकोषीय विस्तार, राजकोषीय नीति और सम्मिलित विकास का अवलोकन (संख्या 135, अप्रैल, 2014)।
3. भारत में प्रस्तावित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली को शामिल करने के लिए नीति विकल्पों की तलाश करना (संख्या 136, मई, 2014)।
4. राज्यों की केन्द्रीय अंतरणों पर निर्भरताः राज्य-वार विश्लेषण (संख्या 137, मई, 2014)।
5. भारत के बाहरी क्षेत्र का प्रतिरूपणः समीक्षा और कतिपय अनुभूत (पत्र संख्या 138, मई, 2014)।
6. भारतीय राज्यों में मानव विकास के तीन दशकः सम्मिलित विकास या चिरस्थाई विषमता (संख्या 139, जून, 2014)।
7. पंजाब में भूजल सिंचाईः कतिपय मुद्दे और आगे का मार्ग (संख्या 140, अगस्त, 2014)।
8. भारत के वित्त आयोग का आकलनः अपेक्षाओं और परिणामों के बीच राजनैतिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा (संख्या 141, सितम्बर, 2014)।
9. हवाला बाजारों की उपस्थिति में नीतियों का निरुपण (संख्या 142, जनवरी, 2015)।
10. वित्तीय पहुंच - माप और निर्धारकः भारत में असंगठित विनिर्माण उद्यमों के मामले का अध्ययन (संख्या 143, जनवरी, 2015)।

11. जी-20 देशों में अवसंरचना निवेश के लिए वित्तपोषण (संख्या 144, फरवरी, 2015)।

12. मूल्य वर्धित कर (वैट) के तहत पंजीकरण के लिए असम्मिलित उद्यमों को प्रभावित करने वाले कारकः उद्यम सर्वेक्षण डाटा से एक विश्लेषण (संख्या 145, अप्रैल, 2015)।

13. परिवहन को एक सार्वभौमिक निविष्टि के रूप में उपयोग करते हुए लेखा-बाह्य आय का आकलनः प्रणाली संबंधी टिप्पणी (संख्या 146, अप्रैल, 2015)।

14. न्यून-कार्बन प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने में राजकोषीय साधनों की भूमिका (संख्या 147, मई, 2015)।

15. भारत में ऋण और घाटों को निशाना बनानाः एक संरचनात्मक समष्टि अर्थमितीय दृष्टिकोण (संख्या 148, मई, 2015)।

16. उत्पादक लोक व्यय और ऋण गतिशीलताः भारतीय डाटा का उपयोग करते हुए त्रुटि सुधार अभ्यावेदन (संख्या 149, मई, 2015)।

17. चयन विफलता को कम करना और कर अंतर को मापनाः एक अनुभूतिमूलक नमूना (संख्या 150, मई, 2015)।

18. भारत में खाद्य मुद्रास्फीतिः कारण और परिणाम (संख्या 151, जुलाई, 2015)।

19. क्या नौकरशाही प्रतिस्पर्धा की शुरूआत सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी में भ्रष्टाचार को कम करती है? (संख्या 152, जुलाई, 2015)।

20. भारत में नए मौद्रिक ढांचे की प्रभावकारिता और मुद्रास्फीति का निर्धारणः वित्तीय रूप से अविनियमित व्यवस्था का एक अनुभूतिमूलक विश्लेषण (संख्या 153, अगस्त, 2015)।

21. भारत में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) सुधार की वर्तमान स्थिति (संख्या 154, सितम्बर, 2015)।

22. चीन की एक इलाका एक सड़क की रणनीतिः नए वित्तीय संस्थान और भारत के विकल्प (संख्या 155, सितम्बर, 2015)।

23. भारत में केन्द्रीय बैंक स्वायत्तता पर राजकोषीय अभिजात काल ''लैफर-सह प्रभाव'' (संख्या 156, अक्टूबर, 2015)।

24. दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों पर 2030 यूएन कार्यसूची की ओरः एशिया-पैसिफिक में लैंगिक असमानता को मापने में तकनीकी चुनौतियां (संख्या 157, अक्टूबर, 2015)।

25. राजकोषीय नीति के लिए असमानता प्रभावः भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर लाभ व्यापकता का विश्लेषण (संख्या 158, दिसम्बर, 2015)।

26. भारत का विकास किस दिशा में जा रहा है (संख्या 159, जनवरी, 2016)।

27. भारतीय समष्टि-आर्थिक समय-श्रृंखला का सामयिक समायोजन (संख्या 160, जनवरी, 2016)।

28. खनन का लाभ उठानाः भारत में खनन विनियमन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राजकोषीय नीति प्रथाएं (संख्या 161, जनवरी, 2016)।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं (मार्च, 2015 तक)

1. गौतम भारद्वाज, इन्वेस्ट इंडिया माइक्रो पेंशन सर्विसेस, द्वारा 27 मई, 2014 को निम्न-आय व्यष्टियों द्वारा नकद-रहित और कागज-रहित क्षेत्रीय नामांकन।

2. सिद्धार्थ चटोपाध्याय, संकाय, आईआईटी, खड़गपुर द्वारा 11 जून, 2014 को शून्य निम्न परिबंध पर मुद्रास्फीति लक्ष्य।

3. लियु जोंगी, शोधकर्ता, शंघाई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान द्वारा 16 जून, 2014 को मोदी के युग में चीन-भारत संबंध और आर्थिक सहयोग।

4. लैंट प्रिचेट, प्रोफेसर, हारवर्ड विश्विविद्यालय द्वारा 16 जून, 2014 को किनले घटनाक्रमः निधि, किन्तु उत्पादक नहीं।

5. सर्जियो स्मूक्लर, प्रमुख अर्थशास्त्री, विकास अनुसंधान समूह, विश्व बैंक, वाशिंगटन द्वारा 22 जून, 2014 को पूंजी बाजार वित्तपोषण, कंपनी, विकास, और कंपनी आकार वितरणः चीन-भारत और शेष विश्व से साक्ष्य।

6. रिचर्ड हेमिंग, अतिथि प्रोफेसर, ड्यूक अंतर्राष्ट्रीय विकास केन्द्र द्वारा 9 दिसम्बर, 2014 को राजकोषीय विस्तार और बजट प्रबंधन।

7. एस. नुमुरा, ओसाका अंतर्राष्ट्रीय लोक नीति विद्यालय, ओसाका विश्वविद्यालय द्वारा 29 जनवरी, 2015 को संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक कार्य-निष्पादन पर निजीकरण का प्रभाव।

8. 24 फरवरी, 2015 को आर्थिक चुनौतियों में नई पद्धतियों पर ओईसीडी-भारत नीति वार्ता।

9. 6-8 मार्च, 2015 को एनआईपीएफपी-डीईए की 13वीं अनुसंधान बैठक।

10. 9 मार्च, 2015 को सुधार और विकास संभावनाओं पर पांच संस्थानों का केन्द्रीय बजट सम्मेलन 2105-16

11. 12 मार्च, 2015 को लोक अर्थव्यवस्था और नीति पर कागजात।

12. 13 मार्च, 2015 को भारत के बाहरी क्षेत्रों में मुद्दें।

13. फरवरी 2013, 2015 के दौरान भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा (आईए और एएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए लोक वित्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

14. 23-27 मार्च, 2015 के दौरान भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए लोक वित्त में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अभ्यर्पण और बचत का विवरण-पत्र

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, 11033.03 रुपए के अनुपूरक अनुदान सहित 11865.94 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान की तुलना में 11332.73 करोड़ रूपए खर्च किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 533.21 करोड़ रुपए की बचत और उसका अभ्यर्पण हुआ। ये बचतें अनुदान के राजस्व और पूंजी भाग के विभिन्न उप-शीर्षो के तहत 591.21 करोड़ रुपए की कुल बचत और 58 करोड़ रूपए के कुल आधिक्य के निवल प्रभाव से हैं।

इन बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग किया गया है:-

(i) संसाधनों के किफायती उपयोग के कारण सामान्य बचतें

वर्ष के दौरान, संसाधनों के बेहतर और कुशल उपयोग और प्रशासनिक खर्चों की कम आवश्यकता के कारण कुल 289.33 करोड़ रूपए की बचत हुई। इस श्रेणी में कतिपय योजनाएं/कार्यक्रम निम्नवत हैं:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान	2.80	पहले के अनुदानों से खर्च न किए गए शेष के समायोजन के कारण
2.	सीएसटी को हटाने के कारण हुई राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति	274.90	निधियों की अवश्यकता कम थी क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा दाव की गई राशि अनुमानों से कम थी।
3.	कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी)	3.74	आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के कारण
4.	विशेष जांच दल (एसआईटी)	7.89	आवासों को किराए पर न लेन और किफायती उपायों के कारण

(ii) परियोजनाओं/योजनाओं के निष्पादन में गैर-कार्यान्वयन/विलंब के कारण बचतें

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुछ योजनाओं/परियोजनाओं के निष्पादन/कार्यान्वयन में विलंब हुआ था, जिसके कारण 244.46 करोड़ रूपए की बचत हुई। उनमें से कुछ योजनाएं जिनमें से बचतें हुई उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	माल और सेवा कर नेटवर्क के लिए विशेष प्रयोजन वाहक	80.74	जीएसटीएन के पूर्ण कार्यकरण में देरी के कारण।
2.	राजस्व भवन का निर्माण	100.00	निविदा को अंतिम रूप न दिया जाना।
3.	आयकर की विदेशी इकाइयां	7.09	रिक्त पदों को न भरा जाना और आईटीओयू की स्थापना में देरी।
4.	प्रवर्तन निदेशालय	5.13	नए स्वीकृत पदों को न भरे जाने और नए क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना न किए जाने के कारण।
5.	वित्तीय आसूचना एकक	6.79	फिननेट परियोजना के लिए निधियों की कम आवश्यकता और किफायती उपायों के कारण
6.	नीमच अफीम कारखाना - अफीम की खरीद	21.72	अफीम की कम खरीद के कारण।
7.	नीमच क्षारोद कारखाना - अन्य व्यय	22.99	8.5 मीट्रिक टन आयातित कोडीन फॉस्फेट को नीमच से गाजियाबाद हस्तांतरित किए जाने के कारण

(iii) अप्रयुक्त/निष्क्रिय परियोजना/योजना अथवा परियोजना/योजना की पूर्णता के कारण अभ्यर्पण/बचतें

कुछ मामलों में निधियों को अभ्यर्पित किए जाने की आवश्यकता थी जहां योजनाओं को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ था अथवा योजना पूर्ण होने के कगार पर थी, जिसके कारण राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को कम निधियों की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर 1 करोड़ रूपए की राशि अभ्यर्पित की गई। इन योजनाओं को संक्षेप में नीचे दिया गया है:-

(रूपए करोड़ में)

क्र0 सं0	उप शीर्ष/योजना/ कार्यक्रम	बचतें (निवल)	टिप्पणी/कारण
1.	वैट को लागू करने के कारण हुई राजस्व हानि हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति	1.00	निधियां अभ्यर्पित की गईं थी क्योंकि ई-स्टाम्पिंग और ई-पंजीकरण स्कीम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

प्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

1.1 केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा सृजित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन में लगा शीर्ष निकाय है । इसमें एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य हैं । यह आयकर विभाग का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण है । सीबीडीटी के कामकाज में निम्नलिखित निदेशालय उसकी सहायता करते हैं :

(i) आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रशासन)
(क) आयकर निदेशालय (सार्वजनिक संपर्क, मुद्रण, प्रकाशन एवं राजभाषा)
(ख) आयकर निदेशालय (वसूली)
(ग) आयकर निदेशालय (आयकर)
(घ) आयकर निदेशालय (टीडीएस)
(ड.) आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा)
(ii) आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रणाली)
(iii) आयकर प्रधान महानिदेशालय (संभार तन्त्र)
(क) आयकर निदेशालय (व्यय बजट)
(ख) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)
(iv) आयकर प्रधान महानिदेशालय (कानून एवं अनुसंधान)
(v) आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रशिक्षण)
(vi) आयकर प्रधान महानिदेशालय (मानव संसाधन विकास)
(क) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)
(ख) आयकर निदेशालय (ओएंडएमएस)
(vii) आयकर प्रधान महानिदेशालय (सतर्कता)
(viii) आयकर प्रधान महानिदेशालय (जोखिम प्रबंधन)

1.2 देश भर में स्थित विभिन्न प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रत्यक्ष करों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करते हैं और करदाता सेवाओं को प्रदान करते हैं । आयकर महानिदेशक (जांच) जांच मशीनरी का पर्यवेक्षण करते हैं जिसका उद्देश्य कर अपवंचन पर रोक लगाना एवं बेहिसाबी धन का पर्दाफाश करना है । आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक जांच) आसूचना संग्रहण और आयकर संबंधित अपराध मशीनरी का पर्यवेक्षण करते हैं । मुख्य आयुक्त आयकर (छूट) देश भर में छूट और गैर लाभ सेक्टर के कार्य और प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) अंतर्राष्ट्रीय कर और अंतरण मूल्य के क्षेत्र में कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं । आयकर प्रधान मुख्य आयुक्तों की सहायता के लिए उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त तथा आयुक्त आयकर होते हैं तथा आयकर प्रधान महानिदेशकों/ आयकर महानिदेशकों की सहायता के लिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्रधान निदेशक, आयकर निदेशक होते हैं। आयुक्त आयकर (अपील) के रूप में तैनात आयकर आयुक्त करदाताओं और कर निर्धारण अधिकारियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करते हुए अपीलीय कार्यों को निष्पादित करते हैं । आयकर विभाग की करीब 5.16 करोड़ करदाता के साथ भारत भर में 530 शहरों और नगरों में उपस्थिति है।

1.3 सीबीडीटी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य प्रेरक के रूप में, आयकर विभाग में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है । कार्यक्रम का उद्देश्य करदाता अनुकूल व्यवस्था स्थापित करना , कर आधार को बढ़ाना, पर्यवेक्षण को बेहतर बनाना व सरकार के लिए अधिक राजस्व को सृजित करना है ।

1.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ नागपुर में स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (एनएडीटी) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयकर महानिदेशक के समग्र पर्यवेक्षण में काम करती है ।

1.5 क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों की सहायता से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी राजस्व संग्रहण के लेखाकरण के लिए तथा आयकर विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है ।

2016-17 के परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ वास्तविक उत्पादन	परिकल्पित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
1.	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
	मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी		**536.00** (संभावित)	-				
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए संदर्शी योजना	कर दायरा			देश भर में आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	प्रचालन में दक्षता	जारी है	31.12.2016 तक विद्यमान संविदा के विस्तार हेतु प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। नए विक्रेता का चयन प्रक्रिया के तहत है। वित्त वर्ष 2016-17 हेतु अनुमानित व्यय 28.40 करोड़ रु लगभग है।
		प्राथमिक, बीसीपी व डीआर साइटों हेतु आंकड़ा केन्द्रों को किराए पर लेना				नेटवर्क का दक्ष संचालन		वित्त वर्ष 2016-17 हेतु अनुमानित व्यय 7.44 करोड़ लगभग है।
		2003-09 अवधि के पैन फार्म का वास्तिवक भण्डारण और स्कैन आंकड़ों का ई-स्टोरेज				मौलिक पैन फार्मों का अभिलेख		वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित व्यय 14.74 करोड़ रु. लगभग है।
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	वास्तविक विवरणियों की स्वीकृति और डिजिटल, ओल्टास, ई-भुगतान, एनएमएस, ई-सहयोग			ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण को बढ़ाना		जारी है	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित व्यय 22.38 करोड़ रु. (लगभग) है।
III.	कर दाता सेवाएं	आयकर सम्पर्क केन्द्र (एएसके)			काल सेंटर सेवाएं	सूचना का आसान और सुविधाजनक प्रचार	जारी है	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 6 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय (लगभग)

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
IV.	प्रतिदाय बैंकर	प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णतया स्वचालित त्वरित एवं पारदर्शी बनाना			• आयकर प्रतिदायों का निर्धारण, सृजन निर्गमन प्रेषण एवं क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी • वेव आधारित स्थिति का पता लगाने की सुविधा	• प्रतिदाय बैंकर के रूप में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) निर्दिष्ट	जारी है	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित व्यय करीब 33 करोड़ रुपए (लगभग) है।
V.	केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) टीडीएस	केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (स्रोत पर कर कटौती) पर परिवर्तन शुरुआत अभियान प्रौद्योगिकी है ।			सीपीसी (टीडीएस) प्रत्येक करदाता (पैनधारक) के लिए फार्म 26कध,फार्म 16/16क में टीडीएस प्रमाणपत्रों के लिए वार्षिक कर क्रेडिट को सृजित करने हेतु अधिकांश टीडीएस विवरणों को प्रोसेस करता है और अल्प भुगतान, अल्प कटौती, ब्याज इत्यादि की टीडीएस चूकें ज्ञात करता है।	• कर क्रेडिट का सही मिलान • चूककर्ता लेखाशास्त्र और सुधार	जारी है	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इस परियोजना पर संभावित व्यय 70 करोड़ रुपए लगभग होगा।
VI.	केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) बंगलौर	कागजी एवं इलैक्ट्रानिक रूप से दाखिल आयकर विवरणियां (आईटीआर) का केन्द्रीयकृत संसाधन			3.30 करोड़ से अधिक विवरणियों को प्रोसेस करने के लिए सीपीसी की क्षमता को बेहतर किया गया	बेहतर करदाता सेवांए तथा शिकायतों में कमी	जारी है	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित व्यय 176.02 करोड़ रु (लगभग) है।
VII.	डाटा वेयर हाउस और कारबार आसूचना परियोजना	स्वैच्छिक अनुपालना को प्रोत्साहित करने, गैर अनुपालना को रोकने और विश्वास प्रदान करने कि सभी पात्र व्यक्ति उपयुक्त कर का भुगतान करने के लिए सूचना के प्रभावी उपयोग हेतु व्यापक प्लेटफार्म तैयार करना।			स्वैच्छिक अनुपालना को प्रोत्साहित करने और गैर-अनुपालना को रोकने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी और आंकड़ा विश्लेषणों का उपयोग	(i) कर आधार को व्यापक और गहन बनाना। (ii) कर कानूनों के साथ अनुपालना बेहतर करना (iii) राजस्व के छल कपट और रिसाव का पता लगाना (iv) जांच समर्थित करना (v) कर संग्रहण की प्रभाव कारिता में वृद्धि करना (vi) उच्च जोखिम कार्यों को मॉनीटर करना	चयनित सेवा प्रदायक संविदा पर हस्ताक्षर करने के 30 माह के भीतर परियोजना को कार्यान्वित करेंगे।	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आर एफ पी जारी किया गया। बोलियों की आकलन प्रक्रिया को पूरा किया गया और एल आई विक्रेता को अन्तिम रूप दिया गया। प्रस्ताव सी एन ई के अनुमोदन हेतु भेज दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित व्यय 108.80 करोड़ रु (लगभग) है।
VIII.	विवरणियों और फार्म की ई-फालिंग और वेब समर्थित सेवाएं	करदाता सेवाओं की ई-सुपुर्दगी को बेहतर बनाना			क. करदाता सेवाओं की ई-डिलीवरी के लिए एकक अंतरापृष्ठ	सभी फार्मों को ई-समर्थित करना	टीडीएस फार्मों के अलावा, यथा अनुमोदित और	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित व्यय 42.25 करोड़ रु (लगभग) है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
					ख. सभी प्रत्यक्ष कर फार्मों को ई-समर्थित करना ग. फार्मों को पूर्व दायर करना और इन्हें वैयक्तिक बनाना		अधिसूचित सभी फार्मों को ई-समर्थित किया गया है।	
IX.	नई आईटीडी एप्लीकेशन (आईटीबीए)	नए हार्डवयर के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ नए आईटीडी अनुप्रयोग को पुनः तैयार करना और साथ ही पुराने अनुप्रयोग का रखरखाव करना			नया आईटीडी अनुप्रयोग सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए विभाग के विभिन्न कार्यों को शामिल करेगा।	1. पुराने अनुप्रयोग का प्रचालन और रखरखाव. 2. नईआईटीबीए एप्लीकेशन की अंतिम परीक्षण स्वीकृति 3. आईटीबीए एप्लीकेशन की गो-लिव 4. नए अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण 5. नए अनुप्रयोग का प्रचालन और रखरखाव		वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित व्यय 46.25 करोड़ रु (लगभग) है।
1.	राजस्व लेखांकन प्रबंधन साफ्टवेयर	राजस्व खातों का संकलन एनआईसी, हैदराबाद में केन्द्रीकृत डाटाबेस सर्वर को डाटा का हस्तांतरण एवं 28 नई सृजित जेडएओ में विभिन्न एमआईएस सृजित करने हेतु बीआई अनुप्रयोग को प्रचालनीय बनाना	0.30	-	बीआई अनुप्रयोग को प्राप्त कर लिया गया है और क्रियान्वित किया गया है।	प्रत्यक्ष करों के राजस्व ए/सी पर विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों को सृजित करना और पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना	एक वर्ष	बीआई अनुप्रयोग के कार्यान्वयन का परिणाम राजस्व संग्रहण की विभिन्न रिपोर्टों और विभिन्न अन्य प्रथागत रिपोर्टों का सृजन होगा।
2.	ई-रिफंड	सभी कर निर्धारिती को इलेक्ट्रानिक रिफंड	0.30	-			चरणबद्ध ढंग से	पेपर रिफंड को पूर्ण तथा चरणबद्ध ढंग से हटाना
3.	लोक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था	आयकर विभाग के व्यय के लिए आनलाइन निगरानी व्यवस्था को क्रियान्वित करना	0.50	-	सभी भुगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा	व्यय का सही प्रबंधन	चरणबद्ध ढंग से	नेटवर्किंग और उपकरण की खरीद के लिए
4.	ई-पीएओ	दिनोंदिन आधार पर भा.रि.बैंक को ई-पावती का प्रेषण	0.50	-	दिनोंदिन आधार पर भा.रि.बैंक, सीएएस, नागपुर में सरकारी खाते को ई-पावत्तियों का दैनिक प्रेषण	दैनिक आधार पर सरकारी खाते में जमा ई-संग्रहण	एक वर्ष	सर्वर और उपकरणों की खरीद के लिए

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2016-17 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ वास्तविक उत्पादन	परिकल्पित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम कारक
2		3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
	मुख्य शीर्ष 4059 – सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-कार्यालय भवन		**148.00**	-				
1.	श्रीनगर में कार्यालय सह रिहायशी भवन	कार्यालय स्थान और रिहायशी आवास की कमी को पूरा करने हेतु			कार्यालय एवं रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध कराएगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।	36 माह	प्रस्ताव 31.07.2015 को संस्वीकृत हुआ। कार्य के अगले वर्ष तक शुरू होने की आशा है। बजट अनुमान 2016-17 में 7 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के प्रयोग होने की आशा है।
2.	नोएडा में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को पूरा करने हेतु			नोएडा में कार्यालय भवन	अधिकारियों को बेहतर कार्य करने का वातावरण उपलब्ध कराएगा	24 माह	प्रस्ताव 24.03.2011 को संस्वीकृत किया गया। वास्तव में परियोजना की संस्वीकृत लागत 24.20 करोड़ रुपए था। एनबीसीसी ने परियोजना के लिए अंतिम बिल 26.94 करोड़ रुपए पेश किया। सीआईटी, नोएडा कार्यालय द्वारा बिल का परीक्षण किया जा रहा है और अनुदान का अपेक्षित ब्यौरा एमबीसीसी से व्यय के सत्यापन के बाद भेजा जाएगा।
3.	एनसीआर भवन, जयपुर में सोलर रूफटोप पीवी प्लांट लगाना जोकि 100 के डब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़ा हो।	आयकर कार्यालय जयपुर को पर्याप्त विद्युत ऊर्जा की कमी को पूरा करने हेतु			सोलर रूफटोप पीवी प्लांट लगाना जोकि 100 केडब्ल्यूपी ग्रिड से जुड़ा हो।	आयकर कार्यालय जयपुर को पर्याप्त विद्युत ऊर्जा की कमी को पूरा करने हेतु	6 माह	परियोजना को अभी संस्वीकृत किया जाना है। तथापि, प्रधान सीसीआइटी जयपुर से पुष्टि की पावती के बाद, प्रस्ताव रखा जाएगा और वित्त वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित बजट के उपयोग होने की आशा है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
4.	एमपी आवासीय बोर्ड, भोपाल से मैट्रो वॉल्क में खरीदे हुए तैयार कार्यालय स्थान को तैयार करना	कार्यालय स्थान की कमी को पूरा करना			तैयार कार्यालय स्थान को तैयार करना	यह कार्यालय स्थान की कमी को दूर करेगा और विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध कराएगा जिसके फलस्वरूप बेहतर करदाता सेवा मुहैया होगी।	12 माह	वास्तविक संस्वीकृति के अनुसार 7.27 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए थे। तथापि, उपस्कृत करने की लागत को 11.64 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए विभाग में प्रस्ताव विचाराधीन है।
	मुख्य शीर्ष 4216 सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आवास		**52.00**	-				
1.	पोलाशी में रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी आवास की कमी को दूर करना			रिहायशी काम्पलैक्स का निर्माण	रिहायशी आवास की कमी को दूर करना	18 माह	परियोजना को 31.07.2015 को संस्वीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 2.20 करोड़ रू. के बजट प्रावधान को उपयोग में लाने की उम्मीद है।
2.	चंडीगढ़ में 6 टाइप-VI क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी आवास की कमी को दूर करना			चंडीगढ़ में 6 टाइप-VI क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी आवास की कमी को दूर करना	12 माह	परियोजना 04.09.2014 को संस्वीकृत की गई थी। डीपीसी कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 2.31 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के प्रयोग करने की आशा है।
3.	नंगबक्कम चेन्नई में बहु-इमारती 38 टाइप VI क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी क्वार्टरों की कमी को पूरा करना			नंगबक्कम चेन्नई में बहु-इमारती 38 टाइप VI क्वार्टरों का निर्माण	रिहायशी क्वार्टरों की कमी को पूरा करना	36 माह	प्रस्ताव 24.09.2013 को स्वीकृत किया गया था। 2016-17 में 10 करोड़ रू. के बजट प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान उपयोग में लाने की आशा है।

सुधार संबंधी उपाय और नीतिगत पहलें

आयकर विभाग में सुधार संबंधी पहलें

विभाग में काम-काज का प्रणाली संचलित वातावरण पैदा करने में समर्थ होने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विगत कुछ वर्षों के दौरान कई नहीं पहलें शुरू की गई हैं। इन उपायों से करदाता सेवाओं में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हुआ है और निष्पक्षता भी आई है जिससे करदाता ओर विभाग के बीच इन्टरफेस में कमी आई है और इससे शिकायतों में भी कमी हुई है।

1. **परियोजना का नामः आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग करना**

ई-फाइलिंग परियोजना का उत्कृष्ट ई-गवर्नेंस है और करदाताओं को वेब-आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयकर विभाग द्वारा ई-डिलीवरी उपाए शुरू किया गया है। इसे पहली बार वर्ष 2006-07 में शुरू किया गया था। फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए इलेक्ट्रिानिक वेरिफिकेशन कोड को शुरू किया गया जिससे आयकर विवरणी को ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया और आसान हो गई है। इलेक्ट्रानिक माध्यम से फाइल की गई विवरणियों का ई-सत्यापन नेट-बैंकिंग, एटीएम जैसे अन्य विकल्पों के बजाय आधार से जुड़े मोबाइल नम्बर पर ओटीपी भेजकर किया जा सकता है।

आयकर विवरणियों की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग को वित्तीय वर्ष 2006-07 में बढ़ाया गया और जो वित्त वर्ष 2006-07 चार में लगभग 4 लाख थी वित्तीय वर्ष 2014-15 में बढ़कर 341.73 लाख हो गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 दिसम्बर 2015 तक लगभग 309.53 लाख विवरणियां प्राप्त हुई थीं जबकि इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 में इसी अवधि के दौरान 243.31 लाख विवरणियां प्राप्त हुई थीं, यह लगभग 27.22 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है।

वित्तीय 2015-16 के दौरान 58.12 लाख लेखा परीक्षा फार्म, ई-फाइल (31 दिसम्बर, 2015 तक) किए गए थे।

2. **परियोजना का नामः आयकर विवरणियों के लिए केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी)**

सीपीसी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैंः

- वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सीपीसी ने 26% बढ़त दर के साथ 3.07 करोड़ विवरणियां प्रोसेस की हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 2.44 करोड़ विवरणियां प्रोसेस की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 31 दिसम्बर, 2015 तक सीपीसी में 3.27 करोड़ विवरणियां प्रोसेस कीं।
- सीपीसी ने 5.48 लाख विवरणियां प्रतिदिन प्रोसेस करने की उच्च क्षमता प्राप्त की है।
- सीपीसी ने प्रचालन के 5 वें वर्ष तक 6.59 करोड़ से अधिक ई-विवरणियां फाइल की है जबकि सीपीसी का 5 वर्ष में 2.7 करोड़ विवरणियां ई-फाइल करने का लक्ष्य था।
- अप्रैल 2015 में क्रियान्वित इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड (ईवीसी) प्रक्रिया सफल रही और 50 लाख से अधिक करदाताओं ने इस हरित पहल को स्वीकार किया। सीपीसी ईवीसी द्वारा वैधिकृत 44 लाख विवरणियां पहले ही प्रोसेस कर चुका है।
- औसत प्रोसेसिंग अवधि को घटाकर 61 दिन कर दिया गया है जो कि सिटिजन चार्टर में निर्दिष्ट अवधि (6 माह) से भी कम है।

3. **रिटर्न दाखिल न करने (नॉन फाइलर्स) संबंधी मानीटरिंग प्रणाली (एनएमएस) प्रायोगिक परियोजना**

नान फाइलर्स मानीटरिंग सिस्टम (एनएमएस) परियोजना डाटा वेयरहाउस एंड बिजनस इन्टेलिजेन्स (डी डब्ल्यू एंड बी आई) परियोजना के एक भाग के रूप में संभावित करदेयता वाले करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल न करने पर सुनिश्चित (फोक्सड) कार्रवाई करने हेतु कार्यान्वित की गई थी। इस पहल की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैंः-

- ऐसे पैन धारियों की पहचान करने के लिए डाटा विश्लेषण किया गया था जिन्होंने एआईआर सीआईबी डाटा और टीडीएस/टीसीएस रिटर्नों में सूचित किए गए अनुसार अधिक मूल्य के संव्यवहार करने के बावजूद आयकर विवरणी दाखिल नहीं की थी। विवरणी दाखिल न करने वाले ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने हेतु जिन्होंने अधिक मूल्य के नकदी रूप में संव्यवहार किए थे वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू) के साथ बल्क डाटा मैंचिंग कार्रवाई (एक्सरसाइज) की गई थी।

- यह सुनिश्चित करने हेतु कि विवरणी दाखिल न करने वालों से संबंधित सूचना का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कारगर उपयोग किया जाए ऑनलाइन मानीटरिंग प्रणाली शुरू की गई थी।

- विभिन्न एनएमएस साइकल में पाए गए संभावित करदेयता वाले नॉन फाइलर्स की संख्या निम्नलिखित हैः-

- एनएमएस साइकल 1 (2013) : 12.19 लाख
- एनएमएस साइकल 2 (2014) : 22.09 लाख
- एनएमएस साइकल 3 (2015) : 44.07 लाख

एनएमएस साइकल 4 ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 58.95 लाख संभावित नान-फाइलर्स की पहचान की गई। ये मामले अनुपालन मोड्यूल को आगे भेज दिए गए हैं।

4- आयकर विभाग के कामकाज संबंधी प्रक्रिया के लिए नया प्रयोग (न्यू एप्लिकेशन)

आयकर से संबंधित कार्यों के लिए नया प्रयोग (आईटीबीए) पूर्वदर्शित भविष्य में विभाग की सभी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने हेतु विभाग की एक मुख्य परियोजना है। इस परियोजना में मौजूदा अनुप्रयोग को पुनः तैयार करना, ऐसी प्रक्रिया को लागू करना जिन्हें अभी शुरू नहीं किया गया है और विभाग के मानव संसाधन संबंधित पहलुओं को स्वचालित बनाना शामिल हैं। यह योजना एक अलग स्वरूप की है क्योंकि हार्डवेयर एप्लिकेशन के लिए और इसके कार्य निष्पादन के लिए केवल एक ही वेन्डर जिम्मेवार है और कार्य निष्पादन को सुनिश्चित सेवा स्तर करारों के द्वारा निर्धारित किया गया है।

उपयोगकर्ता के अनुभव एवं कर प्रशासन की क्षमता को विशेषकर ध्यान में रखते हुए नए एप्लिकेशन को बनाया जा रहा है। इन नई एप्लिकेशन की कुछ विशेषताएं हैंः- प्रबंधन व्यवस्था आधारित कार्यप्रवाह, सतर्कता एवं सूचना सेवाएं, करदाता का समेकित नजरिया, सभी (प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं) के लिए अधिक संख्या में मानक एवं स्वनिर्धारित रिपोर्टों को बनाने की क्षमता, सभी को एक जैसा समाधान मेल करना, फुल स्केल एचआरएमएस आदि। उपयोगकर्ता को दी जाने वाली सेवाएं बाधित न हो, यह सुनिश्चित

करने के लिए, सेवा प्रदाता के कार्य-निष्पादन पर अलग ईएमएस (उद्यम प्रबंधन समाधान) टूल द्वारा निगरानी रखी जाएगी।

परियोजना समयसीमाः- नई एप्लिकेशन को 2016 के मध्य तक पूरा किया जाना निर्धारित है और इसी तकनीक के साथ 5 साल चलाने के लिए चिार किया जा रहा है।

5- परियोजना का नाम :- प्रोजेक्ट इनसाइट

आयकर विभाग ने कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अनुपालन में सुधार लाने और सूचना के कारगर उपयोग के लिए गैर-हस्तक्षेपी सूचना आधारित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने हेतु डाटा वेयर हाउस एंड बिजनिस इंटेलिजेंस (डी डब्ल्यू एंड बी आई) प्लेटफार्म के संबंध में '**प्रोजेक्ट इनसाइट**' आरंभ की है। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैः-

i. स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना और अपालन को रोकना

ii. यह विश्वास दिलाना कि सभी पात्र व्यक्ति समुचित कर अदा करते हैं

iii. उचित और न्यायसंगत कर प्रशासन को बढ़ावा देना

यह परियोजना इन्टरप्राइज डाटा वेयरहाऊस. डाटा माइनिंग, वेब माइनिंग, भविष्यसूचक मॉडलिग. डाटा डाटा- प्रदान. मास्टर डाटा प्रबंधन. केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग, अनुपालन जोखिम प्रबंधन और मामला विश्लेषण क्षमताओं के कार्य को समेकित करेगी। संसाधन गहन आवृतीय कार्यों के प्रबंधन और सभी उच्च कौशल संबंधी कार्यों के लिए आईटीडी के भीतर अधिकतम संसाधन जुटाने को सुनिश्चत करने हेतु परियोजना के तहत एक अनुपालन प्रबंधन केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीएमसीपीसी) भी स्थापित किया जाएग। परियोजना में विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) एक समान रिर्पोटिंगस्टैंडर्ड (सीआरएस) और सूचना के स्वतः आदन-प्रदान के संबंध में अपेक्षाओं को पूरा करने की भी परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना के 2016 में आरंभ किए जाने की संभावना है और 2018 तक प्रचालन में आएगी।

6. ***केन्द्रीकृत* प्रोसेसिंग कक्ष टीडीएस (सीपीसी/टीडीएस)**

यह टीडीएस रिटर्नों को प्रोसेस करता है ताकि अदा किए गए कर और दावा किए गए कर क्रेडिट के बीच आपस में मिलान किया जा सके। सीपीसी/ टीडीएस, स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरणों को सीपीसी-टीडीएस प्रणाली में इनके प्राप्त होने की तारीख से 4 दिन की औसत अवधि के भीतर प्रोसेस करता है। सीपीसी-टीडीएस परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

क. विभिन्न ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सीपीसी-टीडीएस पोर्टल पर 15.58 लाख कटौतीकर्ताओं को पंजीकृत किया गया है।

ख. वित्त वर्ष 2013-14 से आज की तारीख तक 2.75 करोड़ टीडीएस विवरणों जिनमें,165 करोड़ की संख्या में संव्यवहार शामिल हैं,को प्रोसेस किया गया है और कटौतीकर्ताओं को 1.56 करोड़ से अधिक सूचनाएं जारी की गई हैं।

ग. 9.78 लाख से अधिक ऑनलाइन संशोधन विवरणों को 24 घंटे की अवधि के भीतर प्रोसेस किया गया है।

घ. कटौतीकर्ताओं द्वारा 51 करोड़ से अधिक टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड किए गए हैं।

7. **आयकर सेवा केन्द्र (एएसके) डाक की केन्द्रीकृत** प्राप्ति और वितरण के लिए एकल खिड़की कम्प्यूटरीकृत सेवा तंत्र के रूप में सर्वोत्तम के अंतर्गत आयकर सेवा केन्द्र स्थापित किए गए थे। 189 से अधिक एएसके प्रचालन में हैं। 35 एएसके को बीआईएस द्वारा आइएसः 15700:2005 के साथ प्रत्यायित किया गया है।

8. आयकर सम्पर्क केन्द्रः कर संबंधी प्रश्नों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए सोमवार से शनिवार तक प्रातः 8 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक एक राष्ट्रीय कॉल सेन्टर और 4 क्षेत्रीय कॉल सेंटर कार्यरत रहते हैं।

9. ओएलटीएएस(ऑनलाइन कर लेखाकरण प्रणाली) - वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान (29.12.1015 तक) ओएलटीएएस के जरिए व्यवस्थित कर की अदायगी चालानों की संख्या और राशि क्रमशः 3.32 करोड़ और 5,83,059.16 करोड़ रूपये से अधिक थी।

10. प्रतिदाय बैंकर स्कीम - यह स्कीम यह सुनिश्चत करती है कि करदाता 50,000/- रू तक अपना प्रतिदाय सीधे ही बैंक खाते में ईसीएस/ एनईएफटी के माध्यम से प्राप्त करता है और शेष मामलों में प्रतिदाय बैंकर द्वारा करदाता को सीधे ही पेपर-रिफन्ड जारी की जाती हैं। इस योजना के तहत अब विभाग के साथ किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई के बिना करदाता द्वारा 99 प्रतिशत (इन काउंट) प्राप्त किया जाता है।

11. **परियोजना नामः- ई अदायगी**

करों की ई- अदायगी को नेट बैकिंग और एटीएम के जरिए सुविधाजनक बनाया गया है और 80 प्रतिशत से अधिक कर इस प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसमें किसी बैंक शाखा में जाए बिना ही घर/कार्यालय से किसी भी समय पर कर अदायगी की जा सकती है।

12. ई- सहयोग- यह परियोजना अक्टूबर 2015 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी । इसका उद्देश्य विशेष रूप से छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन लागत को कम करना है। 'ई- सहयोग' का उद्देश्य विभाग द्वारा एकत्रित तृतीय पक्ष की सूचना के सामने करदाता की आय-कर विवरणी के अनुसार सूचना में किसी प्रकार की बेमेल या विसंगति को दूर करने के लिए ऑनलाइन मेकेनिजम को प्रदान करना है। विभाग इस पहल के तहत करदाताओं को बेमेल के संबंध में सूचित करने के लिए एस एम एस, ई-मेल्स का प्रयोग करके अन्तिम सेवा प्रदान करेगा। करदाता को बेमेल संबंधी सूचना को देखने के लिए ई- फाइलिंग पोर्टल को लॉग करना होता है और मुद्दे पर ऑन- लाइन उत्तर प्रस्तुत करना होता है। करदाताओं के उत्तरों के आधार पर मामले को आगे की कार्रवाई के लिए बन्द या संसाधित किया जाता है। करदाता अद्यतन स्थिति की भी जांच कर सकते हैं। करदाताओं को एसएमएस और ई- मेल के माध्यम से मामलों के बन्द होने के बारे में भी सूचित किया जाएगा।

निष्कर्ष

1. आयकर विभाग करदाता सेवाओं में सुधार लाने, अनुपालन लागत को कम करने और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए करदाता सेवाओं को उच्चतर स्तर पर मुहैया कराने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करने में सक्षम है।

2. विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों को सुग्राही भी बना रहा है ताकि वे कर संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते समय सुविधाकारक के रूप में अपनी भूमिका की पूर्णतः जानकारी रखते हों। सभी पहलों में ई समर्थता इस उद्देश्य के साथ मुख्य विषयवस्तु बनी रहती है कि एक प्रणाली आधारित कारबार वातावरण उपलब्ध हो जिसमें विवेकाधिकार का अधिकार कम से कम हो, शिकायतों को कम करने के लिए करदाता और विभाग के बीच इंटरफेस में कमी रहे ताकि करदाता के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण प्रशासन उपलब्ध हो सके।

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए), सीबीडीटी, नई दिल्ली के कार्यालय में पहलें:-

1. ई-रिफंड परियोजनाः- फिलहाल ई- प्रतिदायों को केवल उन मामलों में ही किया जाता है जहां निर्धारिती इसको चयन करता है और 'प्रतिदाय' राशि 50,000/- रू से अधिक नहीं है। प्रतिदायों के जारी होने में विलम्ब से बचने

के लिए, यह अनुभव किया गया कि शत-प्रतिशत ई- रिफन्डों को चरणबद्ध तरीके में प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाने हैं, व पेपर रिफन्डों को पूर्णतया समाप्त करना है। फिलहाल,परियोजना आयकर विभाग, कार्यालय, प्रधान सीसीए, सीबीडीटी और पीएफएमएस प्रकोष्ठ, कार्यालय सी जी. ए. के सहयोग में संचालित है। यह पेपर रिफन्ड से इलैक्ट्रानिक रिफन्ड में बदलने की उपयोगिता विकसित करना व पैन न. के साथ कर निर्धारिती के बैंक खाता संख्या को मान्यकरण करना भी है।

2. ई-पीएओः- ई- भुगतान की प्रक्रिया करदाता की सहायता करती है व उसे किसी भी समय, कहीं भी व किसी भी अधिकृत बैंक में चयन प्रदान करके करों को भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है। प्रत्येक एजेन्सी बैंक की एकल शाखा को 'इन्टरनेट' के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संग्रहण रिपोर्टिंग लेखा विधि और समाधान के लिए अधिकृत किया गया है। ये नामांकित एवं अधिकृत "ई- फोकल प्वाइन्ट शाखाएं (ई- एफ पीबी) पैन इंडिया ई-संग्रहण को बैंक की नोडल शाखा के माध्यम से (वास्तविक संगणना हेतु) संबंधित जेड ए ओ, सीबीडीटी को रिपोर्ट करते हैं। इन्टरनेट बैकिंग सिस्टम के द्वारा कर संग्रहण आर बी आई, सी ए एस नागपुर में सरकारी लेखा में प्रेषण हेतु दैनिक आधार पर बैंक लिंक सेल को रिपोर्ट किया जाता है

3. **प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली (डीटीआईएस):**

एक ऐसी प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है जहां पर सभी जोनल लेखा कार्यालयों का समेकित डाटा विश्लेषण के लिए उपलब्ध होगा। प्रोटोटाइप का परीक्षण प्रचालन चल रहा है।

इस प्रणाली की मुख्य विशेषाएं निम्नानुसार हैंः-

- जैडएओं समेकित डाटा आधार से प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली डाटा आधार को डाटा स्थानांतरित करने की प्रक्रियाः
- विभिन्न विश्लेषण क्षेत्रों के संबंध में यथा अपेक्षित ग्राफ/रिपोर्ट/ डैशबोर्ड विकसित करना
- ऐसी प्रक्रियाएं सुनिश्चत करना जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रत्यक्ष कर सूचना सर्वर को नया डाटा प्राप्त हो सके।

प्रत्यक्ष कर सूचना पद्धति का विश्लेषण क्षेत्रः- पूर्ण प्रत्यक्ष कर सूचना प्रणाली को विभिन्न विश्लेषण क्षेत्रों में बाटा जा सकता है। प्रत्येक विश्लेषण क्षेत्र विषय क्षेत्र का पूर्ण विश्लेषण करेगा और पावती ब्यौरे, रिफन्ड ब्यौरे, संग्रहण टाइप वार पावती और आर बी आई से प्राप्त सूचना (पुट थ्रू) व सबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के लिए 4-5 ग्राफ का सेट होगा।

4. जन वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी. एफ एम एस):पी एफ एम एस सभी भुगतानों के ऑनलाइन संसाधन और सरकारी खातों के समाधान एवं विभिन्न विद्यमान विशिष्ट प्रणालियों के एकीकरण के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित साफ्टवेयर अनुप्रयोग है। पीएफएमएस को शुरूआत मे योजना आयोग की केन्द्रीय सेक्टर योजना के रूप में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजना स्कीमों के तहत जारी निधियों को देखने के लिए ऑनलाइन वित्त प्रबंधन सूचना और निर्णय समर्थन प्रणाली को स्थापित करना व राजकोषीय अंतरापृष्ठ और बैंक अंतरापृष्ठ के द्वारा सभी स्तरों पर कार्यक्रम कार्यान्वयन के व्यय की वास्तविक समय रिपोर्टिंग का पता करना है। अब पी एफ एम एस के कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है ताकि डी डी ओ और पीएओ द्वारा इस कार्यालय के सभी जेड़ ए ओ में चरणबद्ध तरीके में वेतन, पेंशन और जीपीएफ के सिवाय सभी प्रकार के व्यय के लिए स्वीकृतियों, बिलों और भुगतानों के ऑनलाइन संसाधन के लिए प्रयुक्त की जा रही विभिन्न विद्यमान विशिष्ट प्रणाली को एकीकृत किया जा सकें।

2014-15 के परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ वास्तविक उत्पाद	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 दिसम्बर 2015 (अनंतिम) के अनुसार स्थिति
2		3	4		5			
			गैर योजना बजट			6	7	8
			ब.अ.	स.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**448.54**	**448.54**				
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण-3 के लिए संदर्शी योजना	क) सॉफ्टवेयर की खरीद के साथ प्रणाली समाकलन है (एसआई)			देश भर के आयकर कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यभार को संभालने के लिए संगणन क्षमता ।		जारी है।	एसआई सेवाओं के लिए विभाग ने आइटीबीए परियोजना के लिए एसपी को नियुक्त किया है जिसने मैसर्स आइबीएम के एसआई पदाधिकारी से एसआई सेवाओं पर कब्जा कर लिया है। एफएमएस सेवाएं अभी टैक्सनेट परियोजना के तहत है जहां सेवा प्रदाता की पहचान अभी की जानी है। आइबीएम की 1 वर्ष की एफएमएस सेवा बढ़ा दी गई है।
		ख) अखिल भारतीय कर नेटवर्क की स्थापना, निगरानी एवं कार्यान्वयन			देश भर के आयकर कार्यालयों का नेटवर्क।		जारी है।	विक्रेता का अनुबंध 31.12.2015 तक बढ़ा दिया गया है। खुली निविदा के माध्यम से नए एमएसपी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यय 36.82 करोड़ रू. था।
		ग) बीसीपी एवं डीआर साइटों के लिए डाटा केन्द्रों को किराए पर लेना।			उद्योग के मानकों को पूरा करते हुए डाटा केन्द्रों में हार्डवेयर उपकरणों की सह-अवस्थिति।		जारी है।	पीडीसी, बीसीपी और डीआर तीनों डाटा सेंटर परिचालक हैं। डाटा सेंटर को एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए प्रस्ताव चल रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान तीन डाटा सेंटर चलाने का कुल व्यय 6.61 रू करोड़ था।

1	2	3	4		5	6	7	8
			गैर योजना बजट					
			ब.अ.	स.अ.				
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	सूचना के आधान के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा पोषित किया जा रहा हैः			• टीडीएस कटौतियों के सही और जल्द जमा करने, विवरणी न जमा करने वालों/बंद करने वालों तथा अल्प कटौतियों के मामलों की पहचान करने पर सुविधा मुहैया कराना। • कर भुगतानों को देखने की सुविधा • विभाग के वरष्ठि प्रबंधन को प्रभावी निगरानी और कर के संग्रहण हेतु डैशबोर्ड की सुविधाएं	जारी है।		नए सेवा प्रदाता की पहचान एवं चुनाव प्रक्रिया चल रही है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए व्यय 8.3 करोड़ रू. (लगभग) था।
III.	बैंकर रिफंड	रिफंड प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाना			• निर्धारण, जारी, सृजन प्रेषण और रिफंड के जमा के लिए व्यवस्था संचालित प्रक्रिया • रिफंड को पहचाने के लिए वेब समर्पित स्टेट्स ट्रेकिंग सुविधा	जारी है		वित्त वर्ष 2013-14 में रिफंड बैंकर योजना के माध्यम से भेजे गए रिफंडों की संख्या 1,03,06,814 से ऊपर है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए रिफंडों की संख्या 1.55 करोड़ रू. (लगभग) थी।
IV.	केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सी पी सी) टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती हेतु केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ कटौती (सीपीसी) कर्ताओं/समाहर्ताओं द्वारा टीडीएस/टीसीएस शुद्धि विवरणों को आसानी से दाखिल करने के योग्य बनाता है।			पहले चरण में पूर्व में एनएस-डीएल द्वारा किया जा रहा काज अब काम सीपीसी टीडीएस द्वारा किया जा रहा है।	जारी है		चालू वित्त वर्ष के दौरान 66.08 करोड़ रू. का कुल भुगतान किया गया है। अतः 136 करोड़ रू. के संस्वीकृत बजट में से 120.89 करोड़ रू का भुगतान किया जा चुका है और 15.10 करोड़ रू0 बची हुई राशि है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान उठाए गए 54.04 करोड़ रू था।
V.	केन्द्रीकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (सीपीसी), बंगलौर	कागजी एवं ई-फाइल आयकर विवरणियां आदि (आईटीआर) का कैंद्रीकृत प्रसंस्करण ।			बैंगलोर स्थित सीपीसी की 20 लाख कागजी रिटर्न एवं 60 लाख ई-फाइल रिटर्न प्रोसेस करने की क्षमता है।	जारी है		सीपीसी ने सितम्बर 2009 से काम करना शुरू किया। सीपीसी ने अबतक 5.1 करोड़ से अधिक ई-फाइल रिटर्न किए हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए किया गया व्यय 197.90 करोड़ रूपये था।

1	2	3	4		5	6	7	8
			गैर योजना बजट					
			ब.अ.	स.अ.				
VI.	डाटा वेयरहाउस एवं व्यवसाय आसूचना (डीडब्ल्यू एंड बीआई) परियोजना	स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए और पालन न करने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए और इस विश्वास को पैदा करने के लिए कि सभी पात्र व्यक्ति उचित कर ही अदा कर रहे हैं, सूचना के कारगर प्रयोग हेतु एक व्यापक मंच तैयार करना			स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए और पालन न करने की प्रवृत्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं डाटा विश्लेषण	संस्वीकृत किया जाए		सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ आरएफपी जारी किया गया। पूरी हो चुकी बोलियों की विश्लेषण प्रक्रिया एवं एलआई विक्रेता अंतिम किया गया। प्रस्ताव को सीएनई अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानित व्यय 108.80 करोड़ रू. (लगभग) है।
VII.	विवरणियों और प्रपत्रों की ई-फाइलिंग तथा वेब-समर्थित सेवाएं	आईटीआर के अतिरिक्त आय कर अधिनियम सभी प्रपत्रों की ई-फाइलिंग को अनुमति देना।			बहु इंटरफेस पब्लिक आईपी/ मोबाइल/वीपीएन के माध्यम से परियोजना के मात्रात्मक प्रदेय। सभी प्रदत्तों को - आनलाइन किया जाए।	जारी है		वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, 4 करोड़ (लगभग) आईटीआरएस/ प्रपत्र ई-फाइल किए गए और प्रकल्पित बर्हिगमन 44.27 करोड़ रू. था। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए किया गया व्यय 39.63 करोड़ रू. था।
VIII.	नया आईटीडी अनुप्रयोग	पुराने अनुप्रयोग के अनुरक्षण के साथ-साथ नए आईटीडी अनुप्रयोग को नए हार्डवेयर तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ दोबारा लिखना			सभी प्रयोगकर्ताओं के लिए नए आईटीडी अनुप्रयोग के दायरे में विभिन्न कार्यकलाप आएंगे ।	1. पुराने विरासती अनुप्रयोग का प्रचालन एवं अनुरक्षण 2. नए आईटीबीए अनुप्रयोग का अंतिम स्वीकृति परीक्षण। 3. आईटीबीए अनुप्रयोग को गो-लाइव करना 4. नए अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण 5. नए अनुप्रयोग का प्रचालन एवं रखरखाव ।		मैसर्स टीसीएस ने चालू वित्त वर्ष में 9.69 करोड़ रू. का बिल प्रस्तुत किया है। मैसर्स भारती को पीडीसी में ब्रॉडबैंड कनेक्टिवीटी के लिए 3.50 लाख प्लस कर का भुगतान।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रु. में)		मात्रात्मक प्रदेय/ वास्तविक उत्पाद	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 दिसम्बर 2015 (अनंतिम) के अनुसार स्थिति
2		3	4		5	6	7	8
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान बजट				
	मुख्य शीर्ष 4059 – सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-कार्यालय भवन		**700.00**	**98.50**				
1.	एनएडीटी, नागपुर में उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र, मेस/छात्रावास का निर्माण	बढ़ती हुई सहभागिता और पाठयक्रमों के कारण राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर में उत्पन्न हो रही आवास की बढ़ती जरूरत तथा विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण सहित उन्नत पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूरा करने हेतु।			एनडीटी, नागपुर में एटीसी और मेस सहित छात्रावास-II का निर्माण	जारी है		प्रस्ताव 04.08.2010 को संस्वीकृत किया गया था। छात्रावास मेस का काम पूरा हो चुका है। उन्नत प्रशिक्षण केंद्र का काम पूरा होने वाला है। निर्माण का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है और बचा हुआ काम जल्द पूरा हो जाएगा।
2.	आरटीआई भवन, मोहाली का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			आरटीआई भवन, मोहाली का निर्माण पूरा किया जाना चाहिए था।	कार्य के आवंटन के 18 से 24 माह के भीतर परियोजना । हालांकि परियोजना का अनुमोदन अभी बाकी है।		मूल प्रस्ताव में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। तथा नया प्रस्ताव प्राप्त किया जाना बाकी है ।
3.	4-5, इंफैन्ट्री रोड, बंगलौर में कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			बंगलौर में कार्यालय भवन का निर्माण	परियोजना को 24 माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि, परियोजना का अनुमोदन किया जाना बाकी है।		आईएफयू प्रश्न के कारण सीएनई प्रस्ताव संस्वीकृति के लिए लम्बित है।
4.	लखनऊ में कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	कार्यालय एवं आवास स्थान की कमी को दूर करने हेतु			16138 वर्ग मी. के कार्यालय स्थान का निर्माण प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद	परियोजना को 24 माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था।		प्रस्ताव संस्वीकृत किया जाना बाकी है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
					24 माह के भीतर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।	हालांकि परियोजना का अनुमोदन किया जाना बाकी है।		
5.	श्रीनगर में कार्यालय सह रिहायशी भवन का निर्माण	कार्यालय एवं आवास स्थान की कमी को दूर करने हेतु			11031 वर्ग मी. के कार्यालय स्थान का निर्माण प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय संस्वीकृति प्रदान करने के बाद 46 माह के भीतर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।	परियोजना को 46 माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि परियोजना के अगले वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है।		प्रस्ताव 31.07.2015 को संस्वीकृत किया गया। कार्य अगले वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है।
6.	बेलगांव में भूमि की खरीद और कार्यालय भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			बेलगांव में कार्यालय भवन का निर्माण	परियोजना को 18 माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि, प्रस्ताव कर्नाटक सरकार की कॉलम 7 में विनिर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार रोक दिया गया है।		प्रधान सीसीआइटी, कर्नाटक एवं गोवा द्वारा सूचित किया गया है कि भूमि का प्रयोग कार्यालय अथवा आवास बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि कर्नाटक सरकार ने बेलगवी किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है।
7.	नवसारी में कार्यालय भवन (बेसमेंट+5वां तल) का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			नवसारी में कार्यालय एवं रिहायशी आवास	परियोजना को 30 माह में पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि परियोजना के जल्द शुरू की उम्मीद है।		परियोजना को 15.05.2015 को संस्वीकृत मिल गई थी। कार्य के जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
8.	पठानकोट में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि को खरीद	कार्यालय स्थान की कमी की दूर करने हेतु			पठानकोट में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद	जारी है।		परियोजना को 27.03.2015 को संस्वीकृत किया गया। 10.43 करोड़ रू. का पूर्ण भुगतान किया गया।
9.	बशीरबाग में आयकर भवन का नवीकरण				आधारभूत संरचना में सुधार करना	जारी है		प्राथमिक परियोजना 06-12-2013 को 9.57 करोड़ रू. के लिए संस्वीकृत। 65% कार्य पूरा हो चुका है और यथा सूचित मार्च 2016 तक शेष कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) गैर योजना बजट	4(ii) योजना बजट				
10.	गुंटुर में कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद	परियोजना को रद्द किया जा सकता है।		भूमि को 6,41,15,300/- रु. में खरीदने का प्रस्ताव 21.04.2015 को संस्वीकृत किया गया। प्रधान सीसीआईटी ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने भूमि की लागत को 5 गुणा बढ़ा दिया है। इसलिए, भूमि की खरीद नहीं की जा सकती है।
11.	साकेत, दिल्ली में कार्यालय, भवन का निर्माण	कार्यालय स्थान की कमी को दूर करने हेतु			दिल्ली में नए आयकर कार्यालय भवन का निर्माण	अभी संस्वीकृत किया जाना बाकी है।		प्रस्ताव संस्वीकृत किया जाना बाकी है।
12.	मोहाली में कार्यालय एवं आवासों के निर्माण के लिए भूमि की खरीद	कार्यालय स्थान एवं आवास की कमी को दूर करना			मोहाली में कार्यालय एवं रिहायशी भवन के लिए भूमि की खरीद	जारी है		प्रस्ताव 09.10.2014 को संस्वीकृत किया गया था और भूमि खरीद ली गई है।
	मुख्य शीर्ष 4216- लोक कार्य में पूंजीगत परिव्यय - आवास		**50.00**	**50.00**				
1.	हदापसर, पूणे में रिहायशी कॉम्प्लेक्स का निर्माण	रिहायशी स्थान की कमी को दूर करना			हदापसर, पुणे में अतिथि गृह सहित रिहायशी कॉम्प्लेक्स	परियोजना को 30 माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था। हालांकि, पुणे के मास्टर प्लान में कुछ मामलों के कारण परियोजना को रोक लिया गया है।		यह वित्त वर्ष 2013-14 की संस्वीकृत परियोजना है। 37,78,32,506/- रू. में से 14 करोड़ इस्तेमाल कर लिया गया है। पूणे के मास्टर प्लान में कुछ मुद्दों के कारण आगे का काम रोक दिया गया।
2.	एमजी रोड,चेन्नई में 38 (VEE19) टाइप-VI क्वार्टरों का निर्माण	स्टाफ के लिए आवास की कमी को दूर करना			स्टाफ के लिए आवास का निर्माण	परियोजना को 30 माह में पूरा किया जाना था। हालांकि, परियोजना को शुरू किया जाना बाकी है।	निष्पादन हेतु 30 माह	24.09.2013 को प्रस्ताव संस्वीकृत किया गया। हालांकि, परियोजना को अभी शुरू किया जाना बाकी है परियोजना के दाम बढ़ने के कारण और बढ़े हुए मूल्य अनुमानों की संस्वीकृति के लिए नया प्रस्ताव दिया गया है।

2015-16 के परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (करोड़ रु. में)		परिमाणनीय व्युत्पत्तियां/ भौतिक उत्पाद	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम कारक	31 दिसम्बर 2015 (अनंतिम) के अनुसार स्थिति
2		3	4		5	6	7	8
			योजनेतर बजट					
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
1.	**मुख्य शीर्ष 2020 – आयकर का संग्रहण; सूचना प्रौद्योगिकी**		**525.00**	**505.00**				
I.	व्यापक कम्प्यूटरीकरण के चरण 3 के लिए संदर्शी योजना	टैक्सनेट			पूरे देश के आयकर कार्यालयों का नेटवर्क	जारी है ।	प्रचालनों में दक्षता	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 40.77 करोड़ रू. (लगभग) है।
		बीसीपी एवं डीआर साइटों के लिए डाटा केंद्रों को किराए पर लेना						वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 4.04 करोड़ रू. (लगभग) है।
		2003-09 की अवधि के पैन प्रपत्रों का वास्तविक भण्डारण एवं स्केन किए गए डाटा का ई-भण्डारण					मूल पैन प्रपत्रों के अभिलेख	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 27.90 करोड़ रू. (लगभग) है।
II.	कर सूचना नेटवर्क (टिन)	भौतिक विवरणी एवं डिजिटलीकरण, ओल्टास, ई-भुगतान, एनएमएस, ई- सहयोग को स्वीकृति।			ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण	जारी है ।		वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 17.46 करोड़ रू. (लगभग) है।
III.	करदाता सेवाएं	आयकर संपर्क केन्द्र (ए एस के)			कॉल सेंटर सेवाएं	जारी है ।	सूचना का सरल एवं सुविधाजनक प्रसार	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 6.80 करोड़ रू. (लगभग) है।
IV.	प्रतिदाय बैंकर	प्रतिदाय प्रक्रिया को पूर्णत स्वचालित,त्वरित एवं पारदर्शी बनाना			• आयकर प्रतिदायों के निर्धारण, सृजन, निर्गमन, प्रेषण, क्रेडिट तथा सुरक्षित सुपुर्दगी • वेव आधारित स्टेट्स ट्रेनिंग सुविधा	जारी है ।	भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को रिफन्ड बैंकर पदनामित किया गया है।	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 29.91 करोड़ रू. (लगभग) है।

1	2	3	4		5	6	7	8
			योजनेतर बजट					
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
V.	केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ टीडीएस (सीपीसी)	केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ (टीडीएस) 'स्रोत पर कर कटौती' पर प्रौद्योगिकी पर आधारित परिवर्तनकारी पहल है।			सीपीसी(टीडीएस) प्रपत्र 16/16 क प्रपत्र 26कध, टीडीएस प्रमाणनों में में प्रत्येक कर दाता (पैन धारक) के लिए 'वार्षिक कर जमा' विवरणी के सृजन के लिए टीडीएस विवाणियों की बहुत मात्रा में प्रोसेसिंग करता है और कम भुगतान, कम कटौती ब्याज आदि टीडीएस चूक की पहचान करता है।	जारी है ।	• कर जमा का सही मिलान • चूककर्ताओं का लेखाकरण एवं शुद्धिकरण	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इस परियोजना पर प्रस्तावित व्यय 70 करोड़ रू. (लगभग) होगा।
VI.	केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण प्रकोष्ठ बेंगलुरु (सीपीसी)	कागज आधारित एवं इलैक्ट्रानिक रूप में दाखिल आयकर विवरणियों (आइटीआर) का केंद्रीकृत प्रसंस्करण			सीपीसी 3.30 करोड़ विवरणी पर कार्य करने की क्षमता है।		बेहतर करदाता सेवाएं एवं घटती शिकायतें	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 221.05 करोड़ रू. (लगभग) है।
VII.	'डाटा भण्डारम एवं व्यावसाय आसूचना डीडब्ल्यू एण्ड बी परियोजना (आई	स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए और पालन न करने की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए और इस विश्वास को पैदा करने के लिए कि सभी पात्र व्यक्ति उचित कर ही अदा कर रहे हैं, सूचना के कारगर उपयोग हेतु एक व्यापक मंच तैयार करना			सलाहकार से अपेक्षित प्रदेय निम्नलिखित हैं:- • परियोजना योजना • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट • क्रियान्वयन एजेंसी के चयन के लिए आरएफपी • उच्च स्तरीय डिजाइन दस्तावेज • अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट क्रियान्वयन एजेंसी के चयन के लिए आरएफपी में प्रदेय अनंतिम किए गए।	चयनित सेवा प्रदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में 30 माह के भीतर परियोजना का क्रियान्वयन करेगा।	(i) कर आधार को विस्तृत और गहरा करने के लिए (ii) कर कानूनों के अनुपालन में सुधार लाना (iii) धोखाधड़ी की पहचान और राजस्व का रिसाव (iv) जांच में सहयोग (v) कर संग्रहण को अधिक प्रभावी बनाना (vi) उच्च जोखिम परिदृश्यों पर निगरानी	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय परामर्श दाता को भुगतान के रूप में 63 लाख रू. (लगभग) है।
VIII.	विवरणियों और प्रपत्रों की ई-फाइलिंग तथा वेब समर्पित सेवाएं	करदाता सेवाओं की ई-सुपुर्दगी में सुधार लाना			क) करदाता सेवाओं की ई-सुपुर्दगी हेतु एकल इंटरफेस ख) प्रत्यक्ष कर के सभी प्रपत्रों को ई-समर्थित बनाना। ग) प्रपत्रों की पूर्व फाइलिंग एवं निजीकरण	टीडीसी प्रपत्रों को छोड़कर अन्य सभी प्रपत्रों को ई-समर्थित बनाया गया है	सभी प्रपत्रों को ई-समर्थित बनाया गया है ।	वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इसका अनुमान 40.56 करोड़ रू. (लगभग) होगा।

1	2	3	4		5		6	7	8
			योजनेतर बजट						
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान					
IX.	नया आई टी डी अनुप्रयोग	पुराने अनुप्रयोग के अनुसरण के साथ-साथ नए आईटीडी अनुप्रयोग को नए हार्डवेयर तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ			सभी प्रयोगकर्ताओं के लिए नए आइटीडी अनुप्रयोग के दायरे में विभिन्न कार्यकलाप आएंगे।			(1) पुराने विरासती अनुप्रयोग का प्रचालन एवं अनुसरण (2) नए आईटीबीए अनुप्रयोग का अंतिम स्वीकृत परीक्षण गोलाइव-करना (3) आईटीबीए अनुप्रयोग को गोलाइव-करना (4) नए अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण (5) नए अनुप्रयोगों का प्रचालन एवं रख रखाव	नया आइटीडी अनुप्रयोग परियोजना परीक्षण एवं प्रमाण सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। इस संबंध में कोई भी विलंब समय-सीमा को प्रभावित कर सकता है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अनुमानित व्यय 10.15 करोड़ लगभग होगा।
1.	राजस्व लेखाकरण प्रबंधन साफ्टवेयर का कार्यान्वयन एवं प्रचालन	दैनंदिन आधार पर राजस्व लेखाकरण का समेकन	0.40		दैनंदिन आधार पर राजस्व लेखाकरण का समेकन	जारी है ।			सभी जेड ए ओ में रैम्स के कार्यान्वयन के लिए सर्वर, कंप्यूटरों और प्रिंटरों का क्रय एवं इनस्टो लेशन में हो चुका है। 52 जेड ए ओ में रैम्स साफ्टवेयर का आशोधन/ उन्नयन/कस्टोमाइजेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है/
2.	वित्त मंत्री के द्वारा किए गए आदेशानुसार सभी 52 जेड ए ओ में ई-भुगतान का कार्यान्वयन	सभी 52 जेड ए ओ में इलेक्ट्रानिक भुगतानका कार्यान्वयन किया जाना	1.20		सभी 52 जेड ए ओ में ई-भुगतान	जारी है ।			सभी जेड ए ओ में रैम्स के कार्यान्वयन के लिए सर्वरों, कंप्यूटरों और प्रिंटरों का क्रय के लिए निधि का उपयोग किया गया है। 52 जेड ए ओ में ई-भुगतान साफ्टवेयर का आशोधन/उन्नयन/ कस्टोमाइजेशन सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
	मुख्य शीर्ष 4059 सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय कार्यालय बिल्डिंग		**323.72**	**84.00**					दिसंबर, 2015 तक 14.08 करोड़ रु0 व्यय किए गए हैं।
1.	आयकर भवन, बशीरीबाग, हैदराबाद का उन्नयन	बिल्डिंग के संरचनात्मक पहलुओं को बेहतर बनाना और कर्मचारियों व करदाताओं के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना।			अवसंरचना को बेहतर बनाना	जारी है ।			9.57 करोड़ रु0 के लिए 6.12 2013 को परियोजना स्वीकृत की गई। 65 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ और शेष कार्य मार्च, 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा।

1	2	3	4		5	6	7	8
			योजनेतर बजट					
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
2.	तकशिला होस्टल और एन ए डी टी, नागपुर में नए लान टेनिस कोर्टका नवीकरण	तकशिला होस्टल और एन ए डी टी में लान टेनिस कोर्ट में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना			आवास सुविधाओं और साथ ही पाठ्येतर कार्यकलापों के लिए सुविधाओं को बेहतर करना			प्रस्ताव 19.5.15 को स्वीकृत हुआ था। तकशिला होस्टल के नवीकरण के कार्य को पूरा कर लिया गया है।
	मुख्य शीर्ष 4216 सार्वजनिक कार्यों पर परिव्यय		**250.48**	**56.00**				1.91 करोड़ रू. दिसबंर, 2015 व्यय किए गए है।
1.	चण्डीगढ़ में 6 टाइप –VI क्वार्टरों का निर्माण	आवासीय व्यवस्था की कमी को कम करना			सरकारी स्वामित्व की आवासीय व्यवस्था की उपलब्धता को बढ़ाकर जीवनस्तर को बेहतर बनाना	जारी है ।		एक स्वीकृत परियोजना है। डीपीसी कार्य पूरा हो गया है और आगे का कार्य प्रगति पर है।
2.	हड़पसर, पुणे में सामुदायिक हाल, आतिथि गृह इत्यादि वेक साथ आवासीय कॉम्प्लेक्स का निर्माण	आवासीय व्यवस्था की कमी को कम करना			सरकारी स्वामित्व की आवासीय व्यवस्था की उपलब्धता को बढ़ाकर जीवनस्तर को बेहतर बनाना	जारी है ।		यह वित्त वर्ष 2013-14 की एक स्वीकृत परियोजना है। 37, 78, 32, 506/- रु0 का उपयोग किया गया है। परियोजना में मास्टर प्लान पुणे में कतिपय मुद्दों के कारण विलंब हुआ है।
3.	कृष्णा नगर, पुणे में स्टाफ क्वार्टरों का नवीकरण	स्टाफ क्वार्टरों को बेहतर बनाना और इन्हें अच्छी हालत में बनाए रखना			जीवन स्तर को बेहतर बनाना			परियोजना की कुल लागत 2,08,37,560/- रु0 है। इसमें से 60 लाख रु0 निष्पादक एजेंसी को जारी किए गए हैं। निर्माण जून 2014 में शुरू हुआ है। बजट अनुमान 2015-16 में प्रार्थित 15 करोड़ रु0 के उपयोग होने की अपेक्षा है।

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		2013-14			2014-15			2015-16		
	मुख्य शीर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2015 तक वास्तविक
राजस्व भाग										
आय एवं व्यय पर करों का संग्रहण	**2020**	3677.61	3563.18	3544.23	4234.32	4074.48	3990.72	4711.54	4494.75	3557.95
सम्पदा शुल्क, धन एवं उपहार कर पर करों का संग्रहण	**2031**	94.30	91.36	91.04	108.57	104.49	102.53	120.82	115.25	0.00
कुल राजस्व भाग		**3771.91**	**3654.54**	**3635.27**	**4342.89**	**4178.97**	**4093.25**	**4832.36**	**4610.00**	**3557.95**
पूंजीगत भाग										
तैयार निर्मित कार्यालय भवन का क्रय	**4059**	546.98	500.00	430.25	700.00	98.50	42.38	323.72	84.00	14.08
तैयार निर्मित आवासीय भवन का क्रय	**4216**	41.00	23.00	14.65	50.00	50.00	26.52	250.48	56.00	1.91
आयकर अधिनियम के तहत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	**4075**	2.00	2.00	1.10	2.00	1.50	0.97	2.00	2.00	0.95
कुल पूंजीगत भाग		**589.98**	**525.00**	**446.00**	**752.00**	**150.00**	**69.87**	**576.20**	**142.00**	**16.94**
कुल योग		**4361.89**	**4179.54**	**4081.27**	**5094.89**	**4328.97**	**4163.12**	**5408.56**	**4752.00**	**3574.89**

वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के मुकाबले में लक्ष्य शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14			2014-15			2015-16		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2015 तक वास्तविक
राजस्व भाग									
वेतन	2162.25	2178.57	2187.63	2600.00	2520.99	2455.50	2797.46	2660.00	2220.26
मजदूरी	19.61	21.00	20.85	21.00	25.00	24.51	30.00	24.90	18.12
समयोपरि भत्ता	0.50	0.45	0.43	0.50	0.50	0.40	0.60	0.60	0.24
चिकित्सा उपचार	28.00	24.00	24.12	28.00	28.00	25.98	34.00	24.50	17.57
देशीय यात्रा व्यय	55.00	55.00	48.31	70.00	56.00	48.20	70.00	47.70	34.47
विदेश यात्रा व्यय	2.50	1.00	0.77	2.00	1.00	0.85	1.20	1.05	0.45
कार्यालय व्यय (प्रभारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय (स्वीकृत)	686.00	613.80	653.84	750.00	710.74	715.25	867.70	835.35	536.29
किराया, दरें एवं कर	150.00	149.77	153.56	162.00	172.00	170.65	210.00	240.00	156.64
प्रकाशन	3.00	2.70	2.35	2.70	2.35	2.23	3.00	2.70	1.33
बैंककारी नकद संव्यवहार कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	61.42	48.42	44.88	62.45	55.45	50.41	74.25	69.65	53.73
विज्ञापन एवं प्रचार	110.00	90.00	88.46	110.00	83.00	82.41	115.00	112.00	63.47
लघु निर्माण कार्य	13.23	13.23	12.57	15.00	15.00	13.02	28.00	28.00	5.99
व्यावसायिक सेवाएं	40.00	40.00	39.02	51.30	46.00	43.32	58.00	40.90	25.22
अंशदान	1.40	1.00	0.96	1.40	0.40	0.42	0.75	0.75	0.21
गुप्त सेवा व्यय	14.00	12.00	12.53	14.00	12.00	11.32	14.00	14.00	7.11
अन्य प्रभार	4.00	3.60	3.14	4.00	2.00	1.36	3.40	2.90	1.41
सूचना प्रौद्योगिकी	421.00	400.00	341.85	448.54	448.54	447.42	525.00	505.00	415.44
कुल राजस्व भाग	**3771.91**	**3654.54**	**3635.27**	**4342.89**	**4178.97**	**4093.25**	**4832.36**	**4610.00**	**3557.95**

परिणाम बजट 2015-16 के अंतर्गत योजनाओं की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14			2014-15			2015-16		
	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	31.12.2012 तक वास्तविक
पूंजीगत भाग									
एम एच - 4059									
एमएच-4059 तैयार निर्मित									
कार्यालय भवन का क्रय	546.98	500.00	430.25	700.00	98.50	42.38	323.72	84.00	14.08
एमएच-4216 तैयार निर्मित आवासीय									
भवन का क्रय	41.00	23.00	14.65	50.00	50.00	26.52	250.48	56.00	1.91
एमएच-4075 आयकर अधिनियम के तहत									
अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	2.00	2.00	1.10	2.00	1.50	0.97	2.00	2.00	0.95
कुल पूंजीगत भाग	**589.98**	**525.00**	**446.00**	**752.00**	**150.00**	**69.87**	**576.20**	**142.00**	**16.94**
कुल योग	**4361.89**	**4179.54**	**4081.27**	**5094.89**	**4328.97**	**4163.12**	**5408.56**	**4752.00**	**3574.89**

व्यय प्रवृत्तियों का विश्लेषण

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 31 दिसबंर, 2015 तक किया गया कुल व्यय 3574.89 करोड़ रु. है जो कुल बजट अनुमान प्रावधान 2015-16 का 66.10 प्रतिशत अर्थात 5408.56 करोड़ रुपए है। इसमें के राजस्व खंड के अंतर्गत व्यय 3557.95 करोड़ रू. है। जोकि बजट अनुमान 2015-16 का 73.63 प्रतिशत है। वेतन के लिए प्रावधान 2797.46 करोड़ रु. था जिसकी तुलना में 31 दिसबंर तक व्यय 2220.26 करोड़ रु. (79.37 प्रतिशत) है। राजस्व खंड के अंतर्गत व्यय का अन्य मुख्य घटक 867.70 करोड़ रु. के बजट अनुमान प्रावधान के साथ 'कार्यालय' व्यय है जिसकी तुलना में 31 दिसंबर, 2015 तक किया गया व्यय 536.29 करोड़ रु. है। सूचना प्रौद्योगिकी (ओ ई) एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है जिसके लिए बजट अनुमान में 525.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसकी तुलना में 31 दिसंबर, 2015 तक व्यय 415.44 करोड़ रु. है। पूंजीगत खंड के अंतर्गत दिसंबर 2015 तक व्यय 16.95 करोड़ रु. है जोकि इस खंड के अंतर्गत बजट अनुमान प्रावधान का 2.94 प्रतिशत बैठता है। बजट अनुमान 2015-16 के मुख्य घटकों को नीचे दिए गए अनुसार सारणीबद्ध किया गया है और पाईग्राफ किया गया है:-

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	बजट अनुमान 2015-16	प्रतिशतता (%)
पूंजी	576.20	10.65
वेतन एवं मजदूरी	2797.46	51.72
कार्यालय व्यय	867.70	16.04
किराया, दरें एवं कर	210.00	3.88
सूचना प्रौद्योगिकी	525.00	9.71
अन्य	432.20	8.00
कुल	**5408.56**	**100**

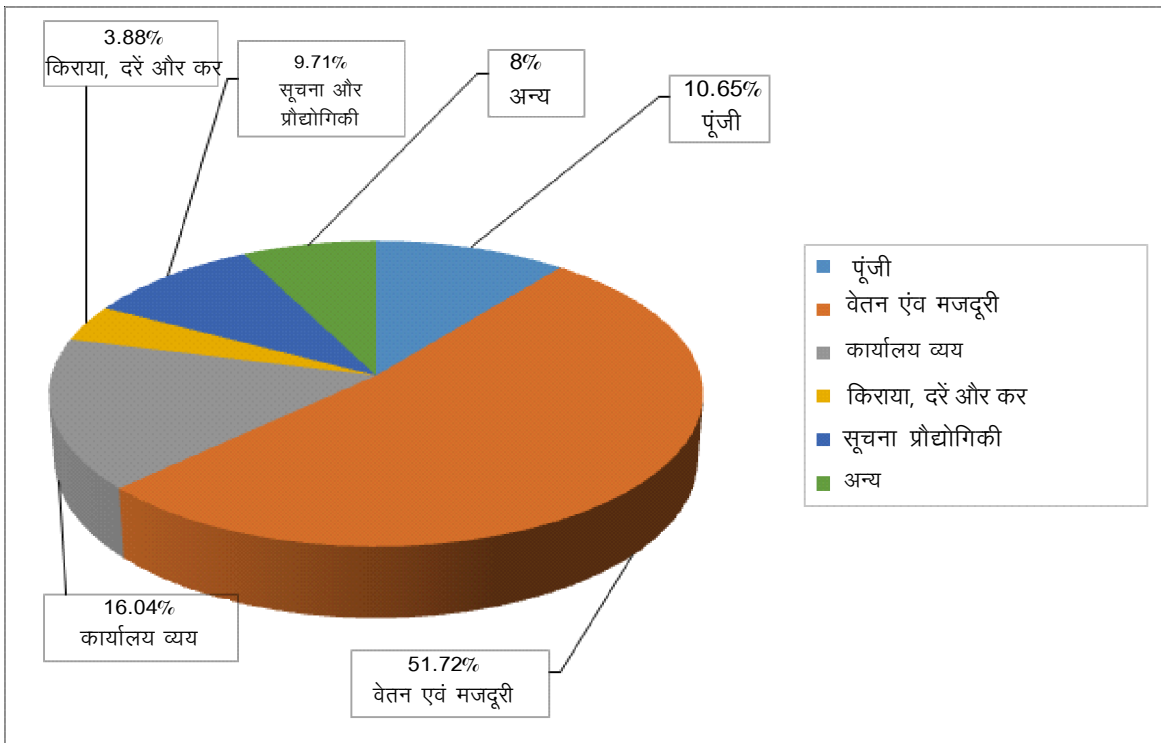

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, अनुपूरक अनुदान सहित 5094.90 करोड़ रु. के बजट प्रावधान की तुलना में वर्ष के दौरान 4163.12 करोड़ रु. का व्यय किया गया जिसके परिणाम स्वरुप 931.78 करोड़ रुपए की बचत हुई। ये बचतें निवल प्रभाव हैं और अनुदान के राजस्व एवं पूंजीगत खण्ड के विभिन्न उपशीर्षों के तहत अधिक व्यय नहीं हुआ है।

मुख्य बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग किया गया है:-

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अभ्यर्पण और बचतों के संबंध में विवरण

i) सामान्य बचतें : संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप हुई बचतें

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचतें	अभ्युक्तियां/कारण
1	अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन	31.20	इस शीर्ष के तहत व्ययों की कम आवश्यकता। 17.18 करोड़ रुपए की राशि को अन्य शीर्षों को विनियोजित किया गया।
2.	संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं	29.29	इस शीर्ष के तहत व्ययों की कम आवश्यकता
3	आयुक्त तथा उनके कार्यालय	158.24	इस शीर्ष के तहत व्ययों की कम आवशयकता

(ii) कम उपयोग/उपयोग न करना: परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन न होने/कार्यान्वयन में विलम्ब होने के कारण बचतें

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचतें	टिप्पणियां/कारण
1	लोक निर्माण कार्यों (कार्यालय भवनों) पर पूंजीगत परिव्यय	657.63	बचतें विभिन्न परियोजनाओं के स्थगन के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजनाओं के पूरा होने की कम गति, सम्पत्तियों के क्रय/निर्माण के लिए कुछ प्रस्तावों का अंतिम रूप नहीं दिया जाना शामिल स्थानीय मुद्दे और साथ ही भारत सरकार द्वारा आर्थिक उपायों के रूप में व्यय पर 10 प्रतिशत की कटौती के कारण थी।
2.	गृह निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	23.47	बचतें सम्पत्तियों के क्रय/निर्माण के लिए कुछ प्रस्तावों के क्लीयर नहीं होने के कारण थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजनाओं के पूरा होने की कम गति और साथ ही भारत सरकार द्वारा आर्थिक उपायों के रूप में व्यय पर 10 प्रतिशत की कटौती के कारण थी।

(iii) अभ्यर्पण : बचतें अप्रचलित/पुरानी हो चुकी परियोजना/योजना के कारण अथवा परियोजना/योजना पूरी होने के कारण हुईं और इन के लिए निधियों की आगे आवश्यकता नहीं है : शून्य

टिप्पणी:- *यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थाई समिति द्वारा अपनी 33वीं रिपोर्ट द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सामान्य बचतें, कम/प्रयोग न करने तथा निधियों के अभ्यर्पण करने के कारण बचतों के अलग करने के संबंध में बजट प्रभाग के का.ज्ञा. सं. 7(1)-बी (एसी)/2011 दिनांक 23 मार्च, 2012 के अनुपालन में शामिल किया गया है।*

अप्रत्यक्ष कर

प्रस्तावना

यह मांग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना से संबंधित है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर की उगाही एवं संग्रहण से संबंधित नीतियों के सूत्रपात के लिए तथा तस्करी एवं शुल्क अपवंचन की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। यह आबंटित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 156 आयुक्तालयों, सीमा शुल्क के 60 आयुक्तालयों तथा सेवा कर के 30 आयुक्तालयों की सहायता से किया जाता है। आयुक्त से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील का निर्णय करने के अर्धन्यायिक कार्य निष्पादन के लिए अपीलीय एवं कर वसूली की मशीनरी है। कामकाज में बोर्ड की सहायता के लिए निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय कार्य करते हैं:-

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय

(ii) राजस्व आसूचना निदेशालय

(iii) निरीक्षण निदेशालय

(iv) मानव संसाधन विकास निदेशालय

(v) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी

(vi) सर्तकता निदेशालय

(vii) प्रणाली निदेशालय

(viii) आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय

(ix) लेखा-परीक्षा निदेशालय

(x) रक्षोपाय निदेशालय

(xi) निर्यात संवर्धन निदेशालय

(xii) सेवा कर निदेशालय

(xiii) मूल्यांकन निदेशालय

(xiv) प्रचार एवं जन संपर्क निदेशालय

(xv) लॉजिस्टिक निदेशालय

(xvi) विधायी कार्य निदेशालय

(xvii) कर दाता सेवाएं

(xviii) मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय

(xix) केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

(xx) समझौता आयोग

(xxi) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक राजस्व संग्रहण एवं विभाग द्वारा किए गए व्यय के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है।

इस मांग में 90,400 अधिकारियों और स्टाफ के कार्यबल के प्रावधान सम्मिलित हैं जिसमें से 31.87% राजपत्रित तथा शेष गैर-राज पत्रित अधिकारी होते हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 का परिव्यय एवं परिणाम दर्शाने वाले गतिविधियों को आगामी विवरण में दिया गया है।

परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2016-17

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	परिव्यय 2016-17 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	परिलक्षित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम कारक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
1	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 - सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेन्स के लिए आईटी क्षमता का सुदृढ़ीकरण	245.00	शून्य	-एक अखिल भारतीय व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क की स्थापना	सीबीईसी की 1700 से अधिक साइटों पर अनुरक्षण एवं समर्थन सहित वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रावधान करना।		नए स्थानों पर वाइड एरिया का नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रावधान करना; सीबीईसी के केंद्रों पर फाइबर/ ओएफसी का प्रावधान करना।
					प्रणाली एकीकरणः केन्द्रीय सर्वर स्थापित करना (हार्डवेयर, स्टोरेज और सुरक्षा आधारभूत संरचना इत्यादि)	अवसंरचनात्मक वैकल्पिक नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा सेवाओं के उन्नयन तथा वृद्धि से नई पहलों जैसे कि माल एवं सेवाकर(जीएसटी) तथा भारतीय सीमाशुल्क एकल विंडो अनुप्रयोगों को शुरू करने में सहायता मिलेगी। 150 नए स्थानीय क्षेत्र		

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					सभी विभागीय प्रयोगकर्ताओं को लोकल एरिया नेटवर्क प्रदान करना।	नेटवर्क स्थानों पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रावधान करना तथा 1210 मौजूदा स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क केंद्रों में थिन क्लाइंट्स तथा स्विच को बदलना अब सिस्टम एकीकरण परियोजना के अंतर्गत शामिल है।		इनमें स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क उपकरणों, डेस्कटॉप/लेपटॉप, मोबाईल, नेटवर्क उपकरण, प्रिंटर्स, जिसमें एएमसी तथा स्पेयर्स शामिल होंगे, की स्थापना की जाएगी।
					डेटा वेयर हाऊस की स्थापना	वर्ष 2016-17 में परियोजना के परिणामों पर टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि मौजूदा सेवा प्रदाता की संविदा का समय 31.03.2016 को समाप्त हो रहा है तथा विभाग वित्तीय वर्ष 2016-17 से आगे की सेवाओं के लिए प्रस्ताव (आरएफटी) के लिए अनुरोध भेजेगा।		

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (एसीईएस) परियोजनाओं का स्वचालन	एसीईएस परियोजना में तकनीकी समर्थन और रख-रखाव का काम किया जा रहा है। विस्तृत एमआईएस रिपोर्ट कवरिंग, विवरणियां एवं धनराशि की वापसी इत्यादि अतिरिक्त कार्यों की योजना बनाई गई है।	स्वचालन के माध्यम से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर निर्धारितियों के साथ पारदर्शिता बढ़ाना और इन्टरफेस को कम करना।	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के सभी 146 आयुक्तालयों में ए सी ई एस लागू कर दिए गए हैं। (2014-15 में संवर्ग पुर्नगठन के पश्चात 119 सीई, 22 एसटी तथा 5 एलटीयू आयुक्तालय)
					सीमा शुल्क उन्नयन के लिए गेट-वे परियोजना		आईसीईस 1.5 के आईसीईजीएटीई का उन्नयन वर्जन, 136 ईडीआई सीमा शुल्क केन्द्रों पर कार्य कर रहा है। विभिन्न व्यापारिक साझेदारों और सरकारी विभागों के साथ 151 प्रकार के संदेशों के आदान-प्रदान की सहायता से एक बड़ी संख्या में डाटा को साझा करता है। सीमा शुल्क ईडीआई में कई और केन्द्रों को जोडा जाएगा।	इस प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के लिए और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा अनुप्रयोगों जैसे आरएमएस, आईसीईएस, आईसीईजीएटीई तथा एसीईएस(भविष्य में जीएसटी) को एकीकृत किया जाएगा।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
					जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना (आरएमएस)	जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य केवल उच्च जोखिम वाले कार्गो पर आसूचना हस्तक्षेप करते हुए व्यापार सुविधा प्रदान करना और उसके प्रवर्तन को प्रभावी बनाना है। साथ ही अच्छा ट्रैक रेकार्ड वाले तथा विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले विशेष ग्राहकों के लिए विश्वसनीय कस्टम क्लिएरेंस की सुविधा।	जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस 3.1) का एक नया संस्करण, जो कि आई सी ई एस 1.5 संस्करण के अनुरुप है, को लागू कर दिया गया है। 107 स्थानों पर आयात के क्षेत्र में तथा 117 स्थानों पर निर्यात के क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू किया गया है।	यह योजना बनाई गई है कि वर्ष 2016-17 के दौरान शेष आईसीईएस स्थानों पर आयात तथा निर्यात के क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू किया जाएगा, जहां काफी बड़े बीई/ एसबी फाइल किए गए हैं।
					आईसीईएस आईसीईएस 1.0 तथा 1.5 संस्करण का विकास/ अनुरक्षण	निर्यात तथा आयात निकासी संबंधित स्वचालित सीमा शुल्क प्रणाली हेतु भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली का डिजाईन, विकास, परीक्षण, परिनियोजन तथा अनुरक्षण।	सीबीईसी के द्वारा स्वीकृत की गई प्राथमिकता के आधार पर नया मापदंड विकास किया जाएगा।	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) **योजनेतर**	**4**(ii) **योजनागत**				
					वित्त वर्ष 2015-16 में चालान प्रक्रिया हेतु ईएएसआईईएसटी (आईएफयू स्वीकृत)	इस परियोजना के अंतर्गत ई-भुगतान सहित सभी तरह के भुगतान संबंधित आंकड़े बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में रखे जाते हैं तथा इलैक्ट्रोनिकी तरीके से अपलोड करके विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं।		बैंकों द्वारा एनएसडीएल साइट पर 100 प्रतिशत चालान अपलोड करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 — निवारक कार्य-जहाजों एवं बेड़ो की अधिप्राप्ति**	तस्करी रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	6.00	शून्य		कॉलम-3 (क्रम सं. 2) में नियत लक्ष्यों को पूरा करना।	श्रेणी i तथा श्रेणी ii के यानों के 50 प्रतिशत कल-पुर्जों का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किए जाने की संभावना है तथा श्रेणी ट तथा श्रेणी टट के यानों के 50 प्रतिशत कल-पुर्जों के लिए 6.00 करोड़ रु का भुगतान प्रस्तावित है।	
3.	**मुख्य शीर्ष 4047 तस्करीरोधी उपस्करों का अधिग्रहण**	कार्गो क्लीयरेंस, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नॉन-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार। रेडियेशन सामग्री की तस्करी को रोकने के लिए वाहनों तथा अन्य कार्गों ट्रकों की भौतिक जांच के स्थान पर नॉन-इंट्रूसिव जांच की जाए।	64.00	शून्य	2 फिक्सड एक्स-रे स्कैनर्स, कंटेनर स्कैनर्स (रॉड), के माध्यम से 3 ड्राइव की स्थापना, 130 नंबर पर्सनल रेडियेशन डिटेक्टर्स (पीआरडी) तथा 26 नंबर रेडियो आइसोटोप, आइडेंटिफायर्स (आरआईडी), 76 नंबर एक्सबीआईएस, 90 नंबर वीडियोस्कोप की स्थापना।	कॉलम 3 में नियत लक्ष्यों को पूरा करना।	मार्च 2014 में तूतीकोरीन, जून 2014 में चेन्नै तथा मार्च 2015 में कांडला पोर्ट में मोबाइल गामा-रे स्कैनर स्थापित कर दिए गए हैं। सितंबर 2015 में मुंबई तथा दिसंबर 2015 में तुतकोरीन में फिक्सड स्कैनर्स स्थापित किए गए हैं। कांडला तथा चेन्नै पोर्टों में क्रमशः मई 2016 तथा जून 2016 में शेष 2	

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजनेतर	4(ii) योजनागत				
							फिक्सड एक्स-रे कंटेनर स्कैनर्स को स्थापित किए जाने की संभावना है। कंटेनर स्कैनर्स के माध्यम से 3 ड्राइव, पीआरडी/आरआईडी, 76 एक्सबीआईएस तथा 90 विडियोस्कोपों को वर्ष 2016-17 के दौरान खरीदे जाने तथा लगाए जाने की संभावना है।	
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय गृह का अधिग्रहण**	कार्यालय के लिए आवास की कमी को पूरा करना।	110.00	शून्य	कार्यालय के लिए जगह की खरीद से कार्यालय के आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी।	कार्यालय के पास अपने पर्याप्त कार्यालयी स्थान होने से विभाग की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी।	भूमि की खरीद, तैयार आवास तथा विभिन्न कार्यालयी भवनों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। इन प्रस्तावों में सीपीडब्लूडी, शहरी विकास मंत्रालय से क्लीयरेंस प्राप्त करना, जीएफआर में विर्निदिष्ट विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात एसएफसी आदि निहित है।	ऐसे मामलों में भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें संबंधित अधिकारियों से परामर्श करना होता है।
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- रिहायशी आवासों का अधिग्रहण**	रिहायशी आवास संबंधी कमी को पूरा करना	20.00	शून्य	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जायेगी।	रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से अधिक कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाए जा सकेंगे और इससे प्रेरणा और उत्पादकता में बढोत्तरी होगी।	विजयवाड़ा म्यूनीसिपल कारपोरेशन द्वारा विजयवाड़ा में तैयार आवास की खरीद, द्वारिका आयुक्तालय में आवासीय फ्लैटों का निर्माण तथा 5 करोड़ रु से कम की लागत वाले कार्य के लिए एकमुश्त प्रावधान अपेक्षित हैं।	इन प्रस्तावों में सीपीडब्लूडी, शहरी विकास मंत्रालय से क्लीयरेंस प्राप्त करना, जीएफआर में विर्निदिष्ट विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात एसएफसी आदि निहित है।

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत कदम
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

कम्प्यूटरीकरण और आटोमेशन के क्षेत्र में उठाये गये कदम

598.97 करोड़ रूपए की कुल लागत पर कम्प्यूटरीकरण की एक भावी और महत्वाकांक्षी परियोजना 2007-08 में शुरु की गई है जिससे की सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर सेवाओं को समेकित किया जा सके, सभी प्रणाली को एक ही नेटवर्क/प्लेटफार्म पर लाया जा सके और डाटा वेयर हाउस तथा डिजास्टर रिकवरी साइट को स्थापित किया जा सके। इस प्रौजेक्ट को लागू कर दिया गया है तथा यह समर्थन/रख-रखाव के चरण में है। सेवाओं की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से 170 करोड़ रूपए के व्यय से संबंधित आईटी आधारभूत संरचना के साथ इस प्रौजेक्ट को मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया गया है।

विभाग और क्लाइन्ट्स दोनों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किये गये उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य आंकलन कार्य में और शुल्क के संग्रहण में सहायता पहुंचाना है और निम्नलिखित तरीके से विभाग की क्षमता में और अधिक वृद्धि करना है यथाः-

(क) कार्गो के क्लियरेन्स में तेजी लाना
(ख) प्रक्रिया के चरणों की सं. संव्यवहार के समय और खर्च में कमी लाना
(ग) गेटवे के माध्यम से सीमा शुल्क दस्तावेजों की ई-फाइलिंग आन लाइन मूल्यांकन, शुल्क भुगतान और क्लियरेंस प्रक्रिया
(घ) कोर बैंकिंग समाधान के तहत् राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीमा शुल्क का ई-भुगतान
(ड.) बैंक में प्रति अदायगी की इलेक्ट्रानिक क्रेडिट
(च) टेली इन्क्वायरी, टच स्क्रीन कियोस्क, एस एम एस आदि जैसे इन्टेरेक्टिव वायस रिस्पान्स सिस्टम्स
(छ) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना
(ज) प्रक्रिया का सरलीकरण
(झ) विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहवर्ती प्रक्रिया
(ञ) पारदर्शिता
(ट) मैन्युअल इन्टरफेस को न्यूनतम करना

ड्यूटी के बड़े कर अपवंचकों/ तस्करों की पहचान करने और अनुपालना को सुकर बनाने के लिए एक जोखिम मूल्यांकन/ प्रबंधन साफ्टवेयर विकसित किया गया है इस क्षेत्र में केन्द्रीकृत और विशेष ध्यान देने के लिए एक जोखिम प्रबंधन प्रभाग गठित किया गया है।

<u>कंटेनर स्कैनर्स</u>

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड तथा देश के विभिन्न हिस्सों में अवस्थित, इसके विभिन्न कार्यालयों के लिए यह अधिदेश है कि वे वस्तुओं के उचित मूल्यांकन और जांच-पड़ताल के पश्चात सांविधिक ड्यूटी का संग्रहण करें तथा निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न अधिनियमों/ नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कर्तव्यों का निर्वहन करें। वैश्विक व्यापार के बढने से कंटेनर वाले कार्गो की संख्या काफी अधिक बढ़ी है। अतः अब कंटेनर वाले कार्गो की प्रत्यक्ष रूप से जांच-पड़ताल करना कठिन हो गया है तथा बिना किसी विलम्ब के कार्गो को निकासी देने की भी आवश्यकता है। कंटेनर स्कैनर एक महत्वपूर्ण टूल है जो कार्गो को बिना खोले उसकी जांच-पड़ताल करने में सहायता करता है तथा पोर्ट में कंटेनरों की निकासी को शीघ्र बनाता है। इससे पोर्ट पर सामान रखने की अवधि कम होती है तथा आयतकों/ निर्यातकों की लागत में कमी आती है तथा पोर्ट पर सामान की भीड़-भाड़ कम होती है तथा यह सुरक्षा कारणों से भी प्रभावी है।

- इस समय 7 कंटेनर स्केनर हैं, जो कार्य कर रहे हैं। दो कंटेनर स्कैनर अर्थात न्हावाशेवा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक मोबाइल गामा-रे स्कैनर और एक फिक्सड 9 एमईवी, एक्स-रे, स्कैनर 2004 और 2005 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2006 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित 7 कंटेनर स्कैनरों में से 3 मोबाइल गामा-रे कंटेनर स्कैनर मार्च 2014 में तूतीकोरन सीमाशुल्क में, जून 2014 में चेन्नई सीमाशुल्क में और मार्च, 2015 में कांडला सीमाशुल्क में स्थापित किए गए थे। एक फिक्सड एक्स-रे, कंटेनर स्कैनर मुंबई में सितंबर 2015 में और तूतीकोरन में दिसंबर, 2015 में स्थापित किया गया है।

- मुम्बई, चेन्नई, तूतीकोरीन और कांडला में चार फिक्स्ड एक्स-रे की, स्कैनर, मैसर्स बीईएल, बंगलौर द्वारा आपूर्ति की जा रही है। हस्ताक्षरित संविदा के अनुसार स्कैनरों को सितम्बर, 2013 तक लगा दिया जाना चाहिए था। लेकिन पर्याप्त जनशक्ति सामग्री और मशीनरी के अभाव के कारण विलम्ब हुआ है। अब सभी फिकस्ड एक्स-रे कंटेनर स्कैनर मई-जून, 2016 तक लगा दिए जाएगे।

- इसी बीच कंटेनर स्कैनरों की प्रोद्योगिकी में काफी प्रगति हुई है तथा कंटेनर स्कैनर में एक ड्राइव होती है जो कि ड्राइव थ्रू मोड में एक घण्टे में लगभग 100 कंटेनरों को स्कैन कर सकती है। इस आलेक में मुन्द्रा, जेएनपीटी और कोचीन में ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर (रोड) लगाने का निर्णय लिया है तथा सीएनई ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए अनुसार कोचीन, मुन्द्रा और जेएनपीटी में ड्राइव-थ्रू कंटेनर स्कैनर (रोड) की खरीद और इन्हें लगाए जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। सभी 3 ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनरों (रोड) को, 2016-17 में लगा दिए जाने की संभावना है।

- इसके अलावा पीआरडी,आरआईडी, एक्सवीआईएस, एक्स-रे मेल स्कैनर/विडियास्कोप के प्रापण की प्रक्रिया चल रही है और यह वित्त वर्ष 2016-17 में समापत हो जाएगी। तस्करी

निरोधी इन उपस्करों की खरीद से अनियमितताओं का पता लगाने में मदद मलेगी। इस राजस्व संग्रहण बढ़ेगा, कार्गो की त्वरित निकासी होगी तथा सुरक्षा सरोकरों का भी निवारण होगा।

- **समुंद्री बेड़ा**

सीमाशुल्क अधिनियम के आयात/निर्यात प्रावधानों के प्रवर्तन तथा देश के समुंद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए विभाग की एक निरोधक टुकड़ी के रूप में तट के साथ सीमाशुल्क समुंद्री बेड़े, विशेषकर स्वापक पदार्थों, आंतकवादी तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए हथियारों तथा गोला बारूद के तस्करी के खतरों को ध्यान में रखते हुए, को पूण अभिस्वीकृति प्रदान की गई है। तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेनातथा तटरक्षकों की संयुक्त निगरानी के साथ भी विभाग का समुंद्री विंग जुड़ा हुआ है। विभाग ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अलग-अलग वर्गों के 109 आधुनिक पोतों को परिनियोजित तथा अधिप्राप्ति की है:-

यानों का संवर्गउ	उद्देश्य
संवर्ग-I (24 यान)	तटीय गश्ती और निगरानी
संवर्ग-II (22 यान)	संदिग्ध यानों में तत्कालिक हस्तक्षेप तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना तथा तटरक्षकों की संयुक्त निगरानी
संवर्ग-IIIक (30यान)	
संवर्ग-IIIख (33यान)	छिछले पानी, क्रीक और बंदरगाहों में उपयो। तटीय सुरक्षा के लिए नौसेना तथा तटरक्षकों की संयुक्त निगरानी

<u>1% राजस्व वृद्धि का उपयोग प्रोत्साहन प्रावधान के रूप में करना</u>

व्यय प्रबंधन के बारे में व्यय विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण में, जिनसे राजस्व पैदा करने वाले विभागों को यह अनुमति मिलती है कि वे ऐसी योजना तैयार कर सकें जिससे कि 1% राजस्व वृद्धि का उपयोग ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहन देने में हो सके जिनसे राजस्व का संकलन अधिकाधिक हो, संगठनात्मक क्षमता, बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि हो सके, सी बी ई सी ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 31.03.2016 तक 274.85 करोड़ रू. संस्वीकृत/ आबंटित किया गय हैं अर्थात्:-

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क दायरों में क्षमता- सृजन/ अवसंरचना सुधार
- एनएसीईएन में प्रशिक्षण सुविधाओं में क्षमता-सृजन
- पी ए ओ में क्षमता- संवर्द्धन
- क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लैपटाप की व्यवस्था जिससे कि वे कर संग्रहण, जांच और आसूचना कार्य की मानीटरिंग में सुधार ला सकें ।
- संगठनात्मक कार्यक्षमता में सुधार लाने और बाहर की निवारक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वाहनों को किराये पर लेना ।

इसके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यत्मक वाहनों को किराए पर लिया जाना बंद किया जाए तो 1 प्रतिशत योजना से कम मोबाइल काल प्रभारों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाए तथा इस व्यय को वित्त वर्ष 2016-17 की नियमित ओई में अंतरित किया जाए। तद्नुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 1 प्रतिशत वृद्धि राजस्व योजना के अंतर्गत 20.00 करोड़ रु का कम प्रावधान किया गया है।

पिछले काम काज की समीक्षा
परिव्ययों एवं परिणामों का विवरण 2014-15

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक विवरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 मार्च 2015 की स्थिति
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 सूचना प्रौद्योगिकी	ई-गवर्नेस के लिए आई टी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एप्लीकेशन	221.31	187.00	साईट और डेटा केन्द्रों पर एक पैन इंडिया व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क, केन्द्रीय सर्वर, हार्डवेयर की स्थापना 1. ईडीडबल्यू एपलीकेशन का रख-रखाव और समर्थन, डेश बोर्ड इत्यादि का गठन 2. एसीईएस तकनीकी समर्थन और रख-रखाव के अंतर्गत है 3. आइसगेट प्लेटफर्म सीमाशुल्क के सभी पणधारियों को एकल इलैक्ट्रानिक प्लेटफर्म से जोड़ता है 4. आरएमएस, केवल उच्च् जोखिम कार्गो के संवेदनशील रूप से पता लगाने के माध्यम से व्यापार को सुकर बनाता है और प्रभावकारी प्रवर्तन करता है 5. आईसीईएस एप्लीकेशन, सीमाशुल्क ईडीआई के रख-रखाव और नए मॉड्यूल चलाए जाने से संबंधित है। 6. इज़ीएस्ट परियोजना के अंतर्गत बैंको द्वारा सहमति व्यक्त किए गए प्रपत्र में ई-भुगतान	वैकल्पिक नेटवर्क कन्नेक्टीविटी के लिए बीएसएनएल और टीसीएल और रख-रखाव और समर्थनकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रणाली समेकन परियोजना के लिए डेटा केन्द्र पर टीसीएस समर्थन और रख-रखाव सुलभ करवा रहा है ।इज़ीएस्ट सेनवैट सत्यापन जोकि विचाराधीन था तथा जिसे प्रस्तावित जीएसटी के साथ ओवरलैपिंग के कारण वापस लेना पड़ा, के सिवाए परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है और वे समर्थन और रख-रखाव चरण में है।		परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है और वे समर्थन और रख-रखाव चरण में है। वास्तविक व्यय 188.19 करोड़ रूपए था।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					सहित भुगतान के सभी तरीकों से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किए जाते हैं तथा विभाग को सुलभ कराए जाते हैं ।7. सेनवैट सत्यापन परियोजना का उद्देश्य इज़ीएस्ट परियोजना के रूप में केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर में सेनवैट क्रेडिट मिलान करना है ताकि सभी भुगतान (नकद और सेनवैट क्रेडिट उपयोगिता) को इज़ीएस्ट में रखा जा सके ।			
2.	**मुख्य शीर्ष 4047 – निवारक कार्य-जहाजों और बेड़ों की अधिप्राप्ति**	तस्करी रोधी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धित तटीय सुरक्षा	20.00	11.00	सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को 109 आधुनिक वैसल मुहैया कराना।			वैसल्स के कल-पुर्जे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नहीं खरीदे जा सके ।
3.	मुख्य शीर्ष 4047 - तस्करी रोधी उपस्करों का अधिग्रहण	कार्गो क्लीयरेंश, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नन-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	112.72	19.00		मोबालइ गामा रे स्कैनर, फिक्स्ड एक्सरे स्कैनर और ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर (रोड)/ एक्सबीआईएस से अनियमितताओं के	इस परियोजना की निगरानी परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा की जा रही है।	तूतीकोरिन और चेन्नै में प्रत्येक में एक-एक मोबाइल स्कैनर ने काम करना शुरू कर दिया है ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
						मामलों का पता लगाने में मदद मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी तथा सुरक्षा के सरोकारों का निवारण होगा।		
4.	**मुख्य शीर्ष 4059 -- कार्यालय आवास की खरीद**	कार्यालय के लिए नए आवास की खरीद।	133.59	115.00	कार्यालय के लिए जगह की खरीद से कार्यालय के आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी। इससे विभाग की कार्यकुशता में बढ़ोतरी होगी ।	ऐसे मामलों में भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श किया जाना शामिल होता है । इन प्रस्तावों में, सामान्य वितीय नियमाली में निर्धारित समुचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् सीपीडबल्यूडी शहरी विकास मंत्रालय, एसएफसी से निकासी प्राप्त करना शामिल है।		वास्तविक व्यय 108.86 करोड़ रूपए था ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 -- रिहायशी आवासों की खरीद**	नए रिहायशी आवास की खरीद	4.50	5.00	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जायेगी। रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से अधिक कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाए जा सकेंगे और इससे प्रेरणा और उत्पादकता में बढोत्तरी होगी।	इन प्रस्तावों में, सामान्य वितीय नियमाली में निर्धारित समुचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् सीपीडबल्यूडी शहरी विकास मंत्रालय, एसएफसी से निकासी प्राप्त करना शामिल है।		वित वर्ष 2014-15 के दौरान 1.65 करोड़ रूपए का व्यय हुआ।

2015-16 के परिव्यय के सन्दर्भ में परिणाम की स्थिति

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2015-16 (करोड़ रु. में)		परिमाणात्मक वितरण/ भौतिक उत्पादन	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	जोखिम कारक	31 दिस. 2015 की स्थिति (अनंतिम)
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
1.	**मुख्य शीर्ष 2037 और 2038 -सूचना प्रौद्योगिकी**	ई-गवर्नेंस के लिए आई टी क्षमता का सुदृढ़ीकरण एप्लिकेशन	245.00	215.00	साईट और डेटा केन्द्रों पर एक पैन इंडिया व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क, केन्द्रीय सर्वर, हार्डवेयर की स्थापना 1. ईडीडबल्यू एपलीकेशन का रख-रखाव और समर्थन, डेश बोर्ड इत्यादि का गठन 2. एसीईएस तकनीकी समर्थन और रख-रखाव के अंतर्गत है 3. आइसगेट प्लेटफर्म सीमाशुल्क के सभी पणधारियों को एकल इलैक्ट्रानिक प्लेटफर्म से जोड़ता है 4. आरएमएस, केवल उच्च् जोखिम कार्गो के संवेदनशील रूप से पता लगाने के माध्यम से व्यापार को सुकर बनाता है और प्रभावकारी प्रवर्तन करता है 5. आईसीईएस एप्लीकेशन, सीमाशुल्क ईडीआई के रख-रखाव और नए मॉड्यूल चलाए जाने से संबंधित है 6. इज़ीएस्ट	वैकल्पिक नेटवर्क कन्नेक्टीविटी के लिए बीएसएनएल और टीसीएल और रख-रखाव और समर्थनकारी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।प्रणाली समेकन परियोजना के लिए डेटा केन्द्र पर टीसीएस समर्थन और रख-रखाव सुलभ करवा रहा है । इज़ीएस्ट सेनवैट सत्यापन जोकि विचाराधीन था तथा जिसे प्रस्तावित जीएसटी के साथ ओवरलैपिंग के कारण वापस लेना पड़ा, के सिवाए परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है और वे समर्थन और रख-रखाव चरण में है ।	--	परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है और वे समर्थन और रख-रखाव चरण में है । 31 दिसम्बर, 2015 तक वास्तविक व्यय 132.05 करोड़ रूपए है ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					परियोजना के अंतर्गत बैंको द्वारा सहमति व्यक्त किए गए प्रपत्र में ई-भुगतान सहित भुगतान के सभी तरीकों से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किए जाते हैं तथा विभाग को सुलभ कराए जाते हैं । 7. सेनवैट सत्यापन परियोजना का उद्देश्य इज़ीएस्ट परियोजना के रूप में केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर में सेनवैट क्रेडिट मिलान करना है ताकि सभी भुगतान (नकद और सेनवैट क्रेडिट उपयोगिता) को इज़ीएस्ट में रखा जा सके ।			
2.	मुख्या शीर्ष 4047 निवारक कार्य- जहाजों और बड़ों की अधिप्राप्ति	वैसल/बोट के समुचित रख-रखाव के लिए कल-पुर्जे	8.00	2.00	आधुनिक सीमाशुल्क वैसल के धाराप्रवाह रूप से कार्य करने के लिए कल-पुर्जे	वैसल निर्माता से खरीदे जाने वाले कल-पुर्जों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है ।		वैसल्स के कल-पुर्जे की वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान खरीदे जाने की सम्भावना है।
3.	**मुख्य शीर्ष 4047- तस्करी रोधी उपकरणों का अधिग्रहण**	कार्गो क्लीयरेंश, कंटेनर ट्रेफिक की अधिकता के प्रभावी निपटान, नॉन-इंट्रूसिव जांच के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क नियंत्रण में सुधार	255.61	40.00	फिक्स्ड एक्सरे स्कैनर, ड्राइव थ्रू स्कैनर, पर्सनल रेडिएशन डिडेक्टर, रेडियो आइसोटोप पहचानकर्ता, एक्सबीआईएस, वीडियोस्कोप, मिल स्कैनर	ये तस्करी विरोध उपस्कर खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से खरीदे जाएंगे ।		2 फिक्स्ड और 3 मोबाइल स्कैनर पहले ही लगा दिए गए हैं । ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर की बोली का मूल्यांकन

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
					इत्यादि को लगाए जाने और उनकी खरीद करने से अनियमितताओं के कई मामलों का पता लगाने में मदद मिलेगी । इसके परिणामस्वरूप अधिक राजस्व संग्रहीत होगा और कार्गो के क्लियरेंस में तेजी आयेगी ।		इस परियोजना की निगरानी नियमित अंतराल पर की जाती है ।	किए जाने की सम्भावना है । एक्सबीआईएस और वीडियोस्कोप की खरीद इस वित्त वर्ष में पूरी हो जाने की सम्भावना है । अन्य मदों के लिए भी निविदा प्रक्रिया चल रही है ।
4.	मुख्य शीर्ष 4059 - कार्यालय आवास की खरीद	कार्यालय के लिए नए आवास खरीदना	350.00	71.80	कार्यालय के लिए जगह की खरीद से कार्यालय के आवास संबंधी कमी पूरी हो जाएगी। इससे विभाग की कार्यकुशता में बढ़ोतरी होगी ।	ऐसे मामलों में भुगतान विभिन्न औपचारिकताओं पर निर्भर करता है जिसमें विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श किया जाना शामिल होता है । इन प्रस्तावों में, सामान्य वितीय नियमाली में निर्धारित समुचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् सीपीडबल्यूडी शहरी विकास मंत्रालय, एसएफसी से निकासी प्राप्त करना शामिल है ।		बैंगलोर स्थित एनएसीईएन के परिसर के इस वित्त वर्ष में पूरा हो जाने की सम्भावना है । डीआरआई कोलकाता के लिए भूमि के खरीद के प्रस्ताव को भी अंतिम रूप दे दिया गया है । कुछ अन्य प्रस्ताव जिन पर विचार चल रहा है, को भी अनुमोदन मिल जाएगा । 31 दिस., 2015 तक वास्तविक व्यय 28.87 करोड़ रूपए है ।

1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) ब.अ.	4(ii) सं.अ.				
5.	**मुख्य शीर्ष 4216 - रिहायशी आवासों की खरीद**	नए रिहायशी आवास खरीदना	50.00	15.00	रिहायशी आवासों की खरीद से आवास संबंधी कमी पूरी हो जायेगी। रिहायशी आवासीय सुविधाओं की उपलब्धता से अधिक कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करवाए जा सकेंगे और इससे प्रेरणा और उत्पादकता में बढोत्तरी होगी।	इन प्रस्तावों में, सामान्य वितीय नियमाली में निर्धारित समुचित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् सीपीडबल्यूडी शहरी विकास मंत्रालय, एसएफसी से निकासी प्राप्त करना शामिल है ।		दिसम्बर, 2015 तक 1.31 करोड़ रूपए का व्यय हुआ है ।

समग्र निष्पादन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समग्र निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं

- वर्ष 2014-15 में कुल अप्रत्यक्ष कर राजस्व 5,40,444 करोड़ रू. था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण 34.84% (1,88,279 करोड़ रू.), सीमा शुल्कः 34.78% (1,87,966 करोड़ रू.) एवं सेवाकर, 30.38% (1,64,199 करोड़ रू.) था ।
- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2003-04 के 1,47,294 करोड़ रूपए से 266.92% बढ़कर 2014-15 में 5,40,444 करोड़ रू. हो गया।
- पिछले वर्ष के मुकाबले 2014-15 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क संग्रहण में 9.26% और सीमा शुल्क संग्रहण में 10.25% बढ़ोत्तरी आई है।
- पिछले वर्ष के मुकाबले सेवाकर संग्रहण में 2014-15 में 8.76% की वृद्धि हुई। इसके अलावा सेवाकर के संग्रहण में 2003-04 (7,891 करोड़ रू.) के मुकाबले 2014-15 (1,64,199 करोड़ रु) में सेवाकर संग्रहण में 1980.84% की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर में सेवाकर का हिस्सा 1995-96 के 1% से बढ़कर 2014-15 में 30.38% हो गया है।
- वर्ष 2015-16 में दिसम्बर, 2015 तक अप्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रहण 4,61,305 करोड़ रू. था जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1,71,311 करोड़ रू., सीमा शुल्क 1,59,481 करोड़ रू. और सेवाकर 1,30,513 करोड़ रू. था।
- दिसम्बर, 2015 तक संग्रहित कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले वित्तीय वर्ष के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर संग्रहण की तुलनात्मक अवधि से 34.63% वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2008-09 के बाद से अप्रत्यक्ष कर संग्रहण की लागत निम्न तालिका में दी है:-

संग्रहण की लागत

शुल्क का शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सीमा शुल्क	0.72%	1.09%	0.67%	0.67%	0.68%	0.64%	0.65%
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	0.98%	1.32%	1.00%	0.96%	0.92%	0.83%	0.87%

- अप्रत्यक्ष कर राजस्व 2004-05 की जी डी पी में 5.3% की तुलना में कम होकर 2014-15 की जी डी पी में 4.80% हो गया है।
- पिछले तीन वर्षों का प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर व्यय और औसत राजस्व संग्रहण नीचे दिया गया है:-

वर्ष	प्रति कर्मचारी वेतन एवं भत्तों पर एवं भत्तों पर औसत व्यय (लाख रू.में)	प्रति कर्मचारी औसत राजस्व संग्रहण (करोड़ रू. में)
2013-13	5.10	8.83
2013-14	5.41	9.19
2014-15	8.27	10.73

ई-गर्वेनस:

प्रणाली महानिदेालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना समेकन परियोजना के क्रियान्वयन का काम पूरा कर लिया है। इस समेकित परियोजना के भाग के रूप में क्रियाचित की गई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को नीचे दिया गया है:-

(i) . वाईड एरिया नेटववर्क (डब्लू ए एन)- नेशनल डेटा केंद्र, डेटा रेप्लीकेशन और डी.आर.साइट के साथ 20000 विभागीय प्रयोगकर्ताओं को जोड़ते हुए एक अखिल भारतीय वाइड एरिया नेटवर्क गठित कयिा गया है ताकि सी.बी.ई.सी. अधिकारियों को राष्ट्रीय डेटा सैंटर और आपदा रिकवरी साइट से जोड़ा जा सके। फोरस मेजर इश्यु का सामना कर रही साइटों को छोड़कर बाकी साइटों में वाइड एरिया नेटवर्क लागू किया गया है। वैन और लैन मुद्दों पर उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को निवारण करने के लिए हेल्प डेस्कों को प्रावधान किया गया है।

(ii) .प्रणाली समेकन- तीन केंद्रीय आंकड़े सेंटर, 99 प्रतिशत से अधिक सिस्टम अपटाइम के साथ कार्य कर रहे हैं। केंद्रीयकृत निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन 24*7*365 आधार पर कार्य कर रही है।

इंडियन कस्टम ई.जी.आई. सिस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर ऐप्लीकेशन, ई.डी.डबल्यू इत्यादि जैसे सभी केंद्रीयकृत विजनेट साफ्टवेयर ऐप्लीकेशन, इन नेशनल डेटा सेंटरों से कार्य कर रहे हैं। यह प्रणाली लगभग 37000 आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को समर्थन करती है और इसके लगभग 30 लाख पंजीकृत बाहरी उपयोकर्ता (करदाता) है।

होस्ट की जानेवाली वेबसाइटें:- कारपोरेट वेबसाइट (cbec.gov.in) ई-कामर्स पोटर्ल (icegate.gov.in) और ए.सी.ई.एस. वेबसाइट (aces.gov.in) इस केंद्रीय आधारभूत संरचना से चल रही है।

आधारभूत संरचना को चलाने तथा अंतिम उपभोक्ता की समस्याओं के निवारण करने के लिए एक 24*7*365 एस.आई. सहायता केंद्र चल रहा है और चालू वित्त वर्ष 2015-16 में दिसंबर 2015 तक एस.आई. सहायता केंद्र में कुल 40696 टिकट लागू किए गए।

सीबीईसी के अधिकारियों को विभिन्न एप्लीकेशन सुलभ करवाने के क्रम में नीतिगत आधारित पहुंच प्रदान करने के लिए 37000 पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं को समर्थन पद्रान करने वाली एक एस.एस.ओ

एप्लीकेशन शुरू की गई है।

स्वयं का ई-मेल डोमेन- 20000 से अधिक आंतरिक प्रयोगकर्ताओं को सरकारी ई-मेल पते प्रदान करने के लिए डेटा सेंटर से webmail.icegate.gov.in मेल मैसेंजिंग साल्यूशन शुरू किया गया हे। एप्लीकेशन प्रयोगकर्ताओं को समर्थन देने तथा आधारभूत संरचना की पूर्व सक्रिय निगरानी करने के लिए एक नेटवर्क और आई.टी. आपरेशन सेंटर गठित किया गया है। सीबीईसीके सभी उत्पादन डेटाबेस जो सीमा शुल्क के पास हैं, तथा पहचान प्रबंधन के बिना किसी रूकावट के सफलतापूर्वक प्राथमिक और डी.आर.साइट अपग्रेड किया गया।

(iii) लोकल एरिया नेटवर्क्स (एलएएन) सीइंटभवनों में थिन क्ला 1177 प्रयोगकर्ताओं को सीईबी., नेटवर्क प्रिंटर,, प्रिंट सर्वर और स्कैनर इत्यादि जैसे अपेक्षित आई.टी. हार्डवेयर के साथ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टिवीटी दी गई है। एल.ए.एन. का प्रयोग करते हुए सी.बी.ई.सी. के कार्यालय, केंद्रीय कंप्यूटिंग सुविधा से सुरक्षित रूप से जुड़ जाएंगे। इसका प्रयोग कर सकेंगे। अवस्थानों पर लैन मुद्दों का सामना करने के लिए, सेवा प्रदाताओं द्वारा लैन सहायता केंद्र खोले गए हैं।

सीमाशुल्क :-

आई.सी.ई.एस. 1.5, अब 132 सीमा शुल्क अवस्थानों पर कार्य कर रही है। आई.सी.ई.एस. एप्लीकेशन में शामिल किए गए नए कार्य है- अब सेवाकर की वापसी की आनलाइन सुविधा, जो कि आई.सी.ई.एस. को ए.सी.ई.एस., के डी.एफ.आई.ए. लाइसेंसों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन, केंद्रीयकृत बांड प्रबंधन के साथ जोड़ने का पहला कदम हे। इैलैक्ट्रानिक बैंक रिलायजेशन सर्टिफिकेट, जैडडीआरआई और जैडईडीआरआई, प्रिशियस कार्गो कस्टम कलियरेंस सेंटर, एसईजैड के साथ आनलाइन इंटरफेस इत्यादि जैसे माड्यूल शुरू किए गए हैं। चार पायलट साइट के लिए मोहर और हस्ताक्षर माड्यूल विकसित किए गए हैं।

(i) . आईसीईजीएटीईः- आईसीईजीएटीई एक अवसंरचना परियोजना है जो विभाग के ईसी/ईडीआई और डाटा संसूचना अपेक्षाओं को पूरा करता है। आईसीईजीएटीई पोर्टल व्यापारियों और कार्गो करियर और सीमाशुल्क विभाग के अन्य क्लाइन्ट्स को ई- फाइलिंग सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रसुविधा के माध्यम से, विभाग प्रविष्टि बिल (आयात सामान उद्घोषणा) की ऑन-लाइन, इलैक्ट्रानिक फाइलिंग सहित पोत परिवहन बिल (निर्यात सामान उद्घोषणा) और सीमाशुल्क और व्यापार भागीदारों के बीच संबद्ध इलैक्ट्रानिक संदेश, दस्तावेज अनुकरण, ई-अदायगी, आईपीआर का ऑनलाइन पंजीकरण और संसूचना प्रसुविधाओं (ई-मेल, वेब-अपलोड और एफटीपी) का प्रयोग करते हुए, इंटरनेट पर आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले संसूचना प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइटों से लिंग सेवाओं की मेजबानी का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, डाटा सीमाशुल्क और विभिन्न नियामक और लाइसेंसिंग अभिकरणों जैसे कि डीजीएफटी, आरबीआई और आईसीईजीएटीई के माध्यम से डीजीसीआईएस के बीच परस्पर विनिमय किए जाते हैं। आईसीईजीएटीई द्वारा देखे जा रहे सभी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज/ संदेशों को आईसीईएस 1.5 एप्लीकेशन द्वारा सीमाशुल्क की ओर से प्रसंस्कृत किया जाता है। चालू वित्त वर्ष में बिल आफ एंट्री, शिपिंग बिल, आईजीएम, ईजीएम इत्यादि जैसी सुदूर ईडीआई शुल्क के माध्यम से सीमाशुल्क दस्तावेज भरे जाने का डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणत-पत्र, एक मई 2015 से भरा जाना लागू कर दिया गया है। सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली के साथ एसईजैड का समेकन, एसएफटीपी के संदेशों के माध्यम से 15 अप्रैल, 2015 से आनलाइन कर दिया गया है। इससे प्रोसेंसिंग समय और कागज के प्रयोग में कमी आएगी। उत्पादन में कार्यान्वित मोहर और हस्ताक्षर माड्यूल, मूल देश के प्रमाण-पत्र के अधिप्रमाणन के लिए है डीआई ने प्रणाली में अपेक्षित आंकड़े भर दिए हैं।

अगस्त 2011 में, ई-शासन के लिए वर्ष 2011 का एसकेओसीएच डिजीटल इनकलुशन अवार्ड, आईसगेट प्रोजेक्ट को दिया गया था। व्यापार को सुकर बनाने और इलैक्ट्रानिक बिजनेस संबंधी एशिया प्रशांत परिषद द्वारा तपेई में नवंबर 2011 में आईसगेट को ई-एशिया अवार्ड भी दिया गया था।

(i) आईसीईएसः- आईसीठएस 1.5 अब129 सीमाशुल्क अवस्थानों पर अवस्थित हैं। नए कार्य जैसे डीबीके निगरानी प्रणाली, आरबीआई के साथ एफई आंकड़ों को आदान-प्रदान, अध्याय 3 लाइसेंस ट्रांसमिशन और प्रोसेंसिंग, आयात रिपोर्ट का आरईएस माड्यूल (एलसीसी), ईओडीसी डेटा ट्रांसमिशन, विकसित किए जा रहे हैं तथा इनका परीक्षण् चल रहा है तथा ये शीघ्र ही शुरू कर दिए जाएंगे। कुछ अन्य माड्यूल जैसे आईसीईएस- एसीईएस समेकन, आईसीईएस-एसईजैड समेकन इत्यादि कार्यन्वित किए जा रहे हैं। नए माड्यूल जैसे केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला पायलट, प्रीशियस कार्गो निकासी प्रणाली भी वर्तमान में लागू किए जा रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस):- जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को अपग्रेड कर डाटा सेंटर में केन्द्रीय संगणन प्रसुविधा पर पोर्ट किया गया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का उद्देश्य व्यापार प्रसुविधा और प्रवर्तन के बीच एक यथोचित संतुलन स्ट्राइक किए जाने हेतु भारतीय सीमाशुल्क प्रशासन को समर्थ बनाना है। आरएमएस के अन्तर्गत, भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा फाइल किए गए प्रविष्टि बिल जोखिम हेतु प्रसंस्कृत किए जाते हैं और अनेक समनुदेशनों को आयातकों के स्व-मूल्यांकन के आधार पर बिना जांच-पड़ताल के अनापत्ति स्वीकृत की जाती है। अन्य समुनुदेशन आरएमएस द्वारा जोखिम के मूल्यांकन पर आधारित आंकलन अथवा जांच-पड़ताल अथवा दोनों हेतु जाते हैं। आरएमएस में अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले और सीमाशुल्क द्वारा पहचाने गए विशिष्ट मापदंड को पूरा करने वाले विशिष्ट क्लाइन्टस के लिए सुनिश्चित सीमा शुल्क अनापत्ति प्रक्रिया का प्रावधान भी है। आरएमएस का कार्यान्वयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड की अति विशिष्ट पहलों में से एक है। आईसीईएस 1.5 के साथ संगतता वाले आरएमएस 3.1 का नया संस्करण कार्यान्वित किया गया है। नया संस्करण 107 सीमाशुल्क स्थलों में संचालित है। यह योजना है कि वर्ष 2016-17 के दौरान आयात और निर्यात में आरएमएसको शेष, उन आईसीईएस अवस्थानों पर शुरू किया जाएगा जहां बीई/एसबी की पर्याप्त मात्रा भरी जाती है।

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर

(i) एसीईएसः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का स्वचालन (एसीईएस) एक केन्द्रीय प्रायोजित, वेब आधारित और कार्यभार आधारित साफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर से संबंधित सभी कार्य प्रक्रियाओं का स्वचालन है जिनमें आनलाइन पंजीकरण, रिटर्न की आनलाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग, दावों, सूचनाओं और अनुमतियों की आनलाइन फाइलिंग और उत्पाद शुल्क से संबंधित निर्यात रिपोर्टों, विवाद समाधान और लेखा परीक्षा आदि की आन लाइन फाइलिंग और प्रोसेसिंग शामिल हैं।विभागीय अधिकारियों और निर्धारिती को एसीईएस एप्लीकेशन के ज्ञान और जानकारी के आन-लाइन लर्निंग माड्यूल को उपलब्ध करवाया गया है। एसीईएस केन्द्र उत्पादक शुल्क और सेवाकर आयुक्तालयों के 146 केन्द्रों में शुरू किया गया है। एसीईएस प्रमाणित सुविधा केन्द को कार्यात्मक बनाया गया है। इन सीएफसी का गठन, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया, इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेन्टस ऑफ इंडिया तथा इंस्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया के सदस्यों द्वारा किया गया है । इस पहल का उद्देश्य ऐसे करदाताओं को सेवाएं प्रदान करना है जिनके पास अपेक्षित आईटी आधारभूत संख्या संसाधन नहीं है ताकि वे एसीईएस का प्रयोग कर सके। करदाताओं द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण और विवरणियों की ई-फाइलिंग को तथा विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने को सौ प्रतिशत समर्थित बनाया गया है । रिफंड के ई-भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है। नए प्रकार्य जैसे विवाद निपटान माड्यूल अनंतिम मूल्यांकन माड्यूल, रिफंड के दावों का आन लाइन भरा जाना तथा चुनिंदा निर्यात सम्बद्ध दस्तावेजों का आनलाइन भरा जाना शुरू किया गया है। पंजीकरण पर एमआईएस और लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा पैरा डेटाबेस जो कि सीओ और एसटी के अंतर्गत अनुमोदित अंतिम लेखापरीक्षा पैरा) समाविष्ट किया गया है । धन वापसी के ई-भुगतान किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है ।अतिरिक्त प्रकार्य जैसे पंजीकरण, विवरणी, लेखा परीक्षा और रिफंड सहित विस्तृत रिपोर्ट की भी योजना बनाई गई है।

ईएएसआईईएसटी : इस परियोजना का उद्देश्य है, राजस्व और करदाता एकाउंटिंग के लिए बैंकों से उपलब्ध सही कर भुगतान आंकड़ों को उपलब्ध कराना । इस पद्धति के अंतर्गत ई-भुगतान सहित भुगतान के सभी तरीकों के माध्यम से बैंकों द्वारा सहमति व्यक्त किए गए प्रपत्र में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं तथा इलैक्ट्रानिक रूप में अपलोड किए जाते हैं तथा विभाग को सुलभ कराए जाते हैं । आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ई-भुगतान पोर्टल विकसित किया गया है । वित्त वर्ष 2014-15 में दिसम्बर 2015 तक 63.49 चालानों पर कार्रवाई की गई है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर का सौ प्रतिशत राजस्व ई-भुगतान के माध्यम से प्राप्त होता है । बैंकों द्वारा अपलोड किए गए चालान सहित धनराशि के भुगतान का पता लगाया जा सकता है । लगभग सभी चालान इज़ीएस्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं । इस आशय के प्रयास किए जा रहे हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक द्वारा एनएसडीएल में सौ प्रतिशत चालान अपलोड किए जाएं । इज़ीएस्ट-सेनवैट क्रेडिट सत्यापन प्रणाली, इज़ीएस्ट परियोजना का हिस्सा बनने जा रही है जिसके माध्यम से सभी भुगतानों को (नकद और सेनवैट क्रेडिट उपयोगिता) इज़ीएस्ट में रखा जा सकेगा तथा निर्धारितियों द्वारा उनकी विवरणी में प्रस्तुत भुगतान की सूचना के साथ समन्वय किए जाने के लिए आंकड़ों को एसीईएस में भेजा जाएगा । ऐसा करने से भुगतान का सत्यापन करने और राजस्व की निगरानी करने के लिए विभागीय अधिकारियों को सिंगल विंडो सेवा सुलभ होगी ।

डेटा वेयरहाऊस

प्रणाली निदेशालय ने ईडीडब्ल्यू स्मार्ट व्यू 'सीबीईसी डेटा वेयर हाऊस, जो कि वेब आधारित विश्लेषण निर्णय समर्थित प्रणाली को लागू करता है तथा यह अद्यतन डेटा वेयर हाऊसिंग प्रौद्योगिक का प्रयोग करते हुए फास्ट क्वेरी और विश्लेषण क्षमता के लिए विकसित किया गया है। इसमें नियमित पूर्व निर्धारित आवृति पर आईसीईएस 1.5 (सीमाशुल्क), एसीईएस (केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क विवरणियां) और इज़ीएस्ट (केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर भुगतान) जैसे विभिन्न ऑनलाइन प्रणालियों से आंकड़े एकत्र करने की क्षमता है । सीबीईसी डेटावेयरआऊस, सीबीईसी केन्द्रीयकृत समेकित आईटी आधारभूत संरचना पर कार्य करता है । यह आशा है कि यह उद्यम आंकड़े वेयर हाऊस, राष्ट्रवार सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर आंकड़ों की केन्दीकृत रिपोजटरी के रूप में कार्य करेगा और सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुलक और सेवाकर के आंकड़ों के संबंध में एक हालिस्टिक राष्ट्रव्यापी मत प्रस्तुत करेगा । ऐसा करने से सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर के संबंध में करदाताओं का पहली बार व्यापक मत प्राप्त हुआ है । इस स्मार्ट मत का तदर्थ पूछताछ सुविधा के साथ पूर्व परिभाषित रिर्पोटों और बहुआयामी विश्लेषण का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है । इसमें आंकड़ों को एकत्र करने और गद्य को एकत्र करने की क्षमता है जिसका प्रयोग आयात और निर्यात से जुड़े संगठनों का प्रोफाइल तैयार करने में आरएमडी के सहयोग के लिए किया जा रहा है ।

विभिन्न फील्ड कार्यालयों, निदेशालयों(डीआरआई, डीजीओबी, डीजीसीईएल इत्यादि) टीआरयू बोर्ड इत्यादि से ली गई अपेक्षाओं के आधार पर अब तक डेटावेयर हाउस में सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर की लगभग 75 पूर्व परिभाषित रिपोर्टें विकसित की गई हैं । ये रिपोर्टें सीबीईसी एप्लीकेशन इंटरफेस के माध्यम से एक माउस का बटन दबाने पर ही उपयोग कर्ताओं को सुलभ हैं । स्मार्ट व्यू एप्लीकेशन को विभागीय प्रयोगकर्ता के लिए शुरू किया गया है और अधिकारियों की एक बड़ी संख्या को व्यापक एंड यूज़ प्रशिक्षण

दिया गया है । सीबीईसी डेटावेयर हाऊस द्वारा संकलित जानकारी को सीबीईसी के बाहर के कार्यालयों जैसे कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारत के प्रतियोगी आयोग को भी सुलभ करवाया जा रहा है ।

सीबीईसी ने, डेटावेयर हाऊस प्रोजेक्ट के विस्तार के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट कर 360 कार्यान्वित किया है । इससे सीबीईसी, सीबीडीटी और महाराष्ट्र के बिक्री कर प्रशासन के बीच आंकड़ों का अथक आदान-प्रदान होता है तथा आयकर, सेवाकर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और राज्य वैट के करदाताओं का व्यापक मत प्राप्त होता है । कर 360 परियोजना कुछ अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित की जा रही है ।

विभाग और इसके ग्राहकों दोनों को लाभ प्रदान करने के लिए अभिप्रेत उपयुक्त उपायों का आशय ड्यूटी के निर्धारण और संग्रहण को सुकर बनाना और निम्नलिखित तरीकों से विभाग क्षमता को समेकित करना है :

क) कार्गो की त्वरित निकासी

ख) चरणों की संख्या, लेन-देन समय और लागत में कमी

ग) लाइन निर्धारण, ड्यूटी भुगतान और निकासी प्रक्रियाओं के संबंध में गेटवे के माध्यम से सीमाशुल्क दस्तावेजों की ई-फिलिंग

घ) कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से सीमाशुल्क का ई-भुगतान

ङ) बैंक में प्रतिअदायगी का इलैक्ट्रानिक क्रेडिट

च) दस्तावेज ट्रेकिंग सुविधा

छ) स्वैच्छिक अनुपालना को प्रोत्साहित करना

ज) प्रक्रियाओं का सरलीकरण

झ) विभिन्न कर प्रणालियों में तालमेल रखना

ञ) पारदर्शिता

ट) मैनुअल इंटरफेस को न्यूनतम बनाना

इसके अलावा सीबीईसी डेटावेयर हाऊस लागू किया गया है । ऐसा करने से सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर के संबंध में करदाताओं का पहली बार व्यापक मत प्राप्त हुआ है । डेटावेयर आऊस का, तदर्थ पूछताछ सुविधा के साथ पूर्व परिभाषित रिर्पोटों और बहुआयामी विश्लेषण का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है । इसमें आंकड़ों को एकत्र करने और गद्य को एकत्र करने की क्षमता है जिसका प्रयोग आयात और निर्यात से जुड़े संगठनों का प्रोफाइल तैयार करने में आरएमडी के सहयोग के लिए किया जा रहा है ।

स्कैनर्स का प्रापण

इलेक्ट्रोनिक स्कैनर्स का प्रापण, आयात और निर्यात कार्गो कन्टेनरो की स्कैनिग जो कि सीमा शुल्क निकासी के लिए आते है जिससे कि औषधि, अस्त्र एवं शस्त्र एवं अन्य अघोषित कार्गो का पता लगाने के लिए किया जाता है यह एक पायलेट परियोजना है, जिसमें एक मोबाईल गामा रेस्कैनर एवं एक पुनस्थापित एक्स रे स्कैनर जवाहर लाल नेहरु पोर्ट न्हावा शेवा पर स्थापित करने के लिए कार्रवाई की गयी थी और जून, 2005 तक इसे पूरा किया गया। पायलेट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने से एक मुख्य कदम कार्गो निकासी कंटेनर यातायात के बढ़े हुए परिमाण एवं गैर हस्तक्षेप परीक्षा के द्वारा सुधरा हुआ सीमा शुल्क नियंत्रण को प्रभावी रुप से प्राप्त किया गया है। स्कैनरों के संबंध में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त होने के मध्यनज़र आगे के प्रापण की प्रक्रिया में प्रगति की गई है तथा वर्ष 2006 में सीसीईए द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार कांदला, चेन्नै और तूतीकोरिन में तीन मोबाइल स्कैनर लगाए जाने और मुम्बई, कांदला, चेन्नै और तूतीकोरिन में चार फिक्सड एक्सरे स्कैनर लगाए जाने के लिए निविदा जारी कर दी गई है ।

मैसर्स ईसीआईएल हैदराबाद के साथ हस्ताक्षरित संविदा के अनुसार चेन्नै, तूतीकोरिन और कांदला में मोबाइल स्कैनर विभिन्न चरणों में नवम्बर 2012 से फरवरी 2013 तक लग जाने चाहिए थे । सभी तीनों मोबाइल गामारे कंटेनर स्कैनर, मार्च 2014 में तूतीकोरिन सीमाशुल्क में, जून 2014 में चेन्नै सीमाशुल्क और मार्च 2015 में कांदला में शुरू हो गए हैं ।

चेन्नै, तूतीकोरिन, मुम्बई और कांदला बंदरगाह पर टर्न की आधार पर चार फिक्सड एक्सरे स्कैनर लगाए जाने और इनकी आपूर्ति किए जाने के संबंध में सितम्बर, 2011 से फरवरी 2012 के बीच मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड के साथ संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मैसर्स समित डिटेक्शन सिस्टम, यूएसए, मूल उपस्कर निर्माता है । ये कंटेनर स्कैनर दिसम्बर 2012 से सितम्बर 2013 के दौरान विभिन्न चरणों में कार्यात्मक होने थे । तथापि इन स्कैनरों को लगाए जाने में विलंब हुआ है । 2015-16 के दौरान मुम्बई और तूतीकोरिन बंदरगाह पर दो फिक्सड एक्सरे कंटेनर स्कैनर लगाए गए हैं । आपूर्तिकर्ता के अनुसार इस परियोजना की मई-जून 2016 तक समाप्त होने की सम्भावना है ।

- जेएनपीटी पर लगाए गए दोनों तरह के स्कैनर संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। पिछले तीन वर्ष में स्कैन किए गए कंटेनरों, दर्ज किए गए मामलों और वसूली गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष	स्कैन किए गए कंटेनरों की संख्या		दर्ज किए गए मामलों की संख्या	वस्तुओं का मूल्य	ड्यूटी आरएफ+ पीपी+ ओआईएनटी
	चल	अचल			
2012-13	82625	81369	152	45.37 करोड़	8.80 करोड़
2013-14	64801	82312	192	50.03 करोड़	10.20 करोड़
2014-15	77187	91893	64	21.77 करोड़	2.24 करोड़

- चेन्नई और तूतीकोरीन में दो मोबाइल स्कैनर वारंटी अवधि में कार्य कर रहे हैं । तथापि कांदला बंदरगाह पर कंटेनर की कोई आवाजाही नहीं है । मुम्बई और तूतीकोरिन बंदरगाह पर दो फिक्सड एक्सरे कंटेनर स्कैनरों को हाल ही में चालू किया गया है और वे वारंटी अवधि में कार्य कर रहे हैं । तथापि आज की तारीख तक इन स्कैनरों द्वारा किसी भी मामले का पता नहीं चला है । फिल्ड कार्यालय और आरएमडी को यह सलाह दी गई है कि वे जोखिम मानदण्डों की समीक्षा करें ताकि एक और अधिक उपयोगी चयन किया जा सके ।

समुद्री जलयानों का प्रांपण

वर्ष 2008 से, समुन्द्र में तस्करी निरोधी क्रियाकलापों के लिए विभाग ने 109 स्टेट आफ आर्ट आधुनिक जलयान खरीदे है। इन्हें संवेदनशीलता तथा खतरे के मद्देनजर समुद्र किनारे विभिन्न केन्द्रों पर तैनात किया गया है। जनशक्ति की कमी, रख-रखाव के मुद्दे के बावजूद इन जलयानों का इष्टतम कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया गया है।

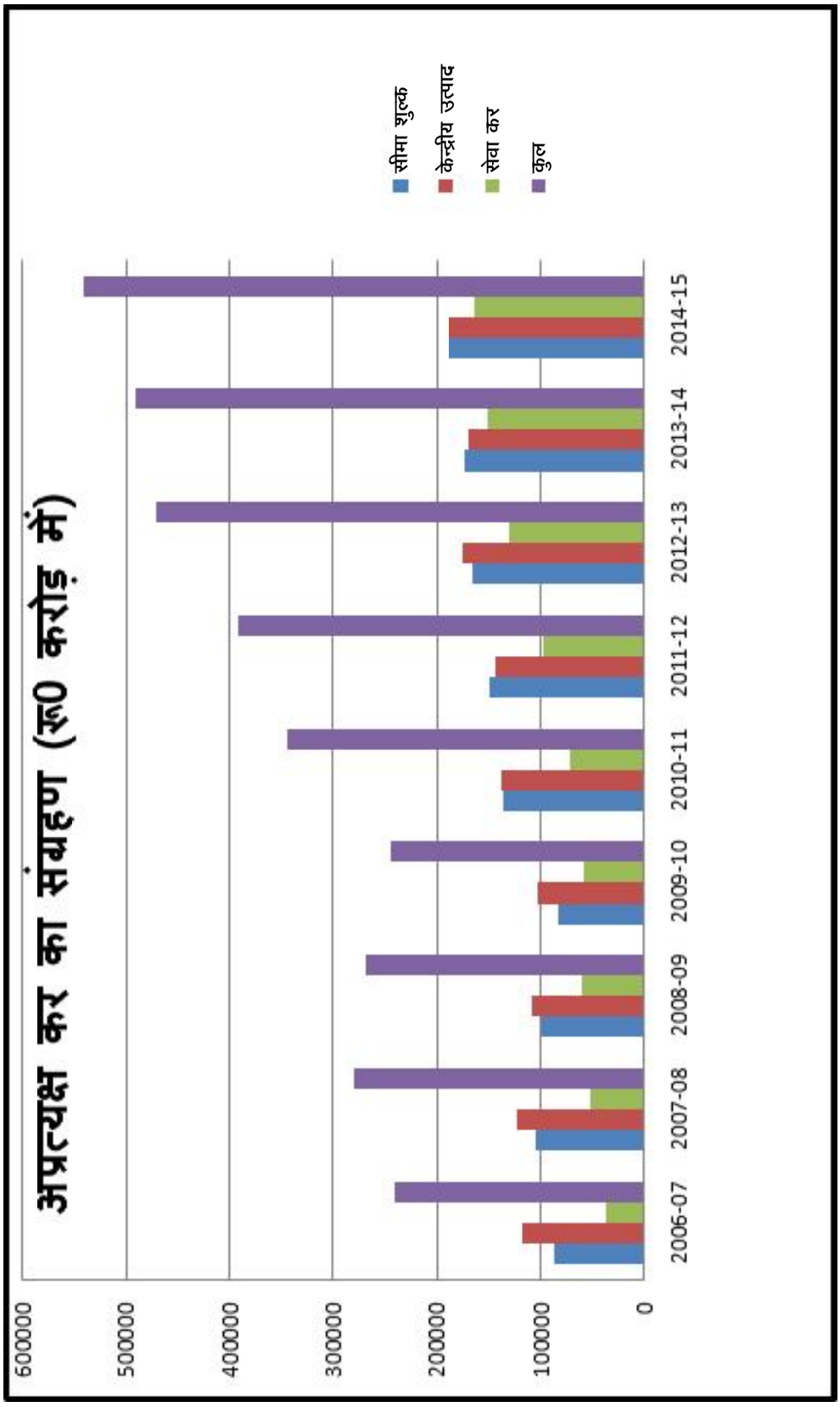
अप्रत्यक्ष कर का संग्रहण (रू0 करोड़ में)
सीमा शुल्क
केन्द्रीय उत्पाद
सेवा कर
कुल
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

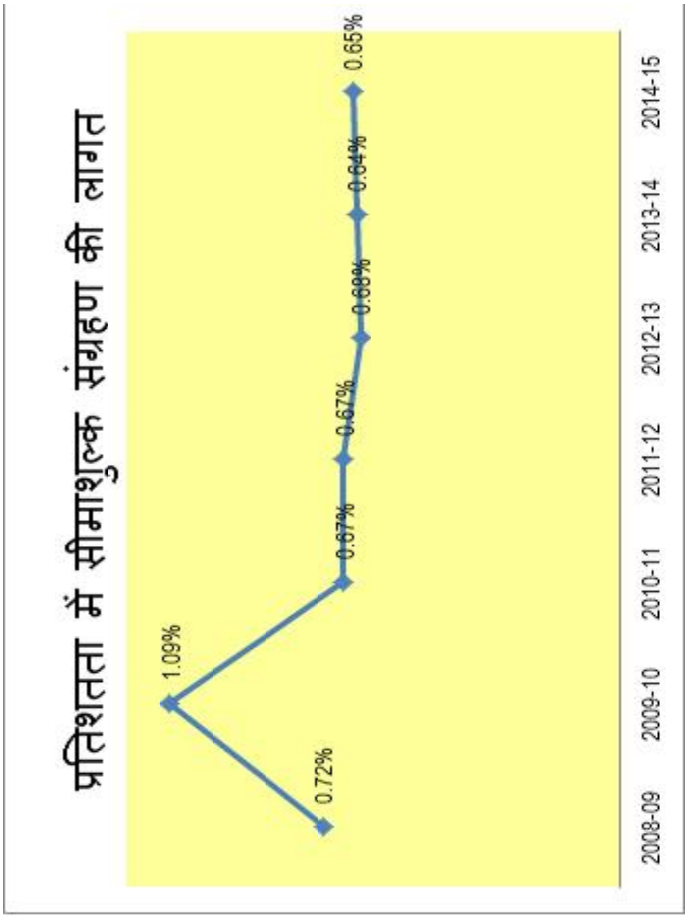
प्रतिशतता में सीमाशुल्क संग्रहण की लागत
1.09%
0.72%
0.67%
0.67%
0.67%
0.68%
0.64%
0.65%
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

प्रतिशतता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर संग्रहण की लागत
0.98%
1.32%
1.00%
0.96%
0.92%
0.83%
0.87%
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

मांग संख्या 39 के अन्तर्गत योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति - अप्रत्यक्ष कर

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	स्कीम	2014-15			2015-16			2016-17
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम) (दि.15 तक)	ब.अ.
1.	ई- गवर्नेंस की आईटी क्षमता का सुदृढीकरण	221.31	187.00	188.19	245.00	215.00	132.05	245.00
2.	जहाज और बेड़ों की अधिप्राप्ति	20.00	11.00	0.00	8.00	2.00	0.00	6.00
3.	कंटेनर स्कैनरों की अधिप्राप्ति	112.72	19.00	18.29	255.61	40.00	16.76	64.00
4.	कार्यालय भवन की अधिप्राप्ति	133.59	115.00	108.86	350.00	71.80	28.87	110.00
5.	आवासीय भवनों की अधिप्राप्ति	4.50	5.00	1.65	50.00	15.00	1.31	20.00
	योग	**492.12**	**337.00**	**316.99**	**908.61**	**343.80**	**178.99**	**445.00**
	संशोधित अनुमान के हिसाब से प्रतिशत			*94.06%*			*52.06%*	

वर्ष 2012-13, 2014-14 एवं 2015-15 के योजना-वार वास्तविक व्यय बनाम
बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	मुख्य शीर्ष	2012-13			2014-14			2015-15		
			ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम) दि.14
	राजस्व खंड										
1	एमएच-2037 (सीमाशुल्क)										
	सीमाशुल्क का संग्रहण	2037	1148.47	1129.19	1093.42	1390.58	1282.42	1191.78	1513.78	1294.10	973.12
	सीमाशुल्क कल्याण कोष	2037	6.20	5.58	0.00	17.50	17.50	17.50	29.13	29.13	0.00
	विदेश मिशन	2037	2.30	2.30	1.15	2.42	2.42	0.00	3.00	3.00	2.43
2	केन्द्रीय उत्पादशुल्क का संग्रहण	2038	2325.63	2318.67	2267.76	3008.12	2563.19	2535.61	2884.36	2608.54	2163.76
	बेन्डरोल्स इत्यादि का मुद्रण	2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निष्पादन निदेशालय प्रबंधन (पूर्वापर निरीक्षण)	2038	39.38	42.98	37.20	45.99	50.09	42.03	63.27	60.75	37.17
	प्रणाली और डाटा प्रबंधन	2038	143.75	139.55	128.52	206.01	185.15	183.57	239.04	213.14	131.64
	सतर्कता	2038	13.78	14.13	13.46	15.14	16.64	14.66	25.55	22.74	15.88
	राष्ट्रीय सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं मादक पदार्थ अकादमी	2038	59.15	66.55	57.34	79.99	81.40	70.38	102.97	105.30	62.80
	प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय	2038	35.37	75.34	74.27	49.82	51.06	47.44	58.54	57.54	6.50
	केन्द्रीय उत्पादशुल्क आसूचना निदेशालय	2038	37.21	47.96	42.57	48.19	49.85	41.98	56.10	52.07	34.67
	अन्य कार्यालय	2038	14.01	14.53	13.94	15.76	16.28	15.94	19.75	17.89	12.28
3	आवास-रखरखाव एवं उपस्कर	2216	5.00	4.50	1.94	5.00	5.00	3.35	6.00	7.50	0.85
4	सहायता सामग्री एवं उपस्कर	3606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल- राजस्व खंड		3830.25	3861.28	3731.57	4884.52	4321.00	4164.24	5001.49	4471.70	3441.10
5	मेरीन पोत का अधिग्रहण	4047	17.95	7.00	4.01	20.00	11.00	0.00	8.00	2.00	0.00
	कंटेनर स्कैनरों का अधिग्रहण	4047	82.00	50.65	10.79	112.72	19.00	18.29	255.61	40.00	16.76
	मुख्य कार्य	4047	0.05	0.07	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	कार्यालय भवनों का अधिग्रहण	4059	47.91	21.70	4.30	133.59	115.00	108.86	350.00	71.80	28.87
7	तैयार निर्मित आवासीय भवनों का अधिग्रहण	4216	1.34	3.36	3.20	4.50	5.00	1.65	50.00	15.00	1.31
	कुल- पूंजी खण्ड		**149.25**	**82.78**	**22.30**	**271.31**	**150.00**	**128.80**	**663.61**	**128.80**	**46.94**
	महायोग		***3979.50***	***3944.06***	***3753.88***	***5155.83***	***4471.00***	***4293.04***	***5665.10***	***0.00***	***3488.04***
	वसूली		**-0.50**	**-0.50**	**-0.65**	**-0.50**	**-0.50**	**-1.85**	**-0.50**	**-0.50**	**-2.34**
	निवल		***3979.00***	***3943.56***	***3753.22***	***5155.33***	***4470.50***	***4291.19***	***5664.60***	***4600.00***	***3485.70***

वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के शीर्षवार वास्तविक व्यय बनाम बजट अनुमान/संशोधित अनुमान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	2013-14			2014-15			2015-16		
		ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (अनंतिम) दि.14 तक
	राजस्व खण्ड									
1	वेतन	2981.00	2981.00	2894.04	3749.29	3317.00	3181.18	3749.80	3319.74	2758.86
2	मजदूरी	16.91	16.91	16.75	18.43	18.00	16.64	18.00	18.00	12.22
3	समयोपरि भत्ता	11.00	6.60	5.80	6.93	5.10	5.32	8.00	6.00	3.10
4	इनाम	25.00	40.00	36.91	55.00	49.00	45.48	55.00	55.00	23.25
5	चिकित्सा उपचार	28.00	28.00	25.45	34.00	28.00	25.91	30.00	27.20	15.65
6	घरेलू यात्रा खर्चे	66.00	60.00	56.73	66.00	62.00	58.93	76.00	71.00	44.55
7	विदेश यात्रा खर्चे	2.00	1.10	0.70	3.00	2.99	2.06	4.00	3.80	0.32
8	कार्यालय खर्चे	284.01	284.01	282.13	388.45	339.60	348.12	424.31	388.00	276.78
9	किराया, दर एवं कर	130.00	134.00	133.05	198.00	165.00	163.24	210.00	185.00	123.14
10	प्रकाशन	1.40	1.27	1.27	1.73	2.28	1.74	3.00	3.00	0.50
11	बैंकिंग रोकड़ लेन-देन कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	अन्य प्रशासनिक खर्चे	25.00	25.00	22.34	33.25	32.25	27.16	42.00	42.00	24.44
13	विज्ञापन एवं प्रचार	36.00	70.42	69.28	45.00	45.00	41.47	51.00	51.00	2.66
14	लघु कार्य	17.00	15.30	8.26	17.60	17.60	12.89	20.00	18.58	2.87
15	व्यावसायिक सेवाएं	17.00	18.25	19.04	17.85	21.50	20.93	22.00	26.00	12.28
16	अन्य कंस्ट्रक्शन सेवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	सामान्य सहायता-अनुदान	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.15	0.15	0.00
18	गुप्त सेवा खर्च	6.20	5.58	5.86	7.57	7.57	7.02	10.00	9.00	5.49
19	अन्य प्रभार									
	(भारित)	0.50	0.50	0.19	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00
	(स्वीकृत)	2.94	2.88	1.58	3.02	3.02	0.40	3.60	3.60	0.25
20	मशीनरी एवं उपस्कर	22.00	17.80	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
21	अंतर खाता स्थानांतरण	6.20	5.58	0.00	17.50	17.50	17.50	29.13	29.13	0.00
22	सूचना प्रौद्योगिकी	152.00	147.00	137.56	221.31	187.00	188.19	245.00	215.00	132.05
	कुल - राजस्व खंड	3830.25	3861.28	3731.57	4884.52	4321.00	4164.24	5001.49	4471.70	3441.10
23	पोत एवं बेड़े का अधिग्रहण	17.95	7.00	4.01	20.00	11.00	0.00	8.00	2.00	0.00
24	तस्करी रोधी उपकरण का अधिग्रहण	82.00	50.65	10.79	112.72	19.00	18.29	255.61	40.00	16.76
25	मुख्य कार्य	0.05	0.07	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल - मुख्य शीर्ष '4047'	100.00	57.72	14.80	133.22	30.00	18.29	263.61	42.00	16.76
26	कार्यालयी आवास का अधिग्रहण	47.91	21.70	4.30	133.59	115.00	108.86	350.00	71.80	28.87
27	तैयार निर्मित रिहायशी आवास की खरीद	1.34	3.36	3.20	4.50	5.00	1.65	50.00	15.00	1.31
	कुल - पूंजी खंड	**149.25**	**82.78**	**22.30**	**271.31**	**150.00**	**128.80**	**663.61**	**128.80**	**46.94**
	महायोग	***3979.50***	***3944.06***	***3753.87***	***5155.83***	***4471.00***	***4293.04***	***5665.10***	***4600.50***	***3488.04***
	वसूलियां	**-0.50**	**-0.50**	**-0.65**	**-0.50**	**-0.50**	**-1.85**	**-0.50**	**-0.50**	**-2.34**
	निवल	***3979.00***	***3943.56***	***3753.22***	***5155.33***	***4470.50***	***4291.19***	***5664.60***	***4600.00***	***3485.70***

वित्तीय समीक्षा-
व्यय में प्रवृत्ति का विश्लेषण

2014-15 के दौरान 4291.19 रूपए का कुल व्यय 2013-14 में उपगत 3753.22 करोड़ रू0 के व्यय की तुलना में 14.33 प्रतिशत अधिक है । राजस्व अनुभाग में, 14.33 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से वेतन और भत्तों पर अधिक व्यय के कारण है ।

पूंजी अनुभाग के अंतर्गत, 2013-14 में व्यय की तुलना में 2014-15 में 477.58 प्रतिशत अधिक है । यह मुख्यतः तस्करी रोधी उपकरण के साथ-साथ तैयार आवासीय आवास के अधिग्रहण के अर्जन के प्रति अधिक व्यय के कारण है ।

2014-15 में 'विज्ञापन और प्रचार-प्रसार' के अंतर्गत 41.47 करोड़ रू0 है जो 2013-14 में 69.28 करोड़ रू0 की तुलना में 40.14 प्रतिशत कम है । यह वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में अनुदान और डीएवीपी द्वारा एलओएएस के कम उपयोग के कारण है ।

2014-15 के दौरान 'सूचना प्रौद्योगिकी' के अंतर्गत व्यय 188.19 करोड़ रू0 है जो 2014-15 के दौरान कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के संघटन के अधिकांश अवयवों के कार्यान्वयन के प्रति अधिक व्यय के कारण 2013-14 में उपगत 137.56 करोड़ रू0 के व्यय से 36.81 प्रतिशत अधिक है ।

- जहां तक 17.95 करोड़ रू0 के संस्वीकृत बजट और 7.0 करोड़ रू0 के संशोधित बजट अनुमान के प्रति जहाजों और यानों के अधिग्रहण के संबंध में व्यय का संबंध है, 4.0 करोड़ रू0 का वास्तविक व्यय वित्त वर्ष 2013-14 में उपगत किया गया था क्योंकि नाव निर्माता तकनीकी कमियों को दूर नहीं कर सके । वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कलपुर्जों आदि के गैर निर्णयन के कारण कोई व्यय उपगत नहीं किया गया था । 2015-16 में, संशोधित अनुमान 2.00 करोड़ रू0 है जो कि सम्भवतः श्रेणी I, II और III यानों के अंतिम चरण भुगतान के निर्गमन हेतु खर्च किया जाना है । बजट में संशोधन किया गया क्योंकि श्रेणी I और II यानों के स्पेयर पार्ट्स के प्रापण की इस वित्तीय वर्ष में पूरा होने की सम्भावना नहीं है । वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 6.00 करोड़ रू0 का संस्वीकृत अनुदान खर्च होने की सम्भावना है ।

- वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान तस्करी-रोधी उपकरणों के अधिग्रहण पर व्यय 82.00 करोड़ रू0 के प्रति 10.79 करोड़ रू0 था क्योंकि वेंडर्स ने उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया था । तस्करी रोधी उपकरणों के अधिग्रहण पर 112.7 करोड़ रू0 के बजट अनुमान के प्रति वित्त वर्ष 2014-15 में 18.49 करोड़ रू0 खर्च किए गए थे क्योंकि उपकरणों के प्रापण के अनेक प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका । वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान व्यय 2013-14 में व्यय की तुलना में 41.61 प्रतिशत अधिक था । 2016-17 में 64.00 करोड़ रू0 का संस्वीकृत बजट खर्च किए जाने की सम्भावना है ।

कार्यालय परिसर के अधिग्रहण हेतु, 2014-15 के दौरान उपगत व्यय 108.86 करोड़ रू0 है जो बैंगलोर स्थित एनएसीईएन के नए कार्यालय परिसर और अन्य परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण और निर्माण के प्रति अधिक व्यय के कारण 2013-14 में उपगत 4.30 करोड़ रू0 के व्यय से अधिक 2431.63 प्रतिशत है ।

आवासीय आवास के अधिग्रहण हेतु 2014-15 के दौरान उपगत व्यय 1.65 करोड़ रू0 है जो 2013-14 में उपगत 3.20 करोड़ रू0 के व्यय से कम 48.44 प्रतिशत है । यह वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, तैयार आवासीय आवास की खरीद की विभिन्न परियोजनाओं के गैर अनंतिमकरण के कारण है ।

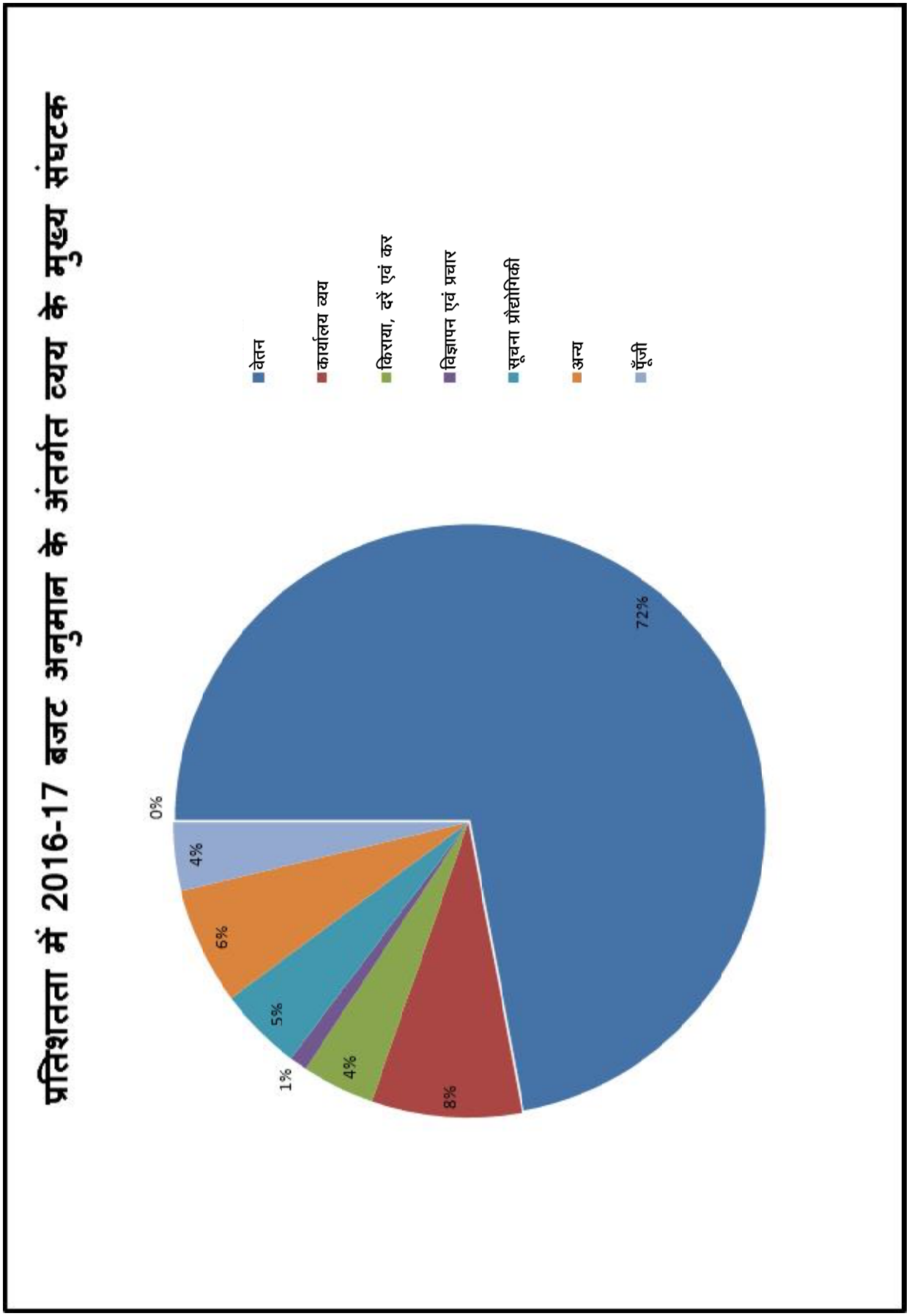
प्रतिशतता में 2016-17 बजट अनुमान के अंतर्गत व्यय के मुख्य संघटक
वेतन
कार्यालय व्यय
किराया, दरें एवं कर
विज्ञापन एवं प्रचार
सूचना प्रौद्योगिकी
अन्य
पूँजी
72%
8%
4%
1%
5%
6%
4%
0%

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अभ्यर्पित राशियां तथा बचत का विवरण

अनुपूरक अनुदान सहित 5155.84 करोड़ रू. के एक बजटीय प्रावधान के प्रति वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 4293.04 करोड़ रू. का व्यय था जो 862.80 करोड़ रू. की बचतों और अभ्यर्पण में परिणत हुआ। ये बचतें अनुदान के राजस्व और पूंजीगत भाग के विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत 7.29 करोड़ रू. के कुल आधिक्य और 870.09 करोड़ रू. की कुल बचतों के नियम प्रभाव हैं।

इन बचतों को निम्नलिखित श्रेणियों में पृथक किया गया है :

(i) संसाधनों के आर्थिक प्रयोग के कारण सामान्य बचतें : शून्य

(ii) परियोजनाओं/ स्कीमों के निष्पादन में गैर-कार्यान्वयन/ देरी के कारण बचतें :

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कुछ योजनाएं जिनमें निष्पादन/ कार्यान्वयन में देरी हुई थी, निम्नलिखित है :

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	टिप्पणी/कारण
1.	राजस्व-सह-आयात/ निर्यात व्यापार नियंत्रण प्रकार्य-आयुक्तालय	116.88	बचत का कारण, रिक्त पदों का न भरा जाना, चिकित्सा दावों की प्राप्ति में कमी, पुरस्कार मामलों का कम होना, किराए, मूल्य तथा आर्थिक उपायों का पुनरीक्षण न होना था।
2.	केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला	1.42	बचत का कारण, रिक्त पदों का भरा न जाना, घरेलू दौरों का कम होना, चिकित्सा दावों , प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा आर्थिक उपायों के लिए, कम निधियों की आवश्यकता था।
3.	सुरक्षात्मक तथा अन्य क्रियाकलाप समुद्री सीमाशुल्क प्रमुख बंदरगाह	69.34	बचत का कारण, रिक्त पदों का भरा न जाना, कंप्यूटर की खरीद, किराए की कार्यालयी इमारतों के संबंध में, किराए की पूनरीक्षा की लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा पुरस्कार मामलों का कम होना था।
4.	लॉजिस्टिक्स निदेशालय	1.39	बचत का कारण, रिक्त पदों का भरा न जाना तथा चिकित्सीय दावों की कम प्रतिपूर्ति, मशीनरी तथा उपस्करों के लिए कम खर्च था।
5.	राजस्व आसूचना निदेशालय	4.47	बचत का कारण, रिक्त पदों का न भरा जाना, कार्यालय की उपस्करों की खरीद में विलंब तथा विदेशी दोरों को अंतिम रूप न दिया जाना था।
6.	अन्य व्यय समुद्री सीमाशुल्क प्रमुख बंदरगाह	2.42	विदेशों में भारतीय शिष्टमंडलों के लिए, स्वविवेकी अनुदान के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा निधियों को समायोजन न होने के कारण, पूरे व्यवस्थापन का प्रयोग नहीं हुआ।
7.	विभागीय कैंटीन	5.23	बचत का कारण, रिक्त पदों का भरा न जाना था।
8.	निरीक्षण	8.08	बचत का कारण, रिक्त पदों का भरा न जाना, किराए की कार्यलय इमारतों के संबंध में किराए की पुनरीक्षा के किराए के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना तथा कंप्यूटर की खरीद तथा आर्थिक उपायों के लिए कम निधि की आवश्यकता था।
9.	राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी (नासेन)	9.61	बचत का कारण रिक्त स्थानों का प्राथमिक कार्यक्रम न भरा जाना, परिवीक्षाधीनों के टूर कार्यक्रमों को अंतिम रूप न दिया जाना था।
10.	प्रचार और प्रचार तथा जनसंपर्क निदेशालय	3.50	बचत का कारण, विज्ञापन तथा प्रचार के विचाराधीन बिलों का क्लियर न होना था।
11.	केंद्रीय आसूचना महानिदेशालय	6.21	बचत का कारण, रिक्त पदों का न भरा जाना तथा आर्थिक उपाय था।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	उपशीर्ष/योजना/कार्यक्रम	बचत	टिप्पणी/कारण
12.	व्यवस्था तथा डाटा प्रबंधन	22.43	बचत का कारण, रिक्त पदों का न भरा जाना, सेवा प्रदाताओं द्वारा लक्ष्य का पूरा न किया जाना, घरेलू दौरों तथा आर्थिक उपायों का कम होना था।
13.	संग्रहण प्रभार आयुक्तालय (मुख्यालय)	448.63	बचत का कारण, रिक्त पदों का न भरा जाना , सेवा प्रदाताओं द्वारा लक्ष्य का पूरा न किया जाना, किराए की समीक्षा न होना, कम घरेलू दौरे, चिकित्सीय दावों की कम प्राप्ति तथा किराए की कार्यलयी इमारतों के संबंध में किराए की पुनरीक्षा के लिए लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना था।
14.	वेतन तथा लेखा कार्यालय (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक)	1.69	बचत का कारण, सेवा प्रदाताओं द्वारा लक्ष्यों का पूरा न किया जाना था।
15.	अन्य खर्च - भू- सीमाशुल्क का संग्रहण	14.49	बचत का कारण, रिक्त पदों का भरा न जाना, सेवा प्रदाताओं द्वारा लक्ष्यों को पूरा न किया जाना, किराए की पुनरीक्षा न करना, घरेलू दौरों का कम होना, कंप्यूटर से संबंधित मदों की कम खरीद था।
16.	अन्य खर्चे - अन्य मदें	2.30	बचत का कारण, इमारतों के रख-रखाव तथा मरम्मत के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना था।
17.	अन्य खर्चे - विभागीय कैंटीन	6.65	बचत का कारण, रिक्त पदों का न भरा जाना तथा कैंटीन के स्टाफ की कम नियुक्ति था।
18.	प्रमुख शीर्ष- 2216 (हाउसिंग)	1.65	बचत का कारण, आवासीय इमारतों की मरम्मत तथा रख-रखाव के कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना था।
19.	अन्य पूंजीगत सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	114.93	बचत का कारण, पोत आपूर्ति शर्तों से संबंधित आपूर्तिकर्ताओंसे स्पष्टीकरण की प्राप्ति न होना, विभिन्न् एजेंसियों से निकासी की प्राप्ति न होने के कारण निविदा जारी करने की प्रक्रिया में विलंब होना तथा नियुक्ति कार्य के लिए समय सूची की पुनरीक्षा था।
20.	सार्वजनिक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4.18	बचत का कारण, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. के द्वारा पुनः निर्धारण था।
21.	निर्मित स्थानों का अधिग्रहण	20.56	बचत का कारण, कार्यालयी स्थानों के निर्माण/निर्मित कार्यालयी स्थानों की खरीदके लिए विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना था।
22.	निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण	2.85	बचत का कारण, कार्यालयी स्थानों के निर्माण/निर्मित कार्यालयी स्थानों की खरीद के लिए विभिन्न प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना था।

(iii) अप्रचालित/निष्क्रिय प्रोजेक्ट/ योजना के कारण या प्रोजेक्टों के समापन के कारण, अभ्यर्पित राशि या/बचतः शून्य

नोट : यह अनुबंध वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा अपनी 33 वीं रिपोर्ट में यथा वांछित वित्त वर्ष 2011-12 की निधियों के गैर-उपयोग और अभ्यर्पण के अंतर्गत, सामान्य बचतों के कारण बचतों के पृथक किए जाने संबंधी बजट प्रभाग के ओएम सं. 7 (1)-बी (एसी)/2011, दिनांक 23 मार्च, 2012 के अनुपालन में शामिल किया गया है।

विनिवेश विभाग

प्रस्तावना

विनिवेश विभाग को निम्नलिखित कार्य के लिए अधिकृत किया गया है:-

(1) (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले;

(ख) बिक्री की पेशकश या निजी व्यवस्था के माध्यम से पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामले;

टिप्पणी : पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, विनिवेश विभाग के परामर्श से, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

(2) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों के संबंध में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना ;

(3) सलाहकारों की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों का कार्यान्वयन ;

(4) विनिवेश आयोग ;

(5) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम; और

(6) विनिवेश से प्राप्त राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराई गई राशि के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

2. विभाग के मुखिया सचिव (विनिवेश) हैं, जिनका सहयोग चार संयुक्त सचिवों और एक आर्थिक सलाहकार द्वारा किया जाता है।

परिव्यय तथा परिणाम का विवरण 2016-17

(₹ करोड़)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वर्ष 2015-16 का व्यय (करोड़ रुपए में)			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/समय सीमा	अभ्युक्तियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना	4(ii) योजना	4(iii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	(करोड़ रुपए)			
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	संसाधन जुटाना तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वास्तविक मूल्य को निर्मुक्त करना।	44	...	...	₹69,500 (बजट अनुमान 2014-15)	सीपीएसईस के स्वामित्व के व्यापक वितरण का लक्ष्य हासिल करना। सीपीएसईस के जन- स्वामित्व में वृद्धि करना। निगमित नियंत्रण में सुधार करना। सीपीएसईस की लाभप्रदता में सुधार। सीपीएसईस की दक्षता में सुधार।	विनिवेश, सीपीएसईस की तैयारी सहित सरकार द्वारा और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुमोदन पर निर्भर करता है। कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, विभाग द्वारा एक रोडमैप तैयार किया जाता है जिस पर नियमित आधार पर निगरानी रखी जाती है।	- बोर्डों में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होना। - स्टॉक मार्केट - घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों में उतार-चढाव सहित प्रचालित बाजार परिस्थितियां।

सुधारात्मक उपाय तथा नीतिगत पहल

मांग संख्या 46- विनिवेश विभाग

वर्ष 2015-16 के लिए विनिवेश के बजटीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विनिवेश विभाग ने निम्नलिखित उपाय करते हुए विनिवेश प्रक्रिया को तेज करने के लिए और कदम उठाए हैं :

- ❖ वार्षिक योजना को रोलिंग प्लान से बदलना।
- ❖ उन सीपीएसईस के प्रस्तावों की सूची तैयार करना, जो इस समय अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।
- ❖ अनुमोदन प्रक्रिया को तीव्र बनाना।
- ❖ शेयरों में गिरावट को रोकने के लिए गोपनीयता बरती गई।
- ❖ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ओएफएस सौदों में खुदरा निवेशकों के लिए मामला-दर-मामला आधार पर 20% तक आरक्षण की कार्यपद्धति का अनुसरण करते हुए विनिवेश कार्यक्रम को और अधिक संयोजक बनाया गया।

2. समय गंवाए बिना बेहतर बाजार परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए शेयर तैयार रखने की रणनीति के एक भाग के रूप में सरकार ने वर्ष के दौरान विनिवेश के लिए खनन एवं धातु, तेल, ऊर्जा, पूंजीगत संपत्तियों जैसे क्षेत्रों में कुछ सीपीएसईस की तथा कुछ मध्यम आकार एवं छोटे आकार के शेयरों की पहले ही पहचान कर ली है। सीपीएसईस के लिए नई ओएफएस के माध्यम से और विनिवेश करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं। पूंजीगत पुनर्गठन के माध्यम से विनिवेश के अन्य विकल्पों की पहल की जा रही है। प्रयास यह है कि वर्ष 2015-16 के दौरान अधिकाधिक विनिवेश किया जाए।

3. वर्ष 2015-16 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप सीपीएसईस/पीएसयूस के सामरिक विनिवेश के लिए क्रियाविधियां तथा तंत्र निर्धारित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। तद्नुसार, अंतर-मंत्रालय परामर्शों के बाद, इस बारे में एक सीसीईए नोट को अनुमोदन हेतु अंतिम रूप दे दिया गया है।

पिछले कार्यनिष्पादन की समीक्षा

विनिवेश विभाग की कोई योजनाबद्ध अथवा गैर-योजनाबद्ध स्कीम नहीं है। विनिवेश विभाग का समस्त बजट, वेतन, मजदूरी, पेशेवर सेवाओं के भुगतान और अन्य प्रशासनिक व्ययों आदि के लिए गैर-योजना बजट के अन्तर्गत आता है। विभाग के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमशः 50 करोड़ रुपए और 35 करोड़ रुपए था। इस लक्ष्य के विरूद्ध 22.35 करोड़ रुपये का वास्तविक उपयोग हुआ था। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 44 करोड़ रुपये है।

I. (i) वर्ष 2014-15 के दौरान संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

(क) **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)** - सेल में 05 दिसंबर, 2014 को सरकार की 5% प्रदत्त इक्विटी के ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से सरकार को 1,719.54 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

(ख) **कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)** - सीआईएल में 30 जनवरी, 2015 को सरकार की 10% प्रदत्त इक्विटी के ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से सरकार को 22,557.63 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

(ii) वर्ष 2015-16 के दौरान (31 दिसंबर, 2015 तक) संपन्न किए गए विनिवेश सौदे

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (आरईसी) : आरईसी में 08 अप्रैल, 2015 को सरकार की 5% प्रदत्त इक्विटी के ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से सरकार को 1,608.00 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

(ख) विद्युत वित्त निगम लि. (पीएफसी) : पीएफसी में 27 जुलाई, 2015 को सरकार की 5% प्रदत्त इक्विटी के ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से सरकार को 1,671.00 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

(ग) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीसीआईएल) : डीसीआईएल में 21 अगस्त, 2015 को सरकार की 5% प्रदत्त इक्विटी के ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से सरकार को 53.33 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

(घ) भारतीय तेल निगम लि. (आईओसीएल) : आईओसीएल में 24 अगस्त, 2015 को सरकार की 10% प्रदत्त इक्विटी के ओएफएस के माध्यम से विनिवेश से सरकार को 9,369.00 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

2. वर्ष 2015-16 के विनिवेश के बजटीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और समय गंवाए बिना बेहतर बाजार परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए शेयर तैयार रखने की रणनीति के एक भाग के रूप में सरकार ने वर्ष के दौरान विनिवेश के लिए खनन एवं धातु, तेल, ऊर्जा, पूंजीगत संपत्तियों जैसे क्षेत्रों में कुछ सीपीएसईस की तथा कुछ मध्यम आकार एवं छोटे आकार के शेयरों की पहले ही पहचान कर ली है। सीपीएसईस के लिए नई ओएफएस के माध्यम से और विनिवेश करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जा रहे हैं। पूंजीगत पुनर्गठन के माध्यम से विनिवेश के अन्य विकल्पों की पहल की जा रही है। प्रयास यह है कि वर्ष 2015-16 के दौरान अधिकाधिक विनिवेश किया जाए।

II. वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्ति के बजटीय लक्ष्य और संशोधित अनुमान तथा विनिवेश के माध्यम से प्राप्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है: —

वर्ष	**बजटीय लक्ष्य (करोड़ रुपये)**	**संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये)**	**विनिवेशित सीपीएसईस के नाम**	**प्राप्त राशि (करोड़ रुपये)**
2014-15	43,425	26,353	राष्ट्रीय उर्वरक लि.	3.60
			राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लि. (एनटीपीसी लि.)	48.16
			भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल लि.)	1719.54
			कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	22,557.63
			एमएमटीसी लि.	4.16
			हिन्दुस्तान कॉपर लि.	3.17
			राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको)	12.45
			एनएमडीसी लि.	0.0040
			सकल योग (विनिवेश से प्राप्ति)	**24,348.71**
2015-16	69,500	25,312	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (आरईसी)	1,608.00
			विद्युत वित्त निगम लि. (पीएफसी)	1,671.00
			ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीसीआईएल)	53.33
			भारतीय तेल निगम लि. (आईओसी)	9,369.00
			सकल योग (दिसंबर, 2015 तक विनिवेश से प्राप्ति)	**12,701.33**

मांग संख्या - 46 विनिवेश विभाग

(₹ करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक 30.11.2015 तक	बजट अनुमान
राजस्व भाग											
1	वेतन	3.73	3.73	4.11	4.50	5.48	4.92	5.86	5.10	3.70	5.92
2	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	समयोपरि भत्ता	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
4	चिकित्सा उपचार	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.03	0.20
5	देशीय यात्रा व्यय	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.13	0.40
6	विदेश यात्रा व्यय	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.62	3.00	3.00	1.23	3.00
7	कार्यालय व्यय	1.00	1.20	1.20	1.50	1.50	1.25	1.50	1.50	0.81	2.00
8	प्रकाशन	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
9	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.07
10	विज्ञापन तथा प्रचार	...	6.00	4.64	21.00	5.00	0.26	13.00	7.00	0.16	8.00
	पेशेवर सेवाएं	54.97	15.51	11.55	19.44	19.44	12.96	20.00	17.81	1.46	19.89
11	सूचना प्रौद्योगिकी (अन्य प्रभार)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.50
	कुल राजस्व भाग	**63.24**	**30.00**	**24.98**	**50.00**	**35.00**	**22.35**	**44.00**	**35.00**	**7.56**	**40.00**
	पूंजीगत भाग	00.00	0 0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	सकल योग	**63.24**	**30.00**	**24.98**	**50.00**	**35.00**	**22.35**	**44.00**	**35.00**	**7.56**	**40.00**

व्यय में समग्र प्रवृत्ति का विश्लेषण

इस अनुदान के तहत समग्र राजस्व व्यय, वर्ष 2012-13 में 17.77 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2013-14 में 24.98 करोड़ रूपए, वर्ष 2014-15 में 22.35 करोड़ रु. और (30 नवंबर, 2015 तक) 7.56 करोड़ रुपये था। यह व्यय मुख्यतः विभाग के सचिवालय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है।

मांग सं. 46 - विनिवेश विभाग वित्त वर्ष 2014-15

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सचिवालय आर्थिक सेवा के लिए 50.00 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान की तुलना में 22.35 करोड़ रुपए का व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप 27.65 करोड़ रुपए की बचत हुई।

इस बचत को निम्नलिखित श्रेणियों में अलग-अलग दर्शाया गया है:-

(i) सामान्य बचतः संसाधनों के किफायती उपयोग के परिणामस्वरूप बचत

27.65 करोड़ रुपए (सार्वजनिक पेशकशों के संपन्न न होने के कारण)

(ii) कम उपयोग/उपयोग न किया जानाः परियोजनाओं/स्कीमों के गैस-कार्यान्वयन/निष्पादन में विलंब के कारण बचत

लागू नहीं

(iii) निधियों की वापसी (सरेंडर): अप्रचलित/पुरानी परियोजनाओं/स्कीमों के कारण या ऐसी परियोजना/स्कीम के संपन्न होने के कारण बचत जिसके लिए निधियों की और अधिक आवश्यकता न हो

लागू नहीं